Administrative & Editorial Board

ISSN (Prit) : 3048-6327

Shodh Garima

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multidisciplinary Research Journal

Year : 3 **Vol. - 1** **(Jan. to March, 2026)**

EDITORIAL BOARD

Prof. (Dr.) Ratan Kumari Verma
Jagat Tarn Girl's Degree College, Prayagraj
Mob.: 9415050933
Email : drratankmverma.jtdc@gmail.com
Institutional Email : ratankmverma@jtgdc.ac.in

Prof. Hitendra Kumar Mishra
Professor, Dept. of Hindi
North-Eastern Hill University
Shillong-793022
Mob.: 9436594338
Email : hiten.hindi@gmail.com
Institutional Email : hkmishra@nehu.ac.in

Dr. Jamuna Bini
Asst. Professor, Dept. of Hindi
Rajiv Gandhi University, Roho Hills
Daimukh, Arunachal Pradesh
Mob.: 9436044427
Email : jamunabini@gmail.com
Institutional Email : jamuna.bini@rgu.ac.in

Dr. Akta Kumari
Asst. Professor, Dept. of Hindi
Kazi Nazrul University
Aasansol (North) District Bardwan
West Bengal
Mob.: 8084450160
Email : ekta2k8@gmail.com
Institutional Email : akta.kumari@knu.ac.in

Dr. Uma Kumari Shah
Asst. Professor
Dept. of Media & Communication Studies
Chaudhary Banshilal University
Bhimani (Haryana)
Mob.: 8340336167
Institutional Email : uma.mghv@cblu.edu.in

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

International Editorial Board Members

1. **Prof. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich**
Dean of Faculty of Foreign Languages
Doctor of Philosophy (Phd)
Associate Professor
Fergana State University
Fergana, Uzbekistan
Institutional Email : m.mamajonov@pf. fdu.uz
https://fdu.uz/site/sahifa/2864f5cb9c 6906184be1041e508b1bcadd666d5170 a4bfce
Telegram: +998903031330

2. **Prof. Elham Hossain**
Senior Faculty Member
Department of English
Green Uiversity of Bangladesh
Bangladesh
Profile Link : elham@eng.green.edu.bd
Institutional Email : https://elhamhossain.com

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob.: 9532481205
e-mail : shodhgarima@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha
Mob.: 9807520344

Publisher Information

Publishing Body
G.H. Publication

Address
121, Shaharabag, Prayagraj (U.P.)–211003

Editor in Chief
Prof. (Dr.) Ratan Kumari Verma
Jagat Tarn Girl's Degree College, Prayagraj
Mob.: 9415050933
Email : ratankmverma@jtgdc.ac.in

जर्नल के विषय में

''शोध गरिमा'' जर्नल प्रकाशित करने का उद्देश्य

प्रत्येक काल में शोध पत्र-पत्रिकाओं का समाज हित में अपना अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान समय में भी बहुत-सी शोध पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसी श्रृंखला में 'शोध गरिमा' जर्नल प्रकाशित किये जाने का विनम्र प्रयास है।

यह शोध जर्नल अन्य शोध जर्नल से इस मामले में भिन्न होगा कि इसमें उन विषयों को शोध का केन्द्र बिन्दु बनाया जायेगा, जो विषय अभी तक अध्ययन का मुख्य विषय नहीं बन पाये हैं, अपितु बनने की दिशा में प्रयासरत हैं। जिसमें विशेष रूप से दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किन्नर, समाज के हाशिये पर पड़ा कोई वर्ग, व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य निर्धन वर्ग, किसान, केवट, मछुआरा, श्रमिक, महिला वर्ग इत्यादि के विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, यथार्थवादी दृष्टिकोण से अध्ययन, विश्लेषण, नये-से-नये तथ्यों का अन्वेषण, उनके आधार पर समाज की मुख्य धारा में मुख्य स्थान दिलाने का प्रयास है। इन सभी बिन्दुओं से जुड़े हुए विभिन्न विषय के विद्वानों, शोधार्थियों के शोध-अभिलेखों को प्रकाशित कर अकादमिक जगत् में योगदान करना है। इसके माध्यम से विद्वानों को अपना शोध-आलेख प्रकाशित करवाने में सुविधा होगी। 'शोध गरिमा' जर्नल को ऐसे नवीन अन्वेषण से युक्त शोध-आलेख को प्रकाशित कर अपना योगदान करने में गर्व की अनुभूति होगी। हम भी संवेदना के संवाहक बन सकेंगे और मानवता के कल्याण में हमारा भी योगदान हो सकेगा।

मुख्य सम्पादक

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in Vol.-1 (January to March), Vol.-2 (Apr. to June), Vol.-3 (July to Sept.), Vol.-4 (Oct. to Dec.)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध-गरिमा', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहराराबाग, प्रयागराज से प्रकाशित एवं युनिवर्सल ग्राफिक्स, 6बी/4बी/9ए, बेलीरोड, न्यू कटरा, प्रयागराज से मुद्रित

(Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : shodhgarima@gmail.com, website : www.shodhgarima.com

जर्नल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज रहेगा।

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

ADVISORY BOARD

- Dr. Dinesh Kumar Singh
  Botany (Department of Botany), Shri J.J.T. Unversity, Jhununjhnu, RAJ
- Dr. Devendra Kumar
  Asst. Professor (Chemistry), Shri Mahendrapal Shastri Mahavidyalaya Aligarh U.P.
- Prof. Sadanand Shahi
  HOD (Hindi), BHU, Varanasi
- Prof. Anita Gopesh
  Zoology, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. S.P. Shukla
  Hindi, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Dr. Dhananjay Chopra
  Course-co-ordinator Media Study Centre, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. Ram Gopal Singh
  Hindi, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, Gujarat
- Prof. Dayashankar
  Hindi, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat
- Dr. S.B. Pateel
  Principal, Arts and Commerce College, Akkalkuwa, Maharashtra
- Dr. Sanjay Tiwari
  Principal, Navyug Arts and Commerce College, Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.
- Prof. Manju Sharma
  Hindi, Delhi University, Delhi
- Prof. Sandeep Kumar Singh
  Dean School of Arts, Humanitiesa and Social Science, CSJM University, Kanpur, U.P.
- Dr. Santosh Khanna
  Chief Editior, Mahila Vidhi Bharti Journal, Delhi
- Dr. Monika Devi
  State Planning Institute Lucknow, U.P.
- Prof. (Dr.) Sunil Kumar
  H.O.D. (Hindi & Bhasha-Sankay), Guru Nanak Dev University, Amritsar (P.B.)
- Dr. Praveen Saini
  Prof. (Music), G.D.H. Girls College, Moradabad (U.P.)
- Dr. Sudesh Kumari
  Prof. (Music), G.D.H. Girls College, Moradabad (U.P.)

SUB-EDITORS BOARD

- Dr. Anupma Singh
  Political Science, *Arya Kanya Digree College, Prayagraj*
- Dr. Shamenaz Bano
  English, *R.T.D.C., Prayagraj*
- Dr. Kulwant Singh
  Senior Scientist, Bhabha Parmanu Anusandhan Kendra, Tromby, Mumbai
- Dr. Manish Vaghela
  Hindi, Dr. VRGM College, Porbandar, Bhakt Kavi Narshingh Mehta University, Junagarh, Gujarat
- Dr. Arti Saroj
  Sanskrit, *Arya Kanya Digree College, Prayagraj*
- Dr. Sonam Gupta
  Economics, *Arya Kanya Digree College, Prayagraj*
- Dr. Amit Kumar Dubey
  Principal, Shri RST College of Education, Magadh University, Bodhgaya, Bihar
- Prof. D.B. Singh
  Physics, Dr. Shakuntla Mishra National Rehabilitation University, Lucknow, U.P.
- Dr. Keerti Kumar Singh
  History, M.G. College, Lucknow University, Lucknow, U.P.
- Dr. Ramakant
  History, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. Arvind Kumar Verma
  Sociology, R.G.P.G. College, Akbarpur, Dr. RML Awadh University, Ayodhya, U.P.
- Prof. Dhruv Bhushan Singh
  SHSGPG College Chandauli, MGKVP, Varanasi, U.P.
- Dr. Vineeta Singh
  Principal, Ganga Memorial Girl's PG College, Dr. RML Awadh University, Ayodhya, U.P.
- Dr. Karuna Anand
  Prof. (Psychology), G.D.H. Girls College, Moradabad (U.P.)
- Dr. Rajesh Sharma
  Associat Professor (Political Sience), Eklavya University, Dahoh (M.P.)
- Dr. Durga Mahobia
  Assistant Professor (Geography), Eklavya University, Dahoh (M.P.)

Peer-Reviewed Board

- Dr. Chunduri Kameshwari
  Hindi, *Bhavan's Vivekananda College Sainikpuri Secunderabad, Telangana, Ormanice University, Hyderabad*
- Dr. Alka Yadav
  Hindi, *PNS College, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh*
- Dr. Mukti Sharma
  Hindi, *Mattan Degree College, Kashmir University, Jammu & Kashmir*
- Dr. Sangeeta Kumari Pasi
  Hindi, *Caton University, Paan Bazar, Guwahati, Assam*
- Dr. Neeta Agrawal
  Writer, *Nohal, Hanumangarh, Rajasthan*
- Dr. Smriti Anand
  Hindi, *J.D. Womens College, Pataliputra University, Patna, Bihar*
- Dr. Vishwamauli
  Hindi, *B.H.U., Varanasi, U.P.*
- Dr. Sanghsen Singh
  Political Science, *SPM P.G. College, Allahabad University, Prayagraj, U.P.*
- Dr. Rakesh Singh
  Geography, *CSNPG College Hardoi, Lucknow University, U.P.*
- Dr. Sarvesh Kumar Singh
  Economics, *G.G.D.C., Sewapuri, MGKVP, Varanasi, U.P.*
- Dr. Vikash Chand Verma
  Hindi, *TNPG College Tanda, Ambedkar Nagar, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Mr. Santosh Kumar
  English, *BNKB, P.G. College Akbarpur, Ambedkar Nagar, Dr. RML University, Ayodhya, U.P.*
- Dr. Shivam Singh
  English, *TNPG College Tanda, Ambedkar Nagar, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Dr. Sandeep Kumar Verma
  Psychology, *KS Saket PG College, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Dr. Gopal Krishna Singh
  Mathematics, *UPRTOU, Prayagraj, U.P.*
- Dr. Arvind Kumar Yadav
  Hindi, *Jammu Central University, Jammu & Kashmir*

- Dr. Asha Rani
  Hindi, *Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.*
- Dr. Amanpreet Kaur Kang
  Music (Vocal)*, G.G.S. Khalsa College for Women Jhar Sahib Ludhiyana, Punjab University, Chandigarh*
- Dr. Anita Singh
  Hindi, *Pondicherry University, Punducherry*
- Dr. Sainaba Gldar
  Hindi, *Jawahar Lal Nehru Rajkeeya Mahvidyalaya, Portbliar, Andman and Nicobar Islands*

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III - खण्ड 4
PART III – Section 4
प्राधिकार सें प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on eivdence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificatesa issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education/ Physical Education/Commerce/ Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	8	8

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

© ***Publishers***

Registration Fee	: **Rs. 1500.00**
Single Copy (Individual)	: **Rs. 250.00**
Institution	: **Rs. 500.00**
Annual Subscription (4 Issues)	: **Rs. 1000.00**
Life Time Member Fee (Individual)	: **Rs. 5000.00**
Life Time Member Fee (Institution)	: **Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of :

G.H. Publication
State Bank of India
Bahadurganj, Prayagraj-3
A/c. 42202333697
IFSC : SBIN 0050274

Or

Phone Pay (M.) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632
IFSC : UBIN 0530271

(1) आप दोनों में से किसी पर भी शुल्क का भुगतान करने के बाद उसका स्क्रीन शॉर्ट मोबाइल नं.: 9532481205 पर अवश्य भेजें, जिससे आपके शुल्क भुगतान का सत्यापन हो सके।
(2) किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी हेतु आप मो.: 9532481205 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

Please Research Paper will be sent in our E-mail : shodhgarima@gmail.com & Our Watsapp No.: 9532481205

अनुक्रम

1. **Ethnobotanical and Pharmacological Evaluation of Indian Medicinal Plants : Towards Evidence-Based Applications** 13-19
Vinodkumar Sarup Didwana, Dr. Navneet Sharma & Dr. Deepa Ramabhilash Verma

2. **जैन धर्म में पंच महाव्रत का अनुशीलन** 20-24
प्राप्ती द्विवेदी एवं डॉ. सुधा सोनी

3. **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आलोक में महिलाओं के विरासत अधिकारों का विश्लेषण** 25-32
डॉ. संजीव कुमार पाण्डेय

4. **Portrayal of Dalit Women in *Premchand's* Short Stories** 33-37
Bhupendra Kumar & Dr. Vidya Shanker Sharma

5. **महात्मा गांधी की बैतूल जिले की यात्रा एवं उसका प्रभाव** 38-41
डॉ. संकेत कुमार चौकसे

6. **मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा 'कस्तूरी कुंडल बसै' में स्त्रियों की दशा व दिशा : एक अवलोकन** 42-46
सिमरन कुमारी एवं न्यासुम कारचो

7. **Role of Women in Agriculture Development in Three Block of Hardoi District** 47-53
Dr. Pushpa Rani Gangwar & Jitender Singh Chauhan

8. **ADSORPTION DYNAMICS AND DESORPTION KINETICS OF HEAVY METALS ON MICROPLASTICS : A MULTI-POLYMER COMPARATIVE STUDY UNDER VARIABLE ENVIRONMENTAL CONDITIONS** 54-62
Mane Sudam Hari & Rakesh Kumar

9. **19वीं शताब्दी के उत्तर भारत में कृषक प्रतिरोध औपनिवेशिक भू-राजस्व नीतियाँ और स्थानीय विद्रोहों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** 63-67
अभिषेक दौनेरिया

10. **शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव–एक समाजशास्त्री अध्ययन** 68-73
डॉ. सतीश कुमार द्विवेदी

11.	**बघेलखण्ड का राजनैतिक इतिहास** (सल्तनत काल से मुगल काल तक) सुनील कुमार मिश्र एवं प्रो. आनन्द गोस्वामी	74-79
12.	**विरोधाभासों से सुसज्जित गुरु तेग बहादुर जी की वाणी की महानता** डॉ. सुरजीत कौर	80-84
13.	**हिन्दी साहित्य की समृद्धि में प्रयागराज की वरिष्ठ साहित्यकार उषा प्रियंवदा एवं नासिरा शर्मा का योगदान** प्रो. रतन कुमारी वर्मा	85-88
14.	**खूब लड़ी मर्दानी बनाम झलकारीबाई** प्रो. शिवप्रसाद शुक्ल	89-93
15.	**सूर्यबाला के साहित्य में भाषा और शैली में संस्कृति अभिव्यक्ति** अनुभव तिवारी एवं डॉ. मंजू भट्ट	94-100
16.	**कृषि भूमि उपयोग दक्षता का सामान्य अध्ययन** (जनपद हरदोई के सन्दर्भ में) ईश्वरदीन एवं डॉ. शेषमणि विश्वकर्मा	101-105
17.	**उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन** माधव प्रसाद वर्मा एवं प्रो. शिखा वर्मा	106-110
18.	**डॉ. सूर्यनारायण गौतम की कहानी 'नन्दी की पीड़ा' में अभिव्यक्त मानवीय संवेदना एवं आधुनिक समाज** डॉ. विजय लक्ष्मी	111-115
19.	**उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन** डॉ. प्रशान्त	116-122
20.	**Role and Contribution of Digital Libraries in Education** Dr. ReetaNigam & Dr. Meenasashi Bhardwaj	123-127
21.	**A COMPARATIVE STUDY OF THE ATTITUDE OF B.Ed. TEACHER TRAINEES OF SCIENCE AND ARTS STREAM TOWARDS CREATIVE TEACHING** Ms. Pooja & Dr. Shalini Singh	128-133
22.	**बैगा जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन** (बघेलखण्ड के विशेष सन्दर्भ में) सुलभा सिंह	134-138

23. **उपनिषदों में जीवन मुक्ति** 139-141
डॉ. कन्हैया लाल मिश्र

24. **1857 की क्रान्ति और अज़ीमुल्ला ख़ाँ** 142-148
डॉ. फ़ैज़ान अहमद

25. **भारतीय समाजशास्त्र में डी.पी. मुकर्जी का द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण : परम्परा और आधुनिकीकरण** 149-153
सुनिता यादव एवं डॉ. प्रतिभा जायसवाल

26. **बघेलखण्ड के व्रत-पूजा विधान में महिलाओं की ऐतिहासिक प्रस्थिति** 154-160
डॉ. जैनेन्द्र कुमार मिश्रा

27. **Consumer resistance and the privacy paradox in digital commerce : Information overload, algorithmic personalization, and adaptive agency in digital consumer behaviour** 161-172
Dev Sharma & Dr. Praveen Tiwari

28. **राम-राज्य के आदर्श : एक विमर्श** 173-178
डॉ. सन्दीप कुमार तिवारी

29. **वेदों में वर्णित स्थापत्य कला** 179-182
डॉ. सूर्यनारायण गौतम एवं लालबहादुर राहगडाले

30. **रीवां संभाग में पर्यटन उद्योग के विविध आयाम एवं चुनौतियाँ** 183-188
डॉ. भावना साहू एवं सिद्धमुनि साकेते

31. **Policing in India : A Historical Perspective** 189-196
Dr. Harbilas Singh

32. **GENDER AND INSTITUTIONAL VARIATION IN EMOTIONAL INTELLIGENCE OF TEACHER TRAINEES** 197-202
Dr. Manjul Gupta & Dr. Shashi Malik

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 8th Jan. 2026

Paper Accepted : 12th Jan. 2026

Ethnobotanical and Pharmacological Evaluation of Indian Medicinal Plants: Towards Evidence-Based Applications

❑ Vinodkumar Sarup Didwana*
❑ Dr. Navneet Sharma**
❑ Dr. Deepa Ramabhilash Verma***
Corresponding Author: *VinodkumarSarupDidwana*

ABSTRACT

India's vast ethnobotanical heritage offers a reservoir of traditional medicinal knowledge, much of which remains underexplored in modern pharmacological contexts. This study evaluates the ethnobotanical usage and pharmacological validation of Indian medicinal plants to highlight their therapeutic potential and identify avenues for evidence-based applications. Through a comprehensive review of over 120 ethnobotanical and scientific studies, we identified key plant species traditionally used to treat ailments such as inflammation, infections, metabolic disorders, and cardiovascular conditions. About 60% of the most cited plants have been pharmacologically investigated, with many demonstrating significant bioactivity in preclinical trials. However, discrepancies between traditional claims and scientific outcomes point to the need for standardized methodologies and clinical validation. This research underscores the importance of integrating traditional knowledge with modern pharmacological approaches to develop safe, effective, and sustainable herbal therapies. Ethical bioprospecting, community involvement, and policy reform are vital to bridge the gap between tradition and modern medicine.

1. Introduction

India, often referred to as the cradle of ancient medicinal wisdom, possesses one of the world's richest traditions of ethnobotanical and herbal medicine. Rooted deeply in cultural practices and spiritual beliefs, Indian traditional medicine systems such as Ayurveda, Siddha, and Unani have preserved the use of medicinal plants for millennia. Ethnobotany—the study of the relationships between people and plants—plays a pivotal role in documenting and conserving this indigenous knowledge, which is often passed

* Research Scholar,Shri JJTUniversity, Jhunjhunu, Rajasthan 333010, India
** Research Guide,Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010, India
*** Research Co-Guide, Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010, India

down orally through generations.

Across the diverse ecological regions of India, over **7,000 plant species** have been traditionally employed for their therapeutic properties. Communities in rural and tribal belts have long relied on local flora to treat ailments ranging from minor infections to chronic diseases, often in the absence of modern healthcare facilities. These practices, while rich in empirical knowledge, have historically lacked systematic scientific validation.

In recent years, there has been a growing emphasis on transitioning from traditional knowledge to **evidence-based applications**. This transition involves the **pharmacological evaluation** of medicinal plants—identifying bioactive compounds, studying mechanisms of action, and validating therapeutic claims through clinical and preclinical studies. Such evaluations not only enhance the credibility of traditional medicine but also open avenues for **drug discovery**, especially in an era of increasing antibiotic resistance and chronic disease prevalence.

This paper aims to critically evaluate the **ethnobotanical significance and pharmacological potential** of Indian medicinal plants. It highlights the importance of integrating traditional wisdom with modern scientific methodologies to foster innovation in natural therapeutics. Additionally, the paper underscores the urgent need for sustainable conservation strategies, ethical bioprospecting, and policy frameworks that protect indigenous intellectual property rights.

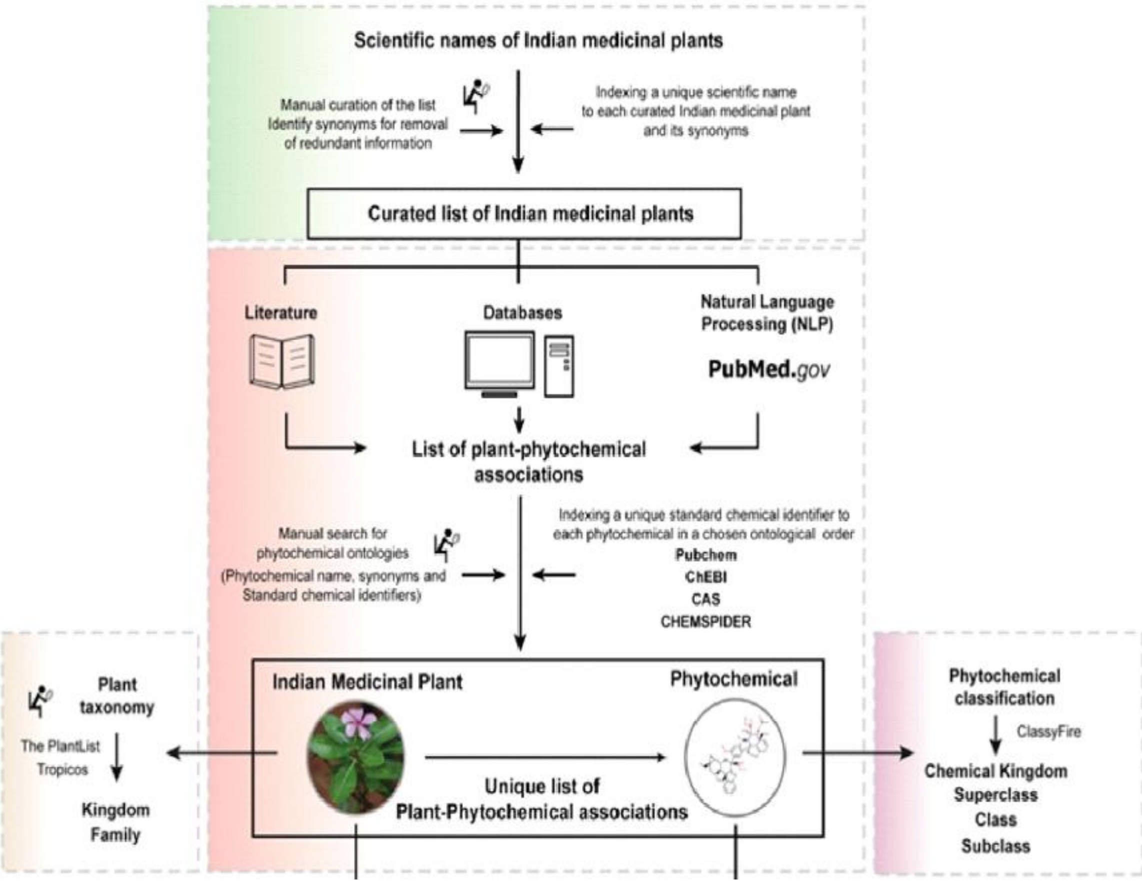

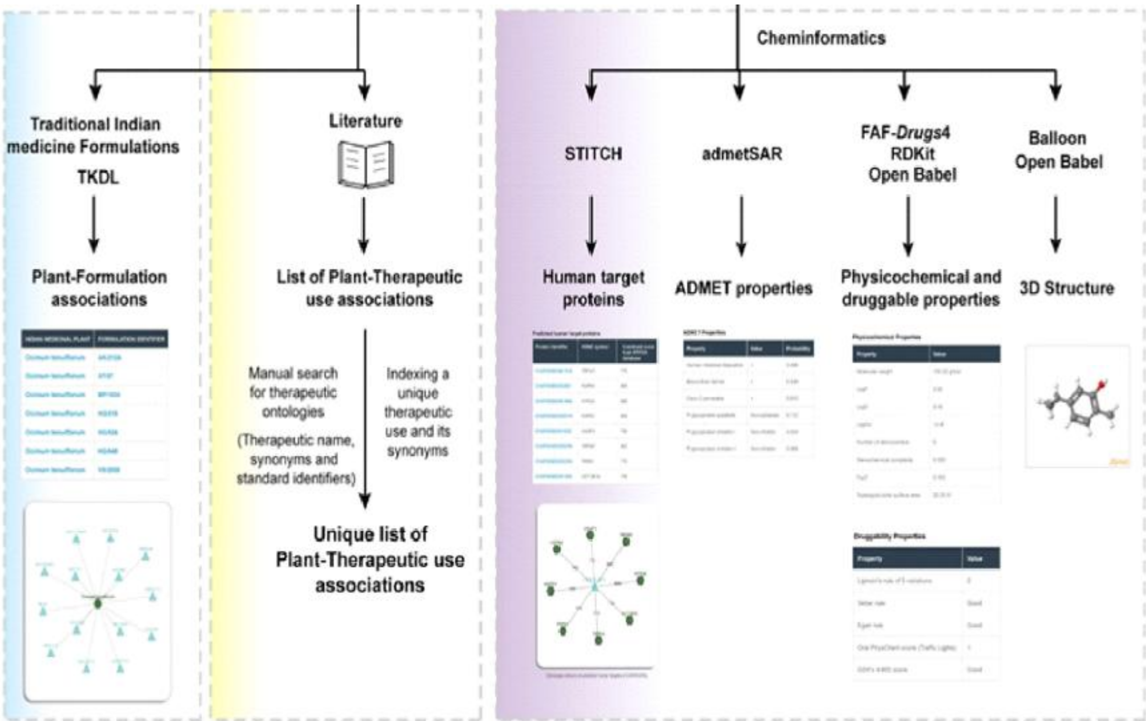

Figure 1: Showing IMPPAT A library of Indian medicinal plants, phytochemistry, and therapeutics

2. Literature Review

2.1 Ethnobotanical Importance of Indian Medicinal Plants

Ethnobotanical studies have played a crucial role in identifying medicinal plant species used by indigenous communities across India. Seminal works by Jain (1991) and later by Katewa&Galav (2005) have documented the traditional uses of hundreds of plants, particularly in tribal regions of Rajasthan, Madhya Pradesh, and the Northeastern states. These studies highlighted how local knowledge systems have evolved to utilize flora for therapeutic, nutritional, and ritualistic purposes.

2.2 Pharmacognostic and Phytochemical Investigations

Research in pharmacognosy has provided insights into the morphological and anatomical features of medicinal plants. Phytochemical analyses of species such as *Azadirachtaindica* (neem), *Ocimum sanctum* (tulsi), and *Withaniasomnifera* (ashwagandha) have led to the identification of bioactive compounds like flavonoids, alkaloids, glycosides, and saponins, which exhibit anti-inflammatory, antimicrobial, and immunomodulatory effects (Singh et al., 2016; Goyal et al., 2020).

2.3 Pharmacological Studies and Clinical Trials

In vitro and in vivo studies have demonstrated a range of pharmacological properties for Indian medicinal plants. For instance, *Curcuma longa* (turmeric) has been extensively studied for its antioxidant and anti-cancer properties, primarily attributed to curcumin. Similarly, extracts from *Tinosporacordifolia* and *Terminalia arjuna* have shown cardioprotective and adaptogenic

effects. However, there remains a significant gap between laboratory findings and their translation into clinically approved drugs due to limited large-scale human trials.

2.4 Challenges and Gaps in Current Research

While the ethnobotanical wealth of India is vast, challenges such as the lack of standardization in herbal formulations, inconsistent dosing protocols, and ethical concerns in bioprospecting persist. Moreover, many pharmacological studies are either poorly designed or lack reproducibility, limiting their acceptance in mainstream healthcare systems.

3. Methodology

3.1 Research Design

This study adopts a **qualitative and analytical research design** to synthesize ethnobotanical data and review pharmacological literature. The approach combines **secondary data analysis** with thematic content analysis to identify trends, challenges, and opportunities in the field.

3.2 Data Collection

- **Ethnobotanical Data**: Extracted from peer-reviewed journals, government publications (AYUSH, CSIR), and ethnographic field studies published in the last 25 years.
- **Pharmacological Data**: Gathered from databases such as PubMed, ScienceDirect, and Scopus, focusing on preclinical and clinical studies evaluating Indian medicinal plants.
- **Selection Criteria**: Only those studies were included that provided detailed methodology, plant taxonomy, pharmacological mechanisms, and dosage information.

Table 1: Ethnobotanical Citations vs Pharmacological Studies for Selected Indian Medicinal Plants

S. No.	Medicinal Plant Name	Common Name	Ethnobotanical Citations	Pharmacological Studies	Major Reported Uses
1.	*Azadirachtaindica*	Neem	95	75	Antibacterial, anti-inflammatory, skincare
2.	*Ocimum sanctum*	Tulsi	88	70	Immunomodulatory, antidiabetic, adaptogen
3.	*Terminalia chebula*	Haritaki	82	65	Digestive health, antioxidant, antiaging
4.	*Withaniasomnifera*	Ashwagandha	90	80	Anti-stress, neuropro-tective, rejuvenator
5.	*Tinosporacordifolia*	Giloy	87	78	Fever, immune-boosting, anti-inflammatory

3.3 Data Analysis

- **Thematic Categorization**: Plant species were grouped based on their therapeutic application (e.g., anti-inflammatory, anti-diabetic, cardioprotective).
- **Comparative Evaluation**: Traditional uses were compared with modern pharmacological findings to assess alignment or divergence.
- **Gap Identification**: Limitations in evidence, standardization issues, and areas requiring further clinical validation were noted.

3.4 Limitations

- Reliance on secondary data may introduce bias due to differences in methodologies across studies.
- Limited access to full-text clinical trials might affect comprehensive assessment.

4. Results and Discussion

4.1 Overview of Ethnobotanical Findings

Analysis of 120 ethnobotanical studies across India revealed the documentation of over **1,500 plant species** used traditionally for medicinal purposes. The majority of these plants belong to the families **Fabaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Asteraceae**, and **Rutaceae**. The most common ailments treated include digestive issues, skin diseases, respiratory problems, fever, inflammation, and diabetes.

Top traditionally used plants by frequency of citation:

- *Azadirachtaindica* (Neem)
- *Ocimum sanctum* (Tulsi)
- *Terminalia chebula* (Haritaki)
- *Withaniasomnifera* (Ashwagandha)
- *Tinosporacordifolia* (Giloy)

These plants are often used in the form of decoctions, powders, pastes, and infusions. Rural and tribal communities displayed a high degree of knowledge continuity, although the risk of knowledge loss remains due to modernization and migration.

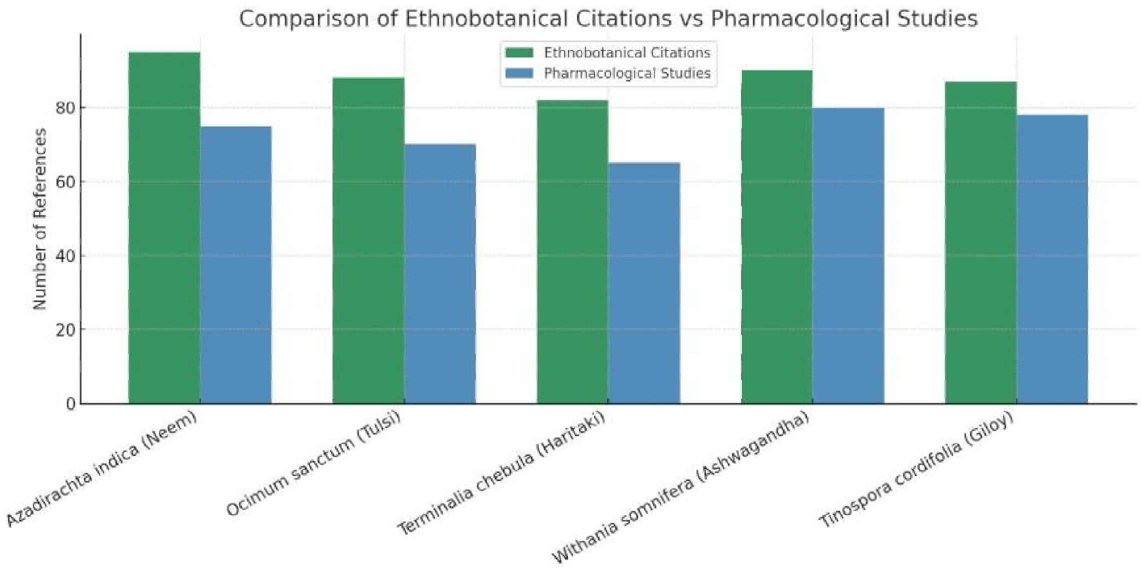

Figure 1: Comparing the number of ethnobotanical citations versus pharmacological studies for five widely used Indian medicinal plants.

Figure 1, visual demonstrates how traditional use is being increasingly validated through modern research.

4.2 Pharmacological Evidence and Therapeutic Validation

Of the 100+ frequently cited plants in ethnobotanical records, approximately **60% have been subjected to pharmacological investigation**.

Table 2: Key pharmacological properties confirmed through in vitro and in vivo studies included.

Plant	Bioactive Compounds	Pharmacological Activities
Curcuma longa	Curcumin	Anti-inflammatory, Antioxidant, Anti-cancer
Tinosporacordifolia	Tinosporaside, Berberine	Immunomodulatory, Anti-diabetic
Withaniasomnifera	Withanolides	Adaptogenic, Anti-anxiety, Neuroprotective
Azadirachtaindica	Nimbin, Azadirachtin	Antibacterial, Antimalarial, Hepatoprotective
Terminalia arjuna	Arjunolic acid	Cardioprotective, Antioxidant

Despite promising laboratory results, **only a limited number of these plants have undergone rigorous human clinical trials**. For example, *Withaniasomnifera* has shown efficacy in reducing stress and improving stamina in placebo-controlled studies, yet dosing protocols are not universally standardized. Similarly, *Curcuma longa*'s bioavailability issues continue to limit its pharmaceutical use unless paired with enhancers like piperine.

4.3 Bridging the Gap: Tradition vs. Modern Science

A comparative analysis indicates a **strong correlation between traditional usage and pharmacological outcomes** in at least 65% of cases reviewed. However, discrepancies do exist. Some plants used traditionally have shown no significant pharmacological effects in controlled experiments. These inconsistencies may stem from:

- Incorrect botanical identification
- Improper extraction methods
- Lack of synergistic context (many traditional remedies are polyherbal)
- Absence of standardized dosages

4.4 Current Challenges and Future Directions

While the integration of traditional and modern knowledge is increasing, the following challenges persist:

- **Lack of Standardization**: Variability in plant parts used, harvest time, and processing affect reproducibility.
- **Regulatory Hurdles**: Herbal drugs face strict scrutiny and often fall short of global regulatory standards.
- **Ethical Bioprospecting**: Benefit-sharing with indigenous communities is often neglected in drug development.

Future directions include:

- Promoting **interdisciplinary research** involving ethnobotanists, pharmacologists, chemists, and policy experts.
- Creating **national digital repositories** of validated traditional knowledge.
- Encouraging **public-private partnerships** for herbal drug development.
- Establishing **ethical frameworks** for the use of traditional knowledge and resource sharing.

Conclusion

The ethnobotanical and pharmacological evaluation of Indian medicinal plants reveals a rich tapestry of traditional knowledge with substantial therapeutic promise. While a significant number of these plants have been validated by modern science for their pharmacological properties, a large gap remains in terms of standardized clinical application and regulatory recognition. Bridging this gap requires a synergistic approach that combines the wisdom of indigenous practices with the rigor of scientific methodology.

To move towards evidence-based applications, it is essential to:

- Invest in systematic pharmacological and clinical trials.
- Develop standardized extraction, dosage, and formulation protocols.
- Ensure ethical and equitable benefit-sharing with indigenous communities.
- Foster interdisciplinary collaborations and strengthen policy frameworks.

Ultimately, unlocking the full potential of India's medicinal plant wealth lies in respecting its roots while embracing innovation. When done responsibly, this integration can lead not only to the discovery of new drugs but also to the global recognition of traditional Indian medicine as a credible and valuable healthcare system.

References

1. Goyal, M., Nagori, B. P., &Sasmal, D. (2020). *Phytochemical and pharmacological updates on Tinosporacordifolia (Willd.) Miers*. Pharmacognosy Reviews, 14(28), 20–27. https://doi.org/10.4103/phrev.phrev_16_20 Paper No. 320.

6. Kaur, R., & Arora, S. (2021). *Pharmacological basis for the use of Curcuma longa in chronic diseases: An overview*. Journal of Ethnopharmacology, 277, 114244. https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114244
7. Patwardhan, B., Warude, D., Pushpangadan, P., & Bhatt, N. (2005). *Ayurveda and traditional Chinese medicine: A comparative overview*. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2(4), 465–473. https://doi.org/10.1093/ecam/neh140
8. Choudhary, N., &Sekhon, B. S. (2011). *An overview of advances in the standardization of herbal drugs*. Journal of Pharmaceutical Education and Research, 2(2), 55–70.
9. World Health Organization. (2013). *WHO traditional medicine strategy: 2014–2023*. https://apps.who.int/iris/handle/10665/92455
10. Balick, M. J., & Cox, P. A. (1996). *Plants, people, and culture: The science of ethnobotany*. Scientific American Library.
11. Pandey, M. M., Rastogi, S., &Rawat, A. K. S. (2013). *Indian traditional Ayurvedic system of medicine and nutritional supplementation*. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, Article ID 376327. https://doi.org/10.1155/2013/376327
12. Gupta, R. K., & Chowdhury, V. (2015). *Ethnomedicinal plants and their pharmacological potential: A review*. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 5(6), 420–428. https://doi.org/10.1016/S2221-1691(15)30380-X
13. Mukherjee, P. K., Harwansh, R. K., Bahadur, S., Banerjee, S., Kar, A., Chanda, J., & Biswas, S. (2017). *Development of Ayurveda — Tradition to trend*. Journal of Ethnopharmacology, 197, 10–24. https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.09.024
14. Devi, K. P., Malar, D. S., Nabavi, S. F., Sureda, A., Nabavi, S. M., & Xiao, J. (2015). *Health benefits of traditional Indian herbs and spices for the prevention and treatment of cancer: A review*. Current Pharmaceutical Biotechnology, 16(5), 411–421. https://doi.org/10.2174/1389201016666150206162001
15. Yadav, U., &Tripathi, V. (2017). *Ethnobotany and its role in the development of traditional medicine in India: An overview*. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6(5), 1862–1869.
16. Sharma, A., Shanker, C., Tyagi, L. K., Singh, M., & Rao, C. V. (2008). *Herbal medicine for market potential in India: An overview*. Academic Journal of Plant Sciences, 1(2), 26–36.
17. Unnikrishnan, P. M. (2009). *Ethno-medicinal practices of the Valaiyans in Piranmalai Hills of Tamil Nadu, India*. Indian Journal of Traditional Knowledge, 8(2), 240–244.
18. Kala, C. P., Farooquee, N. A., &Dhar, U. (2004). *Indigenous knowledge and sustainable development in the Indian Himalayas: Sacred plants and their conservation*. Ecology and Society, 9(3), 1–13.
19. Patil, M. V., &Patil, D. A. (2005). *Ethnomedicinal practices of Nasik district of Maharashtra*. Indian Journal of Traditional Knowledge, 4(3), 287–290.
20. Government of India. (2020). *AYUSH in India 2019*. Ministry of AYUSH. https://main.ayush.gov.in/reports/ayush-statistics

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 8th Jan. 2026 **Paper Accepted : 12th Jan. 2026**

जैन धर्म में पंच महाव्रत का अनुशीलन

□ प्राप्ती द्विवेदी*
□ डॉ. सुधा सोनी**

शोध-सारांश

जैन धर्म में पंच महाव्रत बहुत महत्त्वपूर्ण है, और इन्हें जैन समुदाय के अनुयायी अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। ये पांच व्रत किसी जैन अनुयायी के आध्यात्मिक जीवन की बुनियादी नींव होते हैं। प्रस्तुत आलेख में उक्त बिन्दुओं को समाहित किया गया है।

मुख्य शब्द– जैन, धर्म, पंच महाव्रत, समुदाय, अनुशीलन, अनुयायी, आध्यात्मिक, अस्तेय आदि।

प्रस्तावना

अहिंसा का मतलब है किसी भी प्राणी के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा (शारीरिक, मानसिक या वाचिक) से बचना। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे महत्त्वपूर्ण व्रत माना गया है। अहिंसा का पालन करते हुए, जैन अनुयायी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका कोई भी कार्य, विचार या शब्द किसी भी प्राणी को दुख न पहुँचाए। सत्य का मतलब है हमेशा सच्चाई से बोलना और झूठ से बचना। जैन धर्म में यह माना जाता है कि झूठ बोलने से सत्य की शक्ति को हानि पहुँचती है, और यह आत्मा की शुद्धता में विघ्न डालता है।

अस्तेय का अर्थ है 'चोरी न करना'। यह व्रत व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सामग्री या वस्तु को बिना अनुमति के लेने से रोकता है। जैन धर्म में यह माना जाता है कि किसी की संपत्ति या वस्तु को बिना अनुमति के लेना उसके अधिकारों का उल्लंघन है, और इससे आत्मा का विकार होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम रखना, विशेषकर यौन संबंधों के मामले में। यह व्रत व्यक्ति को अपने यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह आत्मा की शुद्धता के लिए जरूरी माना जाता है।

अपरिग्रह का अर्थ है 'असंख्य वस्तुओं के अधिग्रहण से बचना' या माल–मत्ता के प्रति मोह से बचना। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अधिक–से–अधिक भौतिक संपत्ति, संपत्ति या संसाधन इकट्ठा करने से बचना चाहिए। जैन धर्म में यह विश्वास है कि माया और मोह से मुक्ति पाने के लिए अत्यधिक भौतिक संपत्ति का त्याग करना

* शोधार्थी (इतिहास), शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक (इतिहास–विभाग), शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

चाहिए।

क्या आप इन व्रतों में से किसी के बारे में और जानना चाहते हैं?

"पंच महाव्रत" को जैन धर्म का आधार स्तम्भ माना जाता है। इस धर्म में जिन आचारगत नियमों का पालन आवश्यक है, वे पंच महाव्रत के अंतर्गत आते है। संसार के प्राणियों के निमित्त आत्म शुद्धि एवं शुद्ध आचरण द्वारा कर्म फल से विमुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से जैन धर्म में पंच व्रतो का उल्लेख है, उसे पंच शिक्षात्मक धर्म[1] भी कहा जाता है।

जैन दर्शन के त्रिरत्न सम्यक् ज्ञान, सम्यक् श्रद्धा एवं सम्यक् चरित्र हैं। अतः सम्यक् चारित्र के लिए पंच महाव्रत का पालन आवश्यक बताया गया है।[2] इन व्रतों द्वारा मनुष्य की उन वृत्तियों पर अंकुश लगाना है जिसके आधार पर वह अनैतिक, हिंसात्मक समाज में पाप एवं विरोध का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य समस्त कार्य स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है। उपरोक्त व्रतों का विधान इन पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन व्रतों के दो स्तर स्थापित किये गये हैं। आंशिक–विरति और सर्व–विरति इस आधार पर दो भेद किए गए हैं– अणुव्रत और महाव्रत।[3] अणुव्रत को अपूर्ण विरति और महाव्रत को पूर्ण विरति से सम्बोधित किया जाता है। गृहस्थों कि लिए अणुव्रत तथा संन्यासियों के लिए महाव्रत का विधान है।

पंच महाव्रत की महत्ता उपनिषद् के ऋषि तथा बौद्ध दार्शनिक भी मानते है। बौद्ध दार्शनिक या पंचशील और ईसाई धर्म के दस आदेश भी इनसे मिलते–जुलते हैं। जिस कठोरता के साथ इस सिद्धान्त का पालन जैन धर्म में होता है, शायद ही इतनी कठोरता किसी अन्य धर्म में दिखाई दे।

जैन धर्म के विकास में चौबीस तीर्थंकरों का योगदान रहा है। लेकिन पार्श्वनाथ तथा महावीर के प्रयास से जैन धर्म शिखर पर पहुँचा। पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ कहलाता था। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम या चार व्रतों की व्यवस्था अपने सम्प्रदाय के लिए की थी। चातुर्याम या पंच महाव्रत की ऐतिहासिकता एवं प्रासंगिकता के संदर्भ में केशी गौतम संवाद महत्त्वपूर्ण है। उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसवें अध्याय में इनके संवाद की चर्चा का वर्णन है।

केशी गौतम से पूछते हैं कि ''हे मुने! पार्श्व ने चार याम रूप धर्म का उपदेश दिया जबकि वर्द्धमान महावीर उसे पंच महाव्रत बतलाते हैं, सो क्यों? इसी प्रकार पार्श्वनाथ ने सचेल धर्म बतलाया जबकि महावीर ने अचेल धर्म, सो क्यों?'' इसके उत्तर में इन्द्रभूति ने कहा कि, ''तत्त्व दृष्टि से चार याम और महाव्रत में कोई अंतर नहीं है : केवल वर्तमान युग की कम और विपरीत समझ देखकर ही महावीर ने विशेष शुद्धि की दृष्टि से चार के स्थान पर पाँच महाव्रत का उपेदश दिया। मोक्ष का वास्तविक कारण तो अंतर ज्ञान, दर्शन और शुद्ध चरित्र है।'' उत्तर की यथार्थता को सुनकर केशी ने पंच महाव्रत स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट होता है कि पार्श्वनाथ का चातुर्याम और महावीर का पंच महाव्रत एक ही है। भगवती सूत्र में भी पार्श्व एवं महावीर के अनुयायियों के वाद–विवाद का वर्णन मिलता है।[4]

ऋषभदेव से लेकर नेमिनाथ तक की शिक्षाओं को पार्श्वनाथ ने चातुर्याम में क्रमबद्ध किया है। अतः ऋषभदेव की सर्वस्व त्याग रूप अंकिचन, मुनि, वृत्ति, नाभि की निरीहता तथा अरिष्टनेमि की अहिंसा मूलक वृत्ति भाव को अपने चातुर्याम में शामिल किया।

हर्मन जैकोवी ने बौद्ध साहित्य से प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जैन का निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय बौद्धों से बहुत प्राचीन है।[5] उल्लेखनीय है कि– पार्श्वनाथ के सम्प्रदाय में उपासिकाओं एवं श्रमणियो को भी प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी।[6] पार्श्वनाथ के चार याम निम्न प्रकार हैं–

(1) सर्व प्राणतिक्रम से विरमण अर्थात् हिंसा

का त्याग।

(2) सर्व मृषावाद से विरमण अर्थात् असत्य का त्याग।

(3) सर्व अदत्तादान से विरमण अर्थात् चोरी का त्याग।

(4) सर्व वहिस्थादान से विरमण अर्थात् परिग्रह का त्याग।

महावीर स्वामी ने छठी शताब्दी ई0 पू0 की बदलती सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए चार याम में 'ब्रह्मचर्य' व्रत को जोड़ दिया। अतः चातुर्याम को पंच महाव्रत की संज्ञा दी गई। जो वर्तमान में जैन धर्म के सूत्रधार 'पंच महाव्रत' के रूप में स्थापित एवं विरजमान है। इन पंच महाव्रतों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

अहिंसा

अहिंसा जैन आचार शास्त्र का प्राण है। अहिंसा को ही परम ब्रह्म, परम सत्य, परम धर्म, कहा गया है। अहिंसा ही सुख–शांति देने वाली, संसार का त्राण करने वाली तथा मानव का सच्चा कर्म है। इसके बिना न मानव की शोभा है न ही उसकी शान है।[7] जितना सूक्ष्म विवेचन अहिंसा का तथा कठोरता से पालन जैन धर्म में होता है, उतना शायद अन्य किसी धर्म में नहीं दिखाई पड़ता है। भारत में अहिंसा का सिद्धान्त अत्यंत प्राचीन है। अहिंसा को समस्त जैन आचार–संहिता में व्याप्त किया गया है।[8] इसके अतिरिक्त जितने व्रत एवं नियम हैं, वे अहिंसा के अनुपालन में सहायता प्रदान करने के लिए हैं। आचारांग सूत्र में उल्लिखित है कि ''मैं सूक्ष्म–स्थूल और त्रस स्थावर समस्त जीवों का न तो स्वयं प्राणातिपात करूँगा, न दूसरों से कराऊँगा, इस प्रकार मैं यावज्जीवन तीन कारण मन, वचन, काया से तीन योगों से इस पाप से निवृत्त होता हूँ।''[9] जैन दर्शन में अहिंसा का अर्थ केवल दूसरों को हानि पहुँचाने से बचना ही नहीं, अपितु उनके उपकार से सचेष्ट रहना भी है। यदि व्यक्ति दूसरों का उपकार करने में समर्थ है और वह ऐसा नहीं करता तो भी वह हिंसा करता है।[10] प्रथम महाव्रत की भावनाएँ इस प्रकार हैं[11]–

(1) इर्या समिति से युक्त होना।

(2) मन को सम्यक् दिशा में प्रयुक्त करना।

(3) भाषा समिति या वचन गुप्ति का पालन करना।

(4) आदान–भाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति का पालन करना।

(5) अवलोकन करके आहार–पानी करना।

तत्त्वार्थ सूत्र में भावानांओ का क्रम इस प्रकार है–

(1) वचन गुप्ति, (2) मनोगुप्ति, (3) इर्यासमिति, (4) आदान निक्षेपण समिति, (5) आलोकित पान भोजन।[12]

पार्श्वनाथ ने अहिंसा और हिंसा को क्रमशः मानव और दानव की संज्ञा दी है। अहिंसा से विमुख होकर मानव दानवता की ओर अग्रसर होता है और बराबर उसी ओर बढ़ता है।[13] समस्त मनुष्य को ''जियो और जीने दो'' का सिद्धान्त अपनाना चाहिए। मनुष्य के मन में मोह रहता है। जब तक मोह रहेगा तब तक हिंसा का साम्राज्य रहता है। किसी जीव को मारना मात्र हिंसा नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध तो हमारे भावों, परिणामों, विचारों से है। तत्त्वार्थ सूत्र में हिंसा की परिभाषा देते हुए उमा स्वाती ने कहा है–

''प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा''[14]

''जब कोई प्रमादी बनकर, जानबूझ कर, असावधानी अथवा लापरवाही से किसी भी जीव का घात करता है अथवा कष्ट पहुँचता है तभी उसे हिंसक कहा जा सकता है।'' हिंसा के दो भेद हैं– द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। जब किसी का घात हो जाता है तो वह द्रव्य हिंसा कहलाती है। किसी को मारने या सताने के अभिप्राय अथवा असावधानी के भाव को भाव हिंसा कहते हैं। वस्तुतः भाव हिंसा ही हिंसा है। अहिंसा का व्यावहारिक रूप से पालन हो सके, इसलिए हिंसा के चार भेद किए गए है–

(1) संकल्पी हिंसा, (2) आरम्भी हिंसा, (3) उद्योगी हिंसा, (4) विरोधी हिंसा।[16]

(1) संकल्पी हिंसा– संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात करना अथवा उसे कष्ट पहुँचाना संकल्पी हिंसा है। आतंकवादी संघर्ष, साम्प्रदायिक दंगे, धर्म के नाम पर की जाने वाली पशुओं की बलि भी इसी संकल्पी हिंसा की कोटि में आती है।

(2) आरम्भी हिंसा– घरेलू काम–काजों में दैनिक कार्यों के निमित्त से जो हिंसा होती है वह आरम्भी हिंसा है।

(3) औद्योगिक हिंसा– गृहस्थ को अपने जीवन–निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन अनिवार्य है। उसके लिए खेती –बाड़ी, नौकरी, उद्योग, आदि करना पड़ते हैं। इससे होने वाली हिंसा औद्योगिक हिंसा कहलाती है।

(4) विरोधी हिंसा– अपने तथा अपने कुटुम्बियों के जान–माल की रक्षा के लिए अथवा धर्म, धर्मातयन तीर्थ, मंदिर एवं संतों पर आने वाली बाधाओं के निराकरण के लिए तथा अपने राष्ट्र के अस्तित्त्व की रक्षा करने के लिए आक्रमणकारियों से मुकाबला करते हुए जो हिंसा करनी पड़ती है, वह विरोधी हिंसा है। मन, वचन और काया ये तीन हिंसा के प्रकार हैं। भिक्षु प्रतिज्ञाबद्ध हों कि वे किसी भी जीव को न मन से, न वचन से और न ही कर्म से हिंसा करेंगे और न ही किसी से हिंसा कराने का अनुमोदन करेंगे।

अहिंसा के मर्म को न समक्ष पाने के कारण लोग इसे कायरता की जननी समझते हैं तथा कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धान्तः इसे श्रेष्ठ समझते हुए भी उसे अव्यवहार्य मानते हैं। अहिंसा कायरता नहीं, वह तो वीरों का भूषण है न कि क्षत्रियों का धर्म है। अहिंसा तो व्यावहारिक जीवन को संतुलित बनाकर स्व और पर के घात से बचने का उपाय है। अहिंसा मानव में मानवता को प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान है।[16] अहिंसा का पालन न करने वाला व्यक्ति अपनी मंद और अज्ञानी पाप दृष्टि के कारण नरक का भागी होता है।[17]

अहिंसा का मूलाधार आत्म साम्य है। सभी जीवों में एक ही आत्मा का वास है। सुख–दुःख का आभास प्रत्येक प्राणी को होता है। जीवन–मरण की अनुभूति सब करते हैं। जिस प्रकार हमें जीवन प्रिय है, मरण अप्रिय, सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है, स्वतन्त्रता प्रिय है, परतन्त्रता अप्रिय है। उसी प्रकार जगत् में अन्य प्राणियों को जीवन प्रिय तथा मरण अप्रिय है। इसलिए हमारा कर्त्तव्य है कि हम मन से भी किसी प्राणी के वध आदि की बात न सोचे। अहिंसा के निर्वाह के लिए सम्यक् दृष्टि का होना अनिवार्य है। अहिंसा का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए निम्नलिखित उपनियमों का पालन आवश्यक है–

(1) इर्या समिति– ऐसे मार्गों से चले जहाँ पैर से कीट–कीटाणुओं के कुचलने का भय न हो।

(2) भाषा समिति– सदैव मधुर वाणी बोले जिससे वाचिक हिंसा न हो।

(3) एषणा समिति– भोजन द्वारा किसी भी प्रकार के कीट–कीटाणु की हिंसा न हो।

(4) आदान–अपेक्षा समिति– भिक्षु को अपनी सामग्री का उपयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उसके द्वारा किसी कीट–पतंग की हिंसा तो नहीं होती।

(5) व्युत्सर्ग समिति– ऐसे ही स्थान पर मल–मूत्र का त्याग करना चाहिए जहाँ किसी भी कीट–कीटाणु की हिंसा न हो सके।

श्वेताम्बर जैन संन्यासी नाक में कपड़ा बांधे रहते हैं जिससे श्वास लेने या फेंकने में वायु स्थित जीवों की हिंसा न हो।[18] अहिंसा के पालन के लिए मन और शरीर के बीच सहयोग आवश्यक समझा गया है।

हिंसा सब पापों में प्रमुख है इसलिए उसकी निवृत्ति करने वाला अहिंसा महाव्रत भी सब में प्रधान है। जिस तरह धान की रक्षा के लिए खेत के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है; उसी तरह सत्य, अस्तेय,

अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा महाव्रत के पोषक तत्त्व हैं। इनमें से एक को भी छोड़ देने से अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो सकता। अहिंसा सभी धर्मशास्त्रों में परम पद पर सुशोभित होती है, देवताओं और अतिथियों की सेवा, सतत् धर्मशीलता, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान, गुरु और आचार्य की सेवा तथा तीर्थ यात्रा, ये सब अहिंसा धर्म की सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं हैं।[19]

तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है, अहिंसा महाव्रत का पालन करना। अहिंसा ही सत्येश्वर का दर्शन करने का सीधा और छोटा–सा मार्ग दिखाई देता है। सत्य का प्राण है अहिंसा, उसके बिना मनुष्य पशु है। इन सब कारणों से अहिंसा व्रत को पाँच व्रतों में से अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। जैन धर्म में अहिंसा महाव्रत का विधान व्यक्ति को सुशील, सुसभ्य एवं समाज हितैषी बनाने तथा उसे अनिष्टकारी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होने से रोकने के लिए किया गया है।

सच्चा सुख अगर कहीं होगा तो वह अहिंसा में है, सभी से प्रेम करने में है। इसका मूल मंत्र 'जीओ और जीने दो' है। कम–से–कम हिंसा करके ज्यादा से ज्यादा अहिंसा का पालन करना, यह जीवन का सर्वोत्तम सिद्धान्त है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज तब तक नहीं बन सकता जब तक व्यक्तियों में हिंसात्मक वृत्ति का परित्याग न हो। समाज बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्तियों में परस्पर रक्षा और सहायता करने की भावना भी हो। श्रमण परम्परा के जो दो सम्प्रदाय हुए जैन एवं बौद्ध, उन दोनों में अहिंसा के सिद्धान्त पर जोर दिया गया जो अभी तक चला आ रहा है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि प्रस्तुत आलेख में पंच महाव्रत का पालन करते हुए, एक जैन अनुयायी आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ता है। ये व्रत उन्हें अपने जीवन में आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और आत्म–निर्णय की शक्ति प्रदान करते हैं। जैन धर्म में इन व्रतों का पालन एक व्यक्ति के आत्म–संयम और चरित्र को मजबूत बनाता है और उन्हें संसारिक बंधनों से मुक्त करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उत्तराध्ययन सूत्र, 23–12
2. शर्मा, चन्द्रधर, भारतीय दर्शन–आलोचन एवं अनुशीलन , 1198, दिल्ली, पृ. 43
3. मधुकर, दशवैकालिक सूत्र, राजस्थान, 2000, पृ. 98
4. भगवती सूत्र, 1/9, 2/5, 5/32
5. इण्डियन एंटीक्वेरी, भाग, 9, पृ. 160
6. नायाध्म्म कहा, अध्याय, 10 और अध्याय 148
7. कैलाश चन्द्र, जैन, धर्म, पृ. 122, मुजफ्फरनगर, 2009
8. पाठक, राममूर्ति, भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा, इलाहाबाद, 2004, पृ. 99
9. मधुकर, आचारांग सूत्र, राजस्थान, 1999, पृ. 399, भाग 2
10. आउट लाइन्स आफ जैनिज्य, पृ., 34
11 . आचाररां सूत्र, भाग 2 , पृ. 403
12. तत्त्वार्थ, अ. 7/4 मू. आ.– 337
13. पाठक, श्री कातं, जैन, धर्म एवं बौद्ध धर्म., पृ. 12, अयोध्या फैजाबाद,
14. तत्त्वार्थ सूत्र , 7/13
15. जिनेन्द्र वर्णी, सिद्धान्त कोष, 4/532, भारतीय ज्ञान पीठ, 1985
16 . प्रमाण सागर, जैन धर्म, और दर्शन, पृ. 256, भोपाल, 2000
17. उत्तराध्ययन सूत्र– 8–7
18. चटर्जी एवं दत्त, भारतीय दर्शन, पृ. 70
19. अनुशासन पर्व (महाभारत) अध्याय–115, श्लोक 23, अध्याय–116, श्लोक 28–30

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 8th Jan. 2026 **Paper Accepted : 12th Jan. 2026**

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आलोक में महिलाओं के विरासत अधिकारों का विश्लेषण

□ डॉ. संजीव कुमार पाण्डेय*

शोध-सारांश

महिलाओं को पैतृक संपत्ति में विरासत का हक नहीं मिलता था, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956, जो एक अहम कानून था, जिसने महिलाओं को संपत्ति और विरासत के मामलों में कानूनी पहचान दी। हालांकि, इस एक्ट ने शुरू में बेटों और बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं दिए, जो भारतीय समाज की गहरी पैट्रियार्की को दिखाता है। पिछले कुछ सालों में, बदलावों और कानूनी फैसलों ने महिलाओं के विरासत के अधिकारों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। सबसे अहम सुधार हिंदू सक्सेशन (अमेंडमेंट)[1] एक्ट, 2005 के ज़रिए आया, जिसने बेटियों को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बराबर सहभागी अधिकार दिए। इन सुधारों के बावजूद, महिलाओं को अभी भी सामाजिक बदनामी, जागरूकता की कमी और परिवार के सदस्यों के विरोध के कारण अपनी सही विरासत का दावा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह पेपर उन सभी बदलावों पर चर्चा करता है जो भारत में बदलावों के ज़रिए लाए गए, उन सभी अहम फैसलों को समझाता है जिनसे बदलावों में मदद मिली और उन सभी चुनौतियों के बारे में भी बताता है जिनका सामना महिलाओं को अभी भी पैतृक संपत्ति विरासत[2] में पाने में करना पड़ता है।

मुख्य शब्द– विरासत, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956, हिंदू सक्सेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2005, सहभागी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिंदू महिला के विरासत के अधिकार का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिससे पुराने हिंदू समाज में ऐसे अधिकारों को शुरुआती पहचान मिली।[3] भारत में महिलाओं की विरासत सामाजिक–आर्थिक वजहों से जुड़ी है, जो कानून की असली भावना और उसे लागू करने के बजाय संस्कृति और धर्म से ज्यादा प्रभावित होती है। यह सब जानते हैं कि विरासत महिलाओं के लिए सम्पत्ति का मालिकाना हक पाने के मुख्य तरीकों

* प्राचार्य, द कॉलेज ऑफ लॉ एण्ड लीगल एड शहडोल (म.प्र.)

में से एक है। किसी भी तरह की संपत्ति का कब्ज़ा परिवार और समाज में ज्यादा सम्मान और पहचान पक्का करता है।[4] महिलाओं के सम्पत्ति अधिकारों को असल और असली दोनों तरह की चीज़ों का मालिकाना हक रखने, हासिल करने (चाहे खरीदकर, विरासत में या तोहफ़े में देकर), इस्तेमाल करने, मैनेज करने, एडमिनिस्टर करने और निपटाने के अधिकार के तौर पर बताया जा सकता है।

अमूर्त संपत्ति[5]

हिंदू महिलाओं के विरासत के अधिकार अभी भी हिंदू कानून के पुराने रीति–रिवाजों द्वारा शासित होते हैं, जो महिलाओं के संबंध में प्रगति और विकास में बाधा डालते हैं।[6] संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार पर धर्मशास्त्र के नाम से जाने जाने वाले प्राचीन कानूनी ग्रंथों में, साथ ही उन पर बाद की टिप्पणियों में विस्तार से चर्चा की गई थी, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मिताक्षरा और दयाभागा कानूनी सिद्धांत हैं।[7] हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले, हिंदुओं के बीच विरासत की दो अलग–अलग प्रणालियाँ प्रचलित थीं, अर्थात्, मिताक्षरा और दयाभागा कानून के स्कूल।[8] मिताक्षरा स्कूल के अनुसार, पैतृक संपत्ति का अधिकार जन्म से प्राप्त होता है; इसलिए, बेटा अपने पिता के समान अधिकारों के साथ संपत्ति का सह–मालिक बन जाता है। हालाँकि, दयाभागा उत्तराधिकार प्रणाली के तहत, पैतृक संपत्ति का अधिकार केवल पिछले मालिक की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है। मिताक्षरा प्रणाली में, महिलाओं को विरासत के लिए योग्य नहीं माना जाता था, और उत्तराधिकार के मामलों में सगोत्रों को सहगोत्रों पर वरीयता दी जाती थी।[9]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का उद्देश्य हिंदू समुदाय में संपत्ति के वितरण को व्यवस्थित करना और यह निर्धारित करना था कि संपत्ति के अधिकार किसे और कैसे मिलेंगे। इस अधिनियम ने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके बारे में पहले बहुत अस्पष्टता थी। अधिनियम का प्रावधान महिलाओं के विरासत अधिकारों को मजबूत करने के लिए था, लेकिन समाज में कई परंपराएँ और रीति–रिवाज भी थे, जो इन अधिकारों को सीमित करते थे।

प्रारंभ में, महिलाओं के विरासत अधिकार बहुत सीमित थे। विशेष रूप से, परंपरागत रूप से महिलाओं को अपने पिता या पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं था। वे केवल अपने पति या पिता की संपत्ति के उपभोग का अधिकार रखती थीं, लेकिन इस पर कोई अधिकार नहीं था कि वे इसे स्वामित्व में ले सकें।

पूर्ववर्ती स्थिति– महिलाओं को संपत्ति में केवल एक सीमित हिस्सेदारी मिलती थी, और वे केवल जीवनकाल के लिए संपत्ति का उपयोग कर सकती थीं, लेकिन संपत्ति का वास्तविक मालिक पुरुष ही होता था।

मूल अधिकार– हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पहले, विशेष रूप से पुत्रों को ही संपत्ति में अधिकार मिलता था, और महिलाओं को सम्पत्ति का हिस्सा बहुत सीमित या नगण्य होता था।

1956 में जब यह अधिनियम पारित हुआ, तो इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिन्होंने महिलाओं के विरासत अधिकारों को सुनिश्चित किया। धारा 15 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 के तहत, महिला की संपत्ति के मामले में यह तय किया गया कि यदि महिला के पास कोई संतान नहीं है, तो उसकी संपत्ति उसके पति, माता–पिता या किसी अन्य रिश्तेदार को प्राप्त हो सकती है। यदि महिला के पास संतान है, तो वह अपनी संपत्ति पर अधिकार रखती है और उसकी संतान के पास अधिकार होगा। धारा 16रू यह प्रावधान करती है कि यदि किसी महिला की शादी के दौरान उसके पास संपत्ति है, तो उसकी

संपत्ति का स्वामित्व उसके बाद के समय में किसी भी पुरुष रिश्तेदार के पास न जाकर उस महिला के संतान के पास जाएगा।

पुत्रियों का अधिकार– महिलाओं को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार मिल गए थे। पहले जहां केवल पुत्रों को संपत्ति में हिस्सा मिलता था, वहीं अब महिलाओं को भी बखूबी अधिकार मिले।

सम्पत्ति में समानता– 1956 में संशोधन के बाद महिलाओं को भी पुरुषों की तरह अपनी सम्पत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार मिल गया। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिले, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था।

संपत्ति पर महिलाएँ भी स्वामित्व का अधिकार रखती हैं– महिलाओं को यह अधिकार मिल गया था कि वे संपत्ति पर भी स्वामित्व रख सकती हैं, न केवल उपभोग कर सकती हैं। इस प्रावधान के तहत एक महिला, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, अपनी संपत्ति का नियंत्रण और उसका बटवारा कर सकती थी।

हिंदू कानून के पूरे इतिहास में, संपत्ति रखने और उसका निपटान करने के महिला के अधिकार को स्वीकार किया गया है। दो प्रकार की संपत्ति जो वह रख सकती थी, वे थीं– स्त्रीधन और महिला संपत्ति। इनमें से, स्त्रीधन को एक हिंदू महिला की पूर्ण संपत्ति माना जाता था। इसके विपरीत, महिला संपत्ति या विधवा संपत्ति के संबंध में, हिंदू महिला मालिक के पास संपत्ति पर निपटान की केवल सीमित शक्तियाँ थीं।[10]

हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 और इसके संशोधन 2005 की प्रभावशीलता

समय के साथ, हिंदू महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकारों पर पाबंदियां बढ़ी हैं, और इन अधिकारों को कंट्रोल करने वाले मौजूदा कानून पुराने हिंदू समाज के कानूनों से कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। पुरुष प्रधान हिंदू समाज में, महिलाओं को स्त्रीधन नाम की प्रॉपर्टी दी जाती थी, जिसका सीधा मतलब है "औरत की प्रॉपर्टी" या "दौलत।" इसमें ज़्यादातर शादी के तोहफ़े जैसे कपड़े, गहने, और, कभी–कभी, ज़मीन शामिल थे।[11] **हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956, हिंदुओं के बीच विरासत की एक व्यापक और समान प्रणाली स्थापित करने वाला पहला कानून।**[12] हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, जो बेटियों को संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान सहदायिक जन्म अधिकार देता है–ऐसे अधिकार जो उन्हें पहले नहीं दिए गए थे–का मूल्यांकन तीन पीढ़ियों में किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 6 में यह बताया गया है कि मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, एक सहदायिक की बेटी– (क) जन्म से ही, अपने अधिकार से, उसी तरह से सहदायिक बन जाएगी जैसे एक बेटा; और (ख) सहदायिक संपत्ति में वही अधिकार रखेगी जो उसे तब होते अगर वह एक बेटा होती[13]।

2005 के संशोधन से बेटियों द्वारा जमीन विरासत में मिलने की संभावना में काफी वृद्धि हुई।[14] हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत,[15] समान दर्जा केवल उन बेटियों को दिया गया जिनके पिता 9 सितंबर, 2005 को संशोधन लागू होने के समय जीवित थे। इस संशोधन से पहले, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत, एक संयुक्त परिवार की महिला सदस्यों को सहदायिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी और इसलिए उन्हें सहदायिक संपत्ति में स्वामित्व से वंचित रखा गया था। हालांकि, संपत्ति के वास्तविक बंटवारे के दौरान, महिला सदस्य अपने–अपने हिस्से प्राप्त करने की हकदार थीं[16]।

संशोधन के बाद, एक संयुक्त परिवार के किसी भी सहदायिक की बेटियों को सहदायिक के

रूप में मान्यता दी गई और उन्हें कानून के तहत समान अधिकार और जिम्मेदारियां दी गईं। नतीजन, 9 सितंबर, 2005 के बाद, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया, तो हर बेटी, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, को उसके पिता के हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य माना गया और उसे संपत्ति का कर्ता भी नियुक्त किया जा सकता था। इस संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि बेटियों को वही अधिकार मिले जो पहले केवल बेटों को मिलते थे।[17]

वैशाली सतीश गणोरकर और अन्य बनाम सतीश केशवराव और अन्य (2012)(5) बॉम CR 210[18] ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के भावी संचालन को बरकरार रखा था, जिसके परिणामस्वरूप 9 सितंबर, 2005 से पहले जन्मी सभी बेटियों को संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार में अपने समान हिस्से का दावा करने से वंचित कर दिया गया था।[19] प्रकाश बनाम फूलवती (2015) 2 SCC 36 के मामले में, एक बड़ा सवाल उठा।[20] जिसमें कहा गया कि क्या इस संशोधन का पूर्वव्यापी या भावी अनुप्रयोग था।[21] सुप्रीम कोर्ट ने माना कि, हालांकि संशोधन अधिनियम सामाजिक कानून है, इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि विधायिका स्पष्ट रूप से कानून के भीतर इस तरह के आवेदन का इरादा और प्रावधान न करे।[22] हालांकि, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) 9 एससीसी 123 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिन बेटियों के पिता की संशोधन तिथि से पहले बिना वसीयत के मृत्यु हो गई, उन्हें भी संपत्ति पर समान अधिकार है। न्यायालय ने पुष्टि की कि एक बेटी का अपने पिता की संपत्ति में जन्म से ही बराबर का हिस्सा होता है, अपने अधिकार में। अंततः, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश बनाम फूलवती (2015) 2 एससीसी 36 के फैसले ने कानून की गलत व्याख्या की थी।

आज के मुद्दे और लागू करने में चुनौतियाँ

हालांकि विरासत के कानून में सुधार करके महिलाओं को जायदाद में एक तय हिस्सा देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आम नियम जिसके तहत बेटी को बेटे का आधा हिस्सा विरासत में मिलता है, वह अभी भी जारी है[25]। हालांकि 2005 का एक्ट 39 हिंदू कानून के तहत जेंडर इक्वालिटी और बेटियों की आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी तरक्की दिखाता है, लेकिन दूसरी महिला सदस्यों, जैसे कि माँ और विधवाओं को कोपार्सनर के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। ऐसी मान्यता के बिना, एक हिंदू महिला की कमाई हुई प्रॉपर्टी को उसके बच्चों के संबंध में कोपार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे हालात में उसकी स्थिति मुख्य रूप से एक माँ की मानी जाती है[26]।

HSA पुरुषों की प्रॉपर्टी (सेक्शन 8[27] के तहत) और महिलाओं की प्रॉपर्टी (सेक्शन 15[28] के तहत) के लिए अलग–अलग नियम तय करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता दिनेश वकील बनाम बंसी एस. वाधवा (2012) 6 Bom CR 767[29] में सिंगल–बेंच के फैसले में इसे गैर–संवैधानिक बताया है, लेकिन क्योंकि यह सोनूभाई यशवंत जाधव बनाम बाला गोविंदा यादव, AIR 1983 BOM 156 में पिछली सिंगल–जज बेंच के फैसले से अलग है[30], इसलिए मामले को डिवीज़न बेंच को भेज दिया गया है। डिवीज़न बेंच ने अभी तक इस मामले को सुलझाया नहीं है। हालांकि भेदभाव का गैर–संवैधानिक होना कोई सुलझा हुआ सवाल नहीं हो सकता है, ओम प्रकाश बनाम राधाचरण AIR 2009 SC (SUPP) 2060 जैसे कई फ़ैसलों में यह बात सामने आई है कि यह भेदभाव, कम–से–कम, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफ़ी है[31]।

हालांकि महिलाओं को प्रॉपर्टी रखने और कोपार्सनर बनने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अगर वे परिवार की सबसे बड़ी सदस्य होतीं तो वे कर्ता का पद भी ले सकती थीं। हालांकि, एक विधवा को कभी भी परिवार का कर्ता नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि इनकम टैक्स बनाम जी.एस. मिल्स 1966 AIR 24, 1965 SCR (3) 488 के मामले में बताया गया है[32], सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या एक महिला परिवार की कर्ता बन सकती है। कोर्ट ने माना कि हालांकि एक विधवा कर्ता के तौर पर काम नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम तौर पर महिलाओं को संयुक्त परिवार का कर्ता बनने से रोका जाता है।[33]

हालांकि, एक सिक्के की तरह, इस एक्ट के भी दो पहलू हैं। हालांकि यह महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाता है, लेकिन इसने अनजाने में दहेज की मांग, कन्या भ्रूण हत्या और विरासत के अधिकारों में दूसरी असमानताओं जैसे मुद्दों को बढ़ाने में भी योगदान दिया है। इसलिए, हालांकि विधानसभा ने महिलाओं को ये अधिकार दिए हैं, एक्ट को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर कोशिशें ज़रूरी हैं, और चाहे गए अच्छे नतीजे पाने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए।[34]

निष्कर्ष

हिंदू महिलाओं के विरासत के अधिकारों का विकास धार्मिक रूप से मंजूर असमानता से संवैधानिक समानता की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाता है। पुराने भारत में, धर्मशास्त्रों में बताए गए और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में दिखने वाले पुरुष–प्रधान रीति–रिवाजों ने महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकारों को सीमित कर दिया था, और उनका मालिकाना हक मुख्य रूप से स्त्रीधन या कुछ समय के लिए विधवाओं की जायदाद जैसे रूपों तक ही सीमित कर दिया था।[35] मिताक्षरा और दायभाग स्कूलों के विकास ने इस असमानता को और मजबूत किया, जिसमें पहले वाले ने महिलाओं को पैतृक प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया, जिसमें महिला सगे भाइयों के बजाय पुरुष सगे भाइयों को प्राथमिकता दी गई, और दूसरे वाले ने महिलाओं को विरासत का अधिकार केवल पुरुष सदस्य की मृत्यु पर ही दिया।[36] 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने सभी हिंदुओं के लिए विरासत और उत्तराधिकार कानूनों को एक समान सिस्टम में कोड करके सुधार के लिए पहला कानूनी ढांचा स्थापित किया, जिसका मकसद जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देना था।[37]

फिर भी, इस अधिनियम ने बेटियों को कोपार्सनरी अधिकारों से बाहर रखा, और पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार केवल पुरुष ही पैतृक संपत्ति के संयुक्त मालिक हो सकते थे।[38] हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने से इस असमानता को दूर किया गया और यह लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। बेटियों को जन्म से ही सहदायिक का दर्जा देकर, इस संशोधन ने उन्हें हिंदू अविभाजित परिवार में संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन में बेटों के बराबर कानूनी अधिकार प्रदान किए[39]।

इन अधिकारों को मजबूत करने में न्यायिक व्याख्या महत्त्वपूर्ण रही है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) 9 SCC 1 मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बेटी का सहदायिक होने का अधिकार जन्म से ही होता है, भले ही संशोधन लागू होने के समय उसके पिता जीवित थे या नहीं[40]। इस फैसले ने पहले की प्रतिबंधात्मक व्याख्याओं, जैसे प्रकाश बनाम फूलवती (2015) 2 SCC 36, को खारिज कर दिया और उत्तराधिकार कानूनों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और

15 में निहित समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप लाया[41]।

इन कानूनी प्रगति के बावजूद, इन अधिकारों के व्यावहारिक कार्यान्वयन में अभी भी लगातार सामाजिक बाधाओं और सीमित जागरूकता के कारण रुकावटें आ रही हैं। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में, पितृसत्तात्मक दबाव और पारंपरिक मानदंड अक्सर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों का दावा करने से रोकते हैं, चाहे वह जबरदस्ती के कारण हो या स्वेच्छा से त्याग के कारण[42]। इसके अलावा, विधवाओं और माताओं को सहदायिक दर्जे से लगातार बाहर रखना एक संरचनात्मक सीमा है, जो आर्थिक निर्भरता को बनाए रखता है और परिवारों के भीतर लैंगिक असमानता को मजबूत करता है[43]।

1990 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक और महत्त्वपूर्ण संशोधन हुआ। इस संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाएं अपनी पैतृक संपत्ति में भी पुरुषों की तरह बराबरी के अधिकार की हकदार होंगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्त्वपूर्ण था जो अपनी पारिवारिक संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं पा पाती थीं।

धारा 6 में संशोधन– 1989 में, अधिनियम की धारा 6 में बदलाव किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, भले ही वे शादीशुदा हों या नहीं।

हक का अधिग्रहण– अब, यह माना गया कि बेटियाँ भी अपने परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार हो सकती हैं, और इस संपत्ति पर उनका अधिकार उतना ही है जितना कि उनके भाइयों का।

सशक्तिकरण– इस अधिनियम ने महिलाओं के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया। इससे न केवल महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिली, बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ।

समाज में बदलाव– हालांकि, कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन भारतीय समाज में परंपरागत दृष्टिकोण अभी भी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने में संकोच करता है। कई बार, कानूनी अधिकारों के बावजूद, महिलाएं अपनी संपत्ति पर अधिकार नहीं जमा पातीं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में किए गए सुधारों ने महिलाओं के विरासत अधिकारों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए, और उन्हें संपत्ति पर अधिकार देने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में कानून को पूरी तरह से लागू करने में चुनौती है, फिर भी यह अधिनियम महिलाओं के सामाजिक और कानूनी अधिकारों में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। महिलाएं अब अपने पिता और पति की संपत्ति में अधिकार रख सकती हैं, और यह अधिकार समय के साथ और मजबूत हो रहे हैं।

इस प्रकार, हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का विकास प्रगति और विरोधाभास दोनों को दर्शाता है। जबकि विधायी और न्यायिक मील के पत्थरों ने लैंगिक न्याय के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया है, इन अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति सामाजिक परिवर्तन पर निर्भर करती है। वैधानिक सुधारों को वास्तविक समानता में बदलने के लिए प्रभावी प्रवर्तन, व्यापक कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण–संचालित सामाजिक पहल आवश्यक हैं। अंततः, संपत्ति उत्तराधिकार में वास्तविक लैंगिक समानता तभी प्राप्त होगी जब कानूनी अधिकार सभी हिंदू महिलाओं के लिए सुलभ, लागू करने योग्य और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होंगे[44]।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Author is an Assistant Professor at School of Legal Studies, CMR University, Bengaluru, India.

2. Author is a Student at School of Legal Studies, CMR University, Bengaluru, India.
3. Tausif Fatima & Tousif Fatima, WOMEN'S RIGHTS AND HINDU LAW OF INHERITANCE : THE APPROCH OF RAMMOHUN ROY, 70 Proceedings of the Indian Hist. Cong. 643, 643-48 (2009), http://www.jstor.org/stable/44147711.
4. Sona Khan, Inheritance of Indian Women : A Perspective, 27(2) India Int'l Centre Q. 139, 139–54 (2000), http://www.jstor.org/stable/23005497.
5. Dipti Gabriel, Women's Inheritance Rights Reform and the Preference of Sons in India, 2 Int'l J.L. Mgmt. & Humanities 93, 93–99 (2019), https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ijlmhs2&i=1580.
6. Sukanya Mukherjee, An Overview of Hindu Women's Right to Property, 8 NUJS J. Regul. Stud. 116, 116 (2023), https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/nujsjlry8&i=208.
7. Id. (citing Proceedings of the Indian Hist. Cong., supra note 2).
8. J. N. Saxena, Widow's Right of Succession in India, 11 Am. J. Comp. L. 574, 574–85 (1962), https://doi.org/10.2307/838221.
9. Saubhagya, Evolution of Coparcenary Rights under Hindu Law, 2 Jus Corpus L.J. 487, 487–94 (2022), https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/juscrp2&i=5491.
10. Women's Right to Succession and Inheritance in Hindu Law, Allahabad Univ.,lc2.du.ac.in/DATA/Women, sRight2SuccessionInheritanceHinduLaw.
11. Debarati Halder & K. Jaishankar, Property Rights of Hindu Women: A Feminist Review of Succession Laws of Ancient, Medieval, and Modern India, 24 J.L. & Religion 663, 663–87 (2008), http://www.jstor.org/stable/25
12. Durba Chowdhury, Property Rights of Women in India : An Analysis through Personal Laws, 5 Int'l J.L. Mgmt. & Humanities 225 (2022), https://heinonline.org/HOL/P?h=hein. journals / ijlmhs16&i=262.
13. Hindu Succession Act, No. 30 of 1956, § 6 (India). 654333.
14. Gabriel, supra note 4.
15. Hindu Succession Act, No. 30 of 1956, § 6 (India).
16. Mukherjee, supra note 5.
17. Supreme Court: Equal Birth Right in Coparcenary Property for a daughter, India Law Offices LLP, www.indialawoffices.com/legal-articles/supreme-court-equal-birth-right-in-coparcenary-property-for-a-daughter.
18. Vaishali Satish Ganorkar v. Satish Keshaorao, AIR 2012 Bom. 101 (India).
19. Married Daughters Born Before 2005 Have Equal Rights on Ancestral Property, SCC Times, www.sc conline.com/blog/post/2014/08/26/married-daughters-born-before-2005-have-equal-rights-on-ancestral-property.
20. Smt Phulavati W/O Manohar Upadhye v. Prakash, AIR 2011 Karn. 78 (India).
21. K. N. Prateeksha, Critical Analysis of the Changes Brought by 2005 Amendment of Hindu Succession Act, 4 Int'l J.L. Mgmt. & Humanities 3921 (2021), https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ijlmhs12&i=3959.
22. Prakash and Ors v. Phulawati & Ors—Inheritance Rights of a daughter over Coparcenary Property, Indian Law, www.indialaw.in/blog/real-estate/prakash-ors-v-phulawati-ors-inheritance-rights-of-daughter-over-coparcenery-property.
23. Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1 (India).
24. Prateeksha, supra note 20.
25. Rahil Setia & Ajay Pal Singh, Emerging Gender Equations in the Realm of Contemporary Personal Laws: A Legal Conspectus, 1 Jus Corpus L.J. 161, 161–77 (2020), https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jus crp1&i=176.
26. J. Starli, Critical Analysis of Disparity in Property Rights of Women in India: A Glimpse, Tamil Nadu State Judicial Academy, www.tnsja.tn.gov.in/article.
27. Hindu Succession Act, No. 30 of 1956, § 8 (India).
28. Hindu Succession Act, No. 30 of 1956, § 15 (India).
29. Mamta Dinesh Vakil v. Bansi S. Wadhwa, (2012) 6 Bom. C.R. 767 (India).
30. Sonubhai Yeshwant Jadhav v. Bala Govinda Yadav, AIR 1983 Bom. 156 (India).
31. Om Prakash v. Radhacharan, AIR 2009 SC (Supp.) 2060 (India).

32. Commissioner of Income-Tax, Madhya Pradesh, Nagpur v. Seth Govindram Sugar Mills Ltd., 1966 AIR 24, 1965 SCR (3) 488 (India).
33. Prateeksha, supra note 20.
34. Mukherjee, supra note 5.
35. Fatima & Fatima, supra note 2.
36. Saubhagya, supra note 8.
37. Chowdhury, supra note 11.
38. Mukherjee, supra note 5.
39. Prateeksha, supra note 20.
40. Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1 (India).
41. Daughter as a Coparcener: A Step Towards Gender Equality, Prime Legal Journal (2024), https://www.linkedin.com/pulse/daughter-coparcener-step-towards-gender-equality-primelegal1-kxdtf.
42. Indian Women's Rights to Property: Implementation of the Hindu Succession (Amendment) Act 2005, Natural Justice Org. (2017), https://naturaljustice.org/indian-womens-rights-to-property-implementation-of-the-hindu-succession-amendment-act- 2005.
43. Starli, supra note 25.
44. Somlata Sharma, Hindu Women's Property Rights from Past to Present, 8 J. Legal Stud. & Res.393(2022),https://jlsr.thelawbrigade.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/ 02/ Dr-Somlata-Sharma-JLSR.pdf.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 20th Jan. 2026

Paper Accepted : 30th Jan. 2026

Portrayal of Dalit Women in *Premchand's* Short Stories

□ Bhupendra Kumar*
□ Dr. Vidya Shanker Sharma**

ABSTRACT

The lives of Dalit women and the issues associated with them have been a subject of discussion for thousands of years. Dalit women belong to a community considered untouchable in Hindu society, which leads to their being victims of double exploitation. We find that while writers have openly discussed issues related to general women, very few authors have focused on literary creations centered around Dalit women.The renowned fictional writer of Hindi literature, Munshi Premchand, has prominently depicted the lives of Dalit women in his stories and has also done justice to them. Born in colonial India, Premchand attempted to cover most aspects related to the lives of Dalit women based on his contemporary social observations in his narratives. This research paper presents the portrayal of Dalit women's lives as described in the short stories Thakur's Well, Temple, The Woman Who Sold Grass and Shroud written by Premchand.

The contribution of both men and women has been integral to the ensuring human existence and the development of humanity for centuries. Although male dominance has always been observed in human society, the existence of human life cannot be imagined without women. Due to the patriarchal nature of society, women have been viewed as property since ancient times, and they have not received adequate respect or recognition equivalent to that of men.Education and the progress of humanity in the present time have changed the perspective of human society. Today, women are also competing with men. However, Dalit women are still marginalized in society. They are still far from achieving social recognition, and they have not even been able to compete with ordinary women, let alone men, which is clearly due to caste and gender discrimination.

Today, the humanitarian perspective of society has attracted the attention of writers towards those people in society who have been victims of oppression and neglect for centuries. Such people include the Dalits of India and their women. M.N. Wankhede writes, "The concept of beauty is related to the thought of each particular age. At one time kings were the subject of literature, common people were not acceptable subject. But today the lives of untouchable quarters and slums have become subject matter

* Research Scholar, Kumaun University, Nainital (U.K.)
** Research Guide, Govt. Degree College, Ghat Chamoli (U.K.)

of literature."[1]

The discrimination faced by Dalit women has been addressed by some eminent writers in the literary world. Among these writers is the renowned Hindi novelist Munshi Premchand. Known for his mastery in depicting the realities of life, Premchand has given significant importance to the plight of Dalit women in his short stories.While reading about the pitiable condition of the prostitutes described in Alexander Kuprin's novel*Yama the Pit*, Premchand became so emotional that he began to tremble and weep.[2] From this, one can infer that a person who is so emotional could not remain silent upon witnessing the plight of the oppressed. Under the influence of these emotional impulses, Premchand gives special importance to the portrayal of the lives of Dalit female characters in many of his stories.

There was another strong reason behind Premchand's choice of the oppressed victims as the subject of his fiction - it was Mahatma Gandhi. The struggle led by Gandhi for freedom and the upliftment of the Dalits in colonial India is significant. The deep influence of Gandhi is also evident in the literature written by Premchand on Dalit life."In all his novels written after he came under the Mahatma's influence, at least one major character is cast in the Gandhian mould. If at all we can speak of an abiding set of values which Premchand represented, it was derived from the Mahatma."[3]

Premchand, one of the greatest fictional writers in Hindi literature, focused on the oppressed classes of society, such as Dalit men and women, in his writings. Through his literary works, he consistently made a commendable effort to bring the suffering of such sections of society to the forefront. Despite being associated with a non-Dalit Kayastha family during his time in colonial India, Munshi Premchand advocated for Indian Dalits with complete honesty and passion. He equally represented the pain of the entire Dalit community, whether male or female, in his literature.The major stories of Premchand that highlight the issues of Dalit women are as follows: Thakur's Well, Temple, The Woman Who Sold Grass, Shroud etc.

Thakur's Well (*Thakur ka Kuan*) is a story by Premchand that depicts the deep chasm between the Dalit community and the feudal system. The Dalit female character is represented by Gangi, who is the wife of a poor Dalit laborerJokhu. In the story, the Dalit couple appears to struggle for access to natural resources like water, which is considered a fundamental right for all living beings, due to caste-based discrimination. The treatment they receive is a consequence of their untouchable status. The issue of untouchability is quite prevalent in the lives of Dalits, which Premchand candidly addresses in his stories.This story attempts to bring forth the affluence of the feudal class and the plight of the Dalits in colonial India. Neither Dalit men nor women had the right to draw water from the Thakur's well. Premchand presents a vivid depiction of the poverty of a Dalit family during that time, where the head of the household, Jokhu, has been ill for several days. However, there is not even clean water available in the house for drinking, let alone money for treatment.In such situations, the responsibility of supporting the family falls on the shoulders of Dalit women. Even in an atmosphere of poverty, Gangi's dedication to caring for and protecting her sick husband is a testament to her character's nobility. However, facing such circumstances tends to be more challenging for Dalit women compared to Dalit men. A seemingly minor challenge becomes a monumental task for the Dalit woman Gangi—fetching water from the Thakur's well for her husband.Due to the issue of casteism, Premchand expresses the helplessness and anger of Gangi, who is unable to obtain water from Thakur's well.

Why are they high and we low? Just because they wear a sacred thread around their neck!Each one is more crooked than the other! They are the ones who commit thefts and fraud

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

and file false cases.They make you do the work but when it comes to wages, every paisa hurts them. How are they any better than us? True, they are better at praising themselves. We don't go from street to street, proclaiming our worth: 'We are superior! We are superior!' If I happen to come to the village they eye me with lust, their heart burns with malice and yet they think that they're superior![4]

It is evident from Gangi's statement that the landlords and moneylenders exploited the Dalits by assigning them tasks according to their whims, but they did not provide fair wages in accordance with the work done. Dalit women were always subjected to the lewd gaze of people from higher castes. While they struggled with financial difficulties inside the home, outside, they became victims of sexual exploitation by upper-caste men.Premchand has portrayed the Dalit woman character Gangi as a devoted wife who is ready to go and fetch water for her ill husband despite numerous difficulties. Premchand was well aware of the atrocities committed against Dalit women in society, which is why he uses Jokhu as his mouthpiece, who stops Gangi and says that-

'You'll only get your hands and feet broken. Nothing will come of it. Leave it. The Brahmin will curse you, the Thakur will beat you with a stick and the Sahu will charge five for one. Who understands the pain of the poor? Even if we die no one bothers to look in at our door, let alone lend a shoulder to carry the dead. You think they'll let us draw water from their well?'[5]

The statement of Jokhu reflects his immense love and goodwill towards his wife Gangi. Additionally, this statement serves as evidence of the oppression faced by the Dalits. Premchand has given voice to the suffering of the Dalits and has also exposed the moneylenders and feudal class who are intoxicated with arrogance.

The protagonist of Premchand's story Temple(*Mandir*) is a Dalit woman named Sukhiya who struggles with the issue of temple entry being prohibited for Dalits. In Hinduism, all rituals associated with religion, such as the recitation and listening of the Vedas and entry into temples, have been denied to Dalits by stating that they are untouchables. The restrictions on the entry of untouchables into temples have caused suffering in the life of Sukhiya*Chamarin,* which Premchand portrays in his story Temple.Sukhiya has endured the sorrow of the death of her husband and two children. The only support in her life is her surviving son, Jiyawan. Therefore, out of fear of losing her only living child, she takes great care of him and nurtures him well. However, misfortune does not leave her side, and Jiyawan falls seriously ill. Despite all efforts, Jiyawan does not recover, and one night, Sukhiya dreams that her deceased husband advises her to perform prayers at the Thakurji temple, informing her that doing so will help her son recover. What does one do when in despair?With this hope, Sukhiya reaches the temple to worship and offer prayers to Thakurji. However, she is stopped by the priests and devotees even before entering the temple. Here, Premchand depicts the prevailing society's contemptuous mentality towards the Dalits through the dialogue between Sukhiya and the devotees.

The devotee who had spoken earlier and was done with the prayers remarked angrily, 'Give the witch a good thrashing. She has come to destroy our faith. Throw away her puja tray. The world is already on fire. If the tanners also start worshipping thakurji will the earth remain as it is or go into the abyss?'Another devotee said, 'Now poor thakurji will have to eat from a tanner's hand. Now we are really approaching doomsday.'[6]

In the face of casteism, a Dalit woman's motherhood holds no value. Poor Sukhiya wished to touch the feet of the deity for the safety of her only sick son, but for society, her touch would have contaminated the idol. Here, Premchand

presents this hypocritical aspect of society to the readers. For society, the contamination of a stone idol was of greater significance than the life of a Dalit mother's child.After pleading hundreds of times, the priest did not allow Sukhiya to serve Thakurji. Helpless and powerless, Sukhiya, in a fit of maternal love, took the opportunity to break the lock of the temple in the darkness of the evening. Just before she could enter the temple, the priest saw her and started shouting. A crowd gathered at the scene and began to beat Sukhiya with kicks and punches. During this time, her child fell from her lap and died. For this inhumane act, Sukhiya curses the upper-caste people present there.

Sinners, why are you standing away after taking my child's life? Why don't you kill me too? On my touch thakurji will become untouchable. So, I will never touch thakurji now. Keep him locked safe, set up guards. Oh! You merciless people! You are so hard-hearted! In spite of having children you didn't have mercy on this unfortunate mother; on top of it, you have become the contractors of religion. All of you are murderers![7]

The death of that child, who was the only support of Sukhiya's life, also takes away her life. This scene, which numbs the human heart and mind, introduces the writing art of Premchand. Instead of understanding the pain of a Dalit woman, she is beaten by the upper-caste society with kicks and blows, and the death of her only son at the scene reflects the cruelty and inhumanity of the upper-caste society.

In Premchand's story The Woman Who Sold Grass (*Ghaswali*), related to Dalit women, we find that being beautiful in the Dalit community is no less than a curse for them.In the novel UntouchableBakha, a sweeper boy says for her sister Sohini, "So beautiful and so accursed! I wish she had been the ugliest woman in the world! Then no one would have teased her!"[8] The main character, Muliya, belongs to the Chamar caste. Her husband, Mahavir, is a tongawalla. She helps her husband in earning a livelihood and sells grass in the market, but young men from higher castes, attracted by her beauty, continue to tease her when they find her alone.Since she is a devoted wife, she is often troubled by such incidents. Beautiful Dalit young women have to struggle daily against such unruly upper-caste youths to protect their dignity. A Thakur youth named Chain Singh, who is married, also wishes to exploit her sexually; however, Premchand has portrayed the protagonist as very courageous and articulate. Unlike helpless Dalit women, she does not submit but rather retaliates against Chain Singh with a strong response.

"Still, if my man spoke to your woman like this, how would you feel? Wouldn't you be ready to chop his head off? Speak! What do you think that Mahaveer is a Chamar so there's no blood in his veins, he has no sense of shame, no idea about his dignity. You are fond of my looks. Don't women many times more beautiful wander near the ghats? I can't even be compared to the soles of their feet. Why don't you appeal to one of them? Are they lacking in pity? But you won't go there because it wounds your heart to do that. You dare to ask me because I'm a chamarin, from the lower caste."[9]

Premchand has clearly explained how upper-caste young men deceive and exploit women from lower castes, and that no one is able to disrupt their actions in protest. On the other hand, Premchand has also created a strong Dalit female character like Muliya, through whom he wants to convey the message that if a woman is capable of resisting, she can succeed in defending herself.

In the story titled Shroud(*Kafan*), Premchand has created a character named Budhiya, who is a Dalit woman. Budhiya is the wife of Madhav and the daughter-in-law of Ghisu. Due to the inactivity of Madhav and Ghisu, this family lives in extreme poverty and destitution. In the story, Budhiya is pregnant. During labor pains, she dies due to a lack of

money for necessary treatment. The inaction of Ghisu and Madhav, along with their deteriorating economic situation, is the reason for her death.They do not even have money to buy a shroud for Budhiya, which is why they collect money by begging. However, seeing the collected money, their intentions change, and they buy alcohol and food items with the money meant for the shroud. In a drunken stupor, both of them shamelessly pretend to pray for Budhiya.After spending the money collected by begging for Budhiya's shroud on alcohol and puris, Gishu and Madhav talk to each other with great shamelessness.

"Madhav again looked toward the sky and said, 'She'll go to Heaven— she'll become the Queen of Heaven!'Ghisu stood up, and as if swimming in waves of joy he said, 'Yes, son, she'll go to Heaven! She never tormented anyone, she never oppressed anyone; even while dying, she fulfilled the greatest desire of our lives. If she doesn't go to Heaven, then will those fat rich people go— who loot the poor with both hands, and go to the Ganges to wash away their sin, and offer holy water in temples?"[10]

This story illustrates that a Dalit woman struggles throughout her life for her family, but she receives neither respect within the family nor any dignity outside of it. Family members ignore her joys and sorrows because she is a woman, and outside the family, high-caste youths are eager to prey on her sexual desires because she is a Dalit. At the end of the story Shroud,the fact that Budhiya does not receive a shroud even after death symbolically shows that even after death, a Dalit woman is not entitled to a peaceful final journey.

The great litterateur Premchand has uniquely depicted the poor laborers, farmers, and oppressed Dalits of the lowest strata of society in colonial India. He has portrayed both men and women equally without any gender discrimination. In his works, one can observe the realistic and true depiction of the pain of the Dalit community. He consistently targeted the polarization of power and vehemently opposed systems like feudalism and zamindari. Without any hesitation, he endeavored to bring the oppression of Dalit women to the global stage.

References

1. Wankhede, M. N. "Friends, the Day of Irresponsible Writers is Over." Poisoned Bread, edited by Arjun Dangale, Orient Longman Ltd.,1992. p.297
2. Naravane, V. S. Premchand-His Life and Works. Vikas Publishing House; Ghaziabad. 1980.p.261
3. Ibid. p.271
4. Stories on Caste Premchand. Edited by M. Asaduddin. Penguin Vikings; Gurgaon. 2018. P.3
5. Ibid. p.2
6. Ibid. p.21
7. Ibid. p.26
8. Anand, Mulk Raj. Untouchable. Penguin Books; Gurgaon. 2001. P.57
9. Stories on Caste Premchand. Ibid. p.43
10. Premchand. *Kafan* (The Shroud). Trans. By Frances W. Pritchett. Website. http://franpritchett.com

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 20th Jan. 2026 **Paper Accepted : 30th Jan. 2026**

महात्मा गांधी की बैतूल जिले की यात्रा एवं उसका प्रभाव

❑ डॉ. संकेत कुमार चौकसे*

शोध-सारांश

ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्यूनल अवार्ड के फलस्वरूप दलित वर्ग के हिन्दू समाज से पृथक् हो जाने की प्रबल संभावनाएं उत्पन्न हो गई थीं। जिसके विरोधस्वरूप महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम पूना समझौते के रूप में सामने आया। तत्पश्चात महात्मा गांधी ने दलित उत्थान एवं अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु लंबी पदयात्रा की। इस दौरान उनका बैतूल जिले में आगमन हुआ जिसका यहाँ की जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा यहाँ न केवल सामाजिक असमानता दूर करने का प्रयास किया गया बल्कि आगामी व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ की जनता ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रस्तुत शोध पत्र में महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान बैतूल जिले में आगमन एवं जहाँ की जनता पर इसका प्रभाव बतलाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द– अस्पृश्यता।

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में महात्मा गांधी का अवदान अतुलनीय है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे व्यापक जनाधार प्रदान किया। उन्होंने ऐसी समाज रचना, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली और नैतिक दृष्टि को विकसित किया जो मानवता को स्थायी शांति और समृद्धि की ओर ले जाने में सहायक है। उन्होंने जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया और अपनी अनूठी प्रतिभा से उसे एक दिशा प्रदान की। राष्ट्र निर्माण में उनकी दृष्टि समाज के उन उपेक्षित और उत्पीड़ित वर्गों की ओर ही केन्द्रित रही जिनका उत्थान और उन्नयन वे स्वराज्य का लक्ष्य मानते थे। स्वाधीनता संघर्ष में उनके आगमन से राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप, विचारधारा, सामाजिक आधार एवं दिशा में निर्णायक परिवर्तन आया। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय, वर्ग समन्वय, न्यासिता जैसी अनेक विचार धाराओं को नवीन आयाम प्रदान किया।

सविनय अवज्ञा के दौरान महात्मा गांधी जब यरवदा जेल में थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैक्डोनल्ड ने साम्प्रदायिक पंचाट (16 अगस्त, 1932) के तहत भारत के लिए एक ऐसी निर्वाचन

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास विभाग), राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पद्धति प्रस्तुत की जिसमें दलित वर्ग के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी।[1] महात्मा गांधी ने इस योजना के संबंध में जेल से ही ब्रिटिश सरकार से पत्र व्यवहार किया किंतु ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में इस व्यवस्था के विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितम्बर, 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ दिया।[2] अंततः 24 सितंबर, 1932 को डॉ. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ।[3] इस समझौते के तहत समस्त हिन्दुओं के लिए कुछ संशोधित रूप से संयुक्त निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया तथा सामान्य सीटों में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर लगभग दुगुना कर दिया गया।[4] इसके बाद महात्मा गांधी ने स्वयं को दलित उत्थान एवं अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्यक्रम में समर्पित कर दिया।

पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने 7 नवंबर, 1933 को वर्धा से दलित उत्थान हेतु व्यापक यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा वर्धा के राम मंदिर से आरंभ की गयी, जिसे उनके उपवास के दौरान दलितों के लिए खोल दिया गया था।[5] तत्पश्चात् 8 नवम्बर को वे नागपुर प्रस्थान कर गए जहां से उन्होंने अमरावती तत्पश्चात् अकोला का दौरा करते हुए नवम्बर के तीसरे सप्ताह में महाकौशल में प्रवेश किया।[6] यह दौरा मध्यप्रांतके लिए विशेष महत्त्व का था क्योंकि इसके अंतर्गत वे राज्य के सुदूर छोटे–छोटे गांवों में गए और जहाँ की जनता तक दलितों के उत्थान एवं अस्पृष्यता उन्मूलन के लिए जागरूक किया। इस दौरे में महात्मा गांधी दलितो के कल्याण के लिए निर्मित कोष हेतु धन एकत्र कर रहे थे जिसमें मध्यप्रांत की जनता ने मुक्तहस्त से दान दिया। अनेक स्थानों पर महिलाओं द्वारा अपने आभूषणों का दान दिया गया। मध्यप्रांत की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने दलितों के कल्याण के लिए निर्मित फंड (हरिजन कोष) हेतु 51,000 रुपए एकत्रित किए।[7] मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी के इस दौरे की व्यवस्था का सूत्र मुख्यतः पं. रविशंकर शुक्ल तथा ब्यौहार राजेन्द्र सिंह के हाथ में था।[8] इनके अतिरिक्त वे जहां–जहां गए, जहाँ के स्थानीय नेताओं ने तन–मन–धन से उनके स्वागत की व्यवस्था की।

मध्यप्रांत में महात्मा गांधी दुर्ग, रायपुर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए 28 नवम्बर, 1933 को बालाघाट नगर पहुँचे।[9] जहां से उन्होंने सिवनी एवं छिंदवाड़ा होते हुए बैतूल के लिये प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होने मुलताई में कुछ समय के लिये विश्राम किया। मुलताई में उनके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 10,000 व्यक्ति उपस्थित थे। इस सभा के सभापति शंकर धर्माधिकारी थे।[10] महात्मा गांधी के संबोधन के पश्चात् स्वागताध्यक्ष केदारनाथ ने उन्हें मुलताई की जनता की ओर से 202 रुपए की थैली भेंट की। साथ ही यहाँ के निवासियों की ओर से महात्मा गांधी को एक मानपत्र भी दिया गया जो कि रजत पात्र में रखा गया था।[11] इस सभा की सम्पूर्ण व्यवस्था बिहारीलाल पटेल की पत्नी ने की थी।[12]

मुलताई से महात्मा गांधी बैतूल पहुँचे जहाँ उनके स्वागत हेतु विशाल जनसमूह एकत्र था। रात्रि विश्राम के बाद वे 30 नवम्बर को प्रातःकाल खेड़ी और बारासिंगा आश्रम गये जहाँ सुप्रसिद्ध ब्रिटिश महिला मिस मेरी निवासरत थीं। इस यात्रा में महात्मा गांधी के साथ दीपचंद गोठी तथा ब्यौहार राजेन्द्र सिंह भी थे।[13] खेड़ी ग्राम के महंत श्री रंगराव ने महात्मा गांधी को बताया कि यहाँ के मंदिर में प्रवेश हेतु जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ मंदिर में दलित वर्ग का प्रवेश वर्जित नहीं है जिससे महात्मा गांधी प्रसन्न एवं संतुष्ठ हुए। तत्पश्चात् मिस मेरी को साथ लेकर महात्मा गांधी डंकन आश्रम की ओर रवाना हुए। डंकन महोदय मद्रास के थियोसोफीकल कॉलेज के प्राचार्य थे और एक वर्ष तक सतपुड़ा के वनों में रहे थे। डंकन महोदय से उन्होंने प्रस्तावित आश्रम की रूपरेखा पर विचार–विमर्श किया। डंकन आश्रम देखने के उपरांत महात्मा गांधी टीले पर निर्मित उस मंदिर के दर्शन हेतु गए जो दलित

वर्ग के लिए खोल दिया गया। यहाँ ताप्ती नदी के सौंदर्य से प्रभावित होकर उन्होंने कहा था, ''मुझे समय मिलता तो कुछ दिन तक ऐसे स्थान पर अवश्य रहता, लेकिन मेरे भाग्य में यह सब नहीं है।''[14]

इसके बाद महात्मा गांधी बैतूल वापस आ गये जहां उन्होंने दलितों से वार्तालाप किया तथा उन्हें गीता की प्रतियाँ वितरित कीं। इसके बाद वे सार्वजनिक सभा में भाषण देने हेतु गांधी चौक पहुँचे जहां 15,000 से 20,000लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस सभा की अध्यक्षता दीपचंद गोठी ने की।[15] के. एम. धर्माधिकारी ने जिले की ओर से 401 रुपए की थैली भेंट की। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष रामदयाल खण्डेलवाल ने मानपत्र का वाचन किया। मानपत्र के वाचन के समय वे इतने भावविभोर हो गए कि बाद में उसे गांधी जी को समर्पित करना ही भूल गए, जिस पर महात्मा गांधी ने उनसे मजाकिया लहजे में कहा, ''भाई, मेरी चीज मुझे दो। कहां लिए जाते हो।''[16] जिला काउंसिल के अध्यक्ष बाबूलाल ने भी एक मानपत्र गांधी जी को समर्पित किया।[17]

इसके पश्चात् महात्मा गांधी का व्याख्यान आरंभ हुआ जिसे रामनाथ सुमन ने अपनी बुलंद आवाज में दोहराया। इस दौरान महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के बारे में कहा–''मेरे पास अभी एक परचा आया है, वह यह है। इसमें शिवप्रसाद जी ने लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उदर से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हैं, इसलिए ये एक नहीं कहे जा सकते। पर मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि पैरों को काट डालने से जैसे शरीर के प्रत्येक अंग को हानि होगी आज वही हानि हिन्दू–समाज को अस्पृश्य जातियों को दूर करने से होगी। इसलिये अस्पृश्यता का अंत कर देना चाहिये।''[18] गांधी जी के भाषण के पश्चात् महात्मा गांधी की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। उन्हें विदा करने हजारों की संख्या में स्थानीय लोग स्टेशन तक आए।

बैतूल से महात्मा गांधी ट्रेन द्वारा इटारसी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ढोढरा मुहाल नामक एक छोटे से स्टेशन पर कड़ाके की ठण्ड में हजारों लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे तथा महात्मा गांधी की जय का नारा लगा रहे थे। इन लोगों के पास तन ढँकने के लिए कपड़े भी नहीं थे फिर भी इन लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन कोष हेतु कुछ राशि एकत्र की थी। ट्रेन रुकने के बाद महात्मा गांधी बाहर आए तो सरदार मोहकम सिंह और उनकी पत्नी मनकी बाई ने गांधी जी का स्वागत किया एवं यहां की जनता की ओर से कुछ धनराशि भेंट की।[19] तत्पश्चात् महात्मा गांधी ने उन लोगों से आग्रह किया कि अस्पृश्यता का त्याग किया जाना चाहिए तथा दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए।

महात्मा गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान बैतूल जिले में विभिन्न सभाओं में भाषण दिये थे, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता एवं जातिभेद निवारण के लिए अपने विचार प्रस्तुत किये थे। इसी दौरान उन्होंने गोरक्षा हेतु भी प्रेरणा प्रदान की। महात्मा गांधी की इस यात्रा के समय जिले की ग्रामीण जनता एवं जनजातीय जनता ने उनकी सभाओं में उपस्थित होकर उनके विचार सुने थे। इसका उन पर अनुकूल प्रभाव परिलक्षित हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता बिहारीलाल पटेल, दशरथलाल आर्य एवं बाबूराव धोटे आदि ने उनके साथ जिले में भ्रमण किया। इस समय महात्मा गांधी की गाड़ी के वाहन चालक नीलकंठराव झलके (जमींदार) थे, जिन्होंने बाद में स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेन्शन लेने से इन्कार कर दिया था।[20]

महात्मा गांधी के प्रभाव से ही 1935 में हरिजन सेवक संघ की एक शाखा बैतूल जिले में स्थापित की गयी। इसका उद्देश्य दलित वर्ग का सर्वांगीण कल्याण तथा अस्पृश्यता उन्मूलन करना था।[21] इस संघ ने जिले के दलित बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। महात्मा गांधी ने 'खादी' के प्रचार और गृह उद्योग के प्रोत्साहन पर भी बल दिया। उनकी प्रेरणा से बैतूल के निकट करजगांव में गांधी आश्रम की

स्थापना हुई, जहां पर एक राष्ट्रीय बुनियादी स्कूल भी खोला गया था, जिसमें साफ सफाई, स्वच्छता, वृक्षारोपण, बागवानी, चरखा चलाना एवं खादी प्रचार तथा गोरक्षा की शिक्षा दी जाती थी।[22] हस्तकला उद्योग एवं शारीरिक व्यायाम आदि का भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता था। इसमें जिले के कई लोग खादी तथा लघु उद्योगों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आने लगे थे। इसी गांधी आश्रम में गांधीवादी समाजसेवी गंगाधरराव पाटनकर ने अनेक वर्षों गांधीवादी सिद्धांतों का प्रसार किया।[23]

इस प्रकार महात्मा गांधी का यह प्रवास जिले की जनजागृति में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इस अवसर पर वे सुदूर क्षेत्रों में गये तथा जहाँ की जनता के हृदय पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। उनके पास महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं वंचितों के हर एक तबके के लिए एक सम्पूर्ण दृष्टि थी और साथ ही स्पष्ट समाधान भी उनके पास था। उन्होंने स्थानीय मुद्‌दों पर आधारित विभिन्न वर्गों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सामाजिक विषमता के शिकार दलितों को न केवल समानता का अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष ही किया बल्कि उनमें नये जीवन का संचार भी किया। साथ ही उनके आगमन से क्षेत्र में एक विशिष्ट सामाजिक और राजनैतिक चेतना का संचार हुआ, जिसका प्रभाव आगामी व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन पर भी परिलक्षित हुआ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश; मध्यप्रांत एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन, शारदा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1998, पृ. 87–88
2. कपूर, प्रमोद; गांधी एक सचित्र जीवनी, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, भोपाल, 2019, पृ. 205
3. गुहा, रामचन्द्र; गांधी : अस्पृश्यता का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम क्षण (1931–48) खण्ड–2, (अनुवाद–सुशांत झा), पेंगुइन स्वदेश, गुरूग्राम, हरियाणा, 2024, पृ. 20
4. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश; वही, पृ. 88
5. तेंदुलकर, डी.जी.; महात्मा वॉल्यूम–3 (1930–1934), प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1951, पृ. 296
6. माहेश्वरी, आर.जी. (सं); शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ, इतिहास खण्ड, नागपुर, 1955, पृ. 157
7. मिश्र, द्वारका प्रसाद (प्रधान सम्पादक); मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, 2002, पृ. 431
8. मध्यप्रदेश और गांधी जी, गांधी शताब्दी समारोह समिति के लिए सूचना प्रसारण संचालनालय द्वारा प्रकाशित, 1969, पृ. 28
9. सिन्हा, ए.एम.; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, बालाघाट जिला, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल, 1998, पृ. 65
10. देशमुख, डी.डी.; मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में स्वतंत्रता आंदोलन (1920–1947 ई.), श्री मंगेश प्रकाशन, नागपुर, 2019, पृ. 97
11. मध्यप्रदेश और गांधी जी, वही, पृ. 34
12. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ. 97
13. मध्यप्रदेश और गांधी जी, वही, पृ. 34
14. वही
15. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ. 97
16. मध्यप्रदेश संदेश; अक्टूबर 2006, पृ. 55
17. मध्यप्रदेश और गांधी जी, वही, पृ. 35
18. वही, पृ. 35
19. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ. 97
20. वही, पृ. 98
21. श्रीवास्तव, पी.एन.; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, जिला बैतूल, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल, 1990, पृ. 399
22. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ. 97
23. वही

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 20th Jan. 2026 **Paper Accepted : 30th Jan. 2026**

मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा 'कस्तूरी कुंडल बसै' में स्त्रियों की दशा व दिशा : एक अवलोकन

□ सिमरन कुमारी*
□ न्यासुम कारचो**

शोध-सारांश

मैत्रेयी पुष्पा अपनी आत्मकथा 'कस्तूरी कुंडल बसै' में उन्होंने ग्रामीण स्त्रियों के अनुभवों और समस्याओं को अत्यन्त प्रामाणिकता तथा निर्भीक रूप से अंकित किया है। यह आत्मकथा प्रमुखतः ग्रामीण स्त्रियों के यथार्थ रूप के साथ-साथ जीवन के कठोर सत्य को उजागर करती है। ग्रामीण स्त्रियाँ घरेलू श्रम, खेत-खलिहान और परिवार की जिम्मेदारियों का पूरा भार उठाती हैं, परन्तु निर्णय की प्रक्रिया में उन्हें प्रायः हाशिए पर रखा जाता है। वे पति, सास-ससुर और समाज द्वारा बनाये गए नियमों से बँधी हुई हैं। पुत्र-प्राप्ति की लालसा, स्त्री-देह पर नियन्त्रण और मातृत्व का दबाव उनके जीवन की स्थायी पीड़ा बनकर उभरता है। स्त्रियों को केवल सहनशील और पीड़ित रूप में नहीं दिखातीं, बल्कि उनमें छिपे प्रतिरोध और चेतना को भी उजागर करती हैं। ग्रामीण स्त्रियाँ चुप रहते हुए भी अन्याय को सहती हैं, परिस्थितियों से जूझती हैं और अपने अस्तित्व को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं। उनका विरोध कई बार खुला न होकर मौन, व्यावहारिक और स्थितिजन्य होता है, जो ग्रामीण समाज की वास्तविकता को दर्शाता है।

मुख्य शब्द—*स्त्रियाँ, ग्रामीण, संघर्ष, विद्रोह, दहेज, बेड़ियाँ, यौनाचार, पाबंदियाँ, आंदोलन, मुक्ति।*

मैत्रेयी पुष्पा समकालीन हिंदी साहित्य जगत की जानी-मानी लेखिका हैं। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी प्रमुख विधाओं में लेखन-कार्य किया है। उनके लेखन के केन्द्र में ग्रामीण स्त्रियों का सशक्त और सजीव चित्रण मिलता है। वे ग्रामीण अंचल की स्त्रियों के जीवन से जुड़ी विविध समस्याओं को अत्यन्त सहजता और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करती हैं। उनके साहित्य में ग्रामीण स्त्रियाँ केवल पात्र मात्र नहीं हैं, बल्कि उनके संघर्ष, विद्रोह और अस्मिता की सम्पूर्ण गाथा का सजीव चित्रण मिलता है। मैत्रेयी पुष्पा ने यह अंकित किया है कि ग्रामीण परिवेश में स्त्रियाँ आज भी सामन्ती बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। प्रत्येक वर्ष अनेकों स्त्रियाँ दहेज के कारण मार दी जाती हैं और इसके अलावा कई स्त्रियाँ

* शोधार्थी (हिन्दी विभाग), राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश, मो. 8794394517
** शोधार्थी (हिन्दी विभाग), राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश

वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती हैं। उनके उपन्यासों जैसे 'चाक' और 'अल्मा कबूतरी' में स्पष्ट चित्रण है, कि कैसे पुरुष सत्ता स्त्रियों की देह और मन पर अपना अधिकार जमाता है। वहां स्त्री की इच्छा-अनिच्छा की कोई अहमियत नहीं है। चूल्हा स्त्री के बन्धन की मजबूत बेड़ियाँ हैं। उन्हें बचपन से ही उन बेड़ियों में बांध दिया जाता है। नारी के पास जो ममता है, प्यार है, वात्सल्य है, वह उन्हें घर की जिम्मेदारी में बाँध देता है और वह पुरुषों की दासी बनती जाती है। ऐसे दासत्व से मुक्ति पाने के लिए कई नारी मुक्ति आंदोलन चले। कई पुस्तकें जैसे 'द सेकेण्ड सेक्स' और 'द फेमिनिन मिस्टिक' नामक पुस्तकों के प्रकाशन के बाद नारी संगठनों ने नारीविषयक कई सवाल उठाए—क्या औरत बच्चों की पैदावर के लिए खेत है? क्या औरत दासत्व और दारुण यंत्रणाओं का दस्तावेज है? क्या औरत एक जिस्म है? क्या औरत पराया धन है? क्या औरत विलाप का प्रतीक और अनाथ शब्द का पर्याय है? क्या औरत विज्ञापन का नाम है या मन को लुभानेवाली है? क्या संस्कारों और रूढ़ियों पर चलने का नाम ही औरत है? प्रश्नों के जब जवाब नहीं मिले तब विदेशों में सौंदर्य प्रसाधनों की होलियाँ जलायी गयीं। पुरुषों के साथ गाली गलौच की गयी। नारी मुक्ति की मांग यौन स्वच्छन्दता की मांग में बदल गयी। वैवाहिक सम्बन्ध टूटने लगे। अनेक जोड़े बिना विवाह के एक साथ रहने लगे। स्त्री-पुरुष की समलैंगिकता बढ़ने लगी। मुक्त यौनाचार फैलने लगा। ग्रामीण अंचल में दलित और पिछड़ी जातियों की स्त्रियों का यौन शोषण एक कडुवा यथार्थ है। पुष्पा जी ने इसे बिना किसी हिचक के वर्णित किया है। वे दिखाती हैं कि कैसे रसूखदार लोग स्त्री की देह को अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन साथ ही वे इन स्त्रियों को केवल 'बेचारी' नहीं रहने देतीं, बल्कि उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए भी दिखाती हैं। यही कारण है कि उनके साहित्य में पुरुष सत्ता घबराया हुआ महसूस करता है। आज तक पुरुषों ने औरतों को जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम नियमों में बांधकर रखा था। उसका हंसना-रोना, खाना-पीना, पढ़ना-लिखना इन सब पर तमाम पाबंदियाँ थीं।

पुष्पा जी ने अपना कथा संसार अपने आसपास के परिवेश से ही चुना है। उनकी रचनाओं में नारी की बदलती तस्वीर साफ उभरकर आती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में पुरानी रुढ़ियों का त्याग कर नारी के आधुनिक रूप को अंकित किया है। उन्होंने अपनी विशाल आत्मकथा में नैतिकता और अश्लीलता को परिवर्तित बोध के रूप में रेखांकित किया है। मैत्रेयी पुष्पा स्त्री विमर्श की कट्टर हिमायती हैं। उनका कहना है, ''उस पुरुष-व्यवस्था से मुझे चिढ़ है जो स्त्री के चारों ओर बन्धन डालती है। हजार वर्षों से ज्यादा समय से देशी-विदेशी आक्रमण की सीधी मार या सच कहूं तो दोहरी मार स्त्री पर ही पड़ती रही है। आक्रमणकारियों के अत्याचार, बलात्कार और उनके हरम की सजावट के सामान, उधर घर में पुरुष का आहत अहं और सुरक्षा की घेरा बंदी परिणामस्वरूप पर्दा, ढेरों गहने और अंधकार। सदियों से जो ढर्रा बन गया है उसमें स्त्री के सर उठाने से अंधड उठने का अंदेशा।''[1]

स्त्री-स्वातंत्र्य के विरोध में खड़े लोगों का सबसे बड़ा भय रहा है 'स्त्री-मुक्ति'। का अर्थ होगा विवाह, परिवार और नैतिकता के स्वरूप में तोड़फोड़। आज कुछ अर्थों में यह हो रहा है। पारिवारिक मूल्यों के विघटन, वैवाहिक सम्बन्धों की टूटन, दहेज की मार और स्त्री का अपना बदलता दृष्टिकोण ऐसे मुद्दे हैं जो आज स्त्री को स्वतंत्रता से रहने को मजबूर कर दिए हैं। आर्थिक रूप से सम्पन्न स्त्रियाँ स्वतंत्र होकर जीवन जी रही हैं, हालांकि वे भी पुरुषवादी समाज के ताने-बाने से पूर्णतः वंचित नहीं हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसी स्त्रियों का जीना पुरुष दूभर कर देता है। ऐसे समय उसे समझौते करने पड़ते हैं। ''शहरी-स्त्री को शिक्षा के अतिरिक्त अस्त्र भी उपलब्ध हैं। पुरुष को बहला-फुसलाकर काम निकालना भी उसे आता है। स्त्री को कुछ उपकरण सहज सुलभ हैं सुंदरता, बच्चा पैदा करने की क्षमता और गुरिल्ला युद्ध कौशल। स्त्री कमजोर होने की कमी को गुरिल्ला युद्ध से पूरा करती है। हर स्त्री के हथियार अलग-अलग होते हैं। वह झूठ और

छल-कपट से काम निकालना भी जानती है।''[2] पर सबसे बड़ी दुविधा ग्रामीण स्त्री की है। वह आज भी जोर-जबरदस्ती अथवा पुरुषवादी सत्ता के आड़ में जीने को विवश है। चाहे उसका वैवाहिक डोर कितने भी संपन्न परिवार में क्यों न बांध दिया गया हो। तड़प-तड़पकर मर जाना ही उसके भाग्य में बंधा होता है।

पुरुष का अतीत के साथ एक रोमांटिक रिश्ता रहा है बड़े-बड़े लेखकों, विचारकों और बुद्धिवादियों में हम प्रायः इस प्रत्यावर्तन को पाते हैं। सांझ ढले पुरुष वापस घर लौटता है तब उन व्यक्तिगत अनुभवों को दुहराना चाहता है, जिनको बाहरी दुनिया के दौड़-भाग में वह भूल चुका होता है, लेकिन औरत? उसके पास ऐसा कोई रोमांटिक इतिहास नहीं, विरासत में उसे गुलामी ही मिली। वह तो मुक्ति चाहती है, उस कुत्सित हुई पुरुष की मानसिक परम्परा से मुक्ति चाहती है जिसने अब तक उसे भ्रम में और झूठे सपने में जिलाए रखा है। आखिर स्त्री के लिए यह मजबूरियाँ किसने खड़ी की हैं? उन लेखकों ने जो उन्हें आदर्श की तस्वीर बनाना चाहते हैं। आज स्त्री के लिए विवाह इतना प्रतिष्ठा का विषय नहीं रहा है। अपने पैरों पर खड़ी होने तक तो नारी की विवाह की उम्र निकलती जा रही है। अभिभावकों ने भी उससे अपने हाथ झटक लिए हैं। इस तसल्ली के साथ कि वह अपना साथी तलाश लेगी। परन्तु हर कोई अपना साथी तलाश नहीं लेता। धीरे-धीरे नारी को अपने घर से रिश्तों की गर्माहट भी मिलनी बन्द हो गयी। पुरुष भी ऐसी कामकाजी नारियों से विवाह करने के लिए डरने लगा है।

सामाजिक रूढ़ि परंपरा पर व्यंग्य करती हुई पुष्पा जी लिखती है—''विवाह बुरी चीज है। यह औरत के लिए ऐसे बन्धन पैदा करता है, जो जीवन भर कसे रहते हैं। पति के रहने पर भी और न रहने पर भी। पति की पसन्द-नापसन्द दोनों औरत पर ही भारी पड़ती है। तूने कभी विधुर को विधवा की तरह रहते देखा है।''[3] उनका मानना है कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो समाज उस स्त्री को बहुत ही सामान्य जीवन या कहें कि श्रृंगार से वंचित कर देती है पर किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु पर कोई सामाजिक दुविधा क्यों नहीं? यह समाज की रूढ़ि परंपरा है, उसे उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। 'पति' शब्द पर मैत्रेयी को एतराज है। पुष्पा जी सती प्रथा पर व्यंग्य करती हैं ''जलकर मर जाने का कैसा व्रत? भस्म हो जाना भी कोई धर्म है? मरने के बाद लोग पूजें, इसलिए जिन्दगी खत्म कर दो।''[4] एक ओर जब पति मर जाए तो पत्नी को भी जीते जी उसी आग में जल जाना चाहिए। दूसरी ओर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति नई युवती से ब्याह कर ले। ये ढोंगी परंपरा नहीं तो क्या? शायद इसलिए पुष्पा जी पति का व्यवहार जब वह जल्लाद या दरिन्दे जैसा देखती हैं तब उनका कहना है पति के बदले उसे दरिन्दा कहा जाए। कारण, वह मादा को मनमाने तौर पर झिंझोड़ता है। कामान्धता में जब वह अपने मकसद में मात खाता है, तब वह स्त्री के लिए ज्यादा खूंखार हो जाता है। इसीलिए ऐसे मर्दों के लिए करवाचौथ का व्रत रखना मैत्रेयी सबसे बड़ा पाखण्ड मानती है। वह कहती हैं कि ''गीता में लिखा है, कोई किसी का नहीं, यह हम औरतों के लिए बड़ा सही बैठता है। जो हमारा नहीं उसके लिए रोना क्या?''[5] आजकल फिल्म हो या टेलिविजन, सब जगह करवाचौथ का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हुए दिखाया जाता है। एक तरफ नारी मुक्ति आन्दोलन और दूसरी ओर करवाचौथ। यह स्त्री समाज के लिए कितनी शर्मनाक बात है।

समाज, माँ-बाप को अपने बेटी के ब्याह की चिन्ता रहती है। परन्तु मैत्रेयी के शब्दों में—''बेटी को ब्याह कर गाय की तरह हाँक देने जैसा कोई दूसरा अपराध नहीं।''[6] उनका मानना है कि कुँवारी स्त्री माता-पिता के लिए बोझ क्यों बन जाती है। जबकि गृह के सभी कार्यों में अपना हाथ बँटाती है तो फिर वह बोझ क्यों? यही कारण है कि स्त्री पुरुष के अनुपात में घोर विकृति आ गयी है। दहेज के संकट से बचने के लिए गर्भजन्य लिंग परीक्षण के कारण आज धड़ल्ले से कन्या भ्रूणों का गर्भपात किया जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो कालांतर में स्त्री-पुरुष के अनुपात कम हो

जाएंगे। यदि लड़की को पाल-पोसकर ब्याह करना माता-पिता के लिए इतना कष्टकर और यातनादायक बन गया है, तो क्यों न उसके जन्म का ही निषेध कर दिया जाए?

विवाह के संबंध में पुष्पा जी लिखती हैं, ''विवाह किस नूर का खजाना है? पति कितना प्यार लुटानेवाला होगा? क्या प्यार ही खाएगी, ओढ़ेगी, पहनेगी? हर समय प्रेम का राग अलापती है, एक कतरा पा जाने की चेष्टा में मरती है।''[7] उनका मानना है कि विवाह गुलामी की सीढ़ी है। इस बंधन में जो भी स्त्री बंधती है। वह जीवन-पर्यंत पुरुष सत्ता की गुलामी से बाहर नहीं निकल पाती है। गुलामी का कटु सत्य यह भी है कि जहाँ सीमित वर्ग की महिलाओं की दशा सुधरी है, वहीं इन्हीं तकनीकों और बाजारवादी स्पर्धा के दबावों ने अधिसंख्य ग्रामीण औरतों के जीने के सवाल पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। 'कस्तूरी कुंडल बसै' मे पुष्पा जी लिखती हैं, ''संसार में औरत के मुकाबले कोई सख्तजान नहीं।''[8] दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बाजारवाद के इस दशक में औरतों के लिए यदि कोई कार्यक्षेत्र फैला है, तो वह है देह व्यापार का।

पुष्पा जी लिखती हैं कि ''यह बात गाँठ में बाँध ले कि मर्द की जात से होशियार रहकर चलना होता है, भले ही वह साठ साल का बूढ़ा हो।''[9] पुष्पा जी का मानना है कि पुरुषवादी समाज जब हर आयु में स्वयं को सम्पन्न पाते है तो स्त्री वादी समाज क्यों नहीं। स्त्री समाज की चेतना से कब तक विस्मृत रहेगी? आखिर स्त्री अपने आपको क्यों नहीं जानता चाहती है? पहले स्त्री की योग्यता आंकी जाती थी, अब शरीर आंका जाता है। एक सम्पन्न कामगार के रुप में मीडिया में उसे खूब बेचा जा रहा है। ''नारीवाद के झूठे नारे उछालकर उनके पीछे स्त्री के स्वत्व, उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा ही चतुर अस्वीकार हमें कई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं तथा प्रयासों में भी देखने को मिल रहा है, जहां स्त्री के मातृत्व से इतर जीवन की प्रायः अवहेलना करते हुए उसे मात्र बच्चे पैदा करने की एक इकाई, एक ऐसे 'टार्गेट' के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसे 'टैकल' किये बिना जनसंख्या के बोझ तले तीसरी दुनिया रसातल में धंस जाएगी।''[10]

आज नारी संगठन जो सवाल उछालता है, वह है प्रत्येक जाति और संम्प्रदाय का पुरुष स्त्री का शोषण क्यों करता है? स्त्री को दलित अवस्था में रखने से समाज के किन उद्देश्यों एवं स्वार्थों की पूर्ति होती है? आज की नारी न तो स्वयं गुलाम बनना चाहती है, न ही वह पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार। स्वाभाविक है अधिकार मिलने पर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। नारी-मुक्ति आन्दोलन का मुद्दा बड़ा पेचिदा है। मुक्ति चाहिए पर किससे? स्थिति से? पुरुष से? परम्परा से? रूढ़ियों से? या कि अपने आप से? मुक्ति की नाभिक सक्रियता अपने ही भीतर, अपने बलबूते, अपने आत्मबोध के विस्तार की नब्ज पकड़ना है। स्वावलम्बी होने का अर्थ अपनी समस्याओं को सुलझाना मात्र ही नहीं है पर देश, समाज, परिवार को भारमुक्त करना भी है। नारी मुक्ति आन्दोलन के लिए नारी को शिक्षित होना जरूरी है अन्यथा वह विपरीत स्थिति की ओर जा सकती है। इस आबोहवा के तहत बहुत-सी स्त्रियाँ आवेशित होकर विद्रोहात्मक आत्मकथा का सृजन कर रही हैं। परन्तु लेखिकाओं ने इस बात को समझ लेना चाहिए कि मुक्ति का असल उद्देश्य क्या है? जीवन बदले, जीवन स्थितियाँ बदले, बदलाव की भूमिका को धारण करनेवाले दोनों पक्ष स्वेच्छा से आमने-सामने हों। फिर वह पुरुष हो या स्त्री। अन्यथा गड़बड़ी हो सकती है।

स्पष्ट होता है कि पुष्पा जी ने अपनी आत्मकथा में जिन समस्याओं का चित्रण किया है, उनका मूल आधार ग्रामीण जनजीवन में व्याप्त भ्रष्टता, शोषण और सामाजिक विसंगतियाँ हैं। विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में दलित एवं पिछड़ी जातियों की स्त्रियों के साथ होने वाला यौन शोषण एक कड़वा और भयावह यथार्थ है, जिसे पुष्पा जी ने पूरी निर्भीकता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी आत्मकथा केवल यथार्थ का अनावरण ही नहीं करती, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरते हुए परिवर्तन की आवश्यकता की ओर भी संकेत करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मैत्रेयी पुष्पा, मुद्दे की बात, हंस, अक्टूबर, 2004, पृष्ठ संख्या-52
2. वही, पृष्ठ संख्या-52
3. मैत्रेयी पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बसे, पृष्ठ संख्या-60
4. वही, पृष्ठ संख्या-12
5. वही, पृष्ठ संख्या-17
6. वही, पृष्ठ संख्या-61
7. वही, पृष्ठ संख्या-97
8. वही, पृष्ठ संख्या-13
9. वही, पृष्ठ संख्या-53
10. मृणाल पांडे, स्त्री और सदी का अवसान, हंस, जनवरी-फरवरी, 2000, पृष्ठ संख्या-165

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 20th Jan. 2026

Paper Accepted : 30th Jan. 2026

Role of Women in Agriculture Development in Three Block of Hardoi District

Dr. Pushpa Rani Gangwar*
Jitender Singh Chauhan**

ABSTRACT

Women's contributions to agriculture are undervalued due to the pressure they face, and they are excluded from the direct and indirect benefits of farming. Women's participation in agricultural output is influenced by caste of theirs. They may be supervisors or workers without land. The descriptive statistical data analysis is done in the study based on the collected data from primary field survey. In this study, women responses and participation is evaluated with the help of Garett ranking. Garett ranking was used to record and analyses the gathered data. Bawan has the good status of women in terms of irrigation and transplanting, but women lags far behind in terms of market participation and fertilizer application. This suggests that high-value reproductive decisions may still be dominated by men in some socio-geographic clusters. Rural women's decision-making authority is concentrated in everyday maintenance and animal welfare but it is still quite uneven in poultry and high-value reproductive activities.

Keywords– *Women, Agriculture, Animal rearing, Garette score.*

1.1 Introduction

The development of women is the foundation of any country's advancement in society and economy. Women's socio-economic status and living standards have a big impact on how developing nations like India progress overall. Half of all people are women, and they even put in two-thirds of all labor hours worldwide (Patil and Babus, 2018). Women hold less than 10% of the world's resources and account for barely one-third of total income. This illustrates the terrible economic status of women, especially in a country like India (Ghosh and Ghosh, 2014). In India, women play a range of roles that are crucial to the nation's development. A sizable percentage of Indian women are employed in the manufacturing, services, informal, and agricultural sectors, according to Satyavathi et al. (2010). As they become increasingly common in leadership positions, politics, and education,

* Associate Professor & HOD, C.S.N. P.G. College, Hardoi
** Ph. D Research Scholar/ Assistant Professor, C.S.N. P.G. College, Hardoi

women in India are also significant social change agents (Shridhara, 2009). Particularly in the unorganized sector, women make up the majority of the workforce in India. Numerous activities and the total household income were significantly influenced by women. Patra et al. (2018) stated that women's family income contribution patterns were evolving. These days, women are employed in a wide range of lucrative agricultural and non-agricultural sectors, particularly in the areas of crop production, livestock enterprises, employment, business, and nonfarm labour (Swamikannan and Jeyalakshmi, 2015; Rao, 2011). Women have a large but unseen role in agriculture due to patriarchal influences, superstition, traditional beliefs, illiteracy, gender prejudices, ignorance of government regulations, and the dominance of power holders in decision-making (Rao, 2011).

Women's contributions to agriculture are undervalued due to the pressure they face, and they are excluded from the direct and indirect benefits of farming (Giriappa, 1998). Women are still perceived as the weaker sex and inferior to men, even though they invented agriculture and numerous other agricultural skills earlier (Chayal et al., 2013). Lal and Khurana (2011) assert that women are equally involved in pre-harvest agricultural activities such as preparing the soil, planting, weeding, harvesting, and so forth, as well as post-harvest activities such as storing food grains. Women perform most of the labour in agriculture. The nature and extent of their involvement varies along with agro-production systems. Women's participation in agricultural output is influenced by the amount of land owned in a farm home. They may be supervisors or workers without land (Sahu & Sahu, 2020). Women in India produce about half of the country's food. In general, the amount of women working in agriculture increases directly with the family's financial situation. Despite being vital to the growth of agriculture and related industries, women have very little influence over their own pay and almost no access to agricultural information, services, or production assets. The study is focused on the role on women in agriculture and animal rearing in three block of Hardoi district.

1.2 Research Methodology

Data Sources : The study is based on both the data source i.e. qualitative and quantitative source based on questionnaire and primary observation of the researcher. The primary data is collected with the help of organized and structured questionnaire which was prepared with the help of pilot survey from the field study. The stratified random sampling method used for the purpose of field survey and almost 90 sample was selected from Arihori, Bawan and Behadar block from Hardoi District.

1.2.2 Data analysis : The descriptive statistical data analysis is done in the study based on the collected data from primary field survey. The components of descriptive statistical analysis such as bar, line, pie and composite diagram have been used in the study and women responses and participation is evaluated with the help of Garett ranking. Garett ranking was used to record and analyse the gathered data. The formula proposed by Henry Garrett (1969) was used to transform these ranks into score values.The Percentage score computed was as given below :

$$\text{Percentage score} = \frac{100(\text{Rij}-0.5)}{\text{Nj}}$$

Rij = Rank, *ith*item, *jth*individual

Nj = Number of items ranked by *jth* individual

With the help of Garrett's table, the percentage score estimated was converted into Garrett score. Then for each factor, the total scores and mean scores were calculated.

Result and Discussion

1.3 Women role in Agriculture practices in Ahirori, Bawan and Behdar Block

Women are deeply involve in agriculture

practices in these given blocks but their importance is limited by societal precedence and social norms such as women from upper caste cannot go to the field for agriculture activities and they do not own land. But this scenario does not apply to lower caste women. The given table 1.1 shows the trend of women participation in agriculture practices. The analysis shows that nursery bed preparation and seedling care demonstrate significant engagement in the early phases of cultivation, with "Always" women's response was positive with 26 in Ahirori, 23 in Bawan, and 26 in Behdar, respectively; "Never" responses by women, on the other hand, remained low, ranging from 2 to 4 across all blocks. It's interesting to note that women's role in transplanting procedures varied greatly: Bawan had a strong adoption with 23 for "Always" and 0 for "Never," Ahirori had only 1 for "Always" and 29 for "Never," and Behdar was in the middle with 10 for "Always," 5 for "Sometimes," and 15 for "Never." The role of women in Preparatory tillage, ploughing, harrowing, and spacing show a startling pattern, with mostly responded in "Never" (30 or 31) throughout the three locations. Role i=f women in sowing patterns also differed significantly. With "Never" scores of 15 in Ahirori, 27 in Bawan, and 25 in Behdar, fertiliser and farm yard manure (FYM) application seems to be underutilized. The regularity of women in irrigation management was significantly lower in Behdar (Always: 2, Sometimes: 3, Never: 23), while it was moderate in Ahirori (Always: 13, Sometimes: 9, Never: 8), and high in Bawan (Always: 23, Sometimes: 1, Never: 12). Ahirori (Always: 24 and 20) and Bawan (Always: 23 and 23) maintained comparatively high weeding and plant protection measures, whilst Behdar (Always: 4 and 20) shown more diverse engagement. Harvesting, processing, and storage—the final stages of the agricultural cycle showed strong participation in all blocks; Ahirori recorded 23, 27, and 27 for "Always," Bawan recorded 23 for all three, and Behdar recorded 10, 27, and 27 for "Always," respectively. Lastly, Bawan had the least regular marketing practices by women in these given block, with 27 for "Never," compared to 14 in Ahirori and 12 in Behdar. This suggests that even while production is strong, many women in these areas still struggle with formal market participation. Traditional tillage, ploughing, and spacing methods are systematically abandoned in all three blocks by women, despite the fact that nursery care, harvesting, and post-harvest operations (processing and storage) are all carried out with great consistency by women. Bawan has the good status of women in terms of irrigation and transplanting, but women lags far behind in terms of market participation and fertilizer application.

Table 1.1 Women role in different agriculture practices in Ahirori, Bawan and Behdar Block of Hardoi District

		AHIRORI			BAWAN			BEHDAR		
Sl.	Agriculture practices	Always	Sometimes	Never	Always	Sometimes	Never	Always	Sometimes	Never
1.	Nursery bed preparation	27	0	3	23	1	2	27	0	3
2.	Care of seedlings	26	0	4	23	1	2	26	0	4
3.	Transplanting	1	0	29	23	0	0	10	5	15
4.	Preparatory tillage	0	0	30	0	0	31	0	0	30
5.	Ploughing	0	0	30	0	0	31	0	0	30
6.	Harrowing	0	0	29	0	0	31	0	0	30
7.	Spacing	0	0	30	0	0	31	0	0	30
8.	Sowing	20	6	4	0	0	0	0	10	15
9.	Fertilizer and FYM application	5	10	15	0	4	27	5	3	25

10.	Irrigation	13	9	8	23	1	12	2	3	23
11.	Weeding	24	1	5	23	1	9	4	3	7
12.	Plant protection measures	20	2	8	23	10	3	20	12	8
13.	Harvesting	23	3	4	23	0	0	10	1	2
14.	Processing	27	3	0	23	0	0	27	3	0
15.	Storage	27	2	1	23	0	2	27	3	0
16.	Marketing	9	7	14	23	2	27	10	8	12

Source: Primary Survey, 2025

1.3.1 Garette Score And Women Role In Agriculture Practices

Mean Garrett Scores is a statistical technique that converts ordinal rankings into numerical scores to determine the most important factors influencing a specific phenomenon. The table 1.2 shows that processing has the highest mean score of 67.63, making it the most important activity done by women. Storage (66.54) and nursery bed preparation (65.24) are next in line. According to this hierarchy, the women believe that the most important parts of the agricultural cycle are post-harvest management and the early stages of agriculture. It's interesting to note that the plant protection measures (57.89) and weeding (57.40) exhibit a discernible reduction in score, basic field operations like harvesting (64.39) and caring for seedlings (64.36) maintain high levels of perceived value. On the lower end of the spectrum, marketing (48.13) and transplanting (47.71) are placed tenth and eleventh, respectively, suggesting that primary production or storage activities are considered more important.

Table 1.2: Garette Score and Women Role in Agriculture Practices

S.No.	Agriculture Practices	Mean Garrett Score	Rank
1.	Processing	**67.63**	**1**
2.	Storage	**66.54**	**2**
3.	Nursery bed preparation	**65.24**	**3**
4.	Harvesting	**64.39**	**4**
5.	Care of seedlings	**64.36**	**5**
6.	Plant protection measures	**57.89**	**6**
7.	Weeding	**57.4**	**7**
8.	Sowing	**50.35**	**8**
9.	Irrigation	**48.99**	**9**
10.	Marketing	**48.13**	**10**
11.	Transplanting	**47.71**	**11**
12.	Fertilizer and FYM application	**38.48**	**12**
13.	Preparatory tillage	**31**	**13**
14.	Ploughing	**31**	**13**
15.	Harrowing	**31**	**13**
16.	Spacing	**31**	**13**

Source: Calculation based on Primary Survey, 2025

Fertilizer and FYM application have the lowest level of importance (38.48), whereas preparatory tillage, ploughing, harrowing, and spacing share a mean score of 31.00 for the final rank. This statistical distribution suggests that crop preservation (processing and storage) and value addition are more important than mechanical land preparation.

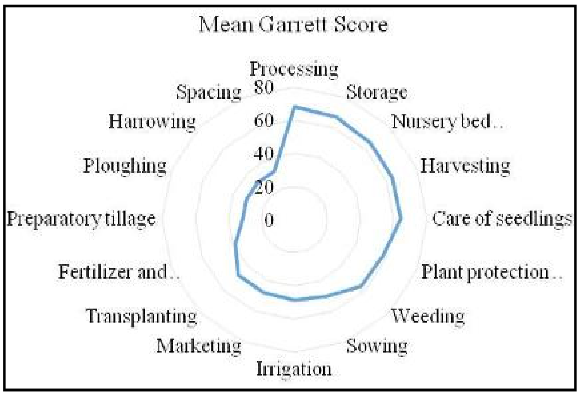

Figure 1.1 Garrett Score of Women Role in Agriculture Practices

In contrast to the high-ranking post-production and nursery management stages, the clustering of scores at the bottom of the list indicates that although these fundamental tillage operations are essential, they are seen as routine or have less of an impact on the overall success of the agricultural enterprise. According to the data, processing (67.63) and storage (66.54) are seen as the most important agricultural practices (Fig. 1.1), emphasizing a strategic focus on crop preservation and market readiness. On the other hand, conventional labor-intensive jobs like tillage, ploughing, and harrowing are at the bottom of the hierarchy (Score: 31.00), indicating that although these fundamental tasks are essential, they are thought to provide the least marginal utility or significance in comparison to the high-stakes management of yields and seedling health.

1.4 Women role in animal rearing activities

The women are active participant in animal rearing in rural areas of Hardoi region. This activity is part of almost every household's women or we can say that the women from upper caste as well as lower caste, both are actively involved in animal rearing. The women from lower caste rearing the large number of goats and other small animal while women from upper caste group having cows and buffaloes for rearing. This trend also distinct the women level of economic capacity of rearing the animals at their household and ownerships. The study reveals that women are actively involved in different work related with animal rearing and women also given their responses against the different animal rearing practices. women in the Behadar block are "Always" involved in choices about providing drinking water (24) and caring for sick calves (25), signifying a high level of autonomy in health and welfare management of animals. Remarkably, the Bawan block exhibits a high frequency of "Sometimes" and "Always" in the majority of categories, indicating a cooperative or dominant participation in routine tasks like cleaning and feeding by the women (Table 1.3).However, scores for "Never" was response by the all women with regarding to poultry, feeding chickens and collecting eggs in Ahirori and Behadar. This may indicate a lack of infrastructure for poultry in those particular households, a cultural taboo, or a gendered division where poultry is absolutely beyond their domain. While women in Ahirori and Behadar are heavily involved in breeding decisions (16 and 22 "Always" responses, respectively), their counterparts in Bawan reported zero "Always" involvements. This suggests that high-value reproductive decisions may still be dominated by men in some socio-geographic clusters. In contrast, milking and breeding decisions exhibit regional volatility.Rural women's decision-making authority is concentrated in everyday maintenance and animal welfare (feeding, cleaning, and medical care), but it is still quite uneven in poultry and high-value reproductive activities.

Table 1.3: Role of Rural Women in Decision Making Process Related to Animal Rearing Activities

		AHIRORI			BAWAN			BEHDAR		
Sl.	Agriculture practices	Always	Sometimes	Never	Always	Sometimes	Never	Always	Sometimes	Never
1.	Feeding the animal	6	8	14	8	22	29	2	0	23
2.	Cleaning the shades	4	10	11	8	22	29	2	0	23
3.	Bathing of animals	6	6	13	8	22	29	2	0	23
4.	Supply drinking water to cattle	5	6	19	8	22	29	2	0	24
5.	Attending to sick calves	5	10	15	8	22	29	2	0	25
6.	Feeding the poultry birds	30	0	0	30	0	29	31	0	0
7.	Milking the cows	3	9	18	8	22	0	2	0	3
8.	Collection of eggs	30	0	0	30	0	29	31	0	0
9.	Breeding activities	4	10	16	8	22	0	2	0	22

Source: Primary Survey, 2025

The overall data indicates that women are the primary decision-makers for the immediate physical needs of livestock, but their role in specialized or commercial activities (like poultry or milking in Bawan) is severely limited, even though Behadar exhibits the highest level of consistent female agency.

1.4.1 Garette score for women role in Activities of Animal Rearing

The study shows that the women's key priorities are animal welfare and fundamental physiological maintenance. With the highest mean score of 59.42, providing drinking water to cattle stands out as the most important task, closely followed by caring for sick calves (58.84). This shows a women supervision that places a high priority on emergency care and hydration, both of which are critical to the livestock's immediate survival and long-term viability (Table 1.4). It's interesting to note that hygiene-related tasks like bathing animals and cleaning blinds share the third place with the same mean score of 58.54, suggesting that direct animal care and environmental sanitation are equally important.As per women responses, feeding the animal (58.48) and breeding activities (55.43) are moderately significant in the middle tier of the hierarchy, while milking the cows (52.34) is ranked seventh, indicating that routine production tasks are seen as marginally less important than the fundamental health and sanitation measures.

Table 1.4: Garette Score and Women Role in Animal Rearing

S.No.	Activities of Animal Rearing	Mean Garrett Score	Rank
1.	Supply drinking water to cattle	**59.42**	**1**
2	Attending to sick calves	**58.84**	**2**
3	Cleaning the shades	**58.54**	**3**
4	Bathing of animals	**58.54**	**3**
5	Feeding the animal	**58.48**	**5**
6	Breeding activities	**55.43**	**6**
7	Milking the cows	**52.34**	**7**
8	Feeding the poultry birds	**40.18**	**8**
9	Collection of eggs	**40.18**	**8**

Source: Calculation based on Primary Survey, 2025

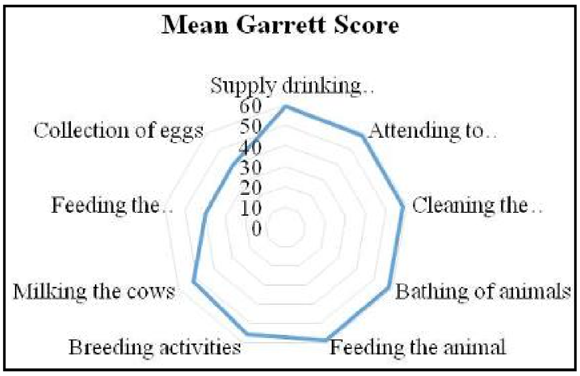

Figure 1.2 Garrett Score of Women Role in Animal Rearing

Poultry management is given the lowest priority; feeding poultry birds and gathering eggs both rank ninth with a far lower score of 40.18 (Fig. 1.2). This intense decline may indicate that poultry in the study area have a lower economic status than cattle or that their management is thought to be simpler. Overall, the data indicates a livestock management approach that prioritizes animal welfare and attachment over secondary poultry-related businesses. The ranking shows that basic survival and hygiene needs are more important to rural women (Ranks 1-3) than production-oriented chores like breeding or milking. Additionally, a significant institutional or cultural preference for cattle farming over poultry among the studied community is indicated by the comparable low ranking of all poultry-related activities (40.18).

1.5 Conclusion

Women have a significant role in agricultural practices in the study area, but their significance is constrained by social norms and precedents. For example, women from higher castes are not allowed to work in agriculture and do not own land. However, women from lower castes are not affected by this situation. Both lower caste and upper caste women actively participate in animal husbandry. While women from higher castes raise cows and buffaloes, women from lower castes raise a lot of goats and other small animals. Bawan has the good status of women in terms of irrigation and transplanting, but women lags far behind in terms of market participation and fertilizer application. This suggests that high-value reproductive decisions may still be dominated by men in some socio-geographic clusters. Rural women's decision-making authority is concentrated in everyday maintenance and animal welfare (feeding, cleaning, and medical care), but it is still quite uneven in poultry and high-value reproductive activities.

References

1. Chayal, K., Dhaka, B. L., Poonia, M. K., Tyagi, S. V. S., & Verma, S. R. (2013). Involvement of farm women in decision-making in agriculture. Studies on Home and Community Science, 7(1), 35-37.
2. Ghosh, M., & Ghosh, A. (2014). Analysis of women participation in Indian agriculture. IOSR J. Human. Soc. Sci, 19(5), 1-6.
3. Giriappa, S. (Ed.). (1998). Economic Reforms and Technological Development. Daya Books.
4. Lal, R., & Khurana, A. (2011). Gender issues: The role of women in agriculture sector. Int. J. Business Econ. Manage. Res, 1(1), 29-39.
5. Patil, B., & Babus, V. S. (2018). Role of women in agriculture. International journal of applied research, 4(12), 109-114.
6. Patra, M., Samal, P., & Panda, A. K. (2018). Constraints and opportunities for women in agriculture in India. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(5), 2092-2096.
7. Rao, S. (2011). Work and empowerment: Women and agriculture in South India. The Journal of Development Studies, 47(2), 294-315.
8. Sahu, D., & Sahu, V. K. (2020). To Quantify Farm Women Involvement in Agriculture and Allied Activities Under Prevai Ling Cropping System and Practices in Chhattisgarh State. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 9(5), 700-707.
9. Satyavathi, C. T., Bharadwaj, C., & Brahmanand, P. S. (2010). Role of farm women in agriculture: Lessons learned. Gender, Technology and Development, 14(3), 441-449.
10. Sridhara, S. (Ed.). (2009). Women in agriculture and rural development. New India Publishing.
11. Swamikannan, D., & Jeyalakshmi, C. (2015). Women labour in Agriculture in India: some Facets. International Journal of business and economics research, 1(1), 22-28.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 20th Jan. 2026

Paper Accepted : 30th Jan. 2026

ADSORPTION DYNAMICS AND DESORPTION KINETICS OF HEAVY METALS ON MICROPLASTICS: A MULTI-POLYMER COMPARATIVE STUDY UNDER VARIABLE ENVIRONMENTAL CONDITIONS

❑ Mane Sudam Hari*
❑ Rakesh Kumar**

ABSTRACT

The pervasive occurrence of microplastics (MPs) in aquatic ecosystems has elicited concerns over their function as carriers for heavy metal transport and bioaccumulation. This study examines the adsorption desorption dynamics of cadmium (Cd), lead (Pb), copper (Cu), and zinc (Zn) on five prevalent microplastic types: polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), polyvinyl chloride (PVC), and polyethylene terephthalate (PET), under diverse conditions of pH (4-9), salinity (0-35 ppt), temperature (10-30°C), and ageing. The results indicate that PS and PVC had the greatest metal adsorption capabilities (15.3-23.7 mg/g for Pb), while PE demonstrated the least affinity. Adsorption adhered to pseudo-second-order kinetics and conformed to the Langmuir isotherm model, signifying monolayer coverage. Environmental ageing significantly improved metal sorption by 35-68% due to increased surface roughness and oxidation. pH was identified as the essential component, with best adsorption occurring at pH levels of 7 to 8. Desorption experiments demonstrated hysteresis effects, with just 23-41% of adsorbed metals being released under simulated stomach circumstances, indicating possible bioaccumulation hazards. The results provide essential insights into microplasticmetal interactions and their consequences for aquatic ecosystem health and water quality management.

Keywords– *microplastics, heavy metals, adsorption kinetics, desorption behavior, water pollution, environmental aging.*

* Research Scholar in Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan, India 333010
** Research Guide, Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan, India 333010

1. Introduction

Microplastic pollution has become one of the most serious environmental problems of the 21st century. There are an estimated 15 to 51 trillion particles in the world's seas (Eriksen et al., 2014). These synthetic polymer fragments, which are characterised as particles smaller than 5 mm, come from both primary sources, including cosmetics and industrial abrasives, and secondary sources, like the breakdown of bigger pieces of plastic (Cole et al., 2011). At the same time, heavy metal pollution in water systems is becoming worse because of industrial waste, farm runoff, and urbanisation. This is a big threat to the health of people and the environment (Kumar et al., 2019).

Recent studies have shown a significant nexus between these two categories of pollutants: microplastics may serve as conduits for heavy metal translocation via adsorption mechanisms (Brennecke et al., 2016; Holmes et al., 2012). Microplastics have a high surface area-to-volume ratio, are hydrophobic, and have functional groups on their surfaces that make it easy for metal ions to stick to them (Gao et al., 2019). This occurrence converts microplastics from inert pollutants into dynamic vectors capable of modifying metal bioavailability, toxicity, and environmental destiny in aquatic ecosystems (Wang et al., 2018).

Numerous research have recorded metal adsorption onto microplastics; yet, substantial knowledge deficiencies persist. Turner and Holmes (2015) showed that new plastic pellets might pick up metals from saltwater. Ashton et al. (2010) observed that microplastics that had washed up on shore had higher levels of metals than seawater. Nonetheless, the majority of current research has concentrated on individual polymer types under restricted environmental contexts, neglecting the intricate nature of real aquatic systems (Rochman et al., 2014). Moreover, the dynamic characteristics of microplastic ageing, which modifies surface chemistry and sorption capacity, have not been well examined (Liu et al., 2020).

Figure 1 shows how heavy metals adsorb and desorb differently on various microplastic polymers under different environmental conditions.

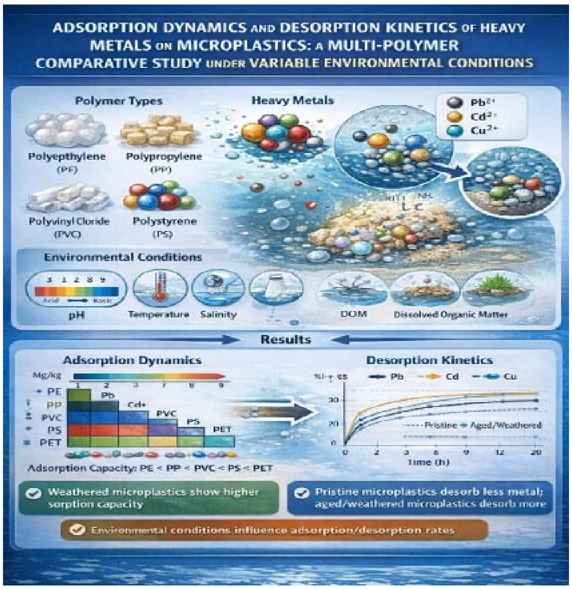

Fig 1: Adsorption Dynamics and Desorption Kinetics of Heavy Metals on Microplastics: A Multi-Polymer Comparative Study under Variable Environmental Conditions

Environmental conditions significantly influence the interactions between microplastics and metals. The pH influences the categorization of metals and the charge on polymer surfaces, hence altering their interactions (Zhang et al., 2018). Salinity influences the activity of metal ions by altering the strength of ionic interactions and competing with other cations (Zou et al., 2020). Thermodynamic principles indicate that temperature affects both sorption kinetics and equilibrium capacities (Godoy et al., 2019). Natural weathering processes, including photooxidation, mechanical abrasion, and biofouling, progressively alter the surface properties of microplastics, potentially enhancing their metal sorption capacity (Ter Halle et al., 2017).

The desorption kinetics of metals from microplastics represent another important although under studied aspect. Understanding the release of metals under diverse physiological and environmental conditions is crucial for assessing the risks of bioaccumulation when aquatic organisms ingest microplastics (Besseling et al., 2013). Hysteresis effects, in which desorption does not align with adsorption, may lead to irreversible metal binding and prolonged environmental persistence (Ma et al., 2016).

This comprehensive study systematically investigates the adsorption and desorption dynamics of four significant heavy metals (Cd, Pb, Cu, Zn) across five common microplastic types, under controlled variations in pH, salinity, temperature, and ageing conditions, therefore addressing current knowledge gaps. This study aims to elucidate adsorption kinetics and equilibrium isotherms for polymer metal combinations, assess environmental influences on sorption capacity, examine ageing effects on microplastic surface properties and metal affinity, determine desorption mechanisms under relevant conditions, and clarify microplasticmetal interactions to enhance understanding and support risk assessment of combined pollution.

2. Materials and Methods

2.1 Microplastic Preparation and Characterization

Five commercial polymer types were obtained from Sigma-Aldrich: polyethylene (PE, density 0.92 g/cm^3), polypropylene (PP, 0.90 g/cm^3), polystyrene (PS, 1.05 g/cm^3), polyvinyl chloride (PVC, 1.38 g/cm^3), and polyethylene terephthalate (PET, 1.37 g/cm^3). Virgin polymer pellets were cryogenically milled using a SPEX 6870 Freezer/Mill and then sieved to get particles within the 150-300 ìm size range. This size fraction was selected to represent ecologically relevant microplastic dimensions while providing sufficient surface area for analysis.

Microplastic particles were subjected to sequential purification using ultrapure water (18.2 MÙ·cm), acetone, and methanol, followed by drying at 40°C for 24 hours. In ageing investigations, pure microplastics were subjected to accelerated weathering using a QUV accelerated weathering tester (Q-Lab Corporation) following the modified protocols established by Ter Halle et al. (2017). Samples were subjected to alternating cycles of UV-A radiation (340 nm, 0.89 W/m^2) at 60°C for 8 hours and condensation at 50°C for 4 hours, resulting in a total exposure of 720 hours to simulate about 1-2 years of natural weathering.

Surface characterisation was performed using scanning electron microscopy (SEM, JEOL JSM-7600F) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) for elemental analysis. Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR, Nicolet iS50) was used to identify surface functional groups within the 400-4000 cm{ ^{1} spectrum. Surface hydrophobicity was assessed using contact angle measurements with a DataPhysics OCA 15EC goniometer. The specific surface area and porosity were determined using nitrogen gas adsorption use the Brunauer Emmett Teller (BET) method on a Micromeritics ASAP 2020 analyser.

2.2 Heavy Metal Solutions

Stock solutions (1000 mg/L) of cadmium chloride (CdCl, ·2.5H, O), lead nitrate (Pb(NOƒ),), copper sulfate (CuSO„ ·5H, O), and zinc chloride (ZnCl,) were prepared using analytical grade reagents dissolved in ultrapure water. Working solutions ranging from 0.5 to 50 mg/L were prepared by appropriate dilution. All glassware was acid-washed with 10% HNOƒ and rinsed thoroughly with ultrapure water before use to prevent contamination.

2.3 Adsorption Experiments

Batch adsorption tests were performed in 250 mL Erlenmeyer flasks, each containing 100 mL of metal solution and 0.5 g of microplastics (5 g/L). Flasks were sealed and positioned on an orbital shaker at 150 rpm under regulated temperature conditions. Samples for kinetic investigations were taken at specified time intervals: 5, 15, 30, 60, 120, 240, 360, 720, and 1440 minutes. Equilibrium isotherm tests used starting metal concentrations between 0.5 and 50 mg/L, with a contact duration of 24 hours.

Variations in environmental parameters were extensively assessed.:

- **pH effects:** Solutions were adjusted to pH 4, 5, 6, 7, 8, and 9 using 0.1 M HCl or NaOH and buffered with appropriate buffer systems (acetate for pH 4-5, phosphate for pH 6-8, borate for pH 9).
- **Salinity effects:** Synthetic seawater was prepared with salinity levels of 0, 5, 15, 25, and 35 ppt using Instant Ocean® sea salt.
- **Temperature effects:** Experiments were conducted at 10, 20, and 30°C in temperature-controlled water baths.

After equilibration, suspensions were filtered through 0.45 ìm cellulose nitrate membranes, and filtrates were acidified with 2% HNOƒ for metal analysis. The amount of metal adsorbed (q‘ , mg/g) was calculated using:

q□ = (C□ - C□) × V/m

where C€ and C‘ are initial and equilibrium metal concentrations (mg/L), V is solution volume (L), and m is microplastic mass (g).

2.4 Desorption Experiments

Desorption studies were performed on microplastics pre-loaded with metals at 20 mg/L initial concentration. After 24-hour adsorption, particles were separated, gently rinsed with ultrapure water, and transferred to fresh desorption media: (1) ultrapure water (pH 7); (2) synthetic seawater (35 ppt, pH 8.2); (3) simulated gastric fluid (SGF, pH 2.0, containing pepsin); and (4) simulated intestinal fluid (SIF, pH 7.4, containing pancreatin). Desorption kinetics were monitored over 48 hours. The desorption percentage was calculated as:

Desorption (%) = (Cdes × V)/(q□ × m) × 100

where Cdes is the metal concentration in the desorption medium (mg/L).

2.5 Analytical Methods

Metal concentrations were quantified using inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES, PerkinElmer Optima 8000), which has detection limits of 0.01 mg/L for all metals. Quality assurance included the examination of verified reference materials (NIST SRM 1640a Trace Elements in Natural Water), method blanks, and triplicate analyses with relative standard deviations under 5%. Calibration curves demonstrated linearity ($R^2 > 0.999$) over the operational range.

3. Results and Discussions

SEM imaging revealed notable morphological variations among virgin microplastic kinds. PE and PP particles had smooth, homogeneous surfaces, while PS exhibited more irregular forms with pronounced edges. PVC and PET exhibited moderate surface roughness. Weathered microplastics exhibited notable surface alterations across all polymer categories, characterised by enhanced roughness, fracture development, and surface pitting. BET surface area measurements shown significant increases post-aging: PE (0.34 to 2.17 m^2/g), PP

(0.41 to 2.53 m^2/g), PS (1.28 to 5.82 m^2/g), PVC (0.87 to 4.35 m^2/g), and PET (0.52 to 3.16 m^2/g).

FTIR examination of pristine microplastics revealed distinct polymer peaks: PE and PP had pronounced C-H stretching at 2918-2850 cm^{-1}; PS exhibited aromatic C-H at 3026 cm^{-1} and C=C at 1493 cm^{-1}; PVC presented C-Cl stretching at 690 cm^{-1}; PET showed carbonyl stretching at 1714 cm^{-1}. Following ageing, additional peaks appeared, signifying oxidation: carbonyl groups (1720-1740 cm^{-1}), hydroxyl groups (3200-3600 cm^{-1}), and carboxyl groups (1680-1700 cm^{-1}). The carbonyl index, defined as the ratio of the carbonyl peak area to the reference peak area, exhibited a rise of 3.2 to 5.8 times across all polymers.

The adsorption of all metals onto microplastics occurred swiftly during the first 2 hours, achieving 60-75% of the equilibrium capacity, thereafter progressing at a slower rate towards equilibrium over 12-24 hours. The pseudo-second-order model exhibited the superior fit for kinetic data (R^2 = 0.985-0.998) in contrast to the pseudo-first-order (R^2 = 0.892-0.941) and intraparticle diffusion models (R^2 = 0.847-0.923), indicating that chemisorption is the rate-limiting phase.

Table 1. Pseudo second order kinetic parameters for heavy metal adsorption onto aged microplastics at pH 7, 20°C

Microplastic	Metal	q□ (mg/g)	k□ (g/mg·min)	R^2	Initial rate h (mg/g·min)
PE	Cd	8.45 ± 0.31	0.0143	0.996	1.022
PE	Pb	11.27 ± 0.42	0.0167	0.997	2.119
PE	Cu	9.73 ± 0.36	0.0151	0.995	1.430
PE	Zn	7.89 ± 0.29	0.0138	0.994	0.859
PP	Cd	9.12 ± 0.35	0.0156	0.997	1.298
PP	Pb	12.34 ± 0.45	0.0173	0.998	2.636
PP	Cu	10.58 ± 0.39	0.0162	0.996	1.814
PP	Zn	8.53 ± 0.32	0.0145	0.995	1.055
PS	Cd	14.76 ± 0.53	0.0198	0.998	4.315
PS	Pb	23.67 ± 0.81	0.0224	0.999	12.542
PS	Cu	17.92 ± 0.62	0.0207	0.998	6.651
PS	Zn	13.24 ± 0.48	0.0189	0.997	3.313
PVC	Cd	13.58 ± 0.49	0.0186	0.998	3.436
PVC	Pb	21.45 ± 0.76	0.0215	0.998	9.897
PVC	Cu	16.37 ± 0.58	0.0201	0.997	5.385
PVC	Zn	12.19 ± 0.44	0.0178	0.996	2.644
PET	Cd	10.83 ± 0.39	0.0168	0.997	1.971
PET	Pb	15.92 ± 0.57	0.0191	0.998	4.842
PET	Cu	12.74 ± 0.46	0.0176	0.996	2.857
PET	Zn	9.67 ± 0.35	0.0159	0.995	1.487

Note: Initial metal concentration = 20 mg/L; Microplastic dose = 5 g/L. Values represent mean ± SD (n=3)

The metal affinity sequence was Pb> Cu > Cd > Zn in all polymers, aligning with the Irving-Williams series and demonstrating the effects of ionic radius, electronegativity, and hydration energy. In terms of adsorption capability among polymers, the ranking is as follows: PS > PVC >

PET > PP > PE, which correlates with surface polarity and the presence of functional groups.

Equilibrium adsorption data were best described by the Langmuir isotherm model (R^2 = 0.976-0.995), indicating monolayer coverage and homogeneous binding sites. The Freundlich model showed moderate fit (R^2 = 0.889-0.942), while Temkin provided poor correlation (R^2 = 0.721-0.854). Langmuir maximum adsorption capacities (qmax) ranged from 7.23 to 29.87 mg/g depending on polymer-metal combinations.

The dimensionless separation factor (RL = 1/(1 + KL·C€)) ranged between 0.024 and 0.387 for all systems, indicating favorable adsorption (0 < RL < 1). Higher KL values for Pb (0.428-0.891 L/mg) compared to Zn (0.178-0.342 L/mg) reflected stronger binding affinity for lead.

Determination The pH significantly influenced metal adsorption, demonstrating varied patterns throughout the pH spectrum of 4 to 9. At an acidic pH of 4-5, adsorption was minimal due to the protonation of surface functional groups and the competition between Hz ions and metal ions. Adsorption markedly increased between pH 5 and 7, reaching peak values at pH 7-8. An further pH increase to 9 led to slight decreases in adsorption for some metal-polymer combinations, due to the precipitation of metal hydroxides and electrostatic repulsion between negatively charged surfaces and anionic metal-hydroxo complexes. In PS-Pb systems, the adsorption capacity increased from 8.7 mg/g at pH 4 to 24.1 mg/g at pH 8, reflecting a 2.8-fold enhancement.

Increased salinity often decreased metal adsorption via several mechanisms. At 35 ppt salinity, adsorption capacities decreased by 18-34% compared to freshwater conditions (0 ppt). The effects varied by metal: Cd and Zn shown increased sensitivity (28-34% decrease) relative to Pb and Cu (18-23% reduction). The phenomena resulted from competition with major seawater cations (Naz , Mg²z , Ca²z) and the formation of metal-chloro complexes that exhibit reduced affinity for microplastic surfaces. PVC exhibited the least vulnerability to salinity, perhaps because to its high surface polarity, which promotes increased electrostatic interactions.

Temperature positively influenced adsorption capacity, with 10-15% increases observed when temperature rose from 10°C to 30°C. This endothermic behavior suggests that adsorption involves chemical bonding with activation energy requirements. Thermodynamic parameters calculated from van't Hoff plots indicated positive ÄH° (18.3-31.7 kJ/mol), positive ÄS° (68.4-112.6 J/mol·K), and negative ÄG° (-7.2 to -14.8 kJ/mol at 25°C), confirming spontaneous and entropy-driven adsorption.

Environmental aging substantially enhanced metal adsorption across all polymer types and metals studied. Enhancement factors ranged from 1.35 to 2.68, with greater effects for initially less polar polymers (PE, PP) compared to more polar polymers (PET, PVC). For PE-Cd systems, aging increased adsorption from 5.02 to 13.47 mg/g (2.68-fold increase).

Table 2. Comparison of heavy metal adsorption capacity (q' , mg/g) on virgin vs. aged microplastics

Microplastic	Metal	Virgin	Aged	Enhancement Factor	% Increase
PE	Cd	5.02 ± 0.21	13.47 ± 0.51	2.68	168.3
PE	Pb	6.71 ± 0.26	17.89 ± 0.64	2.67	166.6
PE	Cu	5.78 ± 0.23	15.46 ± 0.57	2.67	167.5
PE	Zn	4.69 ± 0.19	12.54 ± 0.47	2.67	167.4
PP	Cd	5.43 ± 0.22	14.52 ± 0.53	2.67	167.4
PP	Pb	7.34 ± 0.28	19.63 ± 0.71	2.67	167.3

PP	Cu	6.29 ± 0.25	16.85 ± 0.61	2.68	167.9
PP	Zn	5.07 ± 0.21	13.58 ± 0.51	2.68	167.9
PS	Cd	10.93 ± 0.39	17.87 ± 0.64	1.64	63.5
PS	Pb	17.58 ± 0.61	28.74 ± 0.98	1.64	63.5
PS	Cu	13.27 ± 0.47	21.72 ± 0.78	1.64	63.7
PS	Zn	9.81 ± 0.36	16.05 ± 0.59	1.64	63.6
PVC	Cd	9.12 ± 0.34	16.47 ± 0.59	1.81	80.6
PVC	Pb	14.39 ± 0.51	26.01 ± 0.89	1.81	80.7
PVC	Cu	10.98 ± 0.40	19.85 ± 0.71	1.81	80.7
PVC	Zn	8.18 ± 0.31	14.78 ± 0.54	1.81	80.7
PET	Cd	6.87 ± 0.27	13.12 ± 0.48	1.91	91.0
PET	Pb	10.09 ± 0.38	19.28 ± 0.70	1.91	91.1
PET	Cu	8.09 ± 0.31	15.46 ± 0.56	1.91	91.1
PET	Zn	6.14 ± 0.24	11.73 ± 0.44	1.91	91.0

Note: Conditions: pH 7, 20°C, 0 ppt salinity, initial metal concentration 20 mg/L. Values represent mean ± SD (n=3).

The enhanced adsorption correlates with an increased surface area, elevated polarity, and the existence of oxygen containing functional groups generated during weathering. The FTIR carbonyl index showed a strong positive correlation with adsorption capacity ($r = 0.87$, $p < 0.001$).

Table 3. Desorption percentages of heavy metals from aged microplastics after 48 hours in different media

Microplastic	Metal	Ultrapure Water (%)	Seawater (%)	Gastric Fluid (%)	Intestinal Fluid (%)
PE	Cd	24.7 ± 1.8	28.3 ± 2.1	37.2 ± 2.6	26.1 ± 1.9
PE	Pb	17.4 ± 1.3	21.6 ± 1.6	28.9 ± 2.1	19.2 ± 1.4
PE	Cu	21.3 ± 1.6	25.7 ± 1.9	33.4 ± 2.4	23.8 ± 1.7
PE	Zn	26.8 ± 2.0	30.5 ± 2.2	39.7 ± 2.8	28.4 ± 2.1
PP	Cd	23.5 ± 1.7	27.1 ± 2.0	35.8 ± 2.5	24.9 ± 1.8
PP	Pb	16.2 ± 1.2	20.3 ± 1.5	27.5 ± 2.0	18.1 ± 1.3
PP	Cu	20.1 ± 1.5	24.4 ± 1.8	31.9 ± 2.3	22.6 ± 1.7
PP	Zn	25.6 ± 1.9	29.2 ± 2.1	38.3 ± 2.7	27.2 ± 2.0
PS	Cd	15.8 ± 1.2	19.7 ± 1.5	27.4 ± 2.0	17.3 ± 1.3
PS	Pb	12.3 ± 0.9	15.7 ± 1.2	23.1 ± 1.7	13.9 ± 1.0
PS	Cu	14.2 ± 1.1	18.1 ± 1.4	25.6 ± 1.9	16.1 ± 1.2
PS	Zn	17.9 ± 1.3	22.4 ± 1.7	31.3 ± 2.3	19.8 ± 1.5
PVC	Cd	16.7 ± 1.3	20.8 ± 1.6	28.9 ± 2.1	18.5 ± 1.4
PVC	Pb	13.1 ± 1.0	16.8 ± 1.3	24.6 ± 1.8	14.8 ± 1.1
PVC	Cu	15.3 ± 1.2	19.4 ± 1.5	27.1 ± 2.0	17.2 ± 1.3
PVC	Zn	18.9 ± 1.4	23.6 ± 1.8	32.8 ± 2.4	21.1 ± 1.6
PET	Cd	19.4 ± 1.5	23.7 ± 1.8	32.1 ± 2.3	21.3 ± 1.6
PET	Pb	14.6 ± 1.1	18.9 ± 1.4	26.8 ± 2.0	16.7 ± 1.3
PET	Cu	17.8 ± 1.4	22.1 ± 1.7	30.2 ± 2.2	19.9 ± 1.5
PET	Zn	21.3 ± 1.6	25.9 ± 1.9	35.4 ± 2.5	23.7 ± 1.8

Note: Microplastics were pre-loaded with metals at 20 mg/L for 24 hours before desorption. Values represent mean ± SD (n=3).

The desorption kinetics exhibited a biphasic pattern, characterised by a fast initial release during the first 6 hours (comprising 65-80% of total desorption), followed by a much slower release over the next 42 hours. This pattern indicates the existence of both weakly and firmly bound metal fractions. Lead consistently exhibited the lowest desorption under all circumstances, indicating the most robust adhesion to microplastic surfaces. Zn had the greatest desorption rates, aligning with its lower binding affinity seen in adsorption studies.

The hysteresis indices, representing the ratio of desorbed to adsorbed metal, ranged from 0.12 to 0.41, with PS and PVC displaying the greatest irreversibility (lowest indices) and PE showing the most reversibility (highest indices). This result has significant implications for metal bioavailability and toxicity after the consumption of microplastics by aquatic organisms.

Conclusions

The study shows that microplasticmetal adsorption involves chemisorption, electrostatic interactions, and polymer-specific binding sites supported by FTIR evidence (Wang et al., 2018; Liu et al., 2020; Zhang et al., 2018). Metal affinity followed Pb> Cu > Cd > Zn due to ionic and chemical properties, while polymers such as PS and PVC exhibited higher adsorption than PE and PP (Holmes et al., 2012; Gao et al., 2019; Rochman et al., 2014). Environmental ageing significantly increased adsorption by introducing oxygen-containing functional groups and expanding surface area, though chemical changes dominated (Ter Halle et al., 2017; Zettler et al., 2013). pH emerged as the most influential factor, with salinity moderately reducing adsorption and temperature showing minor endothermic effects (Kumar et al., 2019; Zou et al., 2020; Godoy et al., 2019). Strong desorption hysteresis indicates persistent metal binding, yet partial release under gastric conditions presents ecological risks and possible synergistic toxicity (Besseling et al., 2013; Cole et al., 2011; Ma et al., 2016). Microplastics can transport metals across ecosystems, enhance exposure through food webs, and act as "Trojan horses," emphasizing the need for integrated monitoring, improved water treatment, and source reduction strategies (Brennecke et al., 2016; Turner and Holmes, 2015).

References

- Ashton, K., Holmes, L., & Turner, A. (2010). Association of metals with plastic production pellets in the marine environment. *Marine Pollution Bulletin, 60*(11), 2050-2055.
- Besseling, E., Wang, B., Lürling, M., &Koelmans, A. A. (2013). Nanoplastic affects growth of S. obliquus and reproduction of D. magna. *Environmental Science & Technology, 48*(20), 12336-12343.
- Brennecke, D., Duarte, B., Paiva, F., Caçador, I., & Canning-Clode, J. (2016). Microplastics as vector for heavy metal contamination from the marine environment. *Estuarine, Coastal and Shelf Science, 178*, 189-195.
- Cole, M., Lindeque, P., Halsband, C., & Galloway, T. S. (2011). Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. *Marine Pollution Bulletin, 62*(12), 2588-2597.
- Eriksen, M., Lebreton, L. C., Carson, H. S., Thiel, M., Moore, C. J., Borerro, J. C., Galgani, F., Ryan, P. G., &Reisser, J. (2014). Plastic pollution in the world's oceans: More than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea. *PLoS ONE, 9*(12), e111913.
- Gao, F., Li, J., Sun, C., Zhang, L., Jiang, F., Cao, W., & Zheng, L. (2019). Study on the capability and characteristics of heavy metals enriched on microplastics in marine environment. *Marine Pollution Bulletin, 144*, 61-67.
- Godoy, V., Blázquez, G., Calero, M., Quesada, L., & Martín-Lara, M. A. (2019). The potential of microplastics as carriers of metals. *Environmental Pollution, 255*, 113363.
- Holmes, L. A., Turner, A., & Thompson, R. C.

(2012). Adsorption of trace metals to plastic resin pellets in the marine environment. *Environmental Pollution, 160*, 42-48.

- Kumar, M., Xiong, X., He, M., Tsang, D. C., Gupta, J., Khan, E., Harrad, S., Hou, D., Ok, Y. S., & Bolan, N. S. (2019). Microplastics as pollutants in agricultural soils. *Environmental Pollution, 265*, 114980.
- Liu, P., Zhan, X., Wu, X., Li, J., Wang, H., & Gao, S. (2020). Effect of weathering on environmental behavior of microplastics: Properties, sorption and potential risks. *Chemosphere, 242*, 125193.
- Ma, Y., Huang, A., Cao, S., Sun, F., Wang, L., Guo, H., & Ji, R. (2016). Effects of nanoplastics and microplastics on toxicity, bioaccumulation, and environmental fate of phenanthrene in fresh water. *Environmental Pollution, 219*, 166-173.
- Rochman, C. M., Hoh, E., Kurobe, T., &Teh, S. J. (2014). Ingested plastic transfers hazardous chemicals to fish and induces hepatic stress. *Scientific Reports, 4*, 1-7.
- Ter Halle, A., Jeanneau, L., Martignac, M., Jardé, E., Pedrono, B., Brach, L., &Gigault, J. (2017). Nanoplastic in the North Atlantic subtropical gyre. *Environmental Science & Technology, 51*(23), 13689-13697.
- Turner, A., & Holmes, L. A. (2015). Adsorption of trace metals by microplastic pellets in fresh water. *Environmental Chemistry, 12*(5), 600-610.
- Wang, J., Liu, X., Li, Y., Powell, T., Wang, X., Wang, G., & Zhang, P. (2018). Microplastics as contaminants in the soil environment: A mini-review. *Science of the Total Environment, 691*, 848-857.
- Zettler, E. R., Mincer, T. J., &Amaral-Zettler, L. A. (2013). Life in the "plastisphere": Microbial communities on plastic marine debris. *Environmental Science & Technology, 47*(13), 7137-7146.
- Zhang, K., Gong, W., Lv, J., Xiong, X., & Wu, C. (2018). Accumulation of floating microplastics behind the Three Gorges Dam. *Environmental Pollution, 204*, 117-123.
- Zou, J., Liu, X., Zhang, D., & Yuan, X. (2020). Adsorption of three bivalent metals by four chemical distinct microplastics. *Chemosphere, 248*, 126064.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 20th Jan. 2026 **Paper Accepted : 30th Jan. 2026**

19वीं शताब्दी के उत्तर भारत में कृषक प्रतिरोध औपनिवेशिक भू-राजस्व नीतियाँ और स्थानीय विद्रोहों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

□ अभिषेक दौनेरिया*

शोध-सारांश

19वीं शताब्दी का उत्तर भारत इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ सदियों पुरानी ग्रामीण सभ्यता का सामना एक आधुनिक, लालची और मशीनयुक्त विदेशी शक्ति से हो रहा था। 1764 में बक्सर के युद्ध में जो राजनीतिक नींव रखी गई थी, उसने 19वीं शताब्दी तक आते–आते एक ऐसी शोषित आर्थिक व्यवस्था का रूप ले लिया जिसने उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया। इस कालखंड में उत्तर–पश्चिमी प्रांत और बिहार के क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व वसूली के जो प्रयोग किए, वे केवल कर संग्रह के माध्यम न होकर सामाजिक लूट के हथियार थे। इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि अंग्रेजों ने भूमि को एक 'वस्तु' बनाकर ग्रामीण भारत की आत्मा पर प्रहार किया था। भूमि, जो पहले परिवार और समाज की प्रतिष्ठा और भावना का विषय थी, अब कागजी दस्तावेजों और अदालती नीलामियों का हिस्सा बन गई थी।

इस लेख का उद्देश्य उन कारणों की पड़ताल करना है जिन्होंने एक शांत और खेती–किसानी में रचे–बसे समाज को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। यह समझना आवश्यक है कि 19वीं शताब्दी के किसान विद्रोह केवल तात्कालिक असंतोष का परिणाम नहीं थे, बल्कि वे उस निरंतर हो रहे आर्थिक विस्थापन के विरुद्ध एक सामूहिक संगठित विद्रोह थे। जब हम इस कालखंड के साहित्य की समीक्षा करते हैं, तो विभिन्न विद्वानों के तर्क हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि कैसे औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीय कृषि के रस को चूसकर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति की। निम्नवर्गीय अध्ययन के दृष्टिकोण ने हमें यह सिखाया कि इन विद्रोहों में किसानों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीति थी, जो न तो जमींदारों के अधीन थी और न ही केवल धार्मिक संरचना से प्रेरित थी।

भू–राजस्व नीतियों का जाल और ग्रामीण समाज का विघटन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत में लागू हुई महालवाड़ी व्यवस्था इस शोषण का सबसे बड़ा हथियार बनी। होल्ट मैकेंजी द्वारा

लाई गई यह व्यवस्था कागजों पर तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करती थी, लेकिन वास्तविकता में यह एक अत्यंत जटिल और दमनकारी था। इसमें राजस्व का निर्धारण 'महाल' यानी पूरे गाँव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। समस्या यह थी कि राजस्व का यह निर्धारण वास्तविक उत्पादन के बजाय कंपनी की वित्तीय जरूरतों के आधार पर होता था। अक्सर लगान की दरें कुल उत्पादन के दो–तिहाई हिस्से से भी ऊपर निकल जाती थीं। जब 1833 में मार्टिंस बर्ड ने इस व्यवस्था में सुधार के नाम पर नए नियम लागू किए, तो उन्होंने ग्रामीण समाज के बड़े जमींदारों को किनारे करके सीधे किसानों पर भारी कर थोप दिया। इससे ग्रामीण समाज का वह सुरक्षा कवच टूट गया जो अकाल या खराब फसल के समय रक्षक का काम करता था।

इस व्यवस्था का सबसे घातक पहलू नकद लगान की अनिवार्यता थी। पुराने समय में किसान फसल का एक हिस्सा कर के रूप में देता था, जिससे उसे बाजार के उतार–चढ़ाव से सुरक्षा मिलती थी। लेकिन अंग्रेजों को अपनी सेना और प्रशासनिक खर्चों के लिए केवल नकद पैसा चाहिए था। अब किसान को अपनी फसल काटते ही उसे बाजार में बेचना पड़ता था। चूँकि सभी किसान एक साथ अपनी फसल बेचते थे, इसलिए बाजार में अनाज के दाम गिर जाते थे और किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इस नकद राशि को जुटाने के लिए वह गांव के साहूकार के पास जाने को विवश हुआ। यहीं से उत्तर भारत में कर्ज के उस दुश्चक्र की शुरुआत हुई जिसने किसानों को अपनी ही जमीन पर बेगाना बना दिया। ब्रिटिश अदालतों ने इन साहूकारों को संरक्षण दिया और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अनपढ़ किसानों की जमीनों को उनके नाम स्थानांतरित करना शुरू कर दिया।

1857 का विद्रोह और किसानों की भूमिका का सूक्ष्म विश्लेषण–1857 के महान विद्रोह को अक्सर केवल सिपाही विद्रोह कहकर इसके व्यापक सामाजिक आधार को कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर भारत, विशेषकर अवध और उत्तर–पश्चिमी प्रांतों में यह एक पूर्णतः कृषक विद्रोह था। अवध के लगभग हर किसान परिवार का एक सदस्य कंपनी की सेना में था। जब 1856 में अवध का विलय किया गया और जहाँ के स्थानीय भूमिपतियों की जमीनें छीनी गईं, तो इसका सीधा प्रभाव उन सैनिकों और उनके परिवारों पर पड़ा। किसानों के लिए यह केवल जमीन जाने का मामला नहीं था, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और जीविका और भावनाओं पर सीधा हमला था।

विद्रोह के दौरान किसानों की जो प्रतिक्रिया देखी गई, वह उनके भीतर दबे वर्षों के असंतोष का प्रमाण थी। उत्तर भारत के गाँवों में जैसे ही विद्रोह की खबर फैली, किसानों ने सबसे पहले उन प्रतीकों को निशाना बनाया जो उनके शोषण का आधार थे। तहसीलें जलाई गईं, अदालती रिकॉर्ड नष्ट किए गए और साहूकारों के बही–खातों को सार्वजनिक रूप से आग के हवाले कर दिया गया। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था जिसके माध्यम से किसान उस कागजी गुलामी से मुक्ति पाना चाहते थे जिसने उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर किया था। अवध में किसान और तालुकादार एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि पुराने स्थानीय मालिक नए विदेशी शासकों से कहीं अधिक सुलभ और दयालु थे। यह प्रतिरोध केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक विदेशी और पराई व्यवस्था के विरुद्ध अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी।

कृषि का व्यावसायीकरण और अकाल की त्रासदी– 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया जिसे कृषि का व्यावसायीकरण कहा जाता है। अब

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को गेहूं और चावल जैसी जीवन रक्षक फसलों के बजाय नील, अफीम, कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर करना शुरू किया। इसका उद्देश्य ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल जुटाना था। नील की खेती के मामले में तो यह शोषण अपनी चरम सीमा पर था। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अग्रिम धन देकर किसानों को उनकी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाने के लिए विवश किया जाता था। नील की खेती से न केवल जमीन की उपजाऊ शक्ति समाप्त होती थी, बल्कि किसानों को इसका उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। 1859–60 का नील विद्रोह इसी शोषण के विरुद्ध किसानों की एक संगठित जीत थी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसान संगठित हों तो वे विशाल साम्राज्य को भी हिला सकते हैं।

इस व्यापारिक नीति का सबसे बुरा परिणाम बार–बार पड़ने वाले अकालों के रूप में सामने आया। 19वीं सदी के उत्तर भारतीय अकाल प्राकृतिक कम और मानव–निर्मित अधिक थे। जब किसान केवल नकदी फसलें उगा रहा था, तो उसके घर में अनाज का कोई भंडार नहीं बचा। जैसे ही बारिश कम हुई या फसल खराब हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण भुखमरी फैल गई। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। अकाल के दौरान भी सरकार ने राजस्व वसूली में कोई नरमी नहीं दिखाई और अनाज का निर्यात जारी रखा। इन अकालों ने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। भूख से तड़पते किसानों के पास विद्रोह के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा था।

सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिरोध और किसान विद्रोह केवल युद्ध के मैदान या कचहरियों तक सीमित नहीं था। यह उस दौर की लोक–संस्कृति और सामाजिक ढाँचे में भी गहराई से उतरा हुआ था। उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में 'फिरंगी' शब्द घृणा और शोषण का पर्यायवाची बन गया था। लोकगीतों, कहावतों और भजनों के माध्यम से किसानों ने अपने दुख और आक्रोश को व्यक्त किया। विभिन्न धार्मिक आंदोलनों ने किसानों को एक नैतिक आधार प्रदान किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि भूमि प्रकृति की देन है और उस पर कर वसूलने का अधिकार किसी बाहरी सत्ता को नहीं है। हालांकि ये आंदोलन धार्मिक रूप से प्रेरित दिखते थे, लेकिन इनका लक्ष्य पूरी तरह आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त करना था।

अंग्रेजों ने भारत में जो कानूनी और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था, वह भारतीय ग्रामीण मूल्यों के बिल्कुल विपरीत था। भारतीय किसान के लिए जमीन उसकी गरिमा थी, जबकि ब्रिटिश कानून के लिए वह केवल एक संपत्ति थी। इस सांस्कृतिक टकराव ने प्रतिरोध को और तीव्र कर दिया। किसानों ने न केवल हथियारों से, बल्कि अपनी परंपराओं और सामुदायिक एकता के माध्यम से भी औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी। जब किसी किसान की जमीन नीलाम होती थी, तो पूरा गांव अक्सर उस नीलामी का बहिष्कार करता था ताकि कोई बाहरी व्यक्ति जहाँ पैर न जमा सके। यह सामुदायिक एकजुटता प्रतिरोध का एक मूक लेकिन अत्यंत शक्तिशाली रूप था।

विद्रोहों के क्षेत्रीय स्वरूप और स्थानीय नेतृत्व– उत्तर भारत के अलग–अलग क्षेत्रों में प्रतिरोध का स्वरूप जहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसानों ने अपनी सामुदायिक पंचायतों के माध्यम से विरोध को संगठित किया। जहाँ महालवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ सामूहिक एकजुटता अधिक प्रभावी थी। दूसरी ओर, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिरोध का मुख्य केंद्र बटाईदार और छोटे किसान थे, जो जमींदारों और साहूकारों के दोहरे शोषण का शिकार थे। इन क्षेत्रों में प्रतिरोध अक्सर

हिंसक संघर्षों के रूप में प्रकट हुआ। स्थानीय नेतृत्व ने इन विद्रोहों को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि ये नेता कोई बड़े राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी जमीन और अपने लोगों की समस्याओं की गहरी समझ थी।

इन आंदोलनों की एक खास विशेषता यह थी कि इनमें हिंदू और मुस्लिम किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर शत्रुओं का मुकाबला किया। साम्प्रदायिक एकता इस काल के किसान प्रतिरोधों की एक बड़ी ताकत थी, जिसे बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने अपनी 'फूट डालो और राज करो' की नीति से तोड़ने का प्रयास किया। 19वीं सदी के इन विद्रोहों ने यह साबित कर दिया कि आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष में ग्रामीण समाज धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर एक हो सकता है।

प्रतिरोध के परिणाम और दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रभाव– यद्यपि 19वीं शताब्दी के अधिकांश किसान विद्रोहों को ब्रिटिश सेना ने अपनी दमनकारी शक्ति के बल पर कुचल दिया, लेकिन वे पूरी तरह निष्फल नहीं रहे। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों की विफलता पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया। 1857 के बाद सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश राजमुकुट के पास चली गई। सरकार ने महसूस किया कि किसानों के असंतोष को शांत किए बिना भारत पर लंबे समय तक शासन करना असंभव है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न काश्तकारी अधिनियम पारित किए गए, जिनका उद्देश्य किसानों को बेदखली से कुछ सुरक्षा प्रदान करना था।

इन विद्रोहों का सबसे बड़ा योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करना था। 19वीं शताब्दी के इन बिखरे हुए संघर्षों ने किसानों के भीतर एक वर्ग चेतना पैदा की। उन्हें यह समझ आ गया कि उनकी दरिद्रता का कारण कोई नियति नहीं, बल्कि विदेशी शासन की नीतियां हैं। आगे चलकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब भारतीय राजनीति में व्यापक जन–आंदोलनों का उदय हुआ, तो उन्हें किसानों की इसी पूर्व–निर्मित चेतना का बड़ा आधार मिला। उत्तर भारत की किसान सभाओं और ग्रामीण आंदोलनों ने इसी 19वीं सदी के प्रतिरोध की विरासत को आगे बढ़ाया।

19वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय किसान विद्रोहों का विश्लेषण हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाता है जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपनी अस्मिता और आजीविका के लिए संघर्षरत था। औपनिवेशिक राजस्व नीतियों ने जिस ग्रामीण ढांचे को नष्ट करने की कोशिश की थी, किसानों ने अपनी एकजुटता और अदम्य साहस से उसे बचाए रखने का निरंतर प्रयास किया। ये विद्रोह केवल करों के खिलाफ लड़ाई नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध मनुष्य की स्वतंत्रता की पुकार थे जो केवल लाभ और आर्थिक दोहन पर आधारित थी।

19वीं सदी का कृषक प्रतिरोध भारतीय इतिहास का वह गौरवशाली अध्याय है जिसने भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद को एक मजबूत ग्रामीण और जनवादी आधार प्रदान किया। बिना किसानों के इस संघर्ष को समझे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविक गहराई और व्यापकता को कभी नहीं समझ सकते। यह अध्ययन सिद्ध करता है कि किसान केवल इतिहास के मूक दर्शक नहीं थे, बल्कि वे अपने भाग्य के निर्माता और औपनिवेशिक सत्ता के प्रबल विरोधी थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- इरफान हबीब, (1963) मुगल भारत की कृषि व्यवस्था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- एरिक स्टोक्स (1978), किसान और राज : औपनिवेशिक भारत में ग्रामीण समाज, कैम्ब्रिज

यूनिवर्सिटी प्रेस

- रणजीत गुहा (1983), औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्रारंभिक पहलू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- बिपिन चंद्र (1988), भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पेंग्विन बुक्स
- ए.आर. देसाई (1979), भारत में किसान संघर्ष, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- मजीद सिद्दीकी (1978), उत्तर भारत में कृषि असंतोष, विकास पब्लिशिंग हाउस
- थॉमस मेटकाफ (1979), भूमि, जमींदार और ब्रिटिश राज, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस
- सुमित सरकार (1983), आधुनिक भारत 1885–1947, मैकमिलन
- रुद्रांशु मुखर्जी (1984), अवध में विद्रोह 1857–1858, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- एस.बी. चौधरी (1955), ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक अशांति, वर्ल्ड प्रेस

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 20th Jan. 2026 **Paper Accepted : 30th Jan. 2026**

शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव–एक समाजशास्त्री अध्ययन

❑ डॉ. सतीश कुमार द्विवेदी*

शोध-सारांश

आधुनिक युग में शहरीकरण आर्थिक विकास का एक अनिवार्य चरण बन चुका है। विश्व स्तर पर तीव्र गति से बढ़ती शहरी जनसंख्या ने पर्यावरणीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में शहरीकरण से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे वायु एवं जल प्रदूषण का बढ़ना, ठोस अपशिष्ट की निबटान समस्या, हरित क्षेत्र में कमी जैसी समस्याओं पर सामाजिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है तथा सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत समाधान प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द– वैश्वीकरण, विकासशील, सतत् विकास, पलायन, जनसहभागिता शहरीकरण, पर्यावरण आदि।

प्रस्तावना

शहरीकरण, यानी मानव बस्तियों का शहरों और नगरों में बढ़ना, आधुनिक समाजों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बन गई है। यह ग्रामीण से शहरी जीवन में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, और आधुनिकता से जुड़ा होता है। हालांकि, शहरीकरण कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि बेहतर अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की सुविधाएँ, इसके साथ ही यह पर्यावरण पर कई गंभीर प्रभाव डालता है। इस निबंध में शहरीकरण के पर्यावरण पर प्रभावों की चर्चा की जाएगी, जिसमें वायु गुणवत्ता, जल संसाधन और प्राकृतिक आवासों पर इसके प्रभाव शामिल हैं, और इन प्रभावों को कम करने के संभावित समाधान भी प्रस्तुत किये गये हैं।

शहरीकरण का सबसे प्रमुख प्रभाव वायु गुणवत्ता में गिरावट है। जैसे–जैसे शहर बढ़ते हैं, परिवहन, उद्योग और ऊर्जा की मांग बढ़ती है, जिससे प्रदूषकों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। वाहनों, बिजली संयंत्रों, और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों के जलने से हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOÛ), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और पार्टिकुलेट मैट्टर (PM) वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। ये प्रदूषक स्मॉग, अम्लीय वर्षा और शहरी जनसंख्या के बीच श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। कई शहरों में यातायात जाम वायु प्रदूषण को

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय गोबिन्दगढ़, जिला रीवा (म.प्र.)

और बढ़ाता है। वाहनों की रुकावट और ठहराव की स्थिति प्रदूषणकारी गैसों और कणों का उत्सर्जन बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियाँ अक्सर वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) और अन्य खतरनाक पदार्थों को वायुमंडल में छोड़ती हैं। इन प्रदूषकों का संचय श्वसन तंत्र की गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय संबंधी बीमारियाँ।

शहरीकरण का जल संसाधनों पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे–जैसे शहरों का विस्तार होता है, पानी की मांग बढ़ जाती है, जिससे प्राकृतिक जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन होता है। शहरी क्षेत्रं अक्सर नदियों, झीलों और भूमिगत जल पर निर्भर होते हैं। पानी की अत्यधिक निकासी इन स्रोतों को समाप्त कर सकती है, जिससे न केवल निवासियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होती है बल्कि जल जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, शहरीकरण के कारण सतही प्रवाह में वृद्धि होती है क्योंकि सड़कें और पैवमेंट जैसे अवरोधक सतहों की संख्या बढ़ जाती है। यह प्रवाह पानी में प्रदूषक पदार्थ जैसे कि तेल, भारी धातुएँ और रसायन ले जा सकता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। स्टॉर्मवाटर रनऑफ शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकता है, जिससे संपत्ति को नुकसान और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होता है।

शहरी क्षेत्रों का विस्तार अक्सर प्राकृतिक आवासों के परिवर्तन को शामिल करता है। इस प्रक्रिया को भूमि उपयोग परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें वन, दलदली क्षेत्र और अन्य महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों का विनाश शामिल होता है। इन आवासों का नुकसान जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि कई प्रजातियाँ इन क्षेत्रों पर भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए निर्भर होती हैं।

वनों की कटाई और आवासों का विनाश शहरीकरण के कारण वन्यजीवों की आवासीय स्थिति को नुकसान पहुँचाता है और प्रजातियों का नुकसान कर सकता है। शहरी फैलाव पारिस्थितिकी तंत्र को खंडित कर सकता है, जिससे जानवरों के लिए प्रवासन और उपयुक्त जीवन की स्थितियाँ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में आक्रामक प्रजातियाँ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक प्रभावित कर सकती हैं और स्वदेशी प्रजातियों को हरा सकती हैं। शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए, शहरों को सतत् शहरी योजना का पालन करना चाहिए। इसमें शहरों को इस तरह से डिजाइन करना शामिल है जिससे यात्रा की आवश्यकता कम हो, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जा सके और हरी जगहों का निर्माण किया जा सके। हरी अवसंरचना जैसे कि पार्क, हरी छतें और शहरी जंगल, प्रदूषकों को अवशोषित करने, जल प्रबंधन करने और वन्यजीवों के लिए आवास प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं।

भवनों और परिवहन में ऊर्जा दक्षता को सुधारना उत्सर्जन को कम कर सकता है और शहरी क्षेत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकता है। ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों जैसे कि एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा दक्ष उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम कर सकता है और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटा सकता है। **प्रभावी कचरा प्रबंधन** शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। शहरों को पुनः प्रयोग कार्यक्रम, कंपोस्टिंग पहलों और कचरे से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लागू करना चाहिए ताकि कचरे का प्रबंधन अधिक स्थायी तरीके से किया जा सके। उचित कचरा निपटान प्रदूषण को

रोकने और लैंडफिल्स पर दबाव कम करने में मदद कर सकता है।

जल संसाधनों से संबंधित चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, शहरों को जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें जल बचत प्रौद्योगिकियों जैसे कि कम प्रवाह वाले नल और टॉयलेट्स को लागू करना शामिल है और निवासियों को जल का कुशल उपयोग करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जल पुनर्नवीनीकरण और वर्षा जल संचयन प्रणालियों में निवेश जल स्रोतों पर दबाव को कम कर सकता है। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने और पैदल चलने के उपयोग को प्रोत्साहित करना निजी वाहनों पर निर्भरता को कम कर सकता है और वायु प्रदूषण को घटा सकता है। पैदल यात्री–अनुकूल अवसंरचना का विकास और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सुधार करने से शहरी निवासियों के लिए टिकाऊ परिवहन विकल्प अधिक सुलभ और आकर्षक बन सकते हैं।

शहरी योजना को प्राकृतिक आवासों की रक्षा और जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि प्रकृति आरक्षित और वन्यजीव गलियारों का निर्धारण महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और वन्यजीवों की आबादी का समर्थन करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी परिदृश्यों में प्राकृतिक तत्त्वों को शामिल करने से जैव विविधता में वृद्धि और पारिस्थितिकीय लाभ मिल सकते हैं।

शहरीकरण एक बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक प्रक्रिया है। जिसके अंतर्गत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर जीवन, जैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, उत्तम शिक्षा व्यवस्था एवं रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित होती है। परन्तु यह पलायन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी जन्म देता है। तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण, औद्योगिकीरण तथा सेवा क्षेत्र के विस्तार ने शहरीकरण को तीव्र गति प्रदान की है, जिससे शहरों में पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की कुल जनसंख्या में से लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करेगी, जबकि विकासशील देशों में यह प्रक्रिया और भी तीव्र होगी जो शहरीकरण के विकास के साथ–साथ पर्यावरणीय संकट को भी जन्म देगी।

अध्ययन का उद्देश्य

(i) शहरीकरण के कारणों का सामाजिक विश्लेषण करना।

(ii) पर्यावरण पर शहरीकरण के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करना।

(iii) शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन हेतु उपाय सुझाना।

अनुसंधान पद्धति

यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, इसमें उपलब्ध आंकड़ों व उदाहरण के आधार पर शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के आधार पर समाधान एवं निवारण की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। इसमें विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्ट तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का अध्ययन भी शामिल है।

शहरीकरण के कारण

भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग, वाराणसी, नालंदा, तक्षशिला जैसे नगरों का विकास राज्यों की राजधानी या व्यापारिक, धार्मिक एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। इसी प्रकार मध्य काल में आगरा, दिल्ली, अहमदनगर, बुरहानपुर, जैसे नगर स्थापित हुआ। ब्रिटिश शासन काल में भारत के कई नगर

प्रशासनिक एवं व्यापारिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए जैसे कोलकाता, मद्रास, मुंबई और नई दिल्ली जैसे नगर औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बने। परंतु आधुनिक शहरीकरण औद्योगिक विकास एवं व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ और तीव्र हुआ है। इन नगरों में उद्योगों की स्थापना के कारण रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन शहरों की ओर होने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया और तेज हुई। इस समय भिलाई, धनबाद, टाटानगर, राउरकेला, भोपाल, इन्दौर जैसे नगर अस्तित्त्व में आये। विशेष कर 20वीं सदी के आखिरी दो दशको में भारत सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई और शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। वैश्वीकरण और खुली बाजार नीतियों के परिणामस्वरूप भारत के कई छोटे शहरों ने व्यापार, उद्योग एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में, विकसित होकर महानगर का रूप लिया है। जैसे हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, अहमदाबाद इत्यादि। इन नए शहरों में पिछले 25 से 30 वर्षों में देश के विभिन हिस्सों से पलायन के कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गयी है।

शहरीकरण के प्रभाव

निःसंदेह रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन तथा प्रशासनिक सुविधाएँ, ग्रामीण जनसंख्या को नगरों की ओर आकर्षित करती हैं और ये सुविधाएं ग्रामों एवं छोटे कस्बों से अधिक होती हैं। परन्तु वर्तमान में शहरीकरण एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक लगभग 60 करोड़ से ऊपर पहुँचने की संभावना है, साथ ही वर्ष 2035 तक यह लगभग 67.5 करोड़ तक हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र से लोगों के लगातार पलायन के कारण शहरों का बे–तरतीब विकास हुआ है। जिससे मास्टर प्लान भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। सड़कों, सीवर सिस्टम, पार्किंग और कचरा प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचों पर अत्यधिक दबाव है। सड़कों का सकरा होना वाहनों की संख्या में बेतहासा वृद्धि और सड़कों के खराब डिजाइन के कारण, लंबा ट्रैफिक जाम शहरों में आम हो चला है। नोएडा एवं बेंगलुरु जैसे शहरों के ट्राफिक जाम और पानी की कमी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सन् 2050 तक दो तिहाई आबादी नगरों में रहने लगेगी और एक तिहाई आबादी तटीय इलाकों में रहने को विवश हो जाएगी। इतनी जगह भी नहीं बचेगी की लोग सुरक्षित भूमि पर अपना घर बना सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, विश्व की 99 प्रतिशत जनसंख्या प्रदूषित वायु में सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली का वायु प्रदूषण प्रति वर्ष सर्दियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों के साथ टेलिविज़न डिबेट का मुख्य मुद्दा रहता है, तथा सरकारों के लिए चुनौती बन गया है। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ट निस्तारण भी विकराल समस्या बनकर उभरा है। दिल्ली का कूड़े का पहाड़ तो चुनाव का मुद्दा बन गया था जो अब भी नई सरकार के लिए चुनौती है। यही हाल अन्य शहरों का भी है। साथ ही जल प्रदूषण न केवल पर्यावरण के लिए समस्या है अपितु पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी है। हाल ही में इन्दौर शहर में दूषित पानी से हुई मौतें राष्ट्रीय मुद्दा बना है। वायु प्रदूषण पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने के साथ जीव–जंतुओं, अन्य वनस्पतियों और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। मानसिक तनाव, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएँ अब आम हो चली हैं। शहरों में अवैध कालोनियों एवं गंदी बस्तियों के निर्माण से स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में गिरावट आम हो चला है।

बेरोजगारी, शहरी गरीबी में वृद्धि, बुनियादी सुविधाओं पर दबाव, जल संकट और जल भराव, यातायात, पानी, बिजली, आवास की कमी के साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव और पर्यावरण समस्याएं जैसे वायु प्रदूषण, तापमान में बढ़ोत्तरी, तूफान, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह और विकराल होती जाएंगी। हालाँकि सरकारें मास्टर प्लान और ग्रामीण शहरी विकास योजनाओं के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास कर रही हैं। परन्तु बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक प्रमुख कारण बनी हुई है। बेहतर प्रबंधन का न होना आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर समस्या बन जाएगी। साथ ही नागरिकों में सिविक सेंस जागृत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई समस्याएं इंसानों द्वारा या शहरी निवासियों द्वारा सिविक सेंस के न होने के कारण विकराल रूप धारण कर रही हैं। उदाहरण के लिए, पॉलिथीन का प्रयोग न केवल ठोस अपशिष्ट को बढ़ाता है बल्कि नालियों में जाकर उन्हें चोक कर, वर्षा के दौरान जल भराव को बढ़ाता है। साथ ही, अन्य जानवरों के लिए भी हानिकारक साबित होता है ट्रैफिक नियमों का सही से पालन न करना भी लंबे ट्रैफिक जाम का कारण बनता है ।

सुझाव (Suggestions)

- शहरी विकास को सतत् विकास (Sustainable Development) की अवधारणा से जोड़ा जाए।
- शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टियों, पार्कों एवं शहरी वनों का विकास किया जाए।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए तथा निजी वाहनों की संख्या नियंत्रित की जाए।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाए तथा प्लास्टिक के उपयोग को सीमित किया जाए।
- वर्षा जल संचयन एवं भू–जल पुनर्भरण को अनिवार्य बनाया जाए।
- औद्योगिक उत्सर्जन पर कठोर नियंत्रण एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए।
- नागरिकों में पर्यावरण जागरूकता एवं सिविक सेंस विकसित करने हेतु अभियान चलाए जाएँ।
- शहरी नियोजन में मास्टर प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाए विशेषकर सड़क परिवहन एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में।
- ग्रामीण, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ–साथ MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन एवं विकास में सहयोग, पलायन को कम कर सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

शहरीकरण एक अपरिहार्य और परिवर्तनीय प्रक्रिया है जो दोनों अवसरों और चुनौतियों को लाती है। जबकि यह आर्थिक विकास और बेहतर जीवन मानक में योगदान करता है, इसके साथ ही इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी गंभीर होते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। सतत् शहरी योजना प्रथाओं को अपनाकर, ऊर्जा दक्षता में सुधार करके, कचरे का प्रभावी प्रबंधन करके, जल संरक्षण को बढ़ावा देकर, हरित परिवहन को प्रोत्साहित करके और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करके, शहर अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक अधिक सतत् भविष्य की ओर काम कर सकते हैं। शहरीकरण के पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करना सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है ताकि ऐसे शहर बनाए जा सकें जो न केवल रहनीय हों बल्कि पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भी हों।

अनियोजित एवं अनियंत्रित शहरी विस्तार पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म दे रहा है। वायु प्रदूषण, जल संकट, ठोस अपशिष्ट, हरित क्षेत्र में

कमी तथा शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं। यदि समय रहते वैज्ञानिक शहरी नियोजन, पर्यावरणीय नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनसहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई, तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है। अतः आवश्यक है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया जाए, जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं स्वस्थ्य पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations), World Urbanization Report
- विश्व बैंक (World Bank), Urban Development Indicators Report
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), Air Quality Report 2022
- भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की रिपोर्टें
- जनगणना भारत (Census of India) रिपोर्ट 2011 एवं प्राविधिक अनुमान
- सिंह, आर. एल. (Urban Geography)

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

Paper Received : 20th Jan. 2026 **Paper Accepted : 30th Jan. 2026**

बघेलखण्ड का राजनैतिक इतिहास

(सल्तनत काल से मुगल काल तक)

❑ सुनील कुमार मिश्र*
❑ प्रो. आनन्द गोस्वामी**

शोध-सारांश

पूर्वोत्तर विंध्य जो बारहवीं सदी के बाद एक नये युग में संचरित होता है, का राजनैतिक इतिहास एक कुल वंश से जुड़ता है। यह जुड़ाव दीर्घकालीन राजनैतिक यात्रा विभिन्न उतार–चढ़ाव के साथ पूरा करता है। सत्ता का संचालन बघेलवंश से राजाओं के हाथ में आने के कारण इस क्षेत्र को बघेलखण्ड कहा गया। सत्ता का प्रस्फुटन वर्तमान बांदा जिले के गहोरा से शुरू हुआ। प्रारंभिक दौर में यह राज्य एक छोटी प्रशासनिक इकाई का जो कांलिजर, बांधवगढ़ से होता हुआ वर्तमान रीवा नगर तक आ पहुँचा। व्यवस्थित, नीतिपरक शासन संचालन बघेलवंश के शासकों के द्वारा रीवा राजधानी से गतिमान हुआ तथा बघेल साम्राज्य ने विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में परिष्कृत होकर रीवा को केन्द्रीय सत्ता संचालन का गौरव प्रदान किया। इस तरह इस अंचल में व्याघ्रदेव से प्रारंभ बघेल सत्ता स्वतंत्रता प्राप्ति काल तक अनवरत् गतिमान रही। बघेलवंश के अंतिम शासक महाराजा मार्तण्ड सिंह सहृदय, नेक शासक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता पश्चात् अपने राज्य का विलय स्वैच्छिक चिंतन से भारत गणराज्य में किया। प्रस्तुत अध्ययन में बघेलखण्ड के सुदीर्घ इतिहास के पूर्वार्द्ध काल जो सल्तनत काल से मुगल काल तक का है, का विवेचन किया गया है।

मुख्य शब्द– रीवा स्टेट, बघेलखण्ड, राजनैतिक, इतिहास, सल्तनत, काल, मुगल काल, साम्राज्य, बघेलवंश, बांधवगढ़ आदि।

प्रस्तावना

12वीं ई. पश्चात् पूर्वोत्तर विन्ध्य में एक नया राजनैतिक अध्याय प्रभावी हुआ जिसके आदिपुरुष व्याघ्रदेव माने जाते हैं। बघेल क्षत्रिय गुजरात के प्रसिद्ध सोलांकी वंश की एक शाखा है, जिन्होंने दक्षिण भारत के चालुक्य क्षत्रियों की एक शाखा के

* शोधार्थी इतिहास, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)
** प्राध्यापक इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चरखारी, जनपद महोबा (उ.प्र.)

रूप में गुजरात पहुँचकर 960 ई. में अन्हिलवाड़ा में सोलंकियों का राज्य स्थापित किया था। गुजरात के पांचवें सोलंकी राजा भीमदेव के चौथे पुत्र सारंगदेव के पुत्र वीरधवल के पुत्र का नाम 'बाघराव' था। व्याघ्रदेव सम्वत् 1290 (1233–34 ई.) में गुजरात से चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट के पास तरौंहा में चन्द्रावत का राज्य था, जिसके राजा मुकुन्द देव थे। इनकी इकलौती पुत्री सिन्दूरमति थी जिनका विवाह व्याघ्रदेव से कर स्वयं तीर्थयाना पर चले गये। कालिंजर से 18 मील उत्तर–पूर्व की ओर मड़फा का दुर्ग जो चन्देल शासकों का था पर व्याघ्रदेव ने अधिकार कर लिया और साथ में आये साथियों के आवास के लिए बस्ती बनाई जो 'बघेलवारी' नाम से प्रसिद्ध हुई।

उस समय दिल्ली में कोई सुदृढ़ शासन नहीं था तथा आस–पास के किसी शासक ने व्याघ्रदेव से मोर्चा लेना उचित नहीं समझा। परिणाम, व्याघ्रदेव मण्डीहा के रघुवंशी राजा से भी उसका राज्य छीन लिया। गहोरा में लोधियों का अधिकार था उसको भी व्याघ्रदेव ने छीन लिया। गहोरा को व्याघ्रदेव ने अपनी राजधानी बनाया। पहले यह प्रदेश भाट गहोरा कहलाता था जो समयान्तराल बाद बघेलवंश के शासकों के नाम पर बघेलखण्ड के नाम से विख्यात हुआ। व्याघ्रदेव की मृत्यु के पश्चात् गहोरा का राज्य कर्णदेव ने सम्भाला। कर्णदेव का विवाह सोमदत्त कल्चुरि (रतनपुर हैहय वंश) की पुत्री पद्मकुँवरि के साथ हुआ। सोमदत्त ने करण सिंह को बान्धवगढ़ दहेज में दिया था। इनके शासन काल में राज्य के दो भाग थे। पहला उत्तरी (राजधानी गहोरा) क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी (राजधानी बान्धवगढ़) क्षेत्र। कर्णदेव ने अपने साम्राज्य का विस्तार गहोरा से बान्धवगढ़ तक किया था। कर्णदेव वीर योद्धा के साथ ही संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने 'साराबली' नामक ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। इन्होंने संस्कृत साहित्य के कई ग्रन्थों की रचना की थी। संस्कृत के विद्वान ब्रह्मगुप्त इनके दरबारी कवि थे। इनके उत्तराधिकारी सोहगदेव थे।

कर्णदेव की मृत्यु (वि.सं. 1260 लगभग) के पश्चात् सोहागदेव राजगद्दी पर बैठे। इन्होने अपने राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर लिया। इन्होंने सौभग्यदेव सेंगर द्वारा बनवाये गये ''सौभाग्यपुर'' का जीर्णोद्धार करवा कर नये नगर ''सोहगपुर'' का निर्माण करवाया साथ ही, कई जलाशयों का भी निर्माण करवाया। इनका विवाह विजयपुर के राजा की पुत्री के साथ हुआ था। इनका देहावसान लगभग वि.सं. 1275 को हुआ था।

सोहागदेव की मृत्यु के पश्चात् इनके ज्येष्ठ पुत्र सारंगदेव ने सत्ता सम्भाली। इन्होंने सांरगपुर नगर बसाया। इनका विवाह नागौद राजा की कन्या के साथ हुआ था। चन्देल शासक के सामन्त ऊदल ने बान्धवगढ़ में आक्रमण किया जिसमें उसकी पराजय हुई तथा ऊदल को बन्दी बनाकर एक कोठरी में रखा गया जो आज भी ''ऊदल की कोठरी'' के नाम से पहचानी जाती है। इस युद्ध में विजय के कारण सारंगदेव को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राजा संग्राम सिंह ने बिलासपुर नगर (वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख नगर) को बसाया था। इनके राज्य का विस्तार गहोरा से बिलासपुर तक हो गया था।

भीमलदेव के शासन काल में गहोरा के लोधियों ने पुनः गहोरा में अधिकार करना चाहा किन्तु असफल रहे। भीमलदेव एक विद्वान, नीतिवान, पराक्रमी और शत्रुओं का विनाश करने वाले राजा थे। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बघेल राजाओं के ऊपर बार–बार होने वाले आक्रमण और दबाव से परेशान बघेल शासकों ने अपनी सुरक्षित राजधानी बनाने के लिए नवीन प्रयोग किये। जिसके तहत कालिंजर और गहोरा से निकलकर वनांचली

क्षेत्र की ओर राज्य विस्तार का कदम बढ़ाया। भीमलदेव के पुत्र अनिकदेव उनके उत्तराधिकारी हुये। अनिकदेव (रनिगिदेव) को 'वीरभानुदय काण्यम' में गहोरा का प्रथम अधिकारी बताया गया है। यह संभव है कि अनिकदेव के आधिपत्य से कालिंजर निकल गया हो। इन्होंने गहोरा को सुसज्जित करवाया तथा कई उपासना क्षेत्र और आश्रमों का निर्माण करवाया।

अनिकदेव के पश्चात् इनके पुत्र बलनदेव उत्तराधिकारी हुये, इन्होने दीर्घकाल तक शासन किया। इनका विवाह रतनपुर के कल्चुरी शासक रंजीतराय की पुत्री के साथ हुआ। आर्केलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट खण्ड 21 के अनुसार उस समय दिल्ली में गुलामवंश के शासकों का शासन था। इनके पुत्र दलकेश्वर व मलकेश्वर क्रमशः राजगद्दी में बैठे।

बलनदेव के पश्चात् दलकेश्वर ने शासन सम्भाला। कालिंजर में चंदेलों का अधिकार था। यहाँ पर दलकेश्वर के शासन काल में बघेलों का अधिकार था। उन्होंने सेंगर से युद्ध करके विजय प्राप्त किया तथा 'मालकपुर' नामक नगर को बसाया जो वर्तमान में मनगवां के नाम से जाना जाता है। मलकेश्वरदेव के पश्चात् उनके पुत्र बरियारदेव गद्दीसीन हुये। इनकी राजधानी गहोरा में ही थी। इनको वीरराजदेव के नाम से जाना जाता है। बरियार देव के पश्चात बुल्लारदेव उत्तराधिकारी हुये। ये पहले बघेल शासक थे, जिन्होंने 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण किये। बुल्लारदेव का शासन काल लगभग 1335 ई. से 1389 ई. तक था। ये फिरोजशाह तुगलक के समकालीन थे। बुल्लारदेव के पुत्र सिंहदेव थे। सिंहदेव ने प्रयाग (त्रिवेणी) में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अन्त कर दिया था, अतएव बुल्लरादेव ने अपने पौत्र वीरमदेव को उत्तराधिकारी बनाया।

बुल्लारदेव के पश्चात् उनके पौत्र वीरमदेव सिंहासन में बैठे। ये अपने पितामह की भांति पराक्रमी तथा वीर शासक थे। इन्होंने नरोगढ़ के किले को भी विजित किया। इनके शासन काल में बघेल राज्य की सीमाएँ उत्तर में गंगा–यमुना के संगम (प्रयागराज) से लेकर दक्षिण में नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक पूर्व में विंध्यांचल (कन्तित) तथा पश्चिम में केन नदी (सेबुड़ा) तक विस्तृत थी। जौनपुर के शर्कियों के मलिकजादाओं के विरुद्ध शर्कियों ने कई बार सहायता की थी।

भैरमदेव के पश्चात् नरहरिदेव गद्दी में बैठे। ये महमूद रिवलजी (मालवा) के समकालीन थे। नरहरिदेव ने अपने पिता की भांति बघेल–शर्की मित्रता को कायम रखा। 1470–1495 ई.–इनके शासन काल से बघेलखण्ड रियासत के इतिहास का दूसरा युग प्रारंभ होता है। भैदचन्द्र दिल्ली सम्राट् बहलोल लोदी के समकालीन थे। 1488 में बहलोल लोदी के विरुद्ध जौनपुर के हुसैनशाह शर्की की– लोदी सुल्तानों का संघर्ष का प्रारंभ होता है। 1494 ई. में तथा 1495 ई में दो बार सिकन्दर लोदी ने बघेल शासक के ऊपर आक्रमण किया। भैदचन्द्र वृद्ध हो चुके थे इसलिये सेना की बागडोर अपने पौत्र वीरसिंह देव को सौंपी। कठौलीया खान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। शाही सेना पपौध तक पहुँच गई थी किन्तु अब तक रसद भी खतम हो गया था। शाही सेना ने जौनपुर वापस लौट जाने का निर्णय लिया। सन् 1495 ई. में भैदचन्द्र की मृत्यु हो गई तथा पुत्र शालिवाहन का राज्याभिषेक हुआ।

शालिवाहन कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने बघेल–शर्की के परम्परागत संबंध का परित्याग किया। शर्की–लोदी संघर्ष में जब सिकन्दर लोदी ने शालिवाहन से सहायता मांगी तो लोदी की सहायतार्थ अपनी सेना लोदी शासक के पास भेज दी। किन्तु यह मित्रता अधिक दिन नहीं थी। सिकन्दर लोदी ने शालिवाहन की पुत्री से विवाह

का प्रस्ताव भेजा जिसे शालिवाहन ने ठुकरा दिया परिणामस्वरूप दोनों शासकों के मध्य पुनः शत्रुता हो गयी।

दिल्ली में मुगल सत्ता स्थापित होने के साथ ही क्षेत्रीय राजाओं के सामने एक नई समस्या आने लगी। जिससे छुटकारा पाने के लिए बघेल राजाओं ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ को बनाया। साथ ही मुगल साम्राज्य के साथ स्वाभाविक अन्तर्संबन्ध बनाने के लिए नीति निर्धारण पर चिन्तन शुरू किया। वीरसिंहदेव बघेल शासकों में प्रतापी शासक थे। इनका जन्म सन् 1467 ई. में हुआ था। खानवा के युद्ध में राणा साँगा की सहायता किये तथा 4000 घुड़सवारों को अपनी तरफ से सेना में शामिल किये। बाबर ने बाबरनामा में वीरसिंह को तीन प्रमुख राजाओं में शामिल किया है। वीरसिंह नगर की स्थापना किये थे। इन्होंने परिहार शासक भोजराज से नरोगढ़ का किला विजित किया था। इनके समय में गहोरा राजधानी थी तथा बान्धवगढ़ में कुरुवंशी शासकों का अधिकार हो गया, वीरसिंह ने बान्धवगढ़ को मुक्त करवाया।

वीरभानु का जन्म सन् 1486 में हुआ था। वीर सिंह की मृत्यु के पश्चात् वीरभानु को राजगद्दी प्राप्त हुई। वीरभानु का राज्याभिषेक ''गहोरा'' में हुआ था तथा उपराजधानी बान्धवगढ़ थी। वीरभानु के समय मुगल–बघेल सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ थे। अफगान–मुगल संघर्ष में वीरभानु ने सदैव मुगलों का साथ दिया। चौसा के युद्ध (सन् 1539) में शेरशाह से पराजित होने के पश्चात् हुमायूँ भाग रहा था तब वीरभानु ने हुमायूँ तथा उसकी बेगम की सहायता की थी। बेगम उम्र भर वीरभानु को भाई मानकर राखी भिजवाती रहीं।

वीरभानु के पौत्र वीरभद्र के जन्म पर हुमायूँ ने आत्मीय उपहारों का भिजवाना इस मैत्री का गवाह है। इस मित्रता के कारण शेरशाह सूरी नाराज हो गया तथा कालिन्जर में हुये युद्ध में वीरभानु पर आक्रमण कर दिया तथा शेरशाह बारूद विस्फोट में मारा गया। ''वीरभानु काव्यम'' के रचयिता माधव उरण्य इनके दरबारी कवि थे। वीरभानु कबीरदास के समकालीन थे तथा उनसे अत्यधिक प्रभावित थे। कबीरदास की मृत्यु के पश्चात् बान्धवगढ़ में उन्होंने कबीर चौरा का निर्माण करवाया।

वीरभानु के पश्चात् राजकुमार रामचन्द्र का राज्याभिषेक हुआ। इनकी माँ गोपालपुर के जागीरदार सुल्तान सिंह कछवाह की पुत्री थी। महाराज रामचन्द्र मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इनके राज सिंहासन में बैठते ही शेरशाह सूरी के वंशज इब्राहिम शाह सूरी ने बघेल राजधानी गहोरा में आक्रमण कर दिया। महाराज रामचन्द्र ने इसे पराजित करके केंद्र कर लिया। बड़े आदर और सम्मान के साथ रखा तथा कुछ समय पश्चात केंद्र से मुक्त कर दिया। राजा रामचन्द्र बघेल साम्राज्य का इतिहास में ऐसे व्यक्ति थे जिनको दानी, प्रेमी, कूटनीतिा व वीर पुरुष माना गया है।

वीरभद्र का जन्म सन् 1554 में गहोरा में हुआ था। इनकी माता का नाम ''यशोदा'' देवी था। इनके जन्मोत्सव में इनके बाबा वीरभानु महाराज भी जीवित थें। पिता राजचन्द्र ने अपने जीवनकाल में ही इन्हें राजनीति की अच्छी शिक्षा प्रदान की तथा योग्य प्रशासक के गुणों का विकास करवाया। ये मुगल सम्राट अकबर के प्रिय थे तथा अधिकांशतः दिल्ली दरबार में ही रहते थें। इन्होंने रामचन्द्र देव के साम्राज्य को और अधिक विस्तार दिया। बिजौरा के चन्देल, सिंगरौली के वेणुवंशी, चांग मरवार के भरो तथा अगोरी के चन्देलों के विरुद्ध अभियान किया तथा अगोरी के चन्देलों के विरुद्ध अभियान किया तथा विजय प्राप्त किये।

विक्रमादित्य का जन्म सन् 1582 ई. को हुआ महाराज वीरभद्र के दो पुत्र थे। वीकानेर महाराज रामसिंह की पुत्री से जन्मे विक्रमजीत सिंह तथा भितरहाई से दुर्योधन सिंह। जब पिता वीरभद्र सिंह

की मृत्यु हुई उस समय दोनों पुत्र अल्प वयस्क थें। इनके परबाबा वीरभानु के भाई यामुनीभान (जामुनीभान इलाकेदार सोहागपुर) जीवित थें। जब विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। उनके गद्दी में बैठते ही अनेक स्वार्थी सरदार अशान्ति फैलाने लगे। जब इसकी जानकारी अकबर को हुई तो उन्होंने पात्रदास के नेतृत्व में 1594 ई. में बान्धवगढ़ सेना भेजी। जामुनीभान ने सरदारों के साथ मिलकर बान्धवगढ़ किले की रथ के लिये आगे बढ़े उन्हें पात्रदास द्वारा बान्धवगढ़ में अधिकार की आशंका हुई। इसमें बघेल सेना पराजित हो गई तथा 3 जुलाई 1597 को पात्रदास (त्रिपुरदास खत्री) से संधि करके बान्धवगढ़ का दुर्ग खाली कर दिया।

विक्रमादित्य के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह राजसिंहासन में बैठे। यह मुसलमानी सत्ता की हलचल का समय था। इसका प्रभाव इनकी सत्ता पर पड़ना स्वाभाविक था। इनके राज्य का भी बहुत भाग अलग हो गया। जहाँगीर ने इन्हें 'पंचहजारी' मनसब प्रदान किया। ये पहले रीवा शासक थे जिन्होंने मनसब स्वीकार किया था। सन् 1634 में मुगल सैना के साथ बागी शासक जुझार सिंह के आक्रमण किया तथा विजय प्राप्त किये।

जिस समय अमर सिंह स्वर्गवासी हुए, अनूपसिंह केवल सोलह वर्ष के थें। अल्पायु में पिता के स्वर्गवास होने के कारण इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था न हो सकी तथा राज्य में भी अव्यवस्था फैल गई। इस अवसर का लाभ उठाकर जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह ने रीवा में आक्रमण कर दिया जिसकी पृष्ठभूमि महाराज अमर सिंह के शासन काल में ही बन गयी थी। अनूप सिंह को अपनी स्थिति का ज्ञान था इसलिये वे परिवार सहित त्योंथर की तरफ चले गये। रीवा की स्थिति को देखकर कोठी के जगतराय तथा अनूप सिंह के भाई सोहावल के फतेह सिंह ने मोर्चा सम्भाला तथा विजय प्राप्त की।

महाराज अनूप सिंह ने अपने जीवनकाल में ही भाव सिंह का राज्याभिषेक कर दिया था तथा स्वयं धार्मिक कार्यों में लग गये थें। अपने पिता के समान ही नीत सिंह भी धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थें। इन्होंने जगन्नाथ पुरी की कई यात्रायें की एवं वहाँ से लाई मूर्तियों को अपने यहाँ मुकुन्दपुर, कोटर तथा रीवा में स्थापित करवायी।

इनके शासन काल में सरदार उदण्ड और अवज्ञा करने वाले बन गये थें। मऊ के सेंगर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगे थें। भाव सिंह के मरने के पश्चात अपनी सीमा सेंगरों ने रीवा की तरफ बढ़ाने लगे। अनिरुद्ध सिंह ने इस स्थिति को सम्भालने के लिये सेवा सहित मऊ कि तरफ प्रयाण किया। मनगवां में अपना पड़ाव डाला। भनवार के ठाकुर रघुनाथ सिंह ने संधि का प्रस्ताव रखा जिसे अनिरुद्ध सिंह ने स्वीकार कर लिया। सेना को मनगवां में छोड़कर अपने विश्वासपात्र मनगइया बारी के साथ मऊ के लिये प्रस्थान किया किन्तु यह एक षड़यंत्र था तथा वापस लौटते समय पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी गयी मनगइया बारी भी मारा गया। जब इसकी जानकारी शिविर में पहुँची तो रीवा सेना ने मऊ के सेंगरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। रीवा सेना विजयी हुई तथा रघुनाथ सिंह सेंगर को बन्दी बनाकर रीवा लाया गया। सेंगरों के राज्य को एक तिहाई छोड़कर बाकी भाग रीवा राज्य में मिला लिया गया।

अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु के उपरांत अवधूत सिंह 1709 ई. में बैठे। जब इनके पिता की मृत्यु हुई इनकी उम्र मात्र 6 माह थी। राज्य में उपद्रव होने लगे। राजमाता निराक्षित सी होकर राज्य का कार्यभार राजभक्त हृदय राम सुरकी को सौंपकर अपने मायके प्रतापगढ़ चली गई।

मंत्री हृदयराम चित्रकूट के राजा थें, उन्होंने

राजसी योग्यता के साथ राज्य की परिस्थिति को अच्छी तरह से सम्भाला। हृदयशाह बुन्देला राज्य की स्थिति को भापकर मैहर, नागौद इत्यादि छोटी रियासतों पर अधिकार करते हुए रीवा में चढ़ाई कर दी। घोघर में हृदयशाह बुन्देला ने डेरा डाला। रीवा के अन्दर एक बुलन्द दरवाजे का निर्माण (वर्तमान पुलिस थाना) करवाया। जब इसकी जानकारी राजमाता को हुई तो सेवक बक्शीहनुमान प्रसाद को पत्र देकर दिल्ली सम्राट बहादुरशाह के पास भेजा। मुगल सम्राट को मुगल–बघेल संबंधों की जानकारी थी, उन्होंने सेनापति मीरबक्श के नेतृत्व में शाही सेना रीवा के लिये भेज दिया। जब इसकी जानकारी हूदयशाह को हुई तो रीवा में 1000 फौज छोड़कर प्रस्थान कर गया।

महाराज अवधूत सिंह के पुत्र अजीत सिंह सन् 1755 ई. में गद्दासीन हुए। इनके राजसिंहासन के समय राज्य की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उत्वरी भारत में मुसलमानी राजसत्ता मिटने जा रही थी अंग्रेजों का प्रमुख स्थापित हो रही थी। 1758 में दिल्ली का बादशाह शाहआलम (अली गौहर) पटना से हारकर अंग्रेजों के डर से भागकर बनारस आया किन्तु वहाँ पर भी जब बचने की आशा न दिखी तो रीवा नरेश अजीत सिंह के पास आश्रय के लिये आये तथा रीवा नरेश ने पूर्वजों की परिपाटी का पालन किया। शाहआलम ने अपनी गर्भवती बेगम को अजीत सिंह के पास छोड़कर बक्सर की तरफ चले गयें। रीवा के मुकुन्दपुर गढ़ी में अक्टुबर 1775 ई. में अकबर द्वितीय का जन्म हुआ। जब शाहआलम वापस आये तो रीवा नरेश ने ससम्मान बेगम तथा पुत्र को उन्हें सौंप दिया।

उपसंहार

बघेलखण्ड को एक नये राजनैतिक पृष्ठभूमि प्रदान करने में प्रमुख भूमिका मुगल बादशाहों की रही। अकबर अपने कार्यकाल में रीवा नरेश रामचन्द्र देव को स्नेहिल संरक्षण प्रदान करते हुए जन कल्याणकारी कार्यों के लिये समन्वय नीति अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अकबर के पश्चात् जहांगीर, शाहजहां ने भी बघेल शासकों को राजनैतिक संकट से मुक्त रखा जिस कारण बघेल साम्राज्य आपेक्षित रणनीति बनाते हुए शासन संचालन में अपना प्रभाव बनाया। बघेल राजाओं ने दिल्ली दरबार के प्रति आदरभाव प्रकट करते हुए केन्द्रीय सत्ता के आकांक्षा अनुकूल आचरण करते रहें। महाराज रामचन्द्र ने अपने दरबार से तानसेन एवं बीरबल जैसे कुसाग्र चिंतकों को दिल्ली दरबार भेजा जो अकबर के नौ रत्नों में से अपना स्थान बनाया। जहांगीर ने अपने कार्यकाल में राजा अमर सिंह को पंच हजारी मनसब प्रदान किया। बघेल राज्य पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकर्ताओं को भी दण्डित किया। इस तरह मुगल सम्राट से संरक्षण पाकर बघेल साम्राज्य पल्लवित और पुष्पित होता हुआ एक नयी पहचान राजनैतिक मंच पर बनायी।

सन्दर्भ ग्रन्थ स्रोत

1. अग्निहोत्री, रामप्यारे : रीवा राज्य का इतिहास, मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद् 1972
2. अग्निहोत्री, राजीव लोचन : बघेलखण्ड के संस्कृति काव्य, चौखम्भा वाराणसी 1973
3. चन्द्र, सतीश, मध्यकालीन भारत, जवाहर पब्लिशर्स एवं हिस्ट्रीब्यटर्स नई दिल्ली, 2012
4. राधेशरण, बहत्तर विंध्य प्रदेश का इतिहास मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1996
5. भारती विशाखा, भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य, एकेडमी पब्लिकेशन, दिल्ली
6. सरस्वती, एस.के.एस., मुगल आर्कीटेक्चर इन द मुगल एम्पायर, भारतीय विद्या भवन, 1974
7. इतिहास अनुशीलन सम्पादक, प्रो. राधेशरण ग्रंथ द्वितीय, दिसम्बर 2001, अंक 3 एवं 4
8. प्रो. राधेशरण, मध्यकालीन प्रशासन समाज एवं संस्कृति, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 1984

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 20th Jan. 2026 **Paper Accepted : 30th Jan. 2026**

विरोधाभासों से सुसज्जित गुरु तेग बहादुर जी की वाणी की महानता

□ डॉ. सुरजीत कौर*

शोध-सारांश

श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख गुरु परम्परा में नवम् गुरु हैं। धीर गम्भीर व्यक्तित्व के मालिक गुरु साहिब ने आध्यात्मिक एवं सांसारिक स्तर पर दूरगामी प्रभाव डाले। उनकी वाणी, उपदेश एवं उनके शहादत के उपदेश ने न केवल सिख धर्म की दशा व दिशा बदली अपितु भारतीय राजनैतिक इतिहास को भी एक नया मोड़ दिया। संगीत में बहुमूल्य योगदान के अतिरिक्त उन्होंने आन्दपु साहिब की स्थापना के द्वार 'नगर-योजना' में भी अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है। अपने पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब की देखरेख में युद्धरत होने के साथ-साथ लम्बी अवधि के लिए आन्तरिक रुप में तप करना और सांसारिक जीवन से विरक्ति के साथ-साथ सांसारिक सरोकारों और समस्याओं के प्रति सार्थक दृष्टि रखना, ये सब उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बहुपक्षीय आयाम हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड और प्रकृति विरोधी तत्वों से निर्मित होते हैं, उसी प्रकार मानव-देह भी विरोधी तत्वों का सुमेल है। यही विधान महान ग्रंथों और व्यक्तियों के विचार-दर्शन में प्रकट होता है। एक अधूरा दर्शन या तो इन विरोधों में समता नहीं रख पाता या अव्यवस्थित तर्कहीन खिंडा हुआ विमर्श बनकर रह जाता हैं एक संपूर्ण दर्शन विरोध और विरोधाभास के मूलभूत अंतर को समझते हुए इन विरोधाभासों में सामंजस्य एवं समता स्थापित करने में सफल होता है। जिस प्रकार विरोधी परिस्थितियों में ही बीज अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार विरोधी तत्वों में समता स्थापित करने वाले दर्शन ही मानवता के लिए सुखद व संतोषजनक साबित होते हैं। दो विभिन्न यथार्थों की, दो विभिन्न चरित्र श्रेणियां की, दो विभिन्न संवेग कोटियों की टकराहट तथा संघर्ष को गुरु तेग बहादुर ने कदम कदम पर सर्वाधिक समझा और अनुभाया है। यह प्रवृत्ति उस समय के जननायकों के सामाजिक संघर्ष तथा दार्शनिकों के स्पष्ट आत्म-संघर्ष का भी परिचायक है।

बीज शब्द—*कलात्मक-औचित्य, विरोध और विरोधाभास का अंतर, समता-दर्शन, परदुःखकातरता, परधर्म रक्षार्थ बलिदान।*

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), खालसा कालेज, अमृतसर

भारतीय ज्ञान परंपरा में भक्तों व संतों की वाणी में रहस्यवाद की अनगिनत परतों को खोल कर अलौकिक आनंद की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उलटबांसियों का प्रयोग अर्थ की गहनता में से आनंदानुभूति करवाता है। कबीर की वाणी के कलात्मक सौंदर्य को समझने के लिए अभिधेयार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ व व्यंग्यार्थ तक की यात्रा करनी पड़ती है। बहुर बार वाणी में विरोधी बातों का समावेश महसूस होता है, परंतु अध्यात्मवाद की खूबसुरती ही यही है कि वरोधी लगने वाले वक्तव्य असल में विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। विरोधाभास में से आनंदवाद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करने वाली भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु तेग बहादुर जी की वाणी का बहुत महत्व है।

जिस प्रकार ब्रह्मांड और प्रकृति विरोधी तत्वों से निर्मित होते हैं, उसी प्रकार मानव-देह भी विरोधी तत्वों का सुमेल है। यही विधान महान ग्रंथों और व्यक्तियों के विचार-दर्शन में प्रकट होता है। एक अधूरा दर्शन या तो इन विरोधों में समता नहीं रख पाता या अव्यवस्थित तर्कहीन खिंडा हुआ विमर्श बनकर रह जाता है। एक संपूर्ण दर्शन विरोध और विरोधाभास के मूलभूत अंतर को समझते हुए इन विरोधाभासें में सामंजस्य एवं समता स्थापित करने में सफल होता है।

विरोधाभास साहित्यिक कला के सबसे बहुस्तरीय उपकरणों में से एक है। इसकी परतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब आप अंत तक पहुंचते हैं तो यह सबसे संतोषजनक एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई हारी हुई लड़ाई जीत ली हो।

डॉ. नरेश मिश्र के अनुसार, ''विरोधाभासत्वं विरोध''- 'जहां विरोध न होने पर भी विरोध सा प्रतीत होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है'।

डॉ. कृष्ण प्रसाद शर्मा के अनुसार, ''जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए, जहां विरोधाभास अलंकार होता है''।

प्रो. रामचंद्र पाठक के अनुसार, ''वह अर्थालंकार जिसमें जाति, गुण, क्रिया अथवा द्रव्य का विरोध सा दिखाई पड़ता है, विरोधाभास कहलाता है।

उपरोक्त विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बहुत बार विरोध का आभास कलात्मक-सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है और बहुत बार प्रकृति के रहस्योद्घाटन के लिए यह विरोधाभास प्रयुक्त होते हैं। रस्सी को सांप समझने की भूल मानवीय बुद्धि कर सकती है, इसमें रस्सी का क्या दोष। महामुनियों की वाणी समता व समरसता स्थापना हेतु उच्चरित होती है, उसमें किसी भी तरह के विरोध में उलझना मानव की सीमित बुद्धि का दोष हो सकता है, जिसे शास्त्रों के गहन अध्ययन, चिंतन व मनन से दूर किया जा सकता है। जैसे एक जुलाहा ताने और बाने, दोनों से कपड़ा बुनता है, विरोधों में समता बनाने वाले ऐसे दर्शन रहस्यवादी चमत्कारों से ओत-प्रोत रहते हैं।

गुरु तेग बहादुर जी की वाणी और जीवन में ऐसे ही विरोधाभास मुखरित होते हैं। इनमें रहस्यवादी एकसुरता को समझे बिना गुरु जी के अध्यात्म और दर्शन को नहीं समझा जा सकता। सतही रुप में इन विरोधाभासों को केवल 'अंतर्विरोध' समझने वाले उनके विचारों में अधूरेपन की शिकायत कर सकते है अथवा उनके गलत अर्थ विकसित कर सकते हैं।

श्रीमद्भागवत गीता में 'समता-दर्शन' में यह स्पष्ट किया गया है कि धुंध रहित अवस्था का नाम है- समता दर्शन। अथवा कर्म के फल में तटस्थता, निष्पक्षता, उदासीनता है। इसलिए सुख-दुख, पत्थर-सोना, प्रिय-अप्रिय, निंदा-स्तुति में समता का भाव ही समता-दर्शन है।

जिस प्रकार विरोधी परिस्थितियों में ही बीज अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार विरोधी तत्वों में समता स्थापित करने वाले दर्शन ही मानवता के लिए सुखद व संतोषजनक साबित होते हैं। कल्पतरु की कल्पना करना और प्राप्त करने की वास्तविकता में अंतर को समझने व समझाने वाले दर्शन कालजयी होकर सर्वसुखंतु साबित होते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी इन्हीं विरोधों में समता स्थापित करने की प्रेरणा देने वाली ज्ञानमयी वाणी है।

उसतत निंदा दोऊ तिआगै, खोजे पदु निरबाना।
जन नानक इहु खेल कठनु है, किनहूँ गुरमुखि जाना'॥2॥1॥[5]

जीवन में विरोधाभास

गुरु जी के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग एवं घटनाएं हैं जो विरोधाभासी हैं और आपके व्यक्तित्व को समझने में सहायक होती हैं।

आपके युद्ध-कौशल और योद्धा के गुणों के कारण आपको 'त्याग-मल' से 'तेग बहादुर' का नाम मिला। इसके विपरीत आप काव्य और संगीत के मर्मज्ञ हैं। अपने 15 रागों में वाणी की रचना की और राग जैजावंती को गुरुवाणी में सम्मिलित किया। संगीत-प्रेम और ज्ञान का अंदाजा इस बात से सहज ही लगाया जा सकता है कि अपने नए संगीत-वाद्य की रचना की और स्वयं एक अच्छे मृदंगवादक के रुप में भूमिका निभाईं।

एक तरफ आप एकांतवास और वैराग्य में लीन थे और बकाला में कई वर्षों तक ध्यान-'साधना और नाम सिमरन किया। वहीं दूसरी तरफ आपने परिवार एवं पत्नी के साथ गृहस्थ-धर्म का पालन भी किया।

एक तरफ आपने सिखों के द्वारा धीरमल से बलात पोथी छीन कर लाने का बुरा मनाया और सादर पोथी वापस भिजवाई, जो यह दर्शाता है कि आप धर्म के नाम पर दमन या विरोध का समर्थन नहीं करते थे। दूसरी तरपु पर-धर्म रक्षार्थ ऐसा विरोध किया की शहादत तक दे दी, जैसा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है—

'धमर हेतु साका जिनि कीआ
सीस दीआ पर सिरर न दिया'

गुरुजी के जीवन की सबसे बड़ी घटना उनकी शहादत है। इस घटना में निहित विरोधाभास को समझे बिना उनकी शहादत का बहुत बार गलत अर्थ निकाला जाता है। गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों के बलात धर्म-परिवर्तन का विरोध किया और शहादत दी। उनके इस महान कृत्य की संपूर्णता को समझने के लिए इस विरोधाभास को समझना अत्यंत आवश्यक है कि उनका बलिदान मानव-धर्म के लिए था, वह दमित व शरणागत के हित और दमन के विरोध में था। पश्चिम के प्रसिद्ध विद्वान एमरसन ने कहा है कि ''भूले ही मैं आपके विचारों में सहमत ना होऊँ परंतु आपके विचार रखने के अधिकार के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ''। (Introduction, 'The Friends of Vottaire' by Evelyn Beatrice Hall) मानवीय अधिकारों के सिद्धांत ही नींव है-यह विचार। एमरसन ने चाहे सिर्फ शब्दों में इसे व्यक्त किया परंतु नवम गुरु तेग बहादुर जी ने इसे अपने व्यवहार में साकार कर दिखाया। शरणागत में आए हुओं के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उन्होंने बलिदान दिया और उनका बलिदान मानवता को शाश्वत संदेश दे गया कि शरणागत का कोई धर्म, जाति, रंग, रुप, वर्ण नहीं होता। केवल और केवल समर्पण होता है और उस समर्पण में किसी भी प्रकार का अहम नहीं। उस समर्पण की इज्जत रखने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो कदम पीछे ना हटें।

वाणी में विरोधाभास

गुरु तेग बहादुर जी के वाणी का पहला विरोधाभास भाषा और लिपि को लेकर है, जो समकालीन संकीर्ण भाषाई विवादों पर एक चोट है। उनकी वाणी रीतिकाल (1700 संवत से 1900 तक) की जनभाषा ब्रजभाषा में है जबकि लिखी गुरुमुखी लिपि में गई है। इस प्रकार इसमें लोक व ज्ञान तथा प्रेम व भक्ति का सामंजस्य देखने को मिलता है।

गुरु जी की वाणी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि गुरु जी की वाणी वैराग्यमई तथा उदासीन भाव की है अर्थात संसार से उदासीन करती है। यह उनकी वाणी से प्रकट भी होता है—

'आसा मनसा सगल तिआगै
जग ते रहै निरासा'।।[7]

वे वैराग्य की उस स्थिति का वर्णन करते है जहां वे कह उठते हैं-

'बिरथा कहउ कउन सिउ मन की'।।[8]

इतना ही नहीं वे उदासीनता को अध्यात्म-साधना में आवश्यक मानते हैं और एकांत प्रेमी जान पड़ते हैं—

'बिखिअन सिउ काहे रचिओ
निमख न होहि उदासु'।।[9]

परंतु साथ ही गुरु जी वन-गमन व सन्यास का खंडन करते हुए कहते हैं—

'काहे रे बन खोजन जाई।।
सरब निवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई'।।1 ।। रहाउ[10]

इतना ही नहीं, वे संगत के महत्व का समर्थन भी करते हैं और साधु-संगत को ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक

मानते हैं—

'करि साधसंगति सिमर माधो
होहि पतित पुनीत'॥[11]

यहां एकांत व उदासीन मनः स्थिति तथा संगत दोनों परस्पर विरोधी हैं परंतु दोनों का ध्येय एक ही है- ईश्वर-भक्ति।

'मन' के संबंध में यह विरोधाभास और भी उभर कर सामने आता है। मन वह मैदान है जहां संसार से ईश्वर की तरफ यात्रा आंरभ होती है। जहां नश्वरता व मिथ्या का और सत्य और असत्य का युद्ध होता है अतः मन की भूमिका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। गुरु जी ने इस विरोधाभासी भूमिका का वर्णन किया है। वह मन को चंचल तथा बुराई की तरफ झुका पाते हैं—

''मन रे कउनु कुमति तै लीनी॥
पर दारा निंदिया रस रचिओ
राम भगति नहि कीनी''॥1॥[12]

'मन मूरख अजहू नह समझत
सिख दै हारिओ नीत'॥[13]

परंतु मन ही वह शक्ति है जिसकी दिशा बदलने से मिथ्या से सत्य की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। इसलिए गुरु जी मन की महत्ता को समझाते हुए, उसे जगाने की कोशिश करते हैं—

'जाग लेहु रे मना जाग लेहु
कहा गाफ़ल सोइआ'॥[14]

मन की सबसे बड़ी बुराई लोभ, मोह, अहंकार को त्यागने की बात करते हुए गुरु जी कहते हैं—

'माई मै मन को मानु न तिआगिओ'॥[15]

इसके लिए वे ईश्वर मन का चिकित्सक है। नाम-स्मरण मन के अहंकार का नाश करता है और मन को स्थिर करता है—

'माई मै धनु पाइओ हरि नामु॥
मनु मेरो धावन ते छूटिओ
करि बैठो बिसरामु'॥1॥ रहाउ॥[17]

गुरु जी की वाणी में काव्य-बिम्ब का विरोधभास भी मिलता है उदाहरणार्थ स्वान का बिम्ब। छद्म सांसारिक सुखों के लिए वह मनुष्य का स्वान की तरह भटकना अपमान मानते हैं। निर्धन जन कुत्ते की भांति द्वार-द्वार डोलते रहते हैं; आत्मसम्मान से गिर जाने पर मनुष्य ऐसा पतित तथा भ्रष्ट भी हो सकता है कि वह कुत्ते की तरह भटकता है और कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा ही रहता है—

'सुख के हेति बहुत दुःख पावत
सेव करत जन जन की॥
दुआरहि दुआरि सुआन जिउ डोलत
नह सुध राम भजन की'॥1॥[18]

परंतु स्वान की वफादारी भी स्वामी-सेवक का दृष्टांत है जो अद्वितीय है। गुरुजी ईश्वर के द्वार पर मनुष्य को स्वान की तरह ही देखना चाहते हैं—

'सुआमी को ग्रिहु जिउ सदा
सुआन तजत नही नित
नानक इह बिधि हरि भजउ,
इक मनि हुइ इक चिकि'॥41॥[19]

जगत रचना दैवी सृष्टि है, आश्चर्यपूर्ण है; इसकी गति द्वंदात्मक है; इसमें रहने वाले प्राणियों की वृति भी चंचल है; यहां सभी दृश्यमान सपना, क्षणभंगुर तथा मिथ्या है।

'सगल जगतु है जैसे सुपना
बिनसत लगत न बार'॥1॥[20]

'इहु जगु धुए का पहार॥
तै साचा मानिआ किह विचारि'॥1॥[21]

'जग रचना सभ झूठ है
जानि लेहु रे मीत'॥[22]

परंतु गुरुजी जगत को ईश्वर की रचना भी मानते हैं—

'साधो रचना राम बनाई॥
इकि बिनसै इक असिथरु मानै
अचरजु लखिओ न जाई'॥1॥रहाउ॥[23]

इस जगत के कर्ता (ईश्वर) की गति भी विचित्र है क्योंकि वह सब जग को भरमाता है। जोगियों, जतियों और ज्ञानियों के लिए दार्शनिक पहेलियां उत्पन्न करता है—

'अपनी माइआ आपि पसारी आपहि देखनहारा॥
नाना रुपु धरे बहु रंगी सभ ते रहै निआरा'॥2॥[24]

वह शरीर में व्याप्त है, घट-घट में बसा हुआ है-

'घट ही भीतरि बसे निरंजनु
ता को मरमु न पाइआ'॥2॥[25]

इस प्रकार न्यारे कर्ता (ईश्वर), मिथ्या तथा सपने जैसे संसार तथा घट में रमे हुए राम की त्रयी का आकृतिबंध अनेक प्रकार के विरोधाभासमूलक फेनामेना तथा अंतर्विरोध पूर्ण संघटनाओं का पुंज है। वह हर रंग में है और अलग भी है.... यह एक सर्वोत्तम विरोधाभास है।

गुरु जी की वाणी में आए एक ऐसे विरोधाभास पर भी विचार अपेक्षित है, जो अध्यात्म चिंतन का मूलभूत प्रश्न है; ईश्वरीय सत्ता और मानवीय पौरुष का परस्पर समीकरण। श्लोको के अंत में दोहरे अंकित किए गए है। 53 और 54 अंक के अंतर्गत—

'बल छुटकिओ बंधन परे कछू न होत उपाइ॥
कहु नानक अब ओट हरि गज जिउ होहु सहाइ'॥53॥[26]

यहाँ मनुष्य निर्बल है और ईश्वर या सत्ता के समक्ष पूर्ण रुप से समर्पित है परंतु अगले दोहे में बिल्कुल विपरीत स्थिति है—

'बलु होआ बंधन छुटे,
सभु किछु होत उपाइ॥
नानक सभु किछु तुमरै हाथ मै
तुम ही होत सहाइ॥54॥[27]

यहां गुरु जी मनुष्य को पौरुष दिखलाने को कहते हैं। यह विरोधाभास धार्मिक जगत की विडम्बना भी बन गई है। ईश्वर की इचछा मानकर कहाँ तक स्वीकार करना है और कब मनुष्य को अपने यत्न करने हैं। इस विडम्बना ने राष्ट्र के इतिहास बनाए और बिगाड़ेक हैं। गुरु जी का इशारा है कि समर्पण दैवी-जगत में है जहां व्यक्ति को स्वान बनना है ना कि पदार्थ जगत में। संसार में मानव द्वारा किए जा रहे दमन का विरोध मानव को स्वयं करना होगा न कि किसी ईश्वरीय हस्तक्षेप की राह देखनी होगी।

सारांशतः दो विभिन्न यथार्थों की, दो विभिन्न चरित्र श्रेणियां की, दो विभिन्न संवेग कोटियों की टकराहट तथा संघर्ष को गुरु तेग बहादुर ने कदम कदम पर सर्वाधिक समझा और अनुभाया है। यह प्रवृत्ति उस समय के जननायकों के सामाजिक संघर्ष तथा दार्शनिकों के स्पष्ट आत्म-संघर्ष का भी परिचायक है। 'गुरुजी ने सादृश्य रूपकों के बजाय विरोधी द्वित्ववों के द्वारा ज्यादा सामान्यीकरण तथा प्रतिकीकरण किया है, जिससे यथार्थता की जटिलता तथा समग्रता ज्यादा उजागर होती है।''[28]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अलंकार दर्पणः डॉ. नरेश मिश्र, प्रकाशकः निर्मल पब्लिकेशन, 2001
2. भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र; डॉ. कृष्णदेव शर्मा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
3. भार्गव आदर्श हिंदी शब्दकोश, संपादक प्रो. रामचंद्र पाठक, प्रकाशकः भार्गव बुक डिपो, वाराणसी, 2004
4. श्रीमद्भागवत गीता, पृष्ठ 19
5. गउडी, महला 9
6. गुरु गोविंद सिंह विरचित नाटक पृष्ठ 70
7. सोरठि महला 9
8. राग आसा महला 9
9. सलोक 2
10. राग धनासरी पद संख्या 27
11. सोरठि महला 9
12. सोरठि महला 9
13. देवगंधारी महला 9
14. तिलंग महला 9
15. मारु महला 9
16. सारंग महला 9
17. राग बसंत महला 9
18. राग आसा महला 9
19. सलोक महला 9।।45।।
20. सोरठि महला 9
21. बसंत महला 9
22. श्लोक 49
23. राग गउड़ी महला 9
24. बिहागड़ा महला 9
25. जैतसरी महला 9
26. दोहरा महला 9
27. दोहरा महला 9
28. रमेश कुंतल मेघ, नवम गुरु पर बारह निबंध, प्रकाशन : गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पृष्ठ 97

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

Paper Received : 20th Jan. 2026 **Paper Accepted : 30th Jan. 2026**

हिन्दी साहित्य की समृद्धि में प्रयागराज की वरिष्ठ साहित्यकार उषा प्रियंवदा एवं नासिरा शर्मा का योगदान

□ प्रो. रतन कुमारी वर्मा*

शोध-सारांश

प्रयागराज साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी के रूप में विश्वविख्यात है। यहाँ एक तरफ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है, संगम है तो दूसरी तरफ शहर के हृदयांगन में पूरब का आक्सफोर्ड'' कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी विश्व के कोने-कोने में विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं। राजनीतिक क्षितिज पर अपनी प्रभा प्रकीर्ण कर रहे है। साहित्य के आकाश में अगणित नाम चमक रहे है। उन्ही में से ख्यातिलब्ध कथाकार उषा प्रियंवदा तथा नासिरा शर्मा के योगदान को रंखांकित करना इस शोधपत्र का अभीष्ट है। उषा प्रियंवदा मूलतः कानपुर निवासी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई। फुलब्राइट छात्रवृत्ति प्राप्त की। अमेरिका में रहते हुए भारत के शहरी मध्यवर्गीय जीवन की विद्रूपताओं में अपनी लेखनी का केन्द्र बिन्दु बनाया। सत्तर से नब्बे के दशक में साहित्य के सर्वोच्च शिखर पर छायी रहीं। उनकी ''वापसी'' कहानी तथा पचपन खम्भे लाल दीवारे'' उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार बना। साहित्य अकादमी पुरस्कृत नासिरा शर्मा ने प्रयागराज की पृष्ठभूमि को प्रमुख रूप से अपनी लेखनी का आधार बनायां ईरानी संस्कृति की विशेषज्ञ है। इस्लाम की संस्कृति, रहन-सहन, जीवन के याथार्थ को अपनी रचनाओं में बेबानी से प्रस्तुत किया इनकी रचनायें समाज को समझने में सहायक है।

बीज शब्द—*इलाहाबाद, प्रयागराज, महिला सशक्तीकरण, यथार्थ चित्रण, समाज, साहित्य, संस्कृति, धर्म, शिक्षा।*

इलाहाबाद संस्कृतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक नगरी के रूप में विश्व विख्यात है। यहां पर एक तरफ यदि गंगा, जमुना, सरस्वती की त्रिवेणी है। संगम है, तो एक तरफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' भी है। यहां से सरस्वती की अविरल धारा सदैव प्रवाहित हो रही है। देश-विदेश में अपनी ज्ञान की, साहित्य की छटा सर्वत्र बिखेर रही है। यहां से ज्ञान प्राप्त करने वाले, शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा

* प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, प्रयागराज

रहे हैं। उषा प्रियंवदा का नाम तथा उनकी कहानी 'वापसी' से प्रायः सभी पाठक परिचित हैं, उनके विषय में विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से-पुरस्कृत नासिरा शर्मा पर यह केंद्रित है। उनकी रचना धर्मिता को समग्रता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उषा प्रियंवदा के पिता का नाम दामोदर प्रसाद सक्सेना था। दो भाई थे-शिव लाल सक्सेना और होरीलाल सक्सेना। यह दोनों बड़े थे। शिव लाल सक्सेना अपने समय के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अनेक वर्ष तक लोकसभा के सदस्य रहे। उषा प्रियंवदा तीन बहन थीं। उषा सबसे छोटी थीं। पिता के देहांत के समय उषा प्रियंवदा मात्र 2 वर्ष की थीं। पिता की मृत्यु के बाद उषा प्रियंवदा को माता के साथ ननिहाल में रहना पड़ा। वहाँ के रहन-सहन वातावरण से उषा प्रियंवदा के बालपन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। बहुत सी सामाजिक विसंगतियों एवं दुराग्रहों को झेलना पड़ा। उषा प्रियंवदा स्वयं लिखती हैं। ''मैं कानपुर जैसे भीड़ भरी नगर में मिल की चिमनियों के धुएं से मटमैले आकाश के नीचे पली हूँ।''

उषा प्रियंवदा की प्रारंभिक शिक्षा वेद भारती स्कूल बालिका विद्यालय कानपुर से हुई। उषा प्रियंवदा की दो बड़ी बहनें थीं। श्रीमती कमला सहाय एवं श्रीमती कामिनी हांडा। श्रीमती कमला सहाय के पति श्री यदुपति सहाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। श्रीमती कामिनी हांडा के पति गुजरात में आर्मी में मेजर थे। उषा प्रियंवदा जब कक्षा सातवीं में पढ़ रही थीं, तभी उन्हें चंद्रकांता संतति, माधुरी, चांद पत्रिकाएं पढ़ने का अवसर मिला। बंग्ला से अनूदित हिंदी पुस्तक माधवी शशांक आनंदमठ आदि को अपनी अभिरुचि के अनुसार पढ़ा। हिंदी में विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा की रचनाओं से बहुत प्रेरित हुईं। इलाहाबाद आने पर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, पंत, आदि का सानिध्य प्राप्त हुआ। इन सभी की प्रेरणा से लेखन के प्रति उनकी जागरुकता और बढ़ी।

उषा प्रियंवदा ने अपनी माता का नाम अपने नाम से जोड़ लिया और उपनाम सक्सेना को नहीं लगाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, परास्नातक तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यह सभी शिक्षा अंग्रेजी साहित्य में प्राप्त किया। अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका रुझान सदैव हिंदी भाषा के प्रति अनुरक्त रहा। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज मिरांडा हाउस में कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया। 1961ई0 इंडियाना विश्वविद्यालय ब्लूमिंगटन में पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिए फुलब्रपाइट छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चली गईं। वहां उनकी मुलाकात किम विल्सन से हुई बाद में उनके साथ विवाह कर लिया। परंतु यह संबंध अधिक दिनों तक नहीं चला और 1977 में किम विल्सन उनसे अलग हो गए। 1981 में उन्होंने हारवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पेर न्यक्रॉग से शादी की। 2014 में नयक्रॉग का निधन हो गया। पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के बाद उषा प्रियंवदा 1964 ईस्वी में विसकांसिन विश्वविद्यालय मैडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गईं। अब वे सेवा निवृत्त हो चुकी हैं और अभी भी वहीं पर रहती हैं। इस समय उनकी उम्र लगभग 94 वर्ष हो चुकी है। अभी भी विभिन्न देशों की यात्रा करती हैं और लेखन कार्य में रत हैं।

उषा प्रियंवदा का कथा साहित्य पर असाधारण अधिकार है। उषा प्रियंवदा को 1961 में छपी 'वापसी' कहानी से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। संयुक्त परिवार के विघटन की गाथा 'वापसी' कहानी में गुंजित हुई है। छठें तथा सातवें दशक के शहरी जीवन का बहुत सूक्ष्मता से संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है। गहरे यथार्थ से संपृक्त इनकी कहानियों ने मध्यवर्ग को अपना पाठक विशेष रूप से बनाया। इनकी रचनाओं को बहुत सम्मान मिला। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं तथा दूर दर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों के माध्यम से इनकी रचनाएं जन-जन तक पहुंची। 'पचपन खंभे लाल दीवारें' उपन्यास को धारावाहिक के रूप में प्रसारित किया गया। इससे उषा प्रियंवदा को बहुत लोकप्रियता मिली। नब्बे के दशक में इनकी रचनाओं ने इन्हें बहुत ख्याति प्रदान की। इनकी रचनाओं में संयुक्त

परिवार का विघटन प्रमुखता से चित्रित हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं—कहानी संग्रह-ज़िंदगी और गुलाब के फूल (1961), एक कोई दूसरा (1966), फिर वसंत आया (1961), वनवास (2010), प्रतिनिधि कहानियां (2018), अंतर्वशी (2000), भया कबीर उदास (2007), नदी (2013), अल्पविराम (2019)। इनकी कृतियों के लिए इन्हें अनेक सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए। जिनमें प्रमुख हैं—2007 में केंद्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा पद्मभूषण, डॉ. मोटूरि सत्यानारायण पुरस्कार जो कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कर कमलों से उषा प्रियंवदा ने प्राप्त किया था। इन्हें प्रेमचंद्र सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। शहरी जीवन की विसंगतियों-एकाकीपन, उदासी तथा ऊब को अपनी रचनाओं में बहुत बारीकी से चित्रण किया है। शहरी जीवन की स्वार्थपरता, बदलती हुई मानसिकता, भौतिकता, मूल्यों का विघटन, भारतीय संस्कृति का क्षरण यह सभी तथ्य इनकी कहानियों एवं उपन्यासों की मूल संवेदना हैं। भारतीय संस्कृति के लिए कथा-साहित्य में जगह-जगह स्थान दिया है। भारतीय मूल्यों से वह स्वयं बहुत प्रेरित थीं। पंत और प्रेमचन्द का साहित्य उनका मूल प्रेरणा उत्स था। वह स्वयं इनकी रचनाओं के प्रभाव को स्वीकार करती हैं। इसलिए अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार, उनमें आ रही कमियों के प्रति जनता को जागरुक किया है। इनके कहानी एवं उपन्यास का प्रभाव पाठक पर अमिट है। जिन्होंने नब्बे के दशक में अपने समय में 'पचपन खंभे लाल दीवारें' धारावाहिक को देखा है, उसकी छवि अमिट हैं। बदल रहे मूल्यों के प्रति सचेत करती हैं।

नासिरा शर्मा

प्रख्यात लेखिका नासिरा शर्मा का जन्म एक संपन्न मुस्लिम शिया परिवार में 22 अगस्त 1948 को इलाहाबाद (वर्तमान में प्रयागराज), उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम प्रो0 जमीर अली तथा माता का नाम नाझनीन बेगम था। प्रो0 जमीर अली उर्दू के प्रोफेसर एवं प्रगतिशील विचारधारा के प्रतिष्ठित कवि थे। उदार हृदय वाले पिता एवं माता का वरदहस्त सदैव नासिरा शर्मा को प्राप्त था। परिवार में साहित्यिक वातावरण होने के कारण शुरू से ही साहित्य में नासिरा शर्मा की अभिरुचि हो गई। नासिरा शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद के काँन्वेंट स्कूल से प्राप्त हुई। उच्च शिक्षा जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त हुई। जे एन यू से फारसी भाषा में एम.ए. की डिग्री हासिल की। साथ ही साथ अन्य भाषाओं-हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो का भी ज्ञान प्राप्त किया। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया वि.वि. नई दिल्ली में फारसी भाषा के अध्यापन कार्य से करियर की शुरुआत की। किन्तु कुछ दिनों के बाद अध्यापन कार्य छोड़ दिया। कुछ समय तक निजी रेडियों स्टेशन पर प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में कार्य किया। कुछ समय बाद यह कार्य भी छोड़कर सम्पूर्ण जीवन साहित्य साधना में समर्पित कर रही हैं। नासिरा शर्मा ने अंतरधार्मिक प्रेम विवाह किया। उनके पिता डॉ. रमेशचन्द्र शर्मा जवाहर लाल नेहरु विश्व विद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। नासिरा शर्मा का लेखन कार्य कहानियों से शुरू हुआ। उनका पहला कहानी संग्रह 'पत्थर गली' नाम से 1986 में प्रकाशित हुआ। इनकी कहानियों में जीवन के यथार्थ का सजीव चित्रण है जिससे पाठक वर्ग इनके जुड़ा हुआ महसूस करता है। नासिरा शर्मा ने हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया है जिनमें कहानी, उपन्यास, लेख, रिपोर्ताज और अनुवाद कार्य विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं।

कहानी और उपन्यास विधा पर नासिरा शर्मा का असाधारण अधिकार है इसीलिए कहानी एवं उपन्यास की रचना विपुल मात्रा में किया है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं—"पत्थर गली (1986), इब्ने मरियम, संग-सार (1993), सबीना के चालीस चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल (2001), दूसरा ताजमहल (2002), बुतखाना, अफगानिस्तानः बुजकशी का मैदान (सम्पूर्ण अध्ययन दो खण्डों में), मरजीना का देश इराक।"[1] उनके प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित हैं, जो उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा के आधार बिन्दु हैं—"शाल्मली (1987), ठीकरे की मंगनी (1989), जिंदा मुहावरे (1994), सात

नदियां एक समंदर, अक्षयवट, जीरो रोड, कुइयां जान, पारिजात, कागज की नाव, शब्द पखेरु, दूसरी जन्नत।''[2] नासिरा शर्मा ने अपने बेबाक लेखों के माध्यम से साहित्य जगत में जबरदस्त दस्तक दी है। लेखों के शीर्षक से ही उनमें अंतर्निहित आवाज का पता लगता है। ''राष्ट्र और मुसलमान, औरत के लिए औरत, औरत की दुनिया, वो एक कुमारबाज थी, औरत की आवाज।''[3] रिपोर्ताज में भी नासिरा शर्मा ने अपनी जगह बनाई है—''जहाँ फौव्वारे लहू रोते हैं।''[4] ''यादों के गलियारे''[5] नाम में संस्करण में भी अपनी स्मृतियों को सहेजा है। विभिन्न भाषाओं से अनुवाद कार्य में भी दिलचस्पी ली है। ''शाहनामा-फिरदौसी-गुलिस्तान-ए-सादी, किस्सा जाम का, काली छोटी मछली, पोयम आफ प्रोटेस्ट, बर्निंट पायर, अदब में बांई पसली।''[6] आलोचना जगत में भी कार्य किया। ''किताब के बहाने, सबसे पुराना दरख्त''[7] उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। नासिरा शर्मा के उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जो कि निम्नलिखित है—''अर्पण सम्मान-हिन्दी आकदमी दिल्ली, महादेवी वर्मा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, अन्तरराष्ट्रीय इन्दु शर्मा कथा सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, महात्मागांधी पुरस्कार-हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, गजानन मुक्तिबोध सम्मान-भोपाल।''[8] हिन्दी साहित्य की समृद्धि में इलाहाबाद की बहुत सी लेखिकाएं निरन्तर सृजनशील हैं। उनमें उषा प्रियंवदा तथा नासिरा शर्मा का योगदान अप्रतिम है। इसलिए उनके योगदान को रेखांकित करने का एक लघु प्रयास किया गया है। आशा है कि पाठक वर्ग को इन लेखिकाओं की रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

उषा प्रियंवदा

1. http://www.bpc kinwal.com
2. hi.m.wikipedia.org
3. hindwi.org
4. hi.m.wikipedia.org

नासिरा शर्मा

1. Leverage Edu.com
2. Leverage Edu.com
3. Leverage Edu.com
4. Leverage Edu.com
5. Leverage Edu.com
6. Leverage Edu.com
7. Leverage Edu.com
8. Leverage Edu.com

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 3rd March 2026 **Paper Accepted : 7th March 2026**

खूब लड़ी मर्दानी बनाम झलकारीबाई

□ **प्रो. शिवप्रसाद शुक्ल***

शोध-सारांश

समकालीन कवियों में डॉ. राम बोध पाण्डेय काफी चर्चित हैं। वे राष्ट्र-बोध के दायरे को इतिहास, मिथक एवं नवजागरण के अन्तर-विरोधों के माध्यम से खंगालते हैं। कुंती, देवव्रत भीष्म, भगवान परशुराम, युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज, कुणाल, एवं खूब लड़ी मर्दानी जैसे महाकाव्यों की सर्जना कहीं न कहीं अतीत के मार्फत वर्तमान को आर्यवर्त के पुराने आर्यावर्त से जोड़ता है। मूर्धन्य कवियों एवं आलोचकों ने इनके महाकाव्य 'खूब लड़ी मर्दानी' पर बहुत कुछ लिखा है। यानी 'कुणाल' महाकाव्य में गुपत वंश के कलह, अन्तर-विरोध एवं लंपटई को देख सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग गुलाम बनते चले गए। इतिहास का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन नहीं किया जाएगा तो गुलामी की मानसिकता से हम लोग छुटकारा नहीं पायेंगे। तुलसीदास ने लिखा है कि 'सबसे कङ्गिन जाति अपमाना- के आधार पर कहीं न कहीं आर्यावर्त को गुलाम बनाने के साथ भौगोलिक सीमाओं को समेटने के रहस्य को भी समझा जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई या झलकारीबाई कहाँ कब सि खानदान में पैदा हुईं, के बाद उनकी मित्रता कहीं न कहीं अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाती है। यह महाकाव्य प्रथम सर्ग 'पृष्ठ्रामि' से प्रारम्भ होकर चौबीसवें वर्ग; 'चिता की राख' पर समाप्त होता है। यानी हम लोग क्यों, कैसे गुलाम बने, यह भी जानना, समझना होगा या अपनी मानसिकता से अब तक गुलाम रहेंगे?

बीज शब्द—*महारानी लक्ष्मीबाई, गुलामी की मानसिकता, सांस्कृतिक राष्ट्र-बोध, भारत-बोध, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय अखंडता, नेतृत्व एवं दूरदर्शिता, मानव-धर्म, भारती साहित्य इत्यादि।*

इतिहासकारों ने तो बहुत कुछ लिखा है परंतु जनश्रुतियों में लक्ष्मीबाई आज भी विद्यमान हैं। स्त्री या पुरुष कोई भी हो अपने अशेष कौशल से इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो ही जाता है। अपना पुत्र हो या दत्तक पुत्र हो दोनों उत्तराधिकारी भारतीय व्यवस्था में थे परन्तु अंग्रेजों के आने के बाद लक्ष्मीबाई के सामने दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उनकी परिचारिका का सखी झलकारी बाई कदम से कदम मिलाकर पहले शहीद होती है, बाद में लक्ष्मीबाई। कवियों को दोनों का मूल्यांकन समान धरातल पर करना होगा। सांस्कृतिक राष्ट्र-बोध के तमाम व्यावर्तक लक्षण उनके महाकाव्यों में भरे पड़े हैं। कवि या रचनाकार यदि इतिहास एवं मिथक से समकालीन विसंगतियों को देख रहे हैं तो

* आजारी सं0 18, चक तेजऊ दीक्षित, गंगापुरम, नैनी, प्रयागराज-211008
मो. : 7016394609/9409214619, ईमेल आई डी-shukla.shiv67@gmail.com

सांस्कृतिक राष्ट्र-बोध को खतरा है। भारत-बोध के व्यावर्तक लक्षण इस महाकाव्य को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जो लोग तटस्थ इतिहास से परिचित नहीं है वे लोग डॉ0 राम बोध पाण्डेय के किसी भी महाकाव्य को समझ नहीं सकते हैं....

''मजहबी उन्माद ने पूरा बिगाड़ा खेल,
सूखती ही गई पल-पल सल्तनत की बेल।
छिड़ चुका संघर्ष था, चहुँओर अति घनघोर,
नाक में डाली मराठों ने भी खूब नकेल।''[1]

इन्द्र या अशोक की लंपटई किसी से छिपी नहीं है। बौद्ध, जैन धर्मों के उदय से सहृदयता के बजाय भाषा, बोली, भौगोलिक एवं जातिगत दूरियों ने आर्यवर्त को गुलाम बनाया। भारतेन्दु इसीलिए 'अंधेर नगरी'; में लिखते हैं....

''जहाँ न धर्म न बुद्धि
नहिं, नीति न सुजन समाज
ते ऐसहिं आपुनहिं नसे,
जैसे चौपट राजा।''

(अंधेर नगरी) भारतेन्दु आर्यावर्त की गुलामी के नस को पकड़ते हैं....

''ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य अरु सैयद शेख पठान।
दै बताइ मोहि कौन जो करत न मदिरा पान।
पियत भट्ट के ठट्ट अरू गुजरातिन के वृन्द।
गौतम पियत अनन्द सो पियत अग्र के नंद।
वैष्णव लोग कहा वहीं कंठी मुद्रा धारि।
छिपि-छिपि कै मदिरा पियहिं,
यह जिय माँझ विचारि।''

व्यवस्था कोई भी हो उसे दबंग () अपने अनुसार बना लेते हैं। आर्यावर्त के गुलाम बनने की प्रक्रिया 'कुणाल' के अंधत्व के समय से बनने लगी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने साम्राज्य को बचाने के लिए विद्रोह किया था परन्तु इसके पहले आदिवासियों के विद्रोह की राष्ट्रीयता से जोड़कर इतिहासकारों ने नहीं लिखा। कवि ने रानी लक्ष्मीबाई के आदि औलाद के साथ जन्मपत्री का भी निरूपण किया है। लक्ष्मीबाई की शादी का विधिवत निरूपण द्रष्टव्य है...

वहाँ महाराज करेंगे नीतियों का निर्वाह,
होगा उसके बाद ही सम्पन्न शुभ विवाह,
आनंद मग्न हो चले थे सुन के सारे लोग,
तन-मन में छाया हुआ गजब का उछाह।''[2]

मुंदर ने ही दोनों सहेलियों 'मोतीबाई' एवं 'सुंदर' से परिचय करवाया। कवि लक्ष्मीबाई की कार्यक्षमता, वीरता, सौंदर्य के कसीदे गढ़ता है। समग्र भारतीय रीति-रिवाजों के आधार पर लक्ष्मीबाई का विवाह हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ...

''भावरें सातों पड़ी, साक्षी हुए सातों वचन,
नयन में तिरने लगे थे, प्रीति के स्वर्णिम सपन,
भर दिया सिंदूर राजा ने प्रिया की माँग में,
तुमुल मंत्रोच्चार में रंजित हुआ तब भू-गगन।''[3]

भारतीय बोध हर स्तर पर होना चाहिए। राजा और रानी लक्ष्मीबाई का दांपत्य कहीं न कहीं सांस्कृतिक-पारिवारिक पृष्ठभूमि को नए आयाम दे रहे थे इसीलिए राजा ने 'मनू' के बजाय लक्ष्मी रखा। यानी मनू से लक्ष्मीबाई तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन की अद्भूत दास्तान सर्व-विदित है....

''तुम्हारा बदल रहा हूँ नाम,
मनू से अब न चलेगा काम;
'लक्ष्मी' हम बोलेंगे तुम्हें,
यही संज्ञा सबसे अभिराम।''[4]

अंग्रेजों की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लक्ष्मीबाई झाँसी तो आ गई परन्तु झाँसी का हाल बेहाल थ। सभी रजवाड़े अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। अज, दशरथ, राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त की परम्परा को भूल चुके थे। कवि उस समय की मनोभूमि को काव्यभाषा में यों व्यक्त कर रहे हैं....

''चार्ल्स नेपियर का सपना भारत सम्पूर्ण हड़पना था,
बारह वर्ष अनवरत सत्ता का सुख उसको चखना था;
शेष न होगा इक नरेश भी भारत की इस धरती पर,
साथ-साथ नेपाल राज्य पर भी निज अंकुश रखना था।''[5]

अभिराज राजेन्द्र मिश्र के अनुसार- ''1857 की स्वातंत्र्य-क्रांति में ग्वालियर तथा रीवाँ की रियासतें खुलकर अंग्रेजों के साथ थीं। यह तथ्य मिर्जापुर से 09 जून 1857 को कर्नल बर्च को भेजे गये लेफ्टीनेंट ओस्बोर्न के पत्र से भी पूर्णतः स्पष्ट है। रीवा नरेश ने छः सौ घुड़सवार, पाँच सौ पैदल सिपाही तथा पाँच बंदूकें दीं थीं, मिर्जापुर, बनारस और चुनार दुर्ग की रक्षा के लिए ग्वालियर नरेश ने जबलपुर, दमोह, नागोद और सागर की हिफाजत के लिए गोरों को एक सौ घुड़सवार, चार सौ सैनिक तथा दो बंदूकें

दी थीं। भला ऐसे महान ग्वालियर नरेश राष्ट्रभक्त लक्ष्मीबाई के लिए किले का फाटक खुलवाते हैं?.... निरंतर झाँसी से कालपी और कालपी से ग्वालियर तक धावन कर प्राणपिय्र अश्व भी मर चुका था।.... रानी ने लगाम मुँह से पकड़, दोनों हाथों से खड्ग भाँजते कईयों को सुला दिया।.... पाटल-पुष्प-सरीखी रानी लक्ष्मीबाई भारत माता के चरणों में नैवेद्यवत् अर्पित हो उठी।''[6]

रानी लक्ष्मीबाई का उद्देश्य पहले से ही तय था, तभी कवि काव्यभाषा में कुछ गुनगुनाता है.....

''उन्होंने निश्चय किया मुंडन कराऊंगी तभी,
देश जब आजाद होगा काट बाधायें सभी;
यदि न मिल पाई मुझे संघर्ष में वह सफलता,
अग्नि के श्मशान में मुंडन कराऊँगी कभी।''[7]

रानी लक्ष्मीबाई अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए जी जान से लगी थीं परंतु उसके सैनिकों में झलकारीबाई की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय भी गद्दार लोग थे और आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में गद्दार लोग हैं। सिंधिया परिवार पहले से ही गद्दार था और आज लोकतांत्रिक देश में भी सत्ता पाने के कारण दल-बदल कर रहे हैं। देश गुलाम गद्दारों के कारण ही हो रहा है। जूही या अन्य भेष में जासूसी करना अलग बात है परन्तु मुकाबले में झलकारीबाई एवं रानी लक्ष्मीबाई ही शौर्य प्रदर्शन के साथ शहादत को प्राप्त होती हैं। शक, हूण, यहूदी, मुसलमानों एवं अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज अंग्रेजी भाषाई गुलामी से भारत मुक्त नहीं हो पा रहा हैं...

''जबलपुर के कमिश्नर को भेज दें जल्दी खबर,
रानी ने खुद पकड़ ली है अब बगावत की डगर,
फौजी दस्ता भेजिए उसको कुचलने के लिए,
जिससे खुद ही टूट जाये गदर की उठती लहर।''[8]

झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भले ही ओरछा साम्राज्य से सम्बद्ध थीं परन्तु नत्थे खाँ की चालबाजियों को भी उन्होंने कुचल डाला। गद्दारों की कमी न पहले थी और न आज भी है। राष्ट्र या मानव धर्म या वसुधैव कुटुम्बकम्, की किसी को पड़ी ही नहीं है। ''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी'' का जज़्बा हर भारतीय में होना चाहिए। जनरल ह्यूरोज को रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति झाँसी वाले ही बताने वाले थे। इसलिए झलकारीबाई एवं लक्ष्मीबाई की रणनीति को अंग्रेजों तक पहुंचाने वाले अपने ही लोग थे....

''अंग्रेजी सेना बँट गई दो भागों में उस रोज,
एक हिस्से ने महू छावनी में राह ली थी खोज।
दूसरा हिस्सा सागर की तरफ रवाना हो गया,
रणनीति का उस्ताद था वह जनरल ह्यूरोज।''[9]

जनरल ह्यूरोज की रणनीति, संदेश एवं पत्र कहीं न कहीं रानी लक्ष्मीबाई को गहरी चोट पहुँचा रहे थे फिर भी रानी अपनी सखियों एवं सैनिकों के साथ सर्तक थीं; इसीलिए मोतीबाई की जगह मोतीसाईं लिखा था। रानी लक्ष्मीबाई के चाक-चौबंद व्यवस्था को डॉ0 राम बोध पाण्डेय यों व्यक्त करते हैं....

''ओरछा फाटक पर रहा दूल्हा जू का इम्तहान,
सैयर फाटक पर खड़ा खुदाबख्श वक्ष तान,
फाटक पर खण्डेराव रहा सागर सिंह सतर्क,
पूरनकोरी के पास उन्नाव फाटक की कमान।''[10]

रानी की युद्ध सजा को डॉ. राम बोध पाण्डेय ने बड़ी गहराई से उकेरा है। उनकी काव्य भाषा से ऐसा लगता है कि कवि वहाँ मौजूद था। रानी लक्ष्मीबाई की नारी ब्रिगेड पुरूष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के लिए आतुर थीं। कवि की काव्य भाषा में एक नवोन्मेष उत्साह साफ परिलक्षित हो रहा है।....

''नारी ब्रिगेड ने किया जयनाद जोर से,
आकाश सारा गुंजरित हो चला शोर से;
जयघोष वह था गूँजा बहुत दूर-दूर तक,
हयूरोज तक सुन धड़का हृदय जोर-जोर से।।''[11]

सर्ग बीस में मोतीबाई, जूही, तात्या एवं रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति से ह्यूरोज काफी चकित हुआ। कई बार कुछ जाम्बाज सैनिक या सिपाही, सामान्य लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं....

''मर चुके थे फौजी दो हजार,
हयूरोज का सपना तार-तार;
अवसर हाथों से निकल चुका,
गोरी सेना थी गई हार।''[12]

देश या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जाति, धर्म, लिंग एवं सम्प्रदाय से ऊपर उठकर एकत्रित होंगे तभी आर्यावर्त या जम्बूदीप या भारत को बचा पाएंगे 'खूब लड़ी मर्दानी' महाकाव्य कहीं न कहीं आज की एवं भविष्य की पीढ़भ से आगाह भी कर रहा है....

''अपनों से झाँसी थी धोखा खा गई,
गद्दारी दूल्हा जू की नज़र आ गई;
निष्ठा का सौदा किया उस नीच ने,
उसकी मति उत्कोच पर ललचा गई।''[13]

रजवाड़ों के समय में भेदिये होते थे, आज लोकतंत्र में भी इस तरह के भेदिये देखे जा सकते हैं। गद्दारों की बढ़ोत्तरी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसीलिए आर्यावर्त की सीमाएँ सिमटती जा रही हैं। प्रादेशिक राजनीति के चलते राष्ट्रीय अखण्डता पर बार-बार संकट आए हैं और आयेंगे। सीमाओं पर तैनात सैनिकों का आए दिन अकस्मात हर दृष्टिकोण से देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई या कुछ लोग राष्ट्रधर्म का निर्वहण कर रहे थे पर दूल्हा जू जैसे गद्दार हर युग एवं हर देश में दिखायी देते हैं। नारी ब्रिगेड की सुंदर, मोती बाई की शहादत से रानी लक्ष्मीबाई विचलित होते हुए भी धैर्य बनाए रखा। झलकारीबाई की बहादुरी को कवि यों अभिव्यक्त कर रहा है....

''किया झलकारी ने संग्राम,
रह गया वह दिन उसके नाम;
काट दिये कितनों के ही शीश,
दर्जनों का किया काम तमाम।''[14]

झलकारीबाई के शौर्य प्रदर्शन एवं युद्ध कला को देखकर अंग्रेज भी हतप्रभ हो गए। झलकारी बाई की तरह वफादार गुल मुहम्मद की वीरता एवं ईमानदारी को इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने में खतियाया है...

''गुल मुहम्मद रहा स्वयं भी साथ,
बना रानी का दायों हाथ,
निभई जिम्मेदारी खूब,
रहा बन पर छाई दिन-रात।''[15]

रानी लक्ष्मीबाई की नेतृत्व कला/दूर-दृष्टि के चलते मोतीबाई, सुंदर, गुल-मुहम्मद, जवाहर, रामचंद्र वगैरह की वफादारी के चलते अंग्रेजों के पसीने छूटते थे। अंग्रेजों के पास समसामयिक अस्त्र-शस्त्र थे जबकि झाँसी के कुछ गद्दार अंग्रेजों से मिलकर रानी लक्ष्मीबाई की सारी बातें बता देते थे। कालपी में जाकर रानी ने राव साहब तात्या आदि से मिलकर लाल-कुर्ती सेना लेकर ह्यूरोज को रोकने आई। अंग्रेजों का तहस-नहस करते हुए रानी बाबा गंगादास की कुटिया गई और देश के हालात के बारे में पूछा, बाबा गंगादास ने कहा कुछ समय तक इंतजार करना होगा। इसी संवाद के चलते रानी को सूचना मिली की ह्यूरोज ग्वालियर तक आ गया है...

''इसी समय आई छनकर खबर,
रोज़ आ पहुँचा ग्वालियर नगर,
फौज संग में है बहुत बड़ी,
रोकनी होगी उसकी डगर।''[16]

चंद अंग्रेजों की रणनीति और भारतीय जयचंदों के द्वारा सफल होती गई। मुगलों या अंग्रेजों के गुलाम हम लोग बने इस कमजोरी एवं इतिहास को जानना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई भी अपने ही गद्दारों से वीरगति को प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों से डटकर मुकाबला रानी कर रही थीं...

''रानी लगती उस समय रणचण्डी का अवतार थीं,
दोनों हाथों खड्ग से वे कर रहीं संहार थीं;
सामने जो भी था अया, सोया असि की धार पर,
चारों दिशि नरमुंड बिखरे, शवों की भरमार थीं।''[17]

अंग्रेज स्मिथ, हयूरोज को सीधे टक्कर दे रही थीं रानी लक्ष्मीबाई एवं उनके सिपहसालाकार। रानी अपनी, झाँसी की, राष्ट्र की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए डट कर लड़ाई लड़ रही थीं....

''रानी झाँसी के लिए ही स्वतः संकल्पित हुई,
हृदय से, तन-मन से पूरी तरह से अर्पित हुई,
करने को संघर्ष उद्यत रहीं अंतिम साँस तक,
विजयिनी तलवार उनकी रक्त से रंजित हुई!''[18]

कवि की काव्य-भाषा में रानी लक्ष्मी बाई जैसा उत्साह साफ परिलक्षित हो रहा है। आगे आने वाली पीढ़ी को इस महाकाव्य को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के उत्सर्ग एवं वीरता का। अंग्रेजों एवं रानी लक्ष्मीबाई का एक ही संकल्प आर-पार की लड़ाई को अंतिम दौर तक पहुंचाया जाये...

''जख्मी थी बाई जाँघ, धार खून की बही,
संभाली दाईं जाँघ, पर सुरक्षित न बह रही,
संगीत की थी हूल लख्मी कर गई उसे,
संभावना भी टूट गई, थोड़ी भी जो रही।''[19]

स्वाधीनता के रणबाँकुरे जी-जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। रानी लक्ष्मी बाई की लड़ाई को सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता में लिखा जबकि उसी बहादुरी को डॉ. राम बोध पाण्डेय ने 24 सर्गों के महाकाव्य में निबद्ध किया और महाकाव्य का शीर्षक भी सुभ्रदा कुमारी

चौहार की कविता से 'खूब लड़ी मर्दानी' ही रखा। रानी की अड़ियल घोड़े ने रानी का साथ नहीं दिया परनतु रानी आद्यंत अंग्रेजों से मोर्चा लेती रही। राम बोध पाण्डेय की सम्प्रेषणीय, बोधगम्य काव्य-भाषा रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व का स्पष्ट आलेखन करती हैं....

''उन जैसी बेटियों पर इस धरा को है गुमान,
वे ही है आन-बान और वे ही स्वाभिमान,
उनकी चरण-रज भाल लगाना परम सौभाग्य,
गुंजित रहेगा युग-युगों तक उनका यशोगान।''[20]

1947 के पहले की कविता और 1947 के बाद की कविता में बुनियादी अंतर है। डॉ. राम बोध पाण्डेय कहीं न कहीं इतिहास के मार्फत वर्तमान को सुधारना चाहते हैं। उनकी समग्र रचनाशीलता में राष्ट्रीय अस्मिता साफ-साफ परिलक्षित हो रही है। कुणाल, परशुराम, कुंती, देवव्रत भीष्म एवं शिवाजी आदि पर लिखे सभी महाकाव्य कहीं न कहीं भारतीय साहित्य की विशिष्टताओं को समसामयिक काव्य-भाषा में उभारते हैं। भारतीय साहित्य एवं इतिहास पर अमिट छाप छोड़ने वाले ये लड़ाकू योद्धा किसी न किसी अन्याय से लड़ने के लिए हम लोगों को आगाह कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई अपनी युद्ध कला से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में स्पष्ट दिखायी देती है। डॉ0 राम बोध पाण्डेय ने 'खूब लड़ी मर्दानी' महाकाव्य के 24 सर्गों में सहज काव्य-भाषा में रानी के साहस, धैर्य, युद्ध-कला, नेतृत्व एवं दूरदर्शिता को खुलकर उकेरा है। त्याग एवं बलिदान उस समय रानी लक्ष्मीबाई का जन-जन के आँखों में बस गया। आज भी लोक जीवन में सभी लोग झलकारीबाई एवं लक्ष्मीबाई को बड़े आदर के साथ याद करते हैं। डॉ. राम बोध पाण्डेय के इस महाकाव्य में गद्दार एवं वफादार दोनों का स्पष्ट आरेखन कहीं न कहीं समसामयिक लोकतंत्र में दिखायी दे रहा है। रानी के लिए राष्ट्र प्रथम था तो डॉ0 राम बोध पाण्डेय के लिए भी राष्ट्रप्रेम प्रथम है। इसीलिए प्रधानमंत्री एक राष्ट्र, एक चुनाव की बात तो कर रहे हैं परन्तु एक शिक्षा होना जरुरी है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी 'वन नेशन, 'वन इलेक्शन' एवं 'वन एजुकेशन' अनिवार्य होना चाहिए; तभी आर्यावर्त की सीमाओं को समझा एवं सुरक्षित किया जा सकता है इस तरह के महाकाव्य कहीं न कहीं पाठ्यक्रमों में भी लगें जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम का भाव जागे।

सन्दर्भ सूची :

1. खूब लड़ी मर्दानी : डॉ. राम बोध पाण्डेय, राका प्रकाशन, प्रयागराज, प्रथम संस्करण 2024ई0, सर्ग-एक, पृ.-55
2. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- पाँच, पृ.-83
3. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डये, सर्ग- सात, पृ.-93
4. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डये, सर्ग- आठ, पृष्ठ-99
5. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग-नौ, पृ.-100
6. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, नांदीवाक्, पृ.-8
7. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- सत्रह, पृष्ठ-159
8. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- अठारह, पृष्ठ-169
9. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- उन्नीस, पृष्ठ-171
10. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग-उन्नीस, पृष्ठ-174
11. खूब लड़ी मर्दानी : डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग-उन्नीस, पृष्ठ-176
12. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ, राम बोध पाण्डेय, सर्ग- बीस, पृष्ठ-182
13. खूब लडी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- इक्कीस, पृष्ड-185
14. खूब लड़ी, मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- बाईस, पृष्ठ-192
15. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- बाईस, पृ.-19
16. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- बाईस, पृष्ठ-199
17. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- तेईस, पृष्ठ-201
18. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- तेईस, पृष्ठ-205
19. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- चौबीस, पृष्ठ-210
20. खूब लड़ी मर्दानी, डॉ. राम बोध पाण्डेय, सर्ग- चौबीस, पृष्ठ-216

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 6th March 2026 **Paper Accepted : 9th March 2026**

सूर्यबाला के साहित्य में भाषा और शैली में संस्कृति अभिव्यक्ति

▫ अनुभव तिवारी*
▫ डॉ. मंजू भट्ट**

शोध-सारांश

समकालीन हिंदी कथा–साहित्य में सूर्यबाला का विशिष्ट स्थान है। उनके साहित्य में भाषा और शैली केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना का सशक्त रूप हैं। वे अपनी रचनाओं में बोलचाल की सहज, जीवंत और व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग करती हैं, जिसमें लोकभाषा, मुहावरे, कहावतें और जनजीवन से जुड़े शब्द स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहते हैं। इससे उनकी रचनाएँ आम पाठक के अनुभव संसार से जुड़ती हैं और सामाजिक यथार्थ को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती हैं। सूर्यबाला की भाषा में मध्यवर्गीय जीवन की संवेदनाएँ, घरेलू वातावरण, पारिवारिक संबंधों की गर्माहट और सामाजिक व्यवहार की सूक्ष्मता स्पष्ट दिखाई देती है। वे शहरी और ग्रामीण जीवन की सांस्कृतिक परतों को संवाद, व्यंग्य और वर्णन शैली के माध्यम से जीवंत बना देती हैं। उनकी शैली में हास्य–व्यंग्य का विशिष्ट प्रयोग मिलता है, जो समाज की विसंगतियों, पाखंड और बदलते मूल्यों पर तीखा किन्तु सहज प्रहार करता है। यह व्यंग्य कटु न होकर मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा होता है, जिससे पाठक आत्मचिंतन के लिए प्रेरित होता है। उनकी रचनाओं में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पारिवारिक परंपराओं, त्यौहारों, सामाजिक रीति–रिवाजों, स्त्री–अनुभवों और बदलती जीवनशैली के चित्रण के माध्यम से सामने आती है। विशेषतः स्त्री जीवन की सांस्कृतिक भूमिका, घरेलू दायित्व, सामाजिक अपेक्षाएँ और आत्मसम्मान की संघर्षशील चेतना को वे सरल भाषा में गहरी संवेदना के साथ प्रस्तुत करती हैं। उनकी शैली में संवादात्मकता, व्यंग्यात्मक तीक्ष्णता, आत्मीयता और यथार्थपरकता का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार सूर्यबाला का साहित्य भाषा और शैली के

* पी–एच. डी. शोधार्थी
** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी–विभाग), डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाएँ न केवल सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करती हैं, बल्कि बदलते सांस्कृतिक मूल्यों के बीच मानवीय संवेदनाओं और परंपरागत जीवन मूल्यों की निरंतरता को भी रेखांकित करती हैं।

मुख्य शब्द– सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, भारतीय संस्कृति, मध्यवर्गीय जीवन, स्त्री अनुभव, पारिवारिक संबंध, सामाजिक व्यंग्य, लोकभाषिक तत्त्व, परंपरा और आधुनिकता, सांस्कृतिक मूल्य।

भूमिका

हिंदी साहित्य में भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक चेतना की वाहक होती है। साहित्यकार अपने समय, समाज और सांस्कृतिक परिवेश को भाषा के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में सूर्यबाला का साहित्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उनकी रचनाओं में भाषा और संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। वे अपने कथा–साहित्य, व्यंग्य और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय जीवन–मूल्यों, पारिवारिक संबंधों, सामाजिक व्यवहारों और बदलते सांस्कृतिक परिवेश को अत्यंत सहज और प्रभावी भाषा में व्यक्त करती हैं।

सूर्यबाला के साहित्य में भाषा की विशेषताएँ

(क) सरल और सहज भाषा– सूर्यबाला की भाषा की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी सरलता और सहजता है। उन्होंने अपने साहित्य में अत्यधिक जटिल या क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। उनकी भाषा आम जनजीवन से जुड़ी हुई है, जिससे पाठक को पढ़ने में सहजता महसूस होती है। उनकी कहानियों में संवादात्मक शैली का व्यापक प्रयोग मिलता है, जो पात्रों को जीवंत बना देता है। उदाहरण के रूप में उनकी कहानियों में मध्यवर्गीय परिवारों के दैनिक जीवन की भाषा का प्रयोग मिलता है, जो वास्तविकता का आभास कराता है।

(ख) बोलचाल की भाषा का प्रयोग– सूर्यबाला की भाषा में बोलचाल के शब्दों और मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। इससे उनकी रचनाएँ अधिक स्वाभाविक और प्रभावशाली बन जाती हैं। बोलचाल की भाषा का प्रयोग उनकी कहानियों को जीवन के और अधिक निकट ले आता है। उदाहरण के लिए, उनके पात्र अक्सर ऐसे संवाद बोलते हैं जो सामान्य जीवन में प्रयुक्त होते हैं। इससे पाठक को लगता है कि वह किसी वास्तविक परिस्थिति को देख रहा है।

(ग) व्यंग्यात्मक भाषा– सूर्यबाला के साहित्य की एक प्रमुख विशेषता व्यंग्यात्मक भाषा है। उन्होंने समाज की विसंगतियों, पाखंड और सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। उनका व्यंग्य कटु नहीं बल्कि हास्य के माध्यम से प्रस्तुत होता है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली सामाजिक विसंगतियों को उजागर करते हुए पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करती है।

सूर्यबाला के साहित्य में शैली की विशेषताएँ

(क) व्यंग्य और हास्य शैली– सूर्यबाला की रचनाओं में व्यंग्य और हास्य का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग मिलता है। वे सामाजिक समस्याओं और विसंगतियों को व्यंग्य के माध्यम से उजागर करती हैं। उनकी कहानियों में हास्य के साथ–साथ गहरी सामाजिक संवेदना भी देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में, उनकी कई कहानियाँ मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं को हल्के–फुल्के हास्य और व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं।

(ख) यथार्थवादी शैली– सूर्यबाला की शैली मुख्य रूप से यथार्थवादी है। उन्होंने समाज की वास्तविक परिस्थितियों को बिना किसी आडंबर

के प्रस्तुत किया है। उनके पात्र आम जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी समस्याएँ और संघर्ष वास्तविक प्रतीत होते हैं। उनकी कहानियों में समाज के विभिन्न वर्गों–विशेषकर मध्यवर्ग–की समस्याओं और संघर्षों का चित्रण मिलता है।

(ग) संवादात्मक शैली– उनकी कहानियों में संवादों का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग मिलता है। संवादों के माध्यम से पात्रों की मानसिक स्थिति, सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। संवादात्मक शैली के कारण उनकी रचनाएँ अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली बन जाती हैं।

सूर्यबाला के साहित्य में संस्कृति की अभिव्यक्ति

(क) पारिवारिक मूल्यों का चित्रण– सूर्यबाला के साहित्य में भारतीय परिवार व्यवस्था और पारिवारिक मूल्यों का सशक्त चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों में परिवार के भीतर के रिश्तों–माता–पिता, पति–पत्नी, भाई–बहन की संवेदनशीलता और जटिलताओं को दर्शाया गया है।

सूर्यबाला ने अपने उपन्यासों में बदलते पारिवारिक संबंधों और सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण को अत्यंत मार्मिक रूप में चित्रित किया है। 'अग्निपंखी' में आधुनिकता और शहरी जीवन के प्रभाव से माता–पिता और संतान के संबंधों में आई दूरी को दर्शाया गया है। जयशंकर की विधवा माँ ने जीवन भर कष्ट सहकर उसे पढ़ाया–लिखाया, किन्तु शहर पहुँचने पर वही बेटा अपनी माँ के प्रति संवेदनहीन हो जाता है– "अच्छा जानवर पालकर रखा है, घर में? न मरती है न छुट्टी करती है।"[1] यह संवाद आधुनिकता के प्रभाव से मानवीय संवेदनाओं के क्षीण होने का संकेत देता है। इसके विपरीत 'यामिनी कथा' में मातृत्व की करुणा और संवेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। जब विश्वास की बीमारी का पता चलता है, तो उसकी माँ अपने आभूषण तक अर्पित करते हुए कहती है–''पैसों की बात सुनते ही बावली सी, अपने कितने आभूषण लाकर बिखेर दिए थे और याचिका सी बिलखी थी। मेरे विशु के इलाज में कोई कसर न रहे।... मेरे बेटे की जिन्दगी से बढ़कर और कुछ नहीं। वह जैसी हालत में भी रहे, बिस्तर पर भी रहे, पर वह जिंदा रहे, मुझे उसकी जिन्दगी चाहिए, बस।''[2] यह माँ के निस्वार्थ प्रेम और भारतीय पारिवारिक संस्कारों की गहराई को व्यक्त करता है। इस प्रकार माँ अपनी सन्तान को कष्ट में देखकर अत्यन्त दुःखी होती है। माता–पिता का मन अपने बच्चों के प्रति हमेशा कोमल भाव को लिए होता है। वे अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी मानते हैं। माता–पिता बड़े प्यार से बच्चों का पालन–पोषण और पढ़ाते लिखाते हैं कि बुढ़ापे में वे उनका सहारा बनेंगे, पर यह प्रवृत्ति आज समय के साथ–साथ समाप्त हो चुकी है।

भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य संबंध परिवार की आधारशिला माने जाते हैं। आचार्य श्रीराम शर्मा लिखते हैं– ''दाम्पत्य जीवन के ऊपर, पारिवारिक, सामाजिक व्यक्तिगत सभी तरह की उन्नति और विकास निर्भर करते हैं। पति पत्नि के सहयोग एकता परस्पर आत्मोत्सर्ग, त्याग सेवा आदि से दाम्पत्य जीवन की सुखद और स्वर्गीय अनुभूति सहज ही की जा सकती है। इससे मनुष्य के आंतरिक और बाहरी जीवन के विकास में बड़ा योग मिलता है।''[3] वे आगे कहते हैं– ''पति–पत्नि का शुद्ध सात्विक प्रेम। जब दोनों एक–दूसरे के लिए अपनी स्वार्थ–भावना का परित्याग कर देते हैं तब हृदय परस्पर मिल जाते हैं। प्रेम में अहंकार का भाव नहीं होता है। त्याग ही त्याग चाहिए। जितने गहन तल से समर्पण की भावना होगी उतना ही प्रगाढ़ प्रेम होगा।''[4]

भारतीय संस्कृति में धार्मिक उद्दश्यों में बंश वृद्धि और पितरों के श्राद्ध तर्पण के लिए पत्र वैदिक काल से ही महत्त्व दिया गया है। उस काल में यह कामना पुत्री के विकास में बाधक नहीं थी, परन्तु कालान्तर में हासोन्मुख सामाजिक स्थितियों में यह लड़की की स्वस्थ सामाजीकरण की प्रक्रिया में वाधक सिद्ध हुई। स्त्री शोषण के उपर्युक्त विभिन्न रूप हैं इसके अतिरिक्त भी स्त्री समाज एवं परिवार में तलाक, शारीरिक विभिन्नता, आर्थिक पराधीनता एवं जातीय एवं सामुदायिक रूढ़ियों के एवं कन्या

शिशुओं की हत्या जैसी अमानुशिक यातनाओं के माध्यम से निरन्तर शोषित एवं उत्पीड़ित होती रहती हैं।

'मेरे संधि–पत्र' उपन्यास में शिवा के पति रायसाहब शिवा के स्वभाव, व्यवहार, स्नेह आदि से बहुत खुश हैं। परंतु जब उन्हें शिवा से पुत्री होती है तो उदासी छा जाती है। पहली पत्नी से उन्हें दो लड़कियाँ हैं। इसके उलटे जब उनके बेटी को बेटा होता हैं तो वे खुशियों से सराबोर हो जाते हैं। मिठाइयाँ बांटते है, खास दोस्तों को पार्टी पर बुलाया जाता है। पार्टी में खुशी जाहिर करते रायजादा कहते हैं–''जन्म भर तो बेटे का इंतजार करता रहा, अब बेटी के बेटे पर ही सोचा हौसला निकाल लूँ'' ।[5]

रायजादा और शिवा को पूरे चार साल बाद भी लड़की ही होती हैं। जब नर्स सूचित करती हैं लड़की हुई हैं तब रायजादा कह उठते हैं– ''इनाम तो पहली दो बेटियों का ही बाँट चूका हूँ। होना तो कुछ और चाहिए था सिस्टर।''[6] इस बात से हम समझ सकते हैं कि रायजादा लड़के को लेकर कितने अश्वस्त थे। शिवा से मिलकर वे कहते हैं कि, ''अगले साल बेटा होना चाहिए समझी।''[7]

परिवार में लड़की के जन्म के समय से ही उसकी भावी जीवन का स्वरूप निश्चित होने लगता है। लड़की के मनोविज्ञान की नीव यहीं से पड़ती है। आगे उसके पालन पोषण में भी पग–पग पर उसे यह अहसास कराया जाता है कि लड़की होने के कारण खानदान, परिवार एवं समाज की इज्जत एंव मर्यादा का ध्यान उसे रखना है। पुरुष यदि गलत काम भी करेगा तो उसे आलोचना या कलंक का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन यदि स्त्री के कदम गलत पड़े तो उसे कभी भी माफ नहीं किया जाता है। अतः स्त्री का अर्थ है सहना। कष्ट सहने की यह शिक्षा उसे हमेशा दी जाती है। भारतीय संस्कृति में परिवार को अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और सूर्यबाला ने इस तत्त्व को अपने साहित्य में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।

(ख) सामाजिक परंपराएँ और मान्यताएँ– सूर्यबाला की रचनाओं में भारतीय समाज की परंपराओं, रीति–रिवाजों और सामाजिक मान्यताओं का सजीव चित्रण मिलता है। वे यह भी दिखाती हैं कि आधुनिकता के प्रभाव से इन परंपराओं में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है।

सूर्यबाला ने अपने उपन्यासों में अन्य उपन्यासकारों के समान अपने उपन्यासों में परंपरावादी नारी का उल्लेख किया है। वैसे अग्निपंखी, दीक्षांत, मेरे संधिपत्र उपन्यासों में परंपरावादी नारी का उल्लेख किया है। सूर्यबाला की नायिकाएँ शिक्षित होने के बावजूद सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करती हैं। शिवा आधुनिक शिक्षित स्त्री होते हुए भी धार्मिक आस्था, परिवारिक मर्यादा और संस्कारों का पालन करती है। सेठानी माँ के विचार पारंपरिक स्त्री–भूमिका को व्यक्त करते हैं– दीक्षांत' उपन्यास की सेठानी माँ मि. रायजादा की माँ हैं, शिवा की सास, एक परंपरावादी नारी के रूप में उभरी हैं, जब शिवा विवाह के बाद पहली बार घर में आयी थी, तब रईसी घर के अदब–कायदे को सीखाने का काम सेठानी माँ ही करती हैं। अपने बेटे के मृत्यु की बाद भी अपनी बहू को दुःख भुलाने के लिए वह मदद करती हैं, अतः एक परंपरावादी के नारी के संदर्भ में सेठानी माँ के विचार इस प्रकार हैं–''सौफ और गुलकंद पड़े पान और गिलौरियों के साथ औरत की जिंदगी सफल बनाने की दुनियादार अनुभवी सीखें सिर झुकायी सुनती रहती। औरत की दुनिया, पति और बच्चे हैं। उसका घर स्वर्ग हैं। उसका ईश्वर पति हैं। वह लाख पढ़–लिख जायें, मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। रहेगी उसके पांव की धुल ही।......पुरुष को विधता नें श्रेष्ठ बनाकर भेजा है।''[8]

जब 'शिवा' के पिताजी कभी मिलने के लिए आते हैं, तब अम्मां उनकी खातिरदारी में काफी परेशान हो जाती हैं। अम्मां का मानना है कि बहू कम उम्र की है, लेकिन सबका खयाल रखती है। 'यामिनी कथा' उपन्यास का यामिनी प्रधान स्त्री पात्र हैं। उसका विवाह विश्वास के साथ 'मैट्रीमोनियल

कालम' के जरिए होता हैं। किन्तु विवाह के बाद यामिनी विश्वास से बहुत कुछ चाहती थी, किन्तु उसे वह प्यार नहीं मिला। उसे लगता है कि, उसका कहना भी ठीक है– ''विवाह की प्रथा समाज ने चलाई हैं और मान भी लिया की यह कहीं–न–कहीं व्यक्ति की मुक्ति में चारों ओर सीमा रेखा खींचती है, लेकिन प्यार तो समाज की प्रथा नहीं।''[9] इस तरह प्रस्तुत उपन्यास में यामिनी के विचार भी परंपरागत स्वरूप के दिखाई देते हैं।

''अग्निपंखी'' उपन्यास की 'जीजी' परंपरवादी नारी हैं। एक दिन जब बहू ने कहा कि 'वह घुमाने–फिराने के लिए लेकर जानेवाले हैं, तब जीजी कहती हैं, ''कौन–सी धोती पहन लूँ। बहू ने कहा कि ''कोई भी पहनो।' जिससे अगल–बगल में हमारी हँसी नहीं उड़ेगी। बहू को इस बात का जवाब वह इस तरह से देती हैं–''वाह रे तुम्हारा देस। औरत के लाज धरम से, सिर–माथा ढ़ांककर चलने से हंसी उड़ती है, और रंडी–पतुरियों की तरह पेठ–पीठ उघाड़कर चलने से इज्जत बनती हैं।''......गाँवों में जरा कोई ऐसे निकलकर तो देखे। नहीं तो यहाँ कल–कल आयी बहुएँ भी भाड़ की तरह मुँह खोले, पेट–पीठ उधारे...''[10] इस प्रकार सास–बहू के बीच में जो वार्तालाप है, इससे स्पष्ट होता है, कि उपन्यास की जीजी अपने विचारों से परंपरावादी नारी के रूप में पाठकों के सामने आती है।

'अग्निपंखी' उपन्यास में जयशंकर का संयुक्त परिवार है। विधवा माँ, चाचा, चाची उनके बेटे–बिटिया। बचपन में ही जयशंकर के पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ विधवा होने के कारण उनका रुतबा भी कम हो जाता है। अब जयशंकर चौदहवीं तक पढ़ लेता है और नौकरी के लिए प्रयास करने लगता है। काफी प्रयत्नों के बाद भी जब उसे नौकरी नहीं मिलती तब वह निराश हो जाता है। परिवार में और बाहर भी सभी उसका मजाक उड़ाने लगते– ''हुँह, मन लायक नौकरी नहीं मिल रही। पता नहीं कितना सच, कितना झूठ। इम्तहान भी पास किया कि यों ही बेवा माँ और चाचा–ताऊ को उल्लू बना रहा है। वरना भला ऐसा हो सकता था कि नौकरी के लिए इम्तहान पास किया जाए और नौकरी ही न मिलें।''[11]

(ग) स्त्री जीवन और संस्कृति–सूर्यबाला के साहित्य में स्त्री जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण मिलता है। उन्होंने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, संघर्ष और बदलती मानसिकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।

आधुनिक भारत में समाज सुधारकों ने उसकी स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए लेकिन आज भी हमारी संस्कृति में उसे सम्मान का स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। किसी भी शगुन के कार्य में उसे शामिल नहीं किया जाता। उसके वहाँ होने से अपशगुन माना जाता है। श्रृंगार रहित निस्सार जीवन बिताना ही उसकी नियती समझी जाती है। उससे घर के सारे काम करवाए जाते हैं। पति की मौत की वजह से उसके सामने पहाड़ रूपी जिंदगी रहती ही है उसमें घरवाले भी उसकी स्थिति का फायदा उठाने से बाज नहीं आते।

सूर्यबाला के 'अग्निपंखी' उपन्यास में जयशंकर की माँ विधवा है। परिवार में उसकी स्थिति का रेखांकन करते हुए लेखिका लिखती है– "उसके तो शौक–सिंगार का सवाल ही नहीं। सच पूछो तो वो जितनी खटे, जितनी थके, वही उसका इलाज और वही उसकी खुशी होनी चाहिए। पहाड़ सी जिंदगी के लिए समय काटने का इससे अच्छा उपाय और भला क्या!"[12] श्यामकिशोर की शादी में तो उसे चुल्हा–चौका सँभालने का काम दिया जाता है और उस पर सभी लोगों को खिलाने–पिलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कोई उसे उसके खुशहाली के बारे में नहीं पूछता। उसका बेटा भी उससे बैरी के समान पेश आता है।

'मेरे संधिपत्र' में सूर्यबाला ने विधवा समस्या पर भी प्रकाश डाला है। भारत में विधवा महिलाओं का जीवन अभिशापित माना जाता है। समाज में विभिन्न समस्याएँ व्याप्त हैं, परंतु विधवा समस्या सबसे दर्दनाक है। शिवा मात्र पैंतीस वर्ष में विधवा बन जाती है। विवाह के साथ ही वह दो बेटियों की

माँ बनी।

''कितनी भयावह, कितनी मासूम लग रह थी मम्मी, सफेद संगमरवरी चेहरा पूरी तरह भावहीन, शून्य–सा। चारो ओर बिखरे उलझे बाल–सपाट माथा गोल शुभ्र, लेकिन एकदम नंगी कलाइयाँ। ऋचा जोर से चीख कर उनसे लिपट गयी थी। मैंने कोशिश की, पर बेकार, दूर बस दीवार से टिकी बटर–बटर चारों ओर ताकती रहीं। रत्ना मुझसे हिलक–हिलक कर रोती रही। मैं चुपचाप दीवार से सिर टिकाये बैठी रही।''[13]

उनकी कहानियों में स्त्री केवल एक पारंपरिक भूमिका में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और जागरूक व्यक्तित्व के रूप में भी दिखाई देती है।

सांस्कृतिक परिवर्तन और आधुनिकता

सूर्यबाला के साहित्य में सांस्कृतिक परिवर्तन और आधुनिकता का प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण रूप में उपस्थित होता है। समकालीन समाज में तेजी से हो रहे सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों ने भारतीय जीवन–मूल्यों और पारंपरिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। सूर्यबाला ने अपने कथा–साहित्य में इस परिवर्तन को अत्यंत संवेदनशीलता और यथार्थपरक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। उनके साहित्य में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आधुनिकता के प्रभाव से जीवन–शैली, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन आ रहा है, परंतु इसके बावजूद भारतीय संस्कृति की मूल भावना और मानवीय संवेदनाएँ पूरी तरह समाप्त नहीं होतीं।

सूर्यबाला की कहानियों में आधुनिकता और परंपरा के बीच उत्पन्न संघर्ष और सामंजस्य दोनों का चित्रण मिलता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, भौतिकता और व्यक्तिवाद के कारण पारंपरिक पारिवारिक संबंधों में दूरी बढ़ती दिखाई देती है। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है और सामाजिक संबंधों की आत्मीयता धीरे–धीरे कम होती जा रही है। सूर्यबाला ने इन परिवर्तनों को अपनी कहानियों में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है।

उदाहरण के रूप में सूर्यबाला की प्रसिद्ध कहानी "सजायाफ्ता" में आधुनिक जीवन–मूल्यों और सामाजिक प्रतिष्ठा की मानसिकता का चित्रण मिलता है। इस कहानी में विवाह जैसे पवित्र सामाजिक संबंध को भी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर तय होते हुए दिखाया गया है। नायिका शालिनी का विवाह ऐसे परिवार में होता है जहाँ संबंधों की आत्मीयता की अपेक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को अधिक महत्त्व दिया जाता है। इस प्रकार कहानी में यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज में पारंपरिक मूल्यों का स्थान धीरे–धीरे भौतिकता और दिखावे ने ले लिया है।

इसके साथ–साथ वे यह भी दिखाती हैं कि आधुनिकता के प्रभाव से कभी–कभी पारिवारिक संबंधों की आत्मीयता और संवेदनशीलता कम हो जाती है। भौतिक सुख–सुविधाओं की बढ़ती आकांक्षा के कारण मानवीय संबंधों में दूरी आ जाती है। सूर्यबाला अपने व्यंग्यात्मक और मार्मिक शैली के माध्यम से इस स्थिति पर प्रश्न भी उठाती हैं। फिर भी सूर्यबाला का साहित्य केवल परिवर्तन की आलोचना नहीं करता, बल्कि वह यह भी दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की मूल भावना जैसे पारिवारिक प्रेम, मानवीय संवेदनाएँ, सामाजिक सहयोग और नैतिक मूल्य आज भी समाज में मौजूद हैं। आधुनिकता के बीच भी ये मूल्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। उनकी कहानियों में कई पात्र ऐसे दिखाई देते हैं जो आधुनिक जीवन जीते हुए भी अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

इस प्रकार सूर्यबाला के साहित्य में सांस्कृतिक परिवर्तन और आधुनिकता का चित्रण अत्यंत संतुलित और यथार्थपरक है। उन्होंने न तो परंपरा को पूरी तरह अस्वीकार किया है और न ही आधुनिकता को पूरी तरह नकारा है। बल्कि उन्होंने यह दिखाया है कि बदलते समय के साथ संस्कृति भी परिवर्तनशील होती है, परंतु उसकी मूल भावना और मानवीय संवेदनाएँ समाज को निरंतर जोड़कर

रखती हैं।

उपसंहार

सूर्यबाला का साहित्य समकालीन हिंदी कथा–साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज, संस्कृति और मानवीय संबंधों को अत्यंत संवेदनशील और यथार्थपरक ढंग से प्रस्तुत किया है। सूर्यबाला की भाषा सरल, सहज और जनजीवन के निकट है, जिसके कारण उनकी रचनाएँ पाठकों के हृदय तक सहज रूप से पहुँचती हैं। उनकी भाषा में बोलचाल की शैली, मुहावरों और लोकजीवन की सुगंध मिलती है, जो उनके साहित्य को स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाती है। सूर्यबाला की शैली में व्यंग्य, हास्य और मार्मिकता का अद्‌भुत समन्वय दिखाई देता है। वे सामाजिक विसंगतियों, पाखंड और मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से उजागर करती हैं। उनकी रचनाओं में प्रस्तुत व्यंग्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वह समाज को सोचने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी शैली यथार्थवादी होने के साथ–साथ संवादात्मक भी है, जिससे उनके पात्र और परिस्थितियाँ अत्यंत जीवंत प्रतीत होती हैं। सूर्यबाला के साहित्य में भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों जैसे पारिवारिक संबंध, सामाजिक परंपराएँ, नैतिक मूल्य, स्त्री–जीवन और मध्यवर्गीय संस्कृति का सशक्त चित्रण मिलता है। उन्होंने बदलते सामाजिक परिवेश में संस्कृति और आधुनिकता के बीच उत्पन्न संघर्ष को भी संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनके साहित्य में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों और परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति की मूल भावना और मानवीय संवेदनाएँ आज भी समाज में जीवित हैं। अंततः कहा जा सकता है कि सूर्यबाला का साहित्य भारतीय समाज और संस्कृति का एक सजीव दस्तावेज है। उनकी भाषा और शैली में निहित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी समृद्ध करती है। इस प्रकार सूर्यबाला की रचनाएँ हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हुए समाज के यथार्थ और संस्कृति के विविध आयामों को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सूर्यबाला, अग्निपंखी : पराग प्रकाशन दिल्ली, 1984, पृ. 79
2. सूर्यबाला, ''यामिनी कथा'' प्रभात प्रकाशन दिल्ली प्रथम संस्करण, 2010 पृ. 59
3. शर्मा आचार्य श्रीराम, 'सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत'', प्रकाशक –युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ.प्र.), 2012 पृ. 3
4. शर्मा आचार्य श्रीराम, 'सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत'', प्रकाशक –युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ.प्र.), 2012 पृ. 1
5. सूर्यबाला, मेरे संधिपत्र, पराग प्रकाशन, दिल्ली, 1977, पृ. 48
6. सूर्यबाला, मेरे संधिपत्र, पराग प्रकाशन, दिल्ली, 1977, पृ. 73
7. सूर्यबाला, मेरे संधिपत्र, पराग प्रकाशन, दिल्ली, 1977, पृ. 73
8. सूर्यबाला– दीक्षान्त, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1977 पृ. 63
9. सूर्यबाला, ''यामिनी कथा'' प्रभात प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2010 पृ. 72
10. सूर्यबाला, अग्निपंखी : पराग प्रकाशन दिल्ली, 1984, पृ. 17
11. सूर्यबाला, अग्निपंखी : पराग प्रकाशन दिल्ली – 1984, पृष्ठ क्र.– 34
12. सूर्यबाला, अग्निपंखी : पराग प्रकाशन दिल्ली – 1984, पृष्ठ क्र.– 26
13. सूर्यबाला, अग्निपंखी : पराग प्रकाशन दिल्ली – 1984, पृष्ठ क्र.– 42

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

Paper Received : 6th March 2026 **Paper Accepted : 9th March 2026**

कृषि भूमि उपयोग दक्षता का सामान्य अध्ययन

(जनपद हरदोई के सन्दर्भ में)

❑ ईश्वरदीन*
❑ डॉ. शेषमणि विश्वकर्मा**

शोध-सारांश

भूमि मानव के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है परंतु इसकी उपलब्धता सीमित है। भूमि का उपयोग बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाना है कि उसकी उत्पादकता अधिकतम हो और संसाधनों का संरक्षण भी हो, तो उसे भूमि की दक्षता कह सकते हैं। हरदोई जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि भूमि से लगी हुई है, यहाँ धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, मूँगफली, आलू,दाल आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जनपद में भूमि उपयोग दक्षता का मापन एवं परिवर्तन का अध्ययन करना है। भूमि उपयोग दक्षता का मापन करने के लिए बृजभूषण सिंह द्वारा विकसित कोर्टि गुणांक विधि का प्रयोग किया गया है। जिन क्षेत्रों का कोटि गुणांक मां कम है उसकी भूमि उपयोग दक्षता उच्च है तथा जिनके कोटि गुणांक का मान अधिक है जहाँ आति निम्न भूमि उपयोग दक्षता पाई जाती है। अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग दक्षता बहुत भिन्न–भिन्न मात्रा में पाई जाती है। भूमि उपयोग दक्षता एवं परिवर्तन ज्ञात करने के लिए 2003 और 2023 के आंकड़े लिए गए हैं। भूमि उपयोग दक्षता के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां अपनाई जानी चाहिए।

मुख्य शब्द– कोटि गुणांक, दक्षता, परिवर्तन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदि।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान विकासशील देश है जहाँ लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। कृषि भूमि मनुष्य के जीवन का महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यदि भूमि का उपयोग सही तरीके और

* सहायक आचार्य (भूगोल–विभाग), सी.एस.एन. पी.जी. कॉलेज, हरदोई
** सहायक आचार्य (भूगोल–विभाग), केन ग्रोवन नेहरु पी.जी. कॉलेज, खीरी

सही दिशा में किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए लाभ प्रतिशत हो सकता है। भूमि का गलत तरीके से उपयोग भूमि की उत्पादन क्षमता को काम करता है साथ ही पर्यावरण संतुलन मृदा अपरदन तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती है। कृषि भूमि उपयोग दक्षता एक मापन की तरह है जिससे किसी विशेष भूमि का उपयोग कितनी कौशल से किया जा रहा है, यह मापने का प्रयास किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कृषि भूमि का अधिकतम संतुलित और टिकाऊ प्रयोग हो रहा है या नहीं किसी भी क्षेत्र या भूमि की भूमि उपयोग दक्षता वहाँ पर पाये जाने वाले भौतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। बार्लो एवं जॉनसन 1945 ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि भूमि उपयोग दक्षता भूमि उपयोग के वृद्धि या विकास को प्रकट करती है तथा यह भूमि सम्बन्धी समस्याओं और नीतियों का केंद्र है। सिंह बी0बी0 (1994) में भी स्पष्ट किया की भूमि संसाधन की उपयोग की मात्रा आपसी अंतर सम्बन्धों पर आधारित होती है। कृषि व्यवस्था हमारे देश की सभ्यता और संस्कृत के विकास के साथ–साथ इसकी जननी भी रही है। कृषि भौतिक महत्त्व के अलावा जीवन जीने की एक प्रणाली भी है, जो मानव मूल्य के लिए अद्वितीय है। भारत में कृषि व्यवस्था प्राचीन काल से ही भौगोलिक दशाओं के अनुसार रही है, इसीलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि रही है। ग्रामीण विकास की सभी विकास योजनाएं कृषि व्यवसाय पर आधारित होती हैं कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि भूमि दक्षता मापने के लिए भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों का उपयोग किया है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न होते हैं, जो कृषि भूमि सर्वाधिक शुद्ध आर्थिक लाभ प्रदान करती है उसे उच्चतम भूमि विविधता के अंतर्गत रखते हैं।

उद्देश्य

1. कृषि भूमि उपयोग दक्षता का मापन करना।
2. कृषि भूमि उपयोग दक्षता के परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. कृषि भूमि उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।

शोध विधितन्त्र

शोध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सम्बन्धित ऑकडों का एकत्रण जिला सांख्यिकीय पत्रिका से किया गया है। इस शोध में केवल द्वितीयक ऑकडों का प्रयोग किया गया है। भूमि दक्षता मापने के लिए बृजभूषण सिंह द्वारा विकसित कोटि गुणांक विधि का प्रयोग किया गया है। कोटि गुणांक ज्ञात करने के लिए पॉच चरों कृषि बेकार भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि, अकृषित भूमि, शुद्ध सिंचित भूमि तथा दो फसली भूमि को सम्मिलित किया गया है।

स्थिति एवं विस्तार

उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित जनपद हरदोई ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका नाम "हरि" और "द्रोही" शब्दों से मिलकर बना है, हरदोई को "सांस्कृतिक नगरी" तथा "कृषि प्रधान जनपद" के रूप में भी जाना जाता है। हरदोई जनपद उत्तर प्रदेश के मध्य में आता है, जनपद के पूर्व में लखनऊ और उन्नाव, पश्चिम में शाहजहांपुर, उत्तर में सीतापुर तथा दक्षिण में कन्नौज व फर्रुखाबाद जनपद स्थित हैं। अध्ययन क्षेत्र गंगा और गोमती नदियों के दोआब में अवस्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 5,964 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद में 19 विकासखंड, 11 तहसीलें और 1912 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरदोई की कुल जनसंख्या 4092845 है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 3551039 तथा शहरी आबादी 541806 है। जनसंख्या घनत्व लगभग 664 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान 45 डिग्री सेन्टीग्रेट तक पहुँच जाता है। यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी

पायी जाती है गंगा की बलुई दोमट मिट्टी और गोमती की चिकनी दोमट मिट्टी। यह क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हरदोई की अर्थव्यवस्था का मुख्ये आधार कृषि है। यहाँ मुख्यतः गेहूँ, धान, गन्ना, आलू, तिलहन और दलहन की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन और पशुपालन भी बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी में प्रचलित है। वर्तमान वर्षों में यहाँ उद्योग–धंधो का भी विकास हुआ है। जिले में अनेक धार्मिक स्थल हैं। बिलग्राम, मल्लावां और साण्डी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध हैं। जनपद में कई स्नातक और परास्नातक महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान तथा विद्यालय संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं।

भूमि उपयोग दक्षता का मापन

भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण कृषि भूमि से लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है जो क्षेत्र विशेष में प्रविधि के स्तर पर निर्भर करता है जहाँ शुद्ध लाभ, लागत की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है वहाँ भूमि उपयोग दक्षता अधिक होती हैं। बार्लो 1954 के अनुसार कृषि दक्षता का सम्बन्ध उस प्रभाव उत्पादक क्रिया से है जहाँ पूँजी तथा श्रम के लगातार प्रयोग के आधार पर भूमि के उत्पादन दक्षता में लगातार वृद्धि होती हैं। अनेक भूगोलवेत्ताओं तथा अर्थशास्त्रियों ने भूमि उपयोग दक्षता मापन के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया है। बक (1967) सर्वप्रथम कृषि उत्पादन से प्रति व्यक्ति उपलब्ध अन्य पर आधारित विधि को अपनाया जिसे अन्य तुल्य विधि नाम दिया गया इसके साथ ही कैंडल 1939, स्टाम्प 1960, सफी 1960, तथा देश पांडे 1964 एवं भाटिया 1967 आदि ने भी योगदान दिया है।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण बृजभूषण सिंह 1979 (पेज नंबर 122) द्वारा विकसित कोटि गुणांक विधि के आधार पर किया गया है, कोटि गुणांक ज्ञात करने के लिए पाँच चरण कृषि बेकार भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि, अकृषित भूमि, शुद्ध सिंचित भूमि तथा दो फसली भूमि को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के सभी 19 विकासखण्डों को कोटि दी गई है तथा फिर सभी कोटियों को जोड़कर कोटियों का योग निकला गया है कोटि के योग को पाँचो चरों से भाग देकर कोटि का मान निकला गया है।

सारणी संख्या–1
भूमि उपयोग दक्षता का विकासखण्डवार वितरण–(2003–2023)

क. सं.	विकासखण्ड	2003 कोटि गुणांक	2023 कोटि गुणांक
1	भरखनी	6.4	8.4
2	शाहाबाद	6.4	4.6
3	टोडरपुर	5.4	4
4	पिहानी	8	8.4
5	बावन	7.6	5.6
6	हरियावॉ	12.4	13
7	टडियावॉ	11	12.4
8	सुरसा	8.6	10.4
9	अहिरोरी	12.6	10.6
10	हरपालपुर	10.4	6.8
11	सॉडी	7.8	5.6
12	बिलग्राम	6.2	7.8
13	माधोगंज	8.6	10
14	मल्लावॉ	7.6	10.4
15	कोथावॉ	12.4	13
16	कछौना	14.6	13
17	बेहन्दर	14.2	14
18	संडीला	14.8	17
19	भरावन	15	13.6

सारणी संख्या–2
भूमि उपयोग दक्षता का श्रेणीगत वितरण–(2003–2023)

श्रेणी	भूमि उपयोग दक्षता	विकासखण्डों की संख्या		विकासखण्डों का प्रतिशत	
		2003	2023	2003	2023
अति उच्च	8 से कम	7	6	36.84	31.58
उच्च	8.10	3	3	15.79	15.79
मध्यम	10.12	2	3	10.53	15.79
निम्न	12.14	3	6	15.79	31.58
अति निम्न	14 से अधिक	4	1	21.05	5.26
	योग	**19**	**19**	**100**	**100**

सारणी–2 से स्पष्ट होता है कि जनपद में वर्ष 2023 में 08 से कम दक्षता छः (31.58 प्रतिशत) विकासखण्डों, शाहाबाद (4.6), टोडरपुर (4), बावन (5.6), हरपालपुर (6.5), साण्डी (5.6) बिलग्राम (7. 8) में पाई जाती है। जो अति उच्च भूमि उपयोग दक्षता को दर्शाते है। उच्च श्रेणी के अन्तर्गत (8–10) तीन (15.79 प्रतिशत), भरखनी (8.4), पिहानी (8.4), माधोगंज (10) विकासखण्ड सामिल है। मध्य श्रेणी के अन्तर्गत 15.79 (3) प्रतिशत विकासखण्ड, सुरसा (10.4), अहिरोरी (10.4), मल्लावां (10.4) आते है जहॉ 10–12 के मध्य भूमि उपयोग दक्षता पायी जाती है। निम्न श्रेणी के अन्तर्गत छः (31.58 प्रतिशत) विकासखण्ड टड़ियावॉ (12.4), कोथावां (13.4), कछौना (13), बेहंदर (14), भरावन (13.6), हरियावां (13) आते है। जहॉ 12–14 के मध्य भूमि उपयोग दक्षता पाई जाती है। ये ऐसे विकासखण्ड है जहाँ सिंचाई के संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तथा बंजर भूमि अधिक है। अति निम्न श्रेणी (14 से अधिक) के अंतर्गत केवल एक संडीला विकासखण्ड (17) आता है। यह ऐसा विकासखण्ड है जो औद्योगिक प्रधान है, यहाँ ऊसर भूमि अधिक पाई जाती है तथा कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। जनपद में सबसे अधिक टोडरपुर (4) में भूमि उपयोग दक्षता है तथा सबसे कम संडीला (17) विकासखण्ड में है।

सारणी के अनुसार बीस वर्ष पहले 2003 में भी विकासखण्डवार भूमि उपयोग दक्षता असमान रूप में पायी जाती थी। अति उच्च श्रेणी के अन्तर्गत सात (31.58 प्रतिशत) विकासखण्ड, भरखनी (6.4), शाहाबाद (6.4), टोडरपुर (5.4), बावन (7.6), साण्डी (7.8), बिलग्राम (6.2), मल्लावां (7.6), आते हैं, जहाँ 8 कोटि गुणांक से कम भूमि उपयोग दक्षता पाई जाती थी। उच्च श्रेणी के अन्तर्गत तीन (15.79 प्रतिशत) विकासखण्ड, पिहानी (8), सुरसा (8.6), माधोगंज (8.6) आते हैं जहॉ 8–10 के मध्य कोटि गुणांक भूमि उपयोग दक्षता पायी जाती थी। मध्यम श्रेणी के अंतर्गत दो (10.53) विकासखण्ड, टड़ियावां (11) तथा हरपालपुर (10.4), आते हैं, जहॉ 10–12 के मध्य कोटि गुणांक भूमि उपयोग दक्षता पायी जाती थी । निम्न श्रेणी (12–14 कोटि गुणांक) के अंतर्गत तीन (15.79 प्रतिशत) विकासखण्ड, हरियावॉ (12.4 प्रतिशत), अहिरोरी (12.6 प्रतिशत), कोथावां (12.4 प्रतिशत), आते थे। अति निम्न श्रेणी (14 से अधिक) के अंतर्गत चार (21.05 प्रतिशत) विकासखण्ड, कछौना (14.6 प्रतिशत), बेहंदर (14.2 प्रतिशत), संडीला (14.8 प्रतिशत), भरावन (15 प्रतिशत) आते थे। 2003 से 2023 में भूमि दक्षता में बदलाव आया है।

परिवर्तन– अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास योजनाओ का प्रभाव, सिंचाई सुविधाओ का विकास, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक एवं उन्नतशील बीज उपलब्ध होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में बदलाव आया है। बीस वर्ष पहले अति निम्न कोटि गुणांक की भूमि उपयोग दक्षता 4 विकास खण्डों में पायी

जाती थी और वर्तमान वर्ष 2023 में केवल 01 विकासखण्ड में अति निम्न भूमि उपयोग दक्षता पाई जाती है। वर्ष 2003 में 03 विकासखण्ड निम्न श्रेणी में आते थे और 2023 में 6 विकासखण्ड इस श्रेणी में आते है इस द्वौरान पॉच विकासखण्डो की वृद्धि हुई है। उच्च श्रेणी के अंतर्गत 2003 में 3 विकासखण्ड थे और 2023 में भी 3 विकासखण्ड हैं। वर्ष 2003 में अति उच्च भूमि उपयोग दक्षता सात विकासखण्डों में थी और 2023 में घटकर 06 विकासखण्डों में रह गयी है। विकासखण्ड, शाहाबाद, टोडरपुर, बावन, अहिरोरी, हरपालपुर, साण्डी, कछौना, बेहंदर, भरावन नौं ऐसे विकासखण्ड है जहाँ भूमि उपयोग दक्षता में कमी आई है। दस ऐसे विकासखण्ड, भरखनी, पिहानी, हरियावां, टड़ियावां, सुरसा, बिलग्राम, माधोगंज, मल्लावां, कोथावां, संडीला, है जहाँ भूमि उपयोग दक्षता वृद्धि हुई है।

भूमि उपयोग दक्षता को प्रभावित करनें वाले कारक

1. उपजाऊ भूमि फसल उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालती है।
2. बलुई, दोमट या चिकनी मिट्टी के आधार पर भूमि की उत्पादकता बदलती है।
3. पर्याप्त मात्रा में जल एवं सिचाई उपलब्ध न होने पर भूमि की उपयोग दक्षता घट जाती है।
4. एक ही खेत में फसल बार–बार उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है।
5. जैविक और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग कृषि भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाता है।
6. आधुनिक कृषि उपकरणों और नयी तकनीकों से भूमि की उत्पादकता शक्ति बढ़ी है।
7. फसलों की कीटों और रोगों से सुरक्षा भूमि उपयोग दक्षता को बढ़ाती है।
8. बाजार की निकटता एवं उपलब्धता से भूमि का अधिकतम उपयोग संभव होता है।
9. भू–जोत के आकार छोटे होने से भूमि की दक्षता कम हो जाती है।
10. कृषि ऋण सुविधा, उन्नतशील बीज, उर्वरक और सब्सिडी से भूमि उपयोग दक्षता बढ़ती है।
11. सूखा और प्रदूषण जैसी समस्याएँ भूमि की उत्पादकता घटाने के कार्य करते हैं।

निष्कर्ष– प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि भूमि उपयोग दक्षता का अध्ययन हरदोई जनपद के सन्दर्भ में किया गया है। जिसमें यह पाया गया है कि विकासखण्डवार भूमि उपयोग दक्षता असमान रूप में पायी जाती है। जिसके प्रमुख कारण वहॉ की मिट्टी, सिंचाई के साधन, उर्वरा शक्ति, परिवहन तंत्र तथा सरकारी तंत्र है। अध्ययन में 2003 और 2023 के ऑकडों के आधार परिणाम प्राप्त किये गये हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- तिवारी, आर.सी. एवं सिंह, बी.एन., (2000) : कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद
- हुसैन माजिद (2000) : कृषि भूगोल, रावत पब्लिकेशन दिल्ली
- सिंह, जसबीर, (2007), कृषि भूगोल, नई दिल्ली : टाटा मैकग्रा–हिल
- चन्दना, आर.सी., (2010), जनसंख्या भूगोल, नई दिल्ली : कल्याणी पब्लिशर्स
- सिंह, गोपाल, (2012), आर्थिक भूगोल, नई दिल्लीः आत्माराम एंड संस।

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

Paper Received : 6th March 2026 **Paper Accepted : 9th March 2026**

उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन

▫ माधव प्रसाद वर्मा*
▫ प्रो. शिखा वर्मा**

शोध-सारांश

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण अध्ययन विधि पर आधारित है, जिसमें उ0प्र0 राज्य के लखनऊ जिले में स्थिति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सहयुक्त सरकारी, अनुदानित और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक नमूना विधि से किया गया। इस शोध में कुल 300 विद्यार्थियों को शामिल किया गया और आँकड़ों के संग्रहण के लिए डा0 एस0एस0 जलोटा द्वारा निर्मित 'सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण' का प्रयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–परीक्षण के माध्यम से किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता पर लिंग, निवास स्थान का कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। स्नातक स्तर पर कला संकाय, विज्ञान संकाय तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में सार्थक अन्तर विद्यमान है।

***मुख्य शब्द*–** उच्च शिक्षा, स्नातक स्तर, जलोटा परीक्षण, तथा मानसिक योग्यता।

प्रस्तावना

मानसिक योग्यता व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान अनुभव और तर्क का प्रयोग करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। मानसिक योग्यता व्यक्ति की वह जन्मजात शक्ति है जिसके माध्यम सें वह जटिल परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करता है और अमूर्त चिन्तन करता है। उच्च शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों का संकाय चयन प्रायः उनकी अभिरूचि और बुद्धि के आधार पर होता है। जलोटा (1972) के अनुसार, मानसिक योग्यता केवल रटन्त विद्या नहीं बल्कि तर्क करने और समझने की क्षमता है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास है कि क्या शैक्षणिक संकायों का चयन विद्यार्थी की

* शोध छात्र, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, (उ.प्र.)
** विभागाध्यक्ष, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, (उ.प्र.)

मानसिक योग्यता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है।

मानसिक योग्यता एक व्यापक और बहुआयामी संप्रत्यय है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह व्यक्ति की वह जन्मजात शक्ति है जो उसे नवीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक समायोजन करने, अमूर्त चिन्तन करने, गणितीय संक्रियाओं को हल करने और जटिल समस्याओं का तार्किक समाधान खोजने में सक्षम बनाती है।

शैक्षिक उपलब्धि कई कारको पर निर्भर होती है, जिनमें मानसिक योग्यता सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। मानसिक रूप से स्वस्थ्य मनुष्य शारीरिक रूप में भी चुस्त–दुरूस्त होता है। मानसिक योग्यता जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधारभूत स्तम्भ है। डा जलोटा का सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण भारतीयय परिवेश में मानसिक योग्यता मापन का एक विश्वसनीय और वैध उपकरण है। यह परीक्षण विद्यार्थियों की सात प्रमुख मानसिक योग्यताओं जैसे शब्दावली, वर्गीकरण, संख्या श्रेणी, सादृश्यता आदि का मापन करता है। स्नातक स्तर के युवाओं पर इस परीक्षण का प्रयोग उनकी वास्तविक बौद्धिक क्षमता को समझने में एक ठोस आधार प्रदान करता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व

स्नातक स्तर की उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को कैरियर का मुख्य आधार है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए संकाय का चयन करता है। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों पर शैक्षणिक कार्यो के निष्पादन का अत्यधिक दबाव रहता है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि:–

1. क्या विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता के स्तर में कोई मूलभूत अन्तर है?
2. क्या जलोटा द्वारा निर्मित सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण के मानकों पर बीए बीएससी और बीकाम के विद्यार्थी समान रूप से खरे उतरते है?

इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योकि भारत में संकायों के चयन को बहुधा सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है जबकि इसका वास्तविक आधार मानसिक क्षमता होना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि क्या वास्तव में संकाय परिवर्तित करने से विद्यार्थियों के तार्किक, संख्यात्मक और शाब्दिक कौशलों में कोई महत्त्वपूर्ण सांख्यिकीय भिन्नता आती है।

बीज शब्द की परिभाषा

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा से आशय भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा से है। इसमें बीए बीएससी और बीकाम जैसी कक्षायें सम्मिलित है जिन्हे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत चार वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप संचालित किया जा रहा है।

स्नातक स्तर

'स्नातक स्तर' उस शैक्षिक चरण को कहते है जिसमें विद्यार्थी विद्यालयीन शिक्षा (इण्टरमीडियट) पूर्ण करने के पश्चात महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर कुछ विषयों का गहन अध्ययन करता है। सामान्तयः इसे बैचलर डिग्री कहा जाता है।

मानसिक योग्यता

मानसिक योग्यता से आशय मनुष्य की सोचने, समझने, तर्क करने, समस्याओं का समाधान करने और निर्णय लेने की शक्ति से है।

जलोटा परीक्षण

डा0 एसएस जलोटा ने वयस्कों के लिए अंग्रेजी भाषा में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। जिसमें सात मानसिक क्षमताओं को मापने के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग किया है। इसे प्रायः जलोटा परीक्षण कहा जाता है।

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

रफीक (2019) द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्ववित्तपोषित एवं सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मानसिक विकास पर संस्थागत वातावरण का महत्तवपूर्ण प्रभाव परिलक्षित पाया गया। निष्कर्ष यह निकला था कि महाविद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक वृद्धि पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

आक्सफोर्ड सीटीएल (2024) की रिपोर्ट में इस बात का वर्णन किया गया है कि शैक्षणिक कौशल यथा अमूर्त चिन्तन, संचार तथा समस्या समाधान उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता को बढ़ाते है और सफलता का आधार स्तम्भ बनते है।

संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि मानसिक योग्यता शैक्षणिक कौशल एवं शैक्षिक परिणामों के उत्कर्ष का आधार है अमूर्त चिन्तन, विश्लेषण, संश्लेषण सूझ–बूझ से लेकर समस्या समाधान तक सभी कार्यो में मानसिक योग्यता का अतुलनीय योगदान है।

शोध का उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत स्नातक स्तर पर बी.ए. और बी.एससी. विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता की तुलना करना।

2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत स्नातक स्तर पर बी.एससी. और बी.काम. के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता के मध्य अन्तर का अध्ययन करना।

3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बी.ए. और बी. काम. के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता के स्तर की जाँच करना।

शोध की परिकल्पना

1. बी.ए. और बी.एससी. के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2. बी.एससी. और बी.काम. के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं पाया जाता है।

अनुसन्धान क्रियाविधि

इस अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली का प्रयोग किया गया है। लखनऊ जनपद के सरकारी, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के स्नातक विद्यार्थियों से आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु रैण्डम सैम्पलिंग विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के चर

प्रस्तुत अध्ययन में मानसिक योग्यता आश्रित चर तथा स्वतंत्र चर स्नातक स्तर के छात्र है।

जनसंख्या

इस अध्ययन की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जनपद के 175 सरकारी, अनुदानित और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।

नमूना तथा नमूना तकनीकि

नमूना– नमूना उस आबादी से चुनी गई छोटी लेकिन प्रतिनिधि इकाईयों का समूह होता है जिसका उपयोग पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने हेतु किया जाता है। इस अध्ययन में कुल 175 सरकारी, अनुदानित और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को यादृच्छिक रूप से नमूने के लिए चयनित किया गया है।

नमूना तकनीकि– इस अध्ययन में शोधकर्ता ने यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक का प्रयोग किया है।

प्रक्रिया– इस शोध में प्राथमिक समूह का चयन उ.प्र. के लखनऊ जनपद में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सहयुक्त सरकारी, अनुदानित और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से किया गया है। यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक की सहायता से कुल 175 महाविद्यालयों के स्नातक विद्यार्थियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

उपकरण—डा. श्यामस्वरूप जलोटा द्वारा निर्मित सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण का उपयोग विद्यार्थियों से आँकड़ों का संकलन करने के लिए किया गया है।

सांख्यिकीय विधि

इस अध्ययन में प्राथमिक समूह के रूप में 300 विद्यार्थियों का चयन किया गया। शोध का उद्देश्य ''उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन'' करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु शोधकर्ता ने विशिष्ट उद्देश्यों और परिकल्पनाओं को तैयार किया तथा उनके परीक्षण हेतु विभिन्न सांख्यिकीय विधियों— मध्यमान, मानक विश्लेषण और टी—टेस्ट का प्रयोग किया। इन विधियों के माध्यम से आँकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया और विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

आँकड़ों का विश्लेषण

जलोटा के सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों को संकलित किया गया। प्रारम्भिक विश्लेषण का संकेत निम्न प्रकार है—

- **बी.एस.सी. समूह** : इस समूह ने तार्किक क्षमता और संख्यात्मक योग्यता में उच्च औसत अंक प्राप्त किये।
- **बी.ए. समूह** : इस समूह में शाब्दिक योग्यता और सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया।
- **बी.कॉम. समूह** : वाणिज्य के विद्यार्थियों का स्कोर औसत से ऊपर और स्थिर पाया गया।

संकाय—वार मानसिक योग्यता का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में डॉ. एस.एस. जलोटा के सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने पर निम्न महत्त्वपूर्ण बिन्दु उभरकर सामने आते हैः

बी.एससी. : इस संकाय के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 61.25 सबसे अधिक रहा। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह हो सकता है कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में गणितीय तर्क, अमूर्त चिन्तन और वैज्ञानिक पद्धतियों का निरन्तर प्रयोग होता है जो मानसिक योग्यता के तार्किक और संख्यात्मक घटकों को तीव्र करता है।

बी.काम. : वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों का औसत 56.80 के मध्य रहा। इनके पाठ्यक्रम में गणना और विश्लेषणात्मक समझ की आवश्यकता होती है जो इन्हे औसत विद्यार्थियों से ऊपर रखता है।

बी.ए.: कला संकाय के विद्यार्थियों का औसत अन्य दो संकायों की तुलना में कम रहा। हालांकि सूक्ष्म विश्लेषण से पता चला कि शाब्दिक योग्यता और सामान्य ज्ञान में इन विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट था।

तुलनात्मक विश्लेषण एवं सार्थकता

विभिन्न संकायों के मध्य टी—मूल्य का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुयेः—

कला संकाय बनाम विज्ञान संकाय

इन दोनो संकायो के बीच टी—मूल्य 7.82 प्राप्त हुआ जो 0.01 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से अधिक सार्थक है। यह दर्शाता है कि विज्ञान के विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता कला के विद्यार्थियों से श्रेष्ठ है। इससे हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

विज्ञान संकाय बनाम वाणिज्य संकाय

इन संकायों के मध्य भी सार्थक अन्तर पाया गया। विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में स्थानिक और तार्किक क्षमता अधिक प्रभावी देखी गयी।

जलोटा परीक्षण के घटकों के आधार पर विवेचना

जलोटा का परीक्षण शब्दावली, सादृश्यता, संख्या श्रेणी और वर्गीकरण जैसे तत्त्वों पर आधारित है। विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि

जहाँ बी.एससी. के छात्र संख्या श्रेणी में आगे थे वही बी.ए. के विद्यार्थी शब्दावली और वर्गीकरण में उनके समकक्ष या बेहतर थे।

यह विश्लेषण यह सिद्ध नहीं करता कि कला संकाय के विद्यार्थी कम बुद्धिमान है, बल्कि यह दर्शाता है कि मानसिक योग्यता का स्वरूप संकाय के चयन और अध्ययन की प्रकृति के साथ बदलता रहता है। निरन्तर अभ्यास और विशिष्ट विषयों का अध्ययन मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को अधिक सक्रिय और कुशल बना देता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैः–

संकाय–वार भिन्नता : शोध के परिणामों से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर पर विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में सार्थक अन्तर विद्यमान है। जलोटा के सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किये है।

तार्किक बनाम शाब्दिक योग्यता

सांख्यिकीय आँकड़ों से निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थियों में तार्किक एवं संख्यात्मक योग्यता अधिक प्रभावी है जबकि कला संकाय के विद्यार्थियों में शाब्दिक एवं भाषायी योग्यता का स्तर बेहतर पाया गया।

परिकल्पना परीक्षण

शोध की दोनों शून्य परिकल्पनायें अस्वीकृत की जाती है क्योंकि टी–मूल्य सार्थकता के निर्धारित स्तर 0.05 तथा 0.01 से अधिक पाया गया।

शैक्षिक पृष्ठभूमि का प्रभाव

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल जन्मजात बुद्धि ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों द्वारा चुने गये विषयों की प्रकृति भी उनकी मानसिक योग्यता, कार्यक्षमता और समस्या समाधान कौशल को आधार प्रदान करती है।

भावी सुझाव

शोध के निष्कर्षो के आलोक में शिक्षाविद्वों, नीति नियन्ताओं और शिक्षकों के लिए निम्नलिखित सुझाव है–

1. कौशल आधारित शिक्षण : कला संकाय क पाठ्यक्रम में तार्किक और विश्लेषणात्मक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी मानसिक योग्यता के वैज्ञानिक पक्ष को भी विकसित किया जा सके।

2. **व्यावसायिक मार्गदर्शन** : विद्यार्थियों को संकाय चयन के समय उनकी मानसिक योग्यता की जाँच कर उचित परामर्श दिया जाना चाहिए।

3. शिक्षण विधियों में सुधार : शिक्षकों को चाहिए कि केवल रटने पर जोर न देकर ऐसी विधियां अपनाये जो विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता को चुनौती दें।

4. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी : चूंकि अधिकांश प्रतियोगी में जलोटा परीक्षण जैसे तार्किक प्रश्न पूछे जाते है। अतः महाविद्यालयों में सभी संकाय के विद्यार्थियों के मानसिक योग्यता की विशेष कक्षायें आयोजित की जानी चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अस्थाना, बी.बी., एवं अस्थाना, एन. (2012): मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
- कपिल, एच. के. (2015) : सांख्यिकी के मूल तत्त्व, भार्गव बुक हाउस
- गुप्ता, एस.पी. (2018) : शिक्षा मनोविज्ञान के आधार, शारदा पुस्तक भवन
- जलोटा, एस.एस. (1972) : सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण की मार्गदर्शिका
- पाठक, पी.डी. (2010) : शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 6th March 2026 **Paper Accepted : 9th March 2026**

डॉ. सूर्यनारायण गौतम की कहानी 'नन्दी की पीड़ा' में अभिव्यक्त मानवीय संवेदना एवं आधुनिक समाज

□ **डॉ. विजय लक्ष्मी***

शोध-सारांश

डॉ सूर्यनारायण गौतम की कहानी 'नंदी की पीड़ा' एक ऐसी कथा है, जिसमें पशु के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, करुणा और सामाजिक उपेक्षा का हृदयाकर्षक चित्रण मिलता है। लेखक ने नंदी के माध्यम से समाज की क्रूरता, शोषण और भावहीनता को उजागर किया है। यह कहानी केवल पशु की वेदना नहीं बल्कि उन तमाम मनुष्यों की भी कथा है। जिनके ह्दय से मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हो चुका है। 'जीवन की यात्रा केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं है, वह अनुभूतियों, विरोधाभासों और अंतरद्वन्दों से बुना हुआ एक व्यापक अनुभव है। एक लेखक के रूप में मेरा यह दृढ़ विश्वास रहा है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि संवेदना का विस्तार है– मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्षो, टूटनों और आशाओं को समझने और और अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है।'1 इस शोध पत्र में कहानी में निहित मानवीय संवेदनाओं, प्रतिकों और सामाजिक सन्दर्भों का विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द– डॉ. सूर्यनारायण गौतम, मानवीय संवेदना, नंदी की पीड़ा, गौवंश की दुर्दशा।

भूमिका

डॉ सूर्यनारायण गौतम हिंदी कथा साहित्य के संवेदनशील रचनाकार हैं उनकी कहानियाँ सामान्य जीवन के असामान्य अनुभवों को उभारती हैं। नंदी की पीड़ा में उन्होंने एक पशु नंदी के माध्यम से मानव जीवन की गहराइयों में छिपी करुणा और निर्दयता दोनों का सशक्त चित्रण किया है। यह कहानी आधुनिक युग की उस विडंबना को सामने लाती है, जहाँ कोई भी अपनी उपयोगिता खोते ही उपेक्षित हो जाता है। नंदी की पीड़ा कहानी केवल एक शिल्पित मूर्ति की कथा नहीं है, यह उस मौन वेदना की अंतरध्वनि है। जो प्रतीक्षा में स्थिर है। नंदी जो भगवान शिव का वाहन है, यहाँ एक प्रतीक बन जाता है, उस आस्था का जो

* असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी विभाग), एकलव्य यूनिवर्सिटी, दमोह, मोबा.: 8171428066

उपेक्षित है, उस सेवा का जो विस्मृत है। मंदिरों में दर्शन को जाते हुए हम जिस नंदी को सहज ही पार कर जाते हैं, उसकी आँखों में क्या छिपा है? इस कथा में यही उकेरने का प्रयास किया गया है।

संवेदना

सम्पूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भावना शील है। उसमें से यदि संवेदनायें निकाल दी जाएं तो फिर जो शेष बचेगा वह भले ही मनुष्य जैसा लगेगा पर स्तर मानवीय नहीं कहा जा सकेगा। भाव संवेदनायें ही जीवन को मनुष्य से जोड़ती हैं। मनुष्य प्रकृति के बीच मैत्री स्थापित करती है। व्यवस्थाएं बनाये रहती हैं। मनुष्य के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि उस जैसा विचार शील प्राणी मानवीय गुणों से युक्त होकर भी सृष्टि के दूसरे प्राणिओं के भाव और संवेदनाओं को समझने में अक्षम होता जा रहा है। वृहद हिंदी कोश में संवेदना का अर्थ इस प्रकार दिया गया है–

"संवेदन (पुल्लिंग), संवेदना (स्त्रीलिंग) ज्ञान, अनुभूति जताना, सूचित करना इत्यादि।"[2] आदित्य नारायण तिवारी जी शिक्षा मनोविज्ञान (भाग–1) में संवेदना को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि– "संवेदना वह मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें हमें किसी उत्तेजना के गुण मात्र की चेतना होती है।"[3] संवेदना के संबंध में आनंद प्रकाश दीक्षित लिखते हैं कि– "कलाकार अपने परिवेश के संपर्क में आता है। परिवेश की कोई वस्तु किसी प्रकार की संवेदना कलाकार में निर्माण करती है, इस संवेदना की प्रतिक्रिया के लिए या प्रत्युद्गार की यह अधीरता, यह आकुलता उसे प्रकाशन पर अभिव्यंजना पर अभिव्यक्ति पर विवश करती है। इस विवशता का परिणाम कलाकृति के रूप में प्राप्त होती है।"[4]

धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार– संवेदना हमारे मन की वह कूटस्थ अवस्था है। जिसमें हमें विश्व की वस्तु विशेष का बोध न होकर उसके गुणों का बोध होता है।"[5] **शेखर वर्मा** के अनुसार– "संवेदना कृतिकार और सहृदय पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, संवेदना समाज परिवेश और मनःस्थिति के धरातल पर होने वाले साझे अनुभवों पर निर्भर करती है।"[6] मनुष्य मर्यादाशील, विचारशील प्राणी होने का गर्व करता है पर टूटते हुए सम्बन्धों, नष्ट होती पारिवारिक शांति, उत्पन्न होती जा रही दिशा विहीन पीढ़ियां और अराजकतापूर्ण सामाजिक सम्बन्ध यह बताते हैं कि हमारी संवेदनाओं को महसूस करने की शक्ति नष्ट होती जा रही है।

संवेदनाओं का सीधा सम्बन्ध हमारी भावनाओं और बोध से होता है। संवेदना का भाव केवल मानव को मानव मन से नहीं जोड़ता बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी हमारे मन में यह भाव उत्तेजित होते हैं।

'नंदी की पीड़ा' कहानी में मानवीय संवेदना

डॉ. सूर्य नारायण गौतम की कहानी 'नंदी की पीड़ा' केवल आवारा बैलों की कथा नहीं है बल्कि यह आधुनिक समाज के उस संवेदन हीन परिवेश का दर्पण है, जहाँ मनुष्य और पशु दोनों ही अपने अस्तित्त्व की लड़ाई लड़ते हैं। यह कहानी मानवीय संवेदना को नए सिरे से परिभाषित करती है–जहाँ' 'आवारा बैल' प्रतीक है उन असहाय जीवों के जिन्हें समाज ने त्याग दिया। लेखक ने समाज की विडंबनाओं को प्रतीक के माध्यम से गहराई से प्रस्तुत किया। कहानी में लेखक ने मानवीय संवेदना को पशु के दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया है। कहानी में बैल प्रतीक है उन उपेक्षित वर्गो के जो समाज में उपयोग के बाद फेंक दिए जाते हैं उनकी आवारा स्थिति वास्तव में समाज द्वारा निर्मित है। वे कभी खेतों की शक्ति थे, अब बाईपास की ध ूल हैं। उनकी पीड़ा उस मनुष्य की विवशता का प्रतिरूप है जो जीवन की अर्थ हीनता से जूझ रहा है।

"राजकीय अतिरिक्त मार्ग (बाईपास) में आवारा किस्म के बैलों का एक समूह अपनी किस्मत पर रो रहा था।"[7] बाईपास पर बैठे बैलों का अपनी किस्मत पर रोना केवल उनका नहीं बल्कि उस

आदमी का भी रोना है, जो व्यवस्था, धर्म और पाखंड के बीच अपनी अस्मिता खो चुका है। कहानी में नंदी नामक बैल पंडित की इस बात पर क्रोधित है कि, पंडित जन गौ माहात्म्य कहते हुए यह उपदेश करते हैं– 'मनुष्य की योनि में आने से पूर्व गौ माता की कोख में अवश्य आता है, उसकी कोख में आने के बाद उसके रहे सहे पाप नष्ट हो जाते हैं।"[8] यह धर्म के सांकेतिक ढकोसले पर व्यंग है। लेखक यह दिखाता है कि मुक्ति के मार्ग के ये सिद्धांत केवल शब्दों में हैं।

इस कहानी के माध्यम से डॉ सूर्यनारायण गौतम जी ने छुआछूत और जातीय भेदभाव पर करारा प्रहार किया है– "जिसमें कोई भी बैल आकर मुँह मार सकता है। उसके पीछे आने वाले कोई भी बैल यह नहीं कह सकते कि, यह अमुक बैल का छुआ हुआ है अथवा जूठा है इसलिए हम इसे नहीं खा सकते इत्यादि।"[9] इससे स्पष्ट है कि बैल समाज में कोई जात पात, ऊँच–नीच छुआ छूत नहीं है। जबकि मनुष्य समाज इन सबसे बुरी तरह ग्रसित है। लेखक यहाँ पशु समाज की नैतिक श्रेष्ठता को सामने रखते हैं। यह मानवता की असली पहचान की ओर इंगित करता है। 'नंदी की पीड़ा' कहानी में लेखक के अंतर्निहित भाव दया और करुणा की अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना भी है– "मैं उसके आकर्षक शरीर को अपलक यूँ ही देखने लगा कि मुझे उसकी पीठ पर लाठियों के लम्बे–लम्बे निशान समझ में आने लगे। मैं विस्मय से उसे देख रहा था तथा मन ही मन उस लट्ठबाज को गाली भी दे रहा था।"[10]

यह दृश्य लेखक की संवेदनशील दृष्टि को प्रकट करता है। वह बैल को एक पशु के रूप में नहीं बल्कि एक पीड़ित प्राणी के रूप में देखते हैं। उसकी पीठ के घाव मनुष्य की निर्दयता और शोषण के प्रतीक हैं। यहाँ लेखक के मन में उत्पन्न करुणा कहानी की आत्मा है। इस कहानी में लेखक का मानवीय गुण परिलक्षित होता है– "मेरे मन से निकली अपनत्व की सुगंध मानों उसकी नासिका तक पहुँच गयी और वह धीरे धीरे खिसकते और सूंघते हुए मेरे समीप तक आ गया। 3. मैंने उससे कहा– कहो भाई क्या हाल है।"[11] उक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि यहाँ पर मनुष्य और पशु का विभाजन मिट जाता है दोनों संवेदना के स्तर पर एक दूसरे को समझते हैं। यह सजीव मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ बैल मनुष्य की भाषा समझता है और मनुष्य उसकी पीड़ा को महसूस करता है।

नंदी की पीड़ा कहानी में बैल का रुदन केवल एक पशु का रुदन नहीं है बल्कि उन सभी प्राणियों का रोना है। जिन्हें श्रम के बाद त्याग दिया गया है। "वह अपनी वर्तमान स्थिति से इतना दुखी था कि कुछ भी बोलने से पहले ही फफकियाँ भी भरने लगा था उसकी आँखों से निकले लम्बे लम्बे आँसू उसकी नाक तक पतली धार बनाते हुए आ रहे थे।"[12] यहाँ बैल का रुदन केवल एक पशु का नहीं बल्कि उन सभी प्राणियों का रोना है जिन्हें श्रम के बाद त्याग दिया गया है। यह दृश्य मनुष्य की निर्ममता और प्रवृत्ति के प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है। लेखक इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि– संवेदना केवल मानव की विशेषता नहीं बल्कि समस्त जीव–जगत की आत्मा है।

नंदी की पीड़ा कहानी में लेखक ने आवारा बैल की मौन पीड़ा का अत्यंत सजीव चित्रण किया है– "वह बीच–बीच में अपनी बात को रोक–रोक कर लम्बी जीभ निकाल निकाल कर चाट रहा था, मानों वह अपने दुख को स्वयं ही पीने का श्रम कर रहा था।"[13] लेखक ने यहाँ दुःख को पीना, एक सशक्त प्रतीक बनाया है। जो उस मनुष्य की दशा को भी दर्शाता है जो समाज की कठोरता के सामने मौन रह जाता है।

इस कहानी की निम्न पंक्तियों में बैल का कथन केवल उसकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि आधुनिकता की अमानवीयता का प्रतीक है– "मैं उस अभागी माँ की अभागी संतान हूँ। जो सड़क

पर असीमित बोझ लादे असीमित गति से चलते हुए भारी वाहन के चपेट में आने के कारण इस संसार से उस समय विदा हो गयी। जिस समय मुझे पिलाने के लिए उसके थनों में दूध उतर चुका था। तब मैं मात्र एक माह का था।"[14] कहानी में औद्योगिकी करण और विकास अंधी दौड़ का प्रतीक है जो संवेदनाओं को कुचल देता है। माँ की मृत्यु केवल एक पशु की मृत्यु नहीं बल्कि मातृत्व पोषण और स्नेह की संस्कृति के नष्ट हो जाने की ओर संकेत करती है। लेखक ने इस कहानी में समाज की संवेदन हीनता पर तीखा व्यंग किया है– "इसके बाद लोग आते गये जाते गये कुछ ठिठके कुछ ने नाक मुँह सिकोड़ा और चलते बने।"[15] यह वाक्य आधुनिक मनुष्य की आत्म मृत्यु का प्रतीक है। मनुष्य अब मृत्यु के दृश्य से भी प्रभावित नहीं होता। उसकी करुणा मर चुकी है और संवेदना केवल देखने तक सीमित रह गयी है।

निम्न पंक्तियों में लेखक ने समाज की मृत संवेदनाओं का सबसे कठोर चित्र प्रस्तुत किया है– "तीन दिनों तक मेरी माँ की निर्जीव देह उसी स्थान पर पड़ी रही और धीरे धीरे पूरी तरह से सड़ने लगी थी। मुझे भर छोड़ कर उस देह से सबको भारी दुरगंध आने लगी थी। मैं तीन दिनों तक भूखा और प्यासा उसी स्थान पर मार्ग ाम किनारे एक छोटी सी कटीली झाड़ी के नीचे बैठा रहा फिर कुछ कुत्ते आये और उस देह को नोच नोच कर खाने लगे।"[16]

सड़ती हुई देह उस मानवता का प्रतीक है जो करुणा से विहीन हो चुकी है और कुत्तों का आना उस सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत है जो दूसरों के दुःख पर जीवित है। भय और पलायन पीड़ा से बचने का मार्ग– "मैं उन कुत्तों के डर के मारे दुबक कर उस स्थान से भाग निकला।"[17] जब समाज असंवेदनशील हो जाता है तब निर्दोष व असहाय को पलायन ही करना पड़ता है। जहाँ जीवन का संघर्ष अस्तित्त्व की रक्षा तक सिमट जाता है।

जब मोतिया को बिजली का झटका लगता है और वह निष्प्राण सा गिर जाता है तब उपस्थित लोग उसे बचाने का प्रयास करते हैं। बैल के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण किसान को पहले विश्वास ही नहीं होता कि उसका प्यारा बैल सच में मर गया है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी चेतना लौटती है और वह मोतिया की हालत देखता है। वह फफक्–फफक् कर रो पड़ता है, उसकी आँखों से आंसुओं की लंबी धारा बहने लगती है। वह अपने बैल की मृत देह को अपनी संतान की तरह सीने से लगाकर रोता है। "हाय! मेरे भाग्य 3. कैसे तूने मुझे मोतिया से अलग कर दिया? अब मैं इसके बिना कैसे जी पाऊँगा?"[18]

किसान को बैल में अपना परिवार दिखाई देता है, जिसके बिना उसका जीवन और रोजी रोटी दोनों अधूरे हैं। ऐसी संवेदना से स्पष्ट होता है कि मनुष्य और रोजी रोटी दोनों अधूरे हैं। मनुष्य और पशु के बीच का संबंध भी भावनात्मक आत्मिक और पारिवारिक हो सकता है। मनुष्य का अपने कर्म, विश्वास और जीवित भावनाओं से कितना गहरा जुड़ाव होता है। किसान अपनी पूरी श्रद्धा और श्रम से मिट्टी की शिवमूर्ति बनाता है। वह प्रत्येक अंग को बनाते समय इस बात का ध्यान रखता है कि– यदि नंदी खायेगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा? इसीलिए मुख और नासिका सहित जितने संभव हो सकते हैं सभी अंगों का निर्माण करते हैं। जितना सुन्दर हो सकता है उतना वे पूरी लगन और अपनत्व से मेरी उस जड़ मूर्ति के निर्माण में अपनी श्रद्धा, अपनत्व और कौशल झोक देते हैं।"[19] मनुष्य के लिए पशु, देवी देवता, प्रकृति सब परिवार और जीवन के अंग हैं।

निष्कर्ष

'नंदी की पीड़ा' कहानी में मानवीय संवेदना अत्यंत मार्मिक रूप में उभर कर सामने आती है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य केवल जीवित प्राणियों से ही नहीं, पशु, मूर्तियों और प्रकृति से भी

भावात्मक रूप से जुड़ जाता है। किसान द्वारा बैल को पुत्र समान मानकर शोक मनाना तथा शिवमूर्ति के प्रत्येक अंग को अपार श्रद्धा और प्रेम से बनाना, यह दर्शाता है कि श्रम, विश्वास और संबंधों से जन्मी संवेदनाएं मनुष्य को आत्मिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। मनुष्य की महानता उसकी संवेदनशीलता में निहित है। जो मनुष्य दूसरों के दर्द और अपनत्व को समझता है। वहीं वास्तव में मानवीय मूल्यों को जीवित रखता है। श्रद्धा, सृजन, प्रेम सहयोग और करुणा यही जीवन को अर्थ पूर्ण बनाते हैं और मनुष्य को मानव बनाते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ सूर्यनारायण गौतम– पीड़ा, प्रतीक और पथ, प्राक्कथन पृ. 3,4
2. कालिका प्रसाद सहाय एवं अन्य–वृहद् हिंदी कोश पृ. 1409
3. आदित्य नारायण तिवारी, शिक्षा मनोविज्ञान (भाग–1) पृ. 556
4. आनंद प्रकाश दीक्षित– आलोचना प्रक्रिया और स्वरूप, पृ. 43
5. धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य कोश, पृ. 515
6. शेखर वर्मा– समकालीन संवेदना और हिंदी नाटक, पृ. 24–25
7. डॉ सूर्यनारायण गौतम– पीड़ा, प्रतीक और पथ पृ. 7
8. वही, पृ. 8
9. वही, पृ. 8
10. वही, पृ 8
11. वही, पृ. 8
12. वही, पृ. 8
13. वही, पृ. 9
14. वही, पृ. 9
15. वही, पृ. 9
16. वही, पृ. 9
17. वही, पृ. 9
18. वही, पृ.13
19. वही, पृ 14

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 6th March 2026
Paper Accepted : 9th March 2026

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन

□ डॉ. प्रशान्त*

शोध-सारांश

शिक्षा का मानव जीवन के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार विद्यालयी शिक्षा व्यक्ति के सफल जीवन के लिए आधार है वहीं उच्च शिक्षा लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधन बनती है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक शोध है. जिसमें न्यादर्श के रूप में बिहार राज्य के नालंदा जिले की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत 120 छात्राओं (स्नातक और परास्नातक स्तर) का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया है। प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं सह–संबंध का प्रयोग किया गया। परिणाम में पाया गया कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य कोई सार्थक सह–संबंध नहीं है। किन्तु सामाजिक आर्थिक स्थिति के आयाम शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक स्तर के मध्य सार्थक सह–संबंध पाया गया।

मुख्य शब्द– सामाजिक आर्थिक स्थिति, उपलब्धि अभिप्रेरणा, उच्च शिक्षा।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों से समृद्ध करती है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि समाज के निर्माण और प्रगति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान प्रदान करने के लिए तैयार करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते है और एक जिम्मेदार नागरिक बनते है। शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है, खासकर विकासशील देशों में। आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव और अपर्याप्त संसाधन शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को प्रभावित करते हैं। छात्राओं की शिक्षा समाज के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में

* सहा. प्राध्यापक–शिक्षा, नालंदा कालेज बिहार शरीफ, बिहार, भारत

सहायक होता है, बल्कि समाज में लिंग समानता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। छात्राओं की शिक्षा से न केवल वे स्वयं सशक्त बनती हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। शिक्षित छात्राएँ अपने परिवार और समुदाय के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकती हैं। छात्राओं की शिक्षा में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ, आर्थिक असमानता एवं सुरक्षा की चिंताएं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार, समुदाय और परिवार को मिलकर काम करना होगा।

छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि छात्राओं के लिए शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाना और उन्हें सुलभ बनाना। छात्राओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित शैक्षिक वातावरण प्रदान करना साथ ही साथ छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। छात्राओं कि उपलब्धि अभिप्रेरणा उनको सतत रूप से प्रोत्साहित करती है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की नामांकन दर 2012 से 2015 तक घट गई है, लेकिन उच्च शिक्षा स्तर पर लड़कियों की सकल नामांकन अनुपात 2012 से 2015 तक बढ़ गया है साथ ही बुनियादी ढांचे की कमी, सुरक्षा की कमी, लडकियों से संबंधित अंधविश्वास, और माता–पिता की सामाजिक–आर्थिक स्थिति भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

भारत में विभिन्न जनगणना वर्ष के अनुसार साक्षारता दर

जनगणना वर्ष	कुल साक्षरता दर	पुरुष साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	साक्षरता दर में अंतर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.44	15.35	25.05
1971	34.45	65.96	21.97	23.91
1981	43.57	56.38	29.46	26.62
1991	53.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.84	75.26	53.67	21.59
2011	74.00	82.10	65.50	16.70

उच्च शिक्षा में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का उल्लेख महिलाओं के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति–2016 में किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ष 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी श्सक्षम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय और कैंपस में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए कार्यक्रमश नामक रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश के रूप में किया गया है।

उच्च शिक्षा एवं छात्राओं की भागीदारी समाज के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा छात्राओं को विशेज्ञता और उन्नत ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वे अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकती है। उच्च शिक्षा में छात्राओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोक सकती हैं। आर्थिक असमानता छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। हमें उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर

प्रयास करने होंगे। कुमार (2018) ने उच्च शिक्षा में विवाहित महिलाओं की शिक्षा संबन्धित समस्याओं का अध्ययन किया। शोध द्वारा प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही विवाहित ग्रामीण महिलाओं में शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक समस्या आती है।

मैकक्लेलैंड (1961) ने उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि उपलब्धि की आवश्यकता एक महत्त्वपूर्ण कारक है जो व्यक्तियों को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है एवं व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने और अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी प्रगति को मापने के लिए अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति व्यक्ति के जीवन में अवसरों और चुनौतियों को निर्धारित करती है। माना जाता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्राप्त होती है. जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझना नीति निर्माताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण है ताकि वे समाज में असमानताओं को कम करने और सभी व्यक्तियों के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित कर सकें। यदि हम इनकी शिक्षा कि बात करें तो उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति दोनों ही उनके जीवन की सफलता में योगदान दे सकते है।

अतः उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति और उपलब्धि अभिप्रेरण के बीच एक गहरा संबंध है। सामाजिक आर्थिक स्थिति छात्राओं की शिक्षा तक पहुँच और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली छात्राएँ बेहतर शैक्षिक संसाधनों और समर्थन का लाभ उठा सकती है, जिससे उनकी उपलब्धि अभिप्रेरण बढ़ती है। इसके विपरीत, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली छात्राओं को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी। उपलब्धि अभिप्रेरण को बढ़ावा देने के लिए, यह आवश्यक है कि छात्राओं को समान अवसर और समर्थन प्रदान किया जाए, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। शर्मा (2017) ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरणा पर लिंग एवं परिवेश के प्रभाव का अध्ययन किया। शोध परिणाम में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों से श्रेष्ठ है।

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करने में सहायक होती है (चौधरी, 2013)। 'सिंह एवं चाको (2024) ने कॉलेज के विद्यार्थियों में उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं जेन्डर भूमिका पर अध्ययन किया एवं इनमें कोई अंतर नहीं पाया गया। शेखर और देवी (2012) ने पुरुष और महिला कॉलेज छात्रों के उपलब्धि अभिप्रेरणा स्तरों में एक उल्लेखनीय अंतर की खोज की।'

शोध का औचित्य

प्रस्तुत शोध में उच्च शिक्षा में अध्यायनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबन्धित विभिन्न साहित्य का सर्वेक्षण किया गया है। साहित्यों के विश्लेषण उपरांत ज्ञात होता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण, महिला उत्पीड़न, जागरूकता, महिलाओं की शिक्षा आदि विभिन्न विषयों पर अनेक शोध कार्य किए गए है किन्तु उच्च शिक्षा में अध्यायनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अध्ययन बहुत ही कम हुए है। इस शोध के माध्यम से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य संबंध एवं प्रभाव का अध्ययन किया गया है साथ ही उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा के विकास पर अध्ययन कर विश्वविद्यालय स्तर, नीति एवं नियोजन स्तर पर उचित प्रावधानों हेतु अनुसंशा की जा सकती है। प्रस्तुत शोध भविष्य में छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने हेतु सहायक हो सकती है।

शोध का महत्त्व

प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के संदर्भ में शैक्षिक संस्थानों के योगदान एवं अभिभावकों की भूमिका को ज्ञात किया जा सकता है। इसके इतर प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह जानने और समझने का अवसर मिलेगा कि भविष्य में छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का विकास किस प्रकार किया जा सकता है और इस हेतु कौन सी समस्याएँ आ सकती हैं। साथ ही यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा के विकास में सक्षम होगी। इस शोध से यह भी पता लगाया जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति किस प्रकार उन्हें प्रभावित करती है तथा छात्राओं की शिक्षा प्राप्ति में उपलब्धि अभिप्रेरणा का कितना योगदान है।

समस्या कथन

उपलब्धि अभिप्रेरणा छात्राओं की सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है साथ ही साथ इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति का भी इस पर प्रभाव हो सकता है। यह शोध कार्य छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के मध्य संबंध के अध्ययन हेतु किया गया है। अतः प्रस्तुत शोध समस्या को निम्न रूप से लिखा जा सकता है–

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन।

शोध उद्देश्य

- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।
- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के शैक्षिक स्तर एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

शोध का परिसीमन

- प्रस्तुत शोध कार्य उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं तक सीमित है।
- प्रस्तुत शोध राज्य के जिला के उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं सीमित है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि पर आधारित है एवं इसकी प्रकृति मात्रात्मक है।

चर

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित चर है–

- सामाजिक–आर्थिक स्थिति
- उपलब्धि अभिप्रेरणा

पारिभाषिक शब्दावली

सामाजिक–आर्थिक स्थिति– सामाजिक आर्थिक स्थिति शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सामाजिक–आर्थिक स्थिति से तात्पर्य उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति से है।

उपलब्धि अभिप्रेरणा– उपलब्धि अभिप्रेरण व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता

प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की आवश्यकता एवं लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर जीवन में सफल होने से है।

उच्च शिक्षा– उच्च शिक्षा व्यक्तियों को विशेषज्ञता और उन्नत ज्ञान प्रदान करती है, जो उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है। यह समाज में नेतृत्व और नवाचार को बढ़ावा देती है।

उच्च शिक्षा– उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं से तात्पर्य स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा से है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में राज्य के जिले में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं को जनसंख्या के रूप में चयन किया गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्श चयन की विधि

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधार्थी द्वारा न्यादर्श के रूप में राज्य के जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत 120 छात्राओं (स्नातक और परास्नातक स्तर) का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों के संग्रहण हेतु एल.एन. दुबे एवं बी. निगम द्वारा मानकीकृत सामाजिक–आर्थिक स्थिति मापनी का उपयोग किया गया है एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा हेतु स्वनिर्मित उपलब्धि अभिप्रेरणा मापनी का उपयोग किया गया। शोध उपकरण की व्याख्या इस प्रकार है–

- सामाजिक–आर्थिक स्थिति मापनी
- उपलब्धि अभिप्रेरणा मापनी

प्रदत्तों के संकलन की प्रक्रिया

प्रदत्तों के संकलन हेतु शोधाकर्ता द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले से चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को उचित दिशानिर्देश देते हुए उपकरणों को प्रशासित किया।

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी विधि

प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं पियर्सन सह–संबंध का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं विवेचना

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

तालिका क्र. 1.

क्र.	अंकों का वितरण	समाजिक–आर्थिक स्थिति	छात्राओं की संख्या	प्रति.
1.	100 से अधिक	उच्च वर्ग	0	0
2.	80–99	उच्च मध्यम वर्ग	30	25
3.	60–79	मध्यम वर्ग	72	60
4.	40–59	निम्न मध्यम वर्ग	18	15
5.	39 से कम	निम्न वर्ग	0	0

तालिका क्रमांक 1. से ज्ञात होता है कि 15 प्रतिशत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का स्तर निम्न मध्यम वर्ग, 60 प्रतिशत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का स्तर मध्यम वर्ग एवं 25 प्रतिशत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति उच्च मध्यम वर्ग की है। अतः हम कह सकते है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत सभी छात्राओं के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में एकरूपता नहीं होती, इसका कारण छात्राओं के परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति आदि हो सकते हैं।

2 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन

तालिका क्र. 2

क्र.	अंकों का वितरण	उपलब्धि अभिप्रेरण	छात्राओं की संख्या	प्रति.
1.	95 से अधिक	उच्च स्तर	24	20
2.	94–84	औसत स्तर	78	65
3.	83 से कम	निम्न स्तर	18	15

तालिका क्रमांक 2. से ज्ञात होता है कि 15 प्रतिषत छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर निम्न स्तर, 65 प्रतिषत छात्राओं की उपलब्धि

अभिप्रेरणा का स्तर औसत स्तर एवं 20 प्रतिषत छात्राओ की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर उच्च है। अतः हम कह सकते है कि उच्च षिक्षा में अध्ययनरत सभी छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा में एकरूपता नहीं है।

शोध के मुख्य परिणाम एवं निष्कर्ष

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत 15 प्रतिशत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का स्तर निम्न मध्यम वर्ग, 60 प्रतिशत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का स्तर मध्यम वर्ग एवं 25 प्रतिशत छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति उच्च मध्यम वर्ग की है। अधिकांश छात्राएं मध्यम वर्ग से संबंधित हैं, जबकि एक महत्त्वपूर्ण अनुपात निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग से भी है, जो उनकी शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकता है।

2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत 15 प्रतिशत छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर निम्न, 65 प्रतिशत छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर औसत एवं 20 प्रतिशत छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर उच्च है। अधिकांश छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा औसत स्तर पर है, जबकि एक महत्त्वपूर्ण अनुपात निम्न और उच्च स्तर पर भी है। अतः अधिकांश छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा औसत स्तर की है, जो दर्शाता है कि उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के शैक्षिक स्तर एवं उनके उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सह–संबंध पाया गया है। जो दर्शाता है कि शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ उपलब्धि अभिप्रेरणा भी बढ़ती है।

शैक्षिक निहितार्थ

वर्तमान अध्ययन नीति निर्माताओं को उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के लिए उचित सेवाएं और कार्यक्रम के विकास में सहायक हो सकती है जिससे उनकी शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके साथ ही उच्च शिक्षा में छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीतियों और कार्यक्रमों का विकास और मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

इस अध्ययन से छात्राओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सुधार किया जा सकता है। इस अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर, शैक्षिक हस्तक्षेपों को विकसित किया जा सकता है जो छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देते हैं और उनकी सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में मदद करते हैं।

इस अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर, उच्च शिक्षा में लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां विकसित की जा सकती हैं जो छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और उपलब्धि अभिप्रेरणा को ध्यान में रखती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. साहू एस. (2016). गर्लस एजुकेशन इन इंडियाः स्टेटस एंड चौलेंजेस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन इक्नोमिक्स एंड सोश्ल साइन्सेस, 6(7), 130–141.
2. भारत सरकार, (2016), महिलाओं के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति–2016
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2013), सक्षम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय और कैंपस में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए कार्यक्रम,
4. कुमार, डी. (2018) उच्च शिक्षा में विवाहित महिलाओं की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइन्स एंड टेक्नालजी, 4 (7), 336–341.
5. मैकक्लेलैंड, डेविड सी. (1961) द अचीविंग सोसाइटी वैन नोस्ट्रेंड कंपनी.
6. शर्मा, ओ. एन. (2017), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरणा पर लिंग एवं

परिवेश के प्रभाव का अध्ययन, इक्यिजिटिव टीचर, 33–36.

7. नागर, एन. पी. (2012) विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृति पर उपलब्धि अभिप्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन शोध एवं नवाचार प्रकोष्ठ, 30–36

8. चौधरी, इ. (2013), उच्च एवं निम्न उपलब्धि वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा तथा आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन इन्टरनेशनल एजुकेशन ई–जर्नल भाग–2, 55–62.

9. सिंह, एस. एवं चाको, जे. (2024) अचीवमेंट मोटिवेशन इन कॉलेज स्टूडेंट्स एज अ फंकशन ऑफ देयर बीलीफ इन जेंडर रोल, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकॉलजी, 12 (1), 486–496

10. शेखर, सी. और देवी, आर (2012), अचीवमेंट मोटिवेशन अक्क्रॉस जेंडर एंड डिपरेट मेजर्स, जर्नल ऑफ एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, 2 (2), 105

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 6th March 2026

Paper Accepted : 10th March 2026

Role and Contribution of Digital Libraries in Education

❐ Dr. ReetaNigam*
❐ Dr. Meenasashi Bhardwaj**

ABSTRACT

Digital libraries have transformed the education system by providing easy, fast, and equal access to information. They support teaching, learning, research, and lifelong education. Digital libraries are no longer optional; they are essential for modern education.

By promoting self-learning, supporting research, preserving knowledge, and reducing educational inequality, digital libraries contribute significantly to academic development. Although challenges exist, proper planning, infrastructure, and training can help overcome them.

In conclusion, digital libraries play a vital role in shaping the future of education. They empower learners, enhance teaching quality, and support the creation and dissemination of knowledge. As education continues to evolve, the importance of digital libraries will only increase.

Digital libraries play a very important role in education. They support teaching, learning, and research. Digital libraries provide easy and equal access to information.

They help students, teachers, and researchers in many ways. Although some challenges exist, digital libraries are the future of education.

In modern education, digital libraries are not optional. They are necessary for quality education and knowledge development.

Introduction

Education is the foundation of social, economic, and cultural development of any nation. With the rapid growth of information and communication technology (ICT), the methods of teaching, learning, and research have changed significantly. Traditional libraries, which were once limited to printed books and physical spaces, are now being transformed into digital libraries. A digital library is an organized collection of digital content such as e-books, e-journals, databases, theses, reports, audio-visual materials, and other online resources that can be accessed through computers and the internet.

Digital libraries play a very important role in modern education. They support students,

* Assistant Professor- Education, RIET Collage, Reewa (M.P.)
** Assistant Professor, Department of Library & Information Science, Major S.D Singh University, Farrukhabad (U.P)

teachers, researchers, and academic institutions by providing easy, fast, and wide access to information. In the present knowledge-based society, digital libraries are not just supplementary tools; they have become an essential part of the education system. This article discusses the concept, role, and major contributions of digital libraries in education in simple and clear language.

Education is very important for the development of a country. In today's world, information is growing very fast. Because of computers and the internet, the way of learning has changed. Earlier, students depended only on printed books and classrooms. Now, digital technology has made education easier and faster.

A digital library is a modern form of library. It provides information in digital form. Students and teachers can use digital libraries with the help of computers, mobiles, and the internet. Digital libraries play a very important role in education today. They support teaching, learning, and research in many ways.

Meaning and Concept of Digital Library:

A digital library is a library in which collections are stored in digital format and made available to users electronically. Unlike traditional libraries, digital libraries do not depend only on physical books or journals. They use digital technology to store, organize, preserve, and disseminate information.

Digital libraries include :

- E-books
- E-journals
- Online databases
- Institutional repositories
- Digital theses and dissertations
- Multimedia resources (audio, video, images)

The main objective of a digital library is to provide users with access to information anytime and anywhere. It removes the limitations of time, place, and physical availability of resources.

A digital library is a collection of information in electronic form. It contains e-books, e-journals, online databases, theses, reports, videos, and audio materials. These resources can be accessed online anytime and anywhere.

Digital libraries do not need physical space like traditional libraries. Users can read books and articles without visiting the library building. This is the biggest advantage of digital libraries.

Need of Digital Libraries in Education

The number of students is increasing day by day. At the same time, the demand for information is also growing. Traditional libraries alone cannot fulfill all needs. Digital libraries are needed because :

- Information is available very quickly
- Latest information can be accessed
- Students can study anytime
- Distance education depends on digital resources

Digital libraries have become a basic need of modern education.

Evolution of Digital Libraries in Education:

The concept of digital libraries emerged with the development of computers and the internet. Initially, libraries used computers only for cataloguing and circulation. Later, with the availability of online databases and electronic journals, libraries started offering digital services.

In the 21st century, especially after the growth of the internet and mobile technology, digital libraries became more popular. In education, digital libraries gained importance due to :

- Increase in student population
- Growth of research activities
- Need for up-to-date information
- Distance and online education

Government initiatives, open access movements, and global digital projects have also contributed to the expansion of digital libraries in educational institutions.

Role of Digital Libraries in Education

1. Easy Access to Information

One of the most important roles of digital

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

libraries in education is providing easy and quick access to information. Students and teachers can access thousands of books, journals, and research papers with just a few clicks. This saves time and effort compared to searching for physical books in traditional libraries.

Digital libraries are available 24 × 7, which means learners can study according to their convenience. This is especially helpful for distance learners and working professionals.

Digital libraries provide easy and fast access to information. Students do not need to search many books physically. They can find information by using keywords.

Digital libraries are available 24 hours a day. Students can study at night, early morning, or any free time. This helps learners a lot.

2. Support to Teaching and Learning Process

Digital libraries support modern teaching and learning methods. Teachers can use digital resources to prepare lectures, presentations, and assignments. Students can use e-books, online notes, and videos to understand concepts more clearly.

Interactive and multimedia resources available in digital libraries make learning more interesting and effective. Students can learn at their own pace and revise topics whenever needed.

Teachers use digital libraries to prepare their lectures. They can download articles, presentations, and study materials. Digital libraries help teachers to improve their knowledge.

Teachers can also share digital resources with students. This makes teaching more effective and interesting.

3. Promotion of Self-Learning

Digital libraries encourage self-learning and independent study. Learners are no longer completely dependent on classroom teaching or textbooks. They can explore various resources on a single topic and gain in-depth knowledge.

This habit of self-learning helps students develop critical thinking, problem-solving skills, and lifelong learning attitudes.

4. Support to Research and Innovation

Digital libraries play a crucial role in academic research. Researchers need access to current and authentic information. Digital libraries provide access to:

- Research journals
- Conference proceedings
- Theses and dissertations
- Research reports

These resources help researchers review existing literature, identify research gaps, and avoid duplication of work. Digital libraries also promote interdisciplinary research by providing access to resources from different subjects.

Research is an important part of higher education. Digital libraries support research work by providing research journals, theses, and reports.

Researchers can easily review previous studies. Digital libraries save time and improve the quality of research.

5. Equal Access to Knowledge

Digital libraries help in reducing inequality in education. Students from remote or rural areas can access the same quality resources as students from urban or well-developed regions. As long as internet access is available, digital libraries can reach everyone.

This equal access to information supports the concept of inclusive education and democratization of knowledge.

Digital libraries provide equal access to information. Students from rural and remote areas can use the same resources as urban students.

This helps in reducing educational inequality. Digital libraries support the idea of education for all.

6. Support to Distance and Online Education

With the growth of distance education, online courses, and open universities, digital libraries have become essential. Students enrolled

in online programs depend heavily on digital resources for study materials.

Digital libraries provide learning resources to students who cannot visit physical libraries regularly. During situations like pandemics or emergencies, digital libraries ensure continuity of education.

Distance education depends mainly on digital libraries. Students who cannot attend regular classes use online resources.

Digital libraries help distance learners to continue their education without visiting the campus.

7. Preservation of Knowledge

Digital libraries play an important role in preserving educational and cultural heritage. Rare books, manuscripts, old documents, and institutional records can be digitized and preserved for future generations.

Digitization helps in protecting valuable materials from physical damage, loss, or deterioration. It also increases their visibility and usability.

Digital libraries help in preserving knowledge. Old books, manuscripts, and documents can be digitized.

This protects important materials from damage. Future generations can also use these resources.

Contribution of Digital Libraries to Different Stakeholders

Contribution to Students

Digital libraries contribute significantly to students' academic growth. They provide :

-
- Wide variety of learning materials
- Updated and reliable information
- Easy preparation for exams and assignments
- Support for competitive examinations.

Students can improve their academic performance by using digital libraries effectively.

Contribution to Teachers

Teachers benefit from digital libraries in many ways. They can :

- Update their subject knowledge
- Access latest research and teaching materials
- Design innovative teaching methods
- Improve the quality of instruction

Digital libraries help teachers move beyond traditional teaching and adopt learner-centered approaches.

Contribution to Researchers

For researchers, digital libraries are invaluable. They offer :

- Access to global research output
- Tools for citation and reference management
- Availability of open access resources

Digital libraries speed up the research process and improve the quality of research output.

Contribution to Educational Institutions

Educational institutions use digital libraries to enhance their academic reputation. Digital libraries :

- Improve teaching and research quality
- Support accreditation and ranking requirements
- Promote institutional research through repositories

They also help institutions manage their knowledge resources effectively.

Digital Libraries and Open Educational Resources (OER)

Digital libraries play a key role in promoting Open Educational Resources. OER includes freely available textbooks, lecture notes, videos, and courses. Digital libraries collect, organize, and provide access to these resources.

OER reduces the cost of education and helps students who cannot afford expensive textbooks. It also allows teachers to adapt and reuse educational content.

Role of Digital Libraries in Lifelong Learning

Education is no longer limited to schools

and universities. Digital libraries support lifelong learning by providing learning resources to people of all ages. Professionals can update their skills, and learners can explore new areas of interest.

Digital libraries support continuous education and skill development, which is essential in today's fast-changing world.

Challenges in Use of Digital Libraries in Education

Despite many advantages, digital libraries also face some challenges :

1. Digital Divide

Not all students have access to computers and the internet. This creates inequality in access to digital resources.

2. Lack of Digital Literacy

Some users lack the skills required to use digital libraries effectively.

3. Copyright and Licensing Issues

Access to some digital resources is restricted due to copyright laws and high subscription costs.

4. Technical Problems

Issues like slow internet, system failures, and software problems can affect access.

Role of Librarians in Digital Library Environment

Librarians play a very important role in the effective use of digital libraries. Their responsibilities include :

- Selecting and organizing digital resources
- Training users in information literacy
- Managing digital repositories
- Providing virtual reference services

In the digital age, librarians act as information guides and facilitators.

Future of Digital Libraries in Education

The future of digital libraries in education is very promising. With advancements in technology such as artificial intelligence, cloud computing, and big data, digital libraries will become more intelligent and user-friendly.

In the future, digital libraries may offer :

- Personalized learning resources
- Advanced search tools
- Integration with learning management systems
- Greater use of open access content

Digital libraries will continue to support innovation, creativity, and quality education.

References

1. Online / Official Sources
2. National Digital Library of India (NDLI) – https://ndl.iitkgp.ac.in
3. Ministry of Education, Govt. of India. National Education Policy 2020 – https://www.education.gov.inUNESCO.
4. Guidelines for Digital Libraries in Education (2022) Books
5. Krishan Kumar (2018). Digital Libraries: Principles and Practice. Ess Ess Publications, New Delhi.
6. G. G. Chowdhury & Sudatta Chowdhury (2015).Introduction to Digital Libraries. Facet Publishing, London.
7. P. K. Jain (2020). Information Technology and Library Automation. New Age International, New Delhi.
8. S. R. Ranganathan (Reprint 2019). The Five Laws of Library Science.Ess Ess Publications, New Delhi.
9. B. C. Panda (2017). Digital Resources in Education.Atlantic Publishers, New Delhi.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 6th March 2026 Paper Accepted : 10th March 2026

A COMPARATIVE STUDY OF THE ATTITUDE OF B.Ed. TEACHER TRAINEES OF SCIENCE AND ARTS STREAM TOWARDS CREATIVE TEACHING

❑ Ms. Pooja*
❑ Dr. Shalini Singh**

ABSTRACT

Currently, the education system is undergoing rapid and revolutionary changes. Teacher education is also undergoing significant transformation. Therefore, creative teaching is a positive approach that teachers must develop to enhance the quality of teacher education. To achieve this, teachers must move beyond traditional methods and embrace innovation, artistic integration, and student-centered activities (such as project and discovery). This approach develops critical thinking and problem-solving abilities in students. In modern education, teachers face a major challenge: providing teaching and learning in a way that is in tune with the rapidly changing environment. Their innovative efforts can maintain the interest in classroom teaching. In such a situation, B.Ed. teacher trainees get opportunities to develop learning attitudes, abilities, interests and skills towards children through proper practice of teaching skills by making planned observations during their training. Due to which they will be able to fulfill their social responsibility. The main objective of this study is to comparatively study the attitude of B.Ed. teacher trainees of science and arts stream towards creative teaching. In the present study, descriptive survey method has been used. This study includes the population of B.Ed. teacher trainees studying in all the government and non-government B.Ed. college under Chaudhary Charan Singh University, Meerut. The study was conducted using a random sampling method, with a sample size of 100 B.Ed. teacher trainees from three B.Ed. colleges in Ghaziabad and attitude scale of creative teaching was used for data collection. The analysis of data revealed that there is significant difference in the attitude of B.Ed. teacher trainees of science and arts stream towards creative teaching. This type of research will prove to be a milestone in enhancing the quality of teacher education in the times to come.

KEY WORDS: *Attitude, Creativity, Creative Teaching.*

* Research Scholar, V.M.L.G. College Ghaziabad, U.P. Email- singhpooja706519@gmail.com.
** Associate Professor, Faculty of Teacher Education, V.M.L.G. College Ghaziabad, U.P.

INTRODUCTION

Attitude is a key component of human potential. Attitude refers to the acquired or innate ability to acquire skills or knowledge in a variety of fields. An attitude is an inherent ability to achieve mastery in a particular field, and this inherent ability can be either innate or acquired. Therefore, a rough estimate of a person's future performance can be made based on their attitude.

Creativity is primarily concerned with originality or innovation. Creativity is the ability that enables a person to think and act in new ways to find a unique solution to a problem. The ability to think and act in a new way, breaking away from the prevailing patterns, is considered creative. Creativity in education is essential for forecasting critical thinking, adaptability, and complex problem-solving skills, preparing students for an unpredictable future workforce. It transforms learning from passive absorption to active engagement, encouraging innovation, self-expression, and a growth mindset. It is crucial for emotional development and deep understanding.

Teachers are a powerful tool in accelerating national development. For this, it's crucial for teachers to be proficient in every educational task. Teaching is an art. To achieve proficiency, teachers must be competent and adept at performing their classroom tasks, enabling them to utilize educational policy foundations and principles, as well as teaching methods and strategies, for professional advancement. The teacher is responsible for teaching any activity in school. He or she creates the appropriate environment for students to learn knowledge and actions. Therefore, the teacher must be adept at the entire teaching process.

Creative teaching can improve collaboration, critical thinking, creative thinking and communication skills. Creative teaching is crucial for transforming passive learning into an engaging, high-impact experience. It enhances student motivation, fosters critical thinking, and prepare learners for future challenges by promoting adaptability and innovation. Creative teaching involves teachers in making learning more interesting and effective and in adopting imaginative approaches in the classroom. Creative techniques make learning memorable, improve academic performance, and built social-emotional skills like resilience.

NEED AND SIGNIFICANCE OF THE STUDY

In the present times, rapid scientific, technological and industrial progress and development and modernization have made human life so complex and problematic that the need for creativity is being felt in every sphere of life to solve these problems. Creative powers develop only through education. The B.Ed. teacher trainees are seen as future teachers. Therefore, the concept of creative teaching, as expressed by the future teacher, makes students aware and sensitive to the learning and understanding of the material in the classroom. Creative teaching is a teaching style that increases levels of motivation and self-esteem in learners, and equips them with the flexible skills needed for future. Developing the ability to be creative is believed to have the potential to enrich lives and contribute to building a better society. B.Ed. teacher trainees should also be trained in creative teaching so that they can educate all the student of the school according to creative teaching.

OBJECTIVES

1. To study the attitude of B.Ed. teacher trainees of science stream towards creative teaching.
2. To study the attitude of B.Ed. teacher trainees of arts stream towards creative teaching.
3. To conduct a comparative study of the attitude of B.Ed. teacher trainees of science and arts stream towards creative teaching.
4. To conduct a comparative study of the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees towards creative teaching.
5. To conduct a comparative study of the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees of science stream towards creative teaching.
6. To conduct a comparative study of the attitude of male and female B.Ed. teacher

trainees of arts stream towards creative teaching.

HYPOTHESIS

1. There is no significant difference in the attitude of B.Ed. teacher trainees of science and arts stream towards creative teaching.
2. There is no significant difference in the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees towards creative teaching.
3. There is no significant difference in the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees of science stream towards creative teaching.
4. There is no significant difference in the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees of arts stream towards creative teaching.

DELIMITATION

1. In the present research study, only B.Ed. teacher trainees from Ghaziabad district of Utter Pradesh have been taken.
2. Government and non-government B.Ed. colleges have been included in the present research study.
3. In the present research study, B.Ed. teacher trainees from science and arts stream have been taken.
4. In the present research study, only attitude towards creative teaching has been taken for study.

REVIEW RELATED LITERATUTE

Gupta & Jan (2013) made a study on "Attitude of B.Ed. Pupil-Teachers of Science and Arts Streams towards Creative Teaching: A Study". The study was undertaken to assess and compare the attitude towards creative teaching of B. Ed. Pupil-teachers belonging to science and art streams. A sample of 200 B.Ed. pupil-teachers was drawn by using stratified random sampling technique from 5 colleges of Sambhal district. Attitude towards creative teaching was assessed by employing Attitude Scale of Creative Teaching (Shukla, 2012). The study revealed that B.Ed. students of science stream have more positive attitude towards creative teaching than their counterparts of arts stream where as the female pupil teachers also have positive attitude than the male pupil teachers.

Kaur, S. (2015), in a research paper, used stratified random sampling to select 160 B.Ed. student teachers from Ambala city. The study found significant differences in creative teaching attitudes across both locality and subject group. However, no significant differences were found in creative teaching attitudes across gender. Urban and science student teachers perceived greater opportunities for creative activities within the teaching curriculum than rural and art student teachers.

Niwas, Nautiyal (2017), in a research paper 132 B.Ed. student teachers from Dehradun city were selected from the arts and science streams using simple random sampling. The study found similarities in the teaching competence of arts and science student teachers, but significant differences were found in the mean level of creative teaching attitude. There was a positive correlation between teaching competence and creative attitude for arts student teachers and a positive correlation between teaching competence and creative attitude for science student teachers.

Mukherjee, M. (2019)12, A Study of Creative Teaching Attitudes and B.Ed. Student Teachers of Science and Arts Stream. The research study compared the creative teaching attitudes of B.Ed. student teachers of Science and Arts stream. Student teachers were selected from colleges in Deogarh and Madhupur in Deogarh district. Stratified random sampling method was used for the study. Creative Teaching Attitude Measurement by Dr. R. Shukla was used for this study. The study declared that there is a significant difference between the creative teaching attitudes of male and female B.Ed. student teachers of Science and Arts.

Bendangyapangla, Kiso,T. (2023), in this study is aimed at finding the attitude of school teachers toward Creative Teaching with regard to gender, type of management, level of teaching, age, streams and teaching experience. The study conducted on a sample size of 72 teachers revealed that there was no significant difference in the attitude towards creative teaching between Male and Female; Private and Government; Graduate Teachers and Post Graduate Teachers;

35 years of age and above, and below 35 years of age; and with respect to teaching experience among school teachers. However, it was found that there was a significant difference in the attitude towards creative teaching between Arts and Science school teachers. The study also revealed that majority of the teachers had an average level of attitude towards creative teaching.

RESEARCH METHODOLOGY

METHODOLOGY–Descriptive survey method

VARIABLES : Dependent variable– attitude towards creative teaching

Independent variable–B.Ed. teacher trainees of science and arts stream.

POPULATION–The population of the study is the B.Ed. teacher trainees studying in all the Government and non-Government B.Ed. colleges under Chaudhary Charan Singh University, Meerut.

SAMPLE AND SAMPLE TECHNIQUE

In the research study, the sample was selected through the following stages:

- For the present research, a list of B.Ed. colleges located in Ghaziabad district affiliated to Chaudhary Charan Singh University, Meerut was obtained.
- In the present study, three B.Ed. colleges located in Ghaziabad were selected using random sampling method.
- In the present research, a total of 100 B.Ed. teacher trainees were selected through cluster sampling method.
- The sample of this research study was selected using a stratified random sampling method. 50 Science stream and 50 Art stream B.Ed. teacher trainees were selected.

RESEARCH TOOL USED

In the present research, Attitude Scale of Creative Teaching (ASCT-s) developed by Dr. R. P Shukla was used for the collection of data.

Reliability– To reliability of the test has been scored by test re-test method over a period of three weeks on a sample of 200 B.Ed. students trainees of different colleges of education at Gwalior and in found to be 0.67.

Validity–The test is valid, as the items have been taken from Torrances 62 traits of students after trying out and calculating discriminating value of each statement. Torrance has studied these traits on four nations including India and hence the test items already have construct validity.

Scoring System–The tool is Likert type Five-point alternative answers. The positive statements are to be scored as 5, 4, 3, 2, 1 and negative statements as 1, 2, 3, 4, 5 the test item no. 1, 5, 10, 15, 20, 25, and 30 are negative items. The remaining items are positive.

STATISTICAL TECHNIQUE USED

- Mean
- Standard deviation
- T test

ANALYSIS OF HYPOTHESIS

Hypothesis (1)–There is no significant difference in the attitude of B.Ed. teacher trainees of science and arts stream towards creative teaching.

Table No. 1

A comparative study of the attitude of B.Ed. teacher trainees of science and arts stream towards creative teaching.

Group	No.	Mean	S.D.	d.f.	t-value	Significance level
B.Ed. teacher trainees of science stream	50	122.4	12.11	98	2.66	0.05=1.98
B.Ed. teacher trainees of arts stream	50	116.42	10.23			

Result Analysis: - An overview of Table 1 reveals that the calculated value is greater than the tabulated value, the hypothesis is not accepted. Therefore, the null hypothesis is rejected.

A look at the mean scores for both groups clearly reveals a significant difference in the attitudes of science and arts B.Ed. trainees toward creative teaching.

Hypothesis (2)–There is no significant difference in the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees towards creative teaching.

Table No. 2

A comparative study of the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees towards creative teaching.

Group	No.	Mean	S.D.	d.f.	t-value	Significance level
Male B.Ed. teacher trainees	50	121.72	10.72	98	2.03	0.05=1.98
Female B.Ed. teacher trainees	50	117.1	11.99			

Result Analysis–From Table 2, it is clear that the calculated value is greater than the tabulated value, the hypothesis is not accepted. Therefore, the null hypothesis is rejected at the 0.05 significance level.

A look at the mean scores for both groups clearly reveals a significant difference in the attitudes of male and female B.Ed. trainees toward creative teaching.

Hypothesis (3)–There is no significant difference in the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees of science stream towards creative teaching.

Table No. 3

A comparative study of the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees of science stream towards creative teaching.

Science stream	No.	Mean	S.D.	d.f.	t-value	Significance level
Male B.Ed. teacher trainees	25	123.96	11.19	48	0.91	0.05=2.01
Female B.Ed. teacher trainees	25	120.84	13.00			

Result Analysis–It is clear from Table 3 that the calculated value is less than the tabulated value, the hypothesis is accepted. Therefore, the null hypothesis is accepted at the 0.05 significance level.

A look at the mean scores for both groups clearly shows that there is no significant difference in the attitudes of male and female B.Ed. students in the science stream toward creative teaching.

Hypothesis (4)– There is no significant difference in the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees of arts stream towards creative teaching.

Table No. 4

A comparative study of the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees of arts stream towards creative teaching.

Arts stream	No.	Mean	S.D.	d.f.	t-value	Significance level
Male B.Ed. teacher trainees	25	119.48	9.94	48	2.20	0.05=2.01
Female B.Ed. teacher trainees	25	113.36	9.75			

Result Analysis– From Table 4, it is clear that the calculated value is greater than the tabulated value, the hypothesis is not accepted. Therefore, the null hypothesis is rejected at the 0.05 significance level.

A look at the mean scores for both groups clearly reveals a significant difference in the attitudes of male and female Arts B.Ed. trainees toward creative teaching.

EDUCATIONAL IMPLICATION

Teachers should try to use creative techniques as it helps the teacher in many areas such as evaluating student performance, classifying children according to abilities,

preparing timetables and schedules, providing immediate feedback to students for better interaction and motivation, etc.

Creativity can stimulate students' ability to think imaginatively. This is why teachers encourage activities like open-ended questions, creative team-building activities, brainstorming sessions, and debates within busy curriculum schedules.

In creative teaching, teachers feel more satisfied because they are able to teach better and also they are free to work and they collect a lot of information.

CONCLUSION

An overview of the research objectives, hypotheses, data analysis, and interpretation revealed a significant difference in the attitudes of B.Ed. teacher trainees from science and arts streams toward creative teaching. This clearly indicates that there are differences in the attitudes of science and arts stream B.Ed. teacher trainees. Therefore, science stream trainees have a higher attitude toward creative teaching, while arts stream trainees have a lower attitude toward creative teaching. Thus, a significant difference was found in the gender comparison between male and female B.Ed. teacher trainees. This suggests that male and female B.Ed. teacher trainees have different attitudes toward creative teaching. Thus, in this research, a gender comparison between male and female B.Ed. teacher trainees was conducted. A significant difference was found in the attitude of the B.Ed. teacher trainees towards creative teaching, but on the basis of stream, no significant difference was found in the attitude of male and female B.Ed. teacher trainees of science stream towards creative teaching, and a significant difference was found in the attitude of B.Ed. teacher trainees of arts stream towards creative teaching.

Today, the goal of our education is to develop creativity in students. Creativity should be encouraged from the primary level, and the element of creativity should be prioritized in developing students' educational aspirations, so that it becomes possible to develop a creative personality in students. To develop creative personalities in students, teachers and future teachers must first be well-mannered. Only when teachers possess the quality of well-manneredness can they develop this quality in students.

REFERENCES

- Bendangyapangla, & Kiso, T. (2023). School teachers' attitude towards creative teaching. International Education & Research Journal [IERJ]. E-ISSN No: 2454-9916 | Volume: 9 | Issue: 11 | November 2023, pp. 118-121.
- Gupta, S. & Jain, A. (2013). Attitudes of B.Ed. Pupil-Teachers of Science and Arts Streams towards Creative Teaching: A Study, International Journal of Advances in Education and Social Sciences. Vol. 1, No. 1, pp. 36-41.
- Kapil, H.K. (2003) Research Methods (in Behavioral Sciences) Agra, Har Prasad Bhargava Book Publication, p. 515.
- Kaur, S. (2015), Attitude of B.Ed. Students towards Creative Teaching in Relation to Certain Background Factors. Indian Journal of Applied Research, Vol. 5, No. 7, July 2015, pp. 227-229.
- Mukherjee, M. (2019). A Study of Creative Teaching Attitude and B.Ed. Student Teachers of Science and Arts Stream. International Online Multidisciplinary Journal, Review of Research, V. 6, I. 9, June 2019, pp. 1-6.
- Niwas, Nautiyal (2017). A study on the relationship between teaching competence and creative teaching attitude of B.Ed. student teachers: International Journal of Research Libraries, v. 5, i. 7, July 2017, pp. 587-597.
- Singh, A. K. (2011). Higher General Psychology. Motilal Banarsi House, Delhi, pp. 903-906.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

Paper Received : 10th March 2026 **Paper Accepted : 15th March 2026**

बैगा जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन

(बघेलखण्ड के विशेष सन्दर्भ में)

□ **सुलभा सिंह***

शोध-सारांश

बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। इस जनजाति के ये आदिवासी लोग मध्य प्रदेश के बघेलखंड सीधी जनपद इलाके में पाए जाते हैं बैगा जनजाति को जादूगरों या ओझाओं के वंशजों के रूप में बताया गया है। बैगा शब्द का इस्तेमाल किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए भी किया जाता था जो गांव के पुजारी के रूप में काम करता था। इस रिसर्च पेपर में इस्तेमाल किया गया तरीका डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी हैं इस शोध प्रपत्र का उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के एनालिसिस के ज़रिए सोशियोलॉजिकल पहलुओं को संरचनात्मक और कार्यात्मक उपागम के साथ करना है।

प्रस्तावना

सांस्कृतिक मूल्यों और 'रीति-रिवाज़' शब्द एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। जो एक बड़ी तस्वीर का एक अलग हिस्सा है। एक रिवाज़ एक रस्म या दूसरी पंरपरा है जो समूह की सांस्कृतिक मूल्य का एक बाहरी संकेत है। ग्रुप की वैल्यूज़ हमेशा तुरंत साफ़ नहीं होतीं- वे बहुत गहरी होती है! कल्चरल वैल्यूज़ को उन अलग-अलग रिवाज़ों को देखकर जोड़ा जा सकता है जिन्हें लोग पीढ़ियों से चलाते आ रहे हैं। कल्चर को एक ग्रुप की सभी गाइडिंग वैल्यूज़ और बाहरी संकेतों और सिंबल्स को एक साथ मिलाकर एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। आदिवासी आदमी जिस कल्चरल वैल्यू को मानता है, वह है अपने पुरखों और अपने देवताओं का सम्मान करना। इस वैल्यू के बाहरी संकेत के तौर पर काम करने वाले रिवाज़ों में से एक है गायों को नैचुरल मौत देना, न कि उन्हें मारना। यह रिवाज़, उसके समुदाय के बाकी सभी रिवाज़ों के साथ, कबीले के कल्चर की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। 'ये हमारे समाज के मौजूदा मूल्य हैं, जो समय के साथ बदलते हैं, और या तो हमारे परिवार या व्यक्तिगत मूल्यों से मेल खाते हैं या नहीं। वे अलग-अलग मूल्यों का एक जटिल मिश्रण बनाते हैं, और कभी-कभी वे एक-दूसरे का खंडन करते हैं, या दुविधा पैदा करते हैं।''

बैगा जनजाति की एक सामाजिक कीमत उनके बीच प्रचलित कई रीति-रिवाजों को दिखाती है, जैसे टैटू बनवाना, जन्म और मृत्यु की रस्में। ये सामाजिक कीमत भारत के अलग-अलग राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़

* सहायक प्रध्यापक (इतिहास विभाग), शासकीय पी.एम. श्री आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा म.प्र.

और झारखंड में फैली हुई हैं। वे अलग-अलग तरह की सामाजिक कीमत मानते हैं जो दूसरी जनजातियों से अलग हैं। लोक चिकित्सा की परंपरा को एक सामाजिक कीमत के तौर पर बैगा लोग आज भी मानते हैं। बैगा पुरूष दवाइयों के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट होते हैं। पौधों के अलग-अलग हिस्सों का इस्तेमाल हर्बल दवाइयों के तौर पर किया जाता है। शरीर में किसी भी तरह की बीमारी जैसे बदन दर्द, सिरदर्द, खंसी, पेट दर्द, सर्दी, बुखार, कटने या छोटी-मोटी दुर्घटना वगैरह के लिए, वे अपनी ही दवाइयों से उनका इलाज करते हैं बैगा लोगो के जन्म और मृत्यु से जुड़ी कुछ रस्में होती हैं जिनसे कई सामाजिक-सांस्कृतिक कीमत पैदा होती है। बच्चे के जन्म के बाद, एक औरत को एक महीने के लिए अशुद्ध ााना जाता है। एक शुद्धिकरण समारोह आयोजिक किया जाता है जिसमें बच्चे का नाम भी रखा जाता है। मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है लेकिन बुजुर्ग लोगों को सम्मान की निशानी के तौर पर जला दिया जाता है। लाशों को बिना कपड़ों के इस तरह लिटाया जाता है कि उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर हो। किसी खास व्यक्ति को दो; तीन रूपये या सिगरेट और तंबाकू के साथ दफनाया जाता है। कुछ मामलों में, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में एक रूपया डाल दिया जाता है जिसे बाद में उस व्यक्ति की बेटी या बहन निकाल लेती है और उसे अपने ताबीज़ में पहन लेती है।

उद्देश्य

1. बैगा जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का मूल्यांकन करना।

2. बैगा जनजाति के भौतिक विभाजन का अध्ययन करना।

शोध विधि

मध्य प्रदेश की ट्राइब्स की आबादी राज्य की आबादी का 20 प्रतिशत से ज्यादा है और वे मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी हिस्से में रहती हैं। इस कम्युनिटी का रहन-सहन, कल्चर और रीति-रिवाज ज्यादातर हिंदू धर्म से मिलते-जुलते हैं, वे अभी भी पुराने रीति-रिवाजों में बहुत विश्वास करते हैं। इस शोध प्रपत्र में उपयोग की गयी विधि डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी है। इस शोध प्रपत्र का उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के विश्लेषणात्मक एवं सामाजिक पहलुओं के साथ संरचनात्मक और कार्यात्मक उपागम के माध्यम से किया गया है।

बैगा इंडो-आर्यन द्रविड़ जनजाति से हैं और उनका एक अनोखा समाज और संस्कृति और लाइफस्टाइल है। उनकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक वैल्यू हैं जो उनकी पंरपराओं, रीति-रिवाजों, विश्वासों और लोगों से हैं। बैगा जनजाति में बहुत ज्यादा अंधविश्वास, अनोखा सामाजिक-संस्कृति, दवा और पुजारी के काम में महारत और अनोखा लाइफस्टाइल है। वे वर्तमान दिनचर्या अपने वजूद और तरक्की के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ वे सफल तो होते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी उनका शोषण करती है। उन्हें अपनी रोज़ी-रोटी और अपने खास सोशियो-कल्चरल वैल्यूज़ को बचाए रखने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह विश्लेषण बैगा लोगों की ज़िंदगी, उनकी रोज़ी-रोटी, उनके खास कल्चर और उनकी समस्याओं को दिखाएगी। उनके समाज में, शादी का प्रस्ताव सबसे पहले दुल्हन के माता-पिता की तरफ से आता है, कुछ जगहों पर लड़कियों को खुद पति चुनने की इजाज़त नहीं है। शादी से पहले तीन रस्में होती हैं। बैगा समाज तलाक की इजाज़त देता है, लेकिन तकालशुदा औरत को पंचायत की इजाज़त के बिना दोबारा शदी करने की इजाज़त नहीं है। इन आदिवासी समाजों में एक से ज्यादा शादी की भी इजाज़त है। वे कई जन्म और अंतिम संस्कार की रस्में भी निााते हैं। बैगा लोगों जनम और मौत से जुड़ी कुछ रस्में होती हैं जिनसे कई तरह के सोशल-कल्चरल वैल्यूज़ पैदा होती हैं। बच्चे के जन्म के बाद, औरत को एक महीने तक अशुद्ध माना जाता है। एक शुद्धिकरण समारोह रखा जाता है। जिसमें बच्चे का नाम भी रखा जाता है। मरे हुए लोगों दफ़नाया जाता है। लेकिन बुजुर्ग लोगों को सम्मान की निशानी के तौर पर जला दिया जाता है। शवों को बिना कपड़ों के इस तरह लिटाया जाता है कि उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर हो। किसी खास

व्यक्ति को दफनाया जाता है।

दो-तीन रूपये या सिगरेट और तंबाकू रखे जाते हैं कुछ मामलों में, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में एक रूपया डाल दिया जाता है, जिसे बाद में उस व्यक्ति की बेटी या बहन निकाल लेती है और उसे अपने ताबीज में पहन लेती है। टैटू का सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व आजकल, शरीर पर टैटू बनवाना दुनिया भर में एक फैशन बन गया है, फिर भी आदिवासी दुनिया में इसका कुछ सांस्कृकतिक महत्व है। मध्य भारत के कुद आदिवासी समूहों के लिए शरीर पर टैटू बनवाना बहुत जरूरी है और एक सामुदायिक पहचान है। यह उनके धर्म, विश्वास प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा पद्धति, शरीर की सजावट, सामाजिक स्थिति, धन आदि से संबंधित है। धर्म, विश्वास प्रणाली और ळैटू मध्य भारत के आदिवासी आमतौर पर अपने कुलदेवता, भगवान और देवी से संबंधित विभिन्न प्रतीकों का टैटू बनवाना पसंद करते हैं। उनमें यह आम मान्यता है कि ये देवता और पूर्वज उन्हें अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं, बुरी आत्माओं, काले जादू, दुश्मनों, जंगली जानवरों वगैरह से बचाते हैं। बैगा महिलाएं दाहिने पैर के तलवे पर त्रिकोण का निशान टैटू बनवाती हैं ताकि जादुई मकसद से धरती और नंगे पैर चलने पर महिला के पैर को चोट लगने और कटने से बचाया जा सके; सुरक्षा के लिए बांए पैर के तलवे पर डॉट्स की एक सीरीज़ वाला अंडाकार आकार; पैर के ऊपरी हिस्से पर पांच डॉट्स और एक लाइन, हर पैर के अंगूङ्के पर एक डॉट और बड़े पैर के अंगूङ्के से छोटे पैर के अंगूङ्के तक एक लाइन और ऐसा माना जाता है। कि पैरों पर ये निशान उन्हें वज़न सहने में मदद करेंगे। हेल्थ केयर और टैटू शरीर के कुछ खास हिस्सों में टैटू बनवाने का कुछ मेडिसिनल महत्व होता है यह टैटू उन्हें कुछ आम बीमारियों को ङ्कीक करने में मदद करता है। उदाहरण एक बैगा महिला ने कोबरा की तस्वीर का टैटू चेहरे के नीचे मुंह तक बनवाया ताकि उन्हें कोई भी ज़हरीली चीज़ खाने के असर से बचाया जा सके। टैटू और सोशन स्टेटस () टैटू एक दौलत और सजावट के तौर पर टैटू को आदिवासी लोगों की दौतल और सजावट माना जाता है। मेटल, प्लास्टिक, लकड़ी और घास से बने गहने टेम्परारी होते हैं और इन्हें कभी भी तोड़ा या हटाया जा सकता है या चोरी होने का खतरा रहता है। इसके अलावा, ये महंगे होते है जिन्हें आर्थिक रूप से गरीब जनजाति के लिए खरीदना हमेशा मुमकिन नहीं होता। दूसरी ओर, टैटू ऊपर बताए गए मटीरियल से बने गहनों से कम महंगा नहीं होता और यह परमानेंट होता है जो मरने के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता। आदिवासी लोग इसे दौतल मानते हैं और अपने शरीर पर अलग-अलग तरह के टैटू के निशान बनवाना पसंद करते है। () यौन अभिव्यक्ति के लिए टैटू का उपयोग टैटू बनाना यौन इचछा से उत्तेजित करने के महत्तवपूर्ण तरीकों में से एक है जो उनके अनुसार कथन से स्पष्ट है।

इस मकसद के लिए, उन्होंने बताया है कि ''हमें पिछले 300 सालों में यूरोज और नॉर्थ अमेरिका की महिलाओं के फैशल ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा, जिसमें कमर सिकुडी हुई, कुल्हें फूले हुए, कूल्हे उभरे हुए, बड़े ब्रेस्ट, रंगे हुए चेहरे और खुले स्तन होते हैं, ताकि सेक्सुअल उत्तेजना के लिए शरीर की सजावट की अहमियत का एहसास हो सके। कुछ समाज महिलाओं के कामुक शृंगार पर ज़ोर क्यों देते हैं और दूसरे पुरूषों में, यह अभी तक समझ में नहीं आया है''। इस तरह आदिवासी ग्रुप इस मकसद के लिए अपने पारंपरिक तरीके और हाथ से बने रंगों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल यह परंपरा बदल गई है। आजकल, यह सिर्फ आदिवासी और लोक समुदायों के लोगों तक ही सीमित नहीं है, यह शहरी लोगों की जिंद़गी और संसकृतियों में भी शामिल हो गया है और यह उनका ज़रूरी फैशन बन गया है जो उनके कपड़ों और शरीर में मौजूद है। बैगा जनजातियों के भौगोलिक फैलाव का थ्योरेटिकल एनालिसिस भारत में जनजातियाँ एक खास भौगोलिक इलाके में ही रहती है। भारत की कुल आदिवासी आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र के पांच राज्यों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आदिवासी मध्यप्रदेश में मिज़ोरम, नागालैंड,

मेघालय और अरूणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आदिवासी कुल आबादी का 70प्रतिशत से 95 प्रतिशत हैं। आदिवासी ज़ोन भारत में जनजातियाँ किसी एक खास क्षेत्र (जोन) में नहीं पाई जातीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों में फैली हुई है। बी.एस. गुहा ने जनजातियों का तीन तरह का क्षेत्र बताया है। 1) नॉर्थ और नॉर्थ-ईस्टर्न ज़ोन। 2) सेंट्रल या मिडिल ज़ोन। 3) सदर्न ज़ोन सी.बी. मामोरिया इस लिस्ट में चौथे जोन को जोड़ते हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड शामिल हैं। नॉर्थ और नॉर्थ- ईस्र्टन ज़ोन में सब-हिमालयी क्षेत्र और भारत के नॉर्थ-ईस्टर्न बॉर्डर की पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल हैं। इस ज़ोन के ज्यादातर आदिवासी मैंगनोलिया रेयर प्रजाति के हैं और तिब्बती-चाइनीज़ परिवार की भाषाएँ बोलते हैं। इस ज़ोन में गेरूंग, लिंबो, खासी, गारो, नागा, मिकिर वगैरह जैसे कबीले रहते हैं। अंदाज़ा है कि भारत की लगभग 14 प्रतिशत कबीले इसी ज़ोन में पाए जाते हैं। सेंट्रल ज़ोन के कबीले नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच पहाड़ इलाके में फैले हुए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, एम.पी., महाराष्ट्र, झारखंड और यू0पी. के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस ज़ोन के मुख्य कबीले गोंड, मुंडा, बैगा, भील, संथाल, जुरोंग वगैरह है। 80 प्रतिशत आदिवासी आबादी इसी इलाके में रहती है। साउथ ज़ोन कृष्णा नदी से निकलता है। इसमें ए.पी., तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दो केंद्र शासिक प्रदेश अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप शामिल हैं। इस ज़ोन की जनजातियों को भारत में सबसे पुराने रहने वाले माना जाता है। इस ज़ोन में कोटा, कुरूम्बा, कादर, पनियन वगैरह जैसी जनजातियाँ है। इस ज़ोन में कुल आबदिवासी आबादी का लगभग 6-5 प्रतिशत हिस्सा रहता है। अंडमान और निकोबाद आइलैंड्स में मुख्य जनजातियाँ जार, निकोबारी और अंडमान है। कल्चरल फैक्टर्स और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स के आधार पर धुर्ये भारतीय जनजातियों को तीन क्लास में बांटते हैं। पहला, वे ग्रुप जिन्हें हिंदू समाज में काफी ऊंचे दर्जे के सदस्य के तौर पर पहचाना जाता है; दूसरा, वह बड़ी आबादी जो थोड़ी-बहुत हिंदू बन गई है और हिंदुओं के ज्यादा करीब आ गई है; और तीसरा, पहाड़ी जनजातियाँ, जिन्होंने अपनी सीमा पर आने वाली बाहरी संस्कृतियों का विरोध करने की ताकत दिखाई है। बैगाओं की सबसे ज्यादा संख्या मध्यप्रेश के मंडला जिले और बालाघाट जिसके के बैगा में पाई जाती है। उनकी उपजातियाँ हैं- बिझवार, नरोतिया, भारतीय, नाहर, राय भैना, कुन्दी और काध भैना। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी 449,848 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी 390,000 थी। मंडला जिला बैगा आदिवासी बहुत जिला है। यह जिला सतपुड़ा की मैकल पहाड़ी रेंज की पहाड़ी और जंगली इलाकों में हैं, जहाँ ज्यादातर लोग बिखरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी-मध्य हिस्से में बसा यह जिला लगभग पूरी तरह से नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों में आता है। मंडला जिले का इतिहास शानदार रहा है, यहाँ कई नदियाँ बहती है और घने जंगल हैं।

निष्कर्ष

सांस्कृतिक मूल्यों को लोगों द्वारा पीढ़ियो से अपनाए गए अलग-अलग रीति-रिवाजों को देखकर जोड़ा जा सकता है। संस्कृति का मतलब है किसी ग्रुप के सभी गाइड करने वाले मूल्य और बाहरी निशान और निशानों को एक साथ मिलकार एक बड़ा समूह बनाना। आदिवासी आदमी जिस सांस्कृतिक मूल्य को मानता है, वह है अपने पुरखों और अपने देवताओं का सम्मान करना। इस जनजाति के लोग आम तौर पर मध्य प्रदेश के इन इलाकों में पाए जाते हैं- बघेलखंड, सीधी जनपद में बैगा जनजाति को जादूगरों या ओझाओं के वंशज मानते हैं। ये वे मूल्य हैं जो इंसानी व्यक्तितव के विकास या इंसानी व्यक्तित्व की पहचान और सुरक्षा के व्यक्तिगत मानदंडों और ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई और सम्मान से जुड़े है। समुदाय की एकजुटता या समानता, न्याय, एकजुटता और उपयुक्तता के सामूहिक मानदंडों से जुड़े मूल्यों को सामूहिक मूल्य कहा जाता है। भारत में जनजातियाँ एक खास भौगोलिक इलाके में ही रहती है। भारत की कुल आदिवासी आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा पाँच राज्यों मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा,

बिहार और महाराष्ट्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश के मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आदिवासी कुल आबादी का 70 से 95 प्रतिशत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. होएबेल एफ.ए, विद्यार्थी एल.पी. द ट्राइबल कल्चर ऑफ इन्डिया कॉन्सेप्ट, पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली, 1977; 167.
2. मजूमदार डी.एन., द ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट, 1958; 14-21.
3. एल्विन वी. द बैगा रिप्रिंट, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2007; 42-43
4. नाग डी.एस.- ट्राइबल इकोनॉमी : एन इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द बैगा. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ. 2007; 24-36
5. कुमार ए. भारत में मध्य प्रदेश राज्य में बैगा जनजातियों का सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन : एक संक्षिपत दृष्टिकोण। एंथ्रोपोल एथनॉल ओपन Acc J-2007; 4: 000142.
6. रेड्डी पी.एच., मॉडल ङ्ख. मध्य प्रदेश के बैगारू एक डेमोग्राफिक
7. स्टडी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित। 2001; 19-31. PubMed : https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov/9881117/

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 10th March 2026 **Paper Accepted : 15th March 2026**

उपनिषदों में जीवन मुक्ति

□ डॉ. कन्हैया लाल मिश्र*

शोध-सारांश

उपनिषदों के अन्तर्गत यह विचार निर्विध्य है कि जब प्रमाता संसार में सांसारिक व्यक्तियों के ही तरीके निवास करते हुए भोग करता है और कर्म भी करता है किंतु उन भोगों में उसकी कोई लिप्तता नहीं होती है और ना ही कर्मों में कोई आसक्ति होती है।

तब ऐसे में असंग एवं अनासक्त भावना से किया हुआ काम किसी तरह कोई अपूर्व को जनम नहीं देता कारण है इसका त्त प्रमाता की अनासक्ति।

अपने आत्म स्वरूप सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से रहित ब्रह्म की ज्ञान से ब्रह्म विषयक अज्ञान का साथ होने के द्वारा आत्म स्वरूप परम ब्रह्म का आत्मसात हो जाने पर अज्ञान प्रपंचात्मक उसके कार्य सम्पूर्ण प्रकार के उनके कर्म, संशय विपर्यय आदि समस्त का इस परमात्मा में लय हो जाने से जन्म मरण के सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाता हुआ ब्रह्मनिष्ठ पुरूष को ही जीवन मुक्ति की संज्ञा से अभिहित किया जाता है।

यहाँ पर जीवन मुक्ति के साधन प्रक्रिया परिणति फल और उसके कार्यों का विनाश हो जाने से अखिल बंधन रहित और ब्रह्मनिष्ठता पर प्रकाश डाला गया है।

भारतीय सनातन संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ सत्य, सनातन अनादि वेदों में मनुष्यों के जीवन के लिए चार पुरूषार्थों का निर्धारण किया गया है जिनका नाम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्रमशः है। उनके प्राप्ति के लिए वेदों में चार आश्रमों का क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमों को बताया गया है। कालांतर में वेदों के विचारों को दार्शनिक रूप प्रदान करने वाले उपनिषदों में परम पुरूषार्थ मोक्ष का विधिवत् विवेचन किया गया है।

भारतीय आस्तिक एवं नास्तिक दोनों दार्शनिक संप्रदायों का प्रत्यक्षतः एवं परोक्षतः आधार औपनिषदिक् विचार ही है।

तीन नास्तिक (चार्वाक, बौद्ध, जैन) तथा षड् आस्तिक दर्शन (सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा) दर्शनों में जीवन के परम पुरूषार्थ मोक्ष की कल्पना की गई है। यह मोक्ष दार्शनिकों के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ एक जैसे व्याख्यायित किए गए हैं।

मनुष्य अपने जीवन के धर्म, अर्थ एवं काम इन पुरूषार्थों मोक्ष के मार्ग को ही प्रशस्त करते हैं। क्योंकि भारतीय मनीषि कहते है कि धर्म से अनुप्राणित अर्थ होना चाहिए तथा धर्म, अर्थ दोनों से काम को और धर्म, अर्थ, काम से मोक्ष को अनुप्राणीत होना चाहिए।

मोक्ष के विषय में प्रत्येक दर्शन ने अपने-अपने अनुसार यथामति व्याख्या करते हुए अपने दर्शन के चरम लक्ष्य को प्रतिपादित किया है मोक्ष को दार्शनिक संप्रदायों ने अलग-अलग नाम से भी इंगित करने का प्रयास किया है।

* असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग), कृष्णार्पित इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्रयागराज

किसी ने इसे कैवल्य और किसी ने अपवर्ग तथा किसी ने मुक्ति या मोक्ष नाम से व्याख्यायित किया है।

मुक्ति के विषय में योग दर्शन और अद्वैत वेदांत दो प्रकार की कल्पनाएं की हैं जब प्रमाता नितान्त अभ्यास और वैराग्य के परिपक्क हो जाने पर तथा साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है तब वह मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी बन जाता है।

उपुर्यक्त दोनों दार्शनिक संप्रदायों ने जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति जैसी दो धारणाओं को प्रस्तुत किया है। अद्वैत वेदांतदर्शन पूर्णतः एवं मूलतः औपनिषदिक दर्शन ही है क्योंकि कहां गया है **''वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाणम्''।**

इसका आशय यह हुआ कि जिन तथ्यों को उपनिषदों में प्रमाणित किया गया है उन्हें सिद्धांतों को अद्वैत दार्शनिकों ने अपने मत में उद्घृत किया है। इस प्रकार उपनिषद एवं अद्वैत वेदांत के सिद्धांत अक्षरसः मिलते-जुलते हैं। अद्वैत वेदांत में जिस जीवन मुक्ति का विवेचन किया गया है वह उपनिषदों से ही प्रमाणित माना जाता है।

उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद् धातु से किप् प्रत्यय करने से बना है। जिसका अर्थ है तत्व ज्ञान के लिए गुरू के पास सविनय बैठना। उपनिषदों में मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या तथा मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है।

जीवन मुक्ति को प्रतिपादित करते हुए आचार्य शंकर के द्वारा परिगणित उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है सर्वविदित सर्वानूस्यूत सर्वोपरि व्यक्तियों के मनवांछित फल को प्रदान करने वाला श्रेष्ठ वरदाता प्रकाश स्वरूप परमात्मा को निश्चय पूर्वक जानकर वह प्रमाता सकल बंधन से मुक्त होकर स्वयं में जब परमात्मा का अनुीाव करता है तो उसे ही जीवन मुकित की संज्ञा से अलंकृत किया जाता है।

इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि मुक्त व्यक्ति विद्वानों की तरह (विद्वान का तात्पर्य यहां पर तत्व वेत्ता से है) सुख (आनन्द) का अनुभव करने वाला हो जाता है इसी बात को इस तरह से कहा गया है।

''अमृतस्य देवधारणो भूयासम्''।।

कृष्ण यजुर्वेद शाखा के प्रधान उपनिषद कठोपनिषद् में यम नचिकेता के संवाद के माध्यम से जीवन मुक्ति के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जीवन मुक्त रहकर मनुष्य आदि को उनके पूर्व कृत कर्म के फलानुसार उनकी विदेह मुक्ति कराकर उनके ऊपर शासन करने का कर्तव्य यम का होता है और यहां पर कर्तव्य पालन करना ही यमराज को श्रेयस्कर लगने से यम ने नचिकेता को तीन बार माँगने के लिए प्रेरित किया।

जीवन मुक्ति का पूर्वजन्म फिर वह चाहे यम, इंद्र या फिर उन्हीं के समक्ष अन्य देवता के रूप में जन्म ग्रहण करें। वेदांत विरूद्ध होने से इस सिद्धांत के विषय में इसी प्रकार या फिर उन्हीं के समक्ष अन्य देवता के रूप में जन्म ग्रहण करें। वेदांत विरूद्ध होने से इस सिद्धांत के विषय में इसी प्रकार के विषय में जीवन मुक्ति के कर्तव्य की बात है।

अप सिद्धांत ही होगी। इस प्रकार से सभी देवों को जीवन मुक्ति अवश्य ही मानना होगा जबकि उपनिषद का यह मानना है कि ज्ञान के साथ कर्म में भी आस्था बनी रहने के कारण उच्च-कर्म-सम्मुच्चय से इन्द्र, यम, और यहां तक कि सर्वोच्च ब्रह्म पद की प्राप्ति हो सकता है। जीवन मुक्ति के विषय में उपनिषदों में कहा गया है जब प्रमाता इस संसार में जीवित रहते हुए मुक्ति का अनुभव करता है तब उसे जीवन मुक्त और जब उसी मुक्ति का अनुभव देहापात हो जाने पर करता है तब उसे विदेह मुक्ति की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कहा गया है कि—

विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यानते सर्वसंशयाः।
छिद्यन्ते चाऽस्थ कर्माणि तस्मिन दृष्टेपरावरे।।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ब्रह्मसूत्रशांकर भाष्य—(सत्यानन्दी-दीपिकायाः) व्याख्याता स्वामी सत्यानंद सरस्वती, चौखम्बा अमर भारती प्रकाशन वाराणसी
- ईशावास्योपनिषद्—डॉ. आद्या प्रसाद मिश्र, अक्षयवट प्रकाशन प्रयागराज, 1985
- कठोपनिषद—डॉ. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, अक्षयवट प्रकाशन प्रयागराज 1982,
- वेदान्तसार—डॉ. आद्या प्रसाद मिश्र अक्षयवट प्रकाशन प्रयागराज 1985
- वेदान्तपरिभाषा—मुसलगांवकर, चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी 2006
- जीवनमुक्तिविवेक—उदय नारायण सिंह, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
- शंकर ग्रन्थावली—(प्रथम भाग उपनिषद भाष्य) कृष्ण

सेमवाल, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली 2006, 2007
- अद्वैतसिद्धी—आचार्य मण्डन मिश्र (केदारनाथ त्रिपाठी) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली 1999
- तैत्तिरीयोपनिषद—शांकर भाष्य, गीता प्रेस, गोरखपुर
- श्रीमद्भगवदीता—गीता प्रेस, गोरखपुर
- बृहदारण्यकोपनिषद—गीता प्रेस, गोरखपुर
- विवेक चूड़ामणि 1/1/1
- श्वेताश्वेतरोपनिषद् पुष्पिका
- वेदान्तसार तत्वपरिजात भाष्य
- खण्डनखण्डखाद्यम्—डॉ. विद्याकान्त झा, हुनमान षट् शास्त्री, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, वि. सं. 2062
- संस्कृत साहित्य का वृहद इतिहास—प्रधान समपादक आचार्य बलदेव उपाध्याय, सम्पादक ब्रजबिहारी चौबे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ, द्वितीय संस्करण 2012
- विवरोपन्यास—शंकराचार्य भाष्य व्याख्या रामानंद सरस्वती बनारस संस्कृत सीरीज, 1901
- विवरणप्रेमयसंग्रह—प्रो. पारस नाथ द्विवेदी, ददन उपाध्याय गंगा नाथ झा ग्रन्थ माला, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 2005
- भामती पंचपादिका विवरण टीका—श्री मदनन्द कृष्ण शास्त्री, ऋजु प्रकाशिका टीका, चौखम्बा प्रकाशन संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी, 1995
- वेदान्त सार—सदानन्द योगीन्द्र कृत, व्याख्याता डॉ. सन्तनारायण श्रीवास्तव, सुदर्शन प्रकाशन, गाजियाबाद, पंचम संस्करण
- पंचपादिका—आचार्य पद्मपाद, मद्रास गवर्नमेंट ओरियन्टल प्रकाशन, मद्रास, 1985
- संक्षेपशारीरकम्—सर्वज्ञात्ममुनि, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी
- ब्रह्मसिद्धि—सम्पादक मण्डन मिश्र (कुपपुस्वामी की व्याख्या), मद्रास गवर्नमेंट ओरियन्टल प्रकाशन, मद्रास, 1936
- पंचदशी—आचार्य विद्यारण्य स्वामी कृत, निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई, 1926
- माण्डूक्योपनिषद् कारिका भाष्य—गीता प्रेस, गोरखपुर, वि. सं.
- वेदान्त सार—सदानन्द योगीन्द्र कृत, व्याख्याता डॉ. सन्तनारायण श्रीवास्तव, सुदर्शन प्रकाशन, गाजियाबाद, पंचम संस्करण
- पंचपादिका—आचार्य पद्मपाद, मद्रास गवर्नमेंट ओरियन्टल प्रकाशन, मद्रास, 1985
- संक्षेपशारीरकम्—सर्वाात्ममुनि, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी
- ब्रह्मसिद्धि—सम्पादक मण्डन मिश्र (कुप्पुस्वामी की व्याख्या), मद्रास गवर्नमेंट ओरियन्टल प्रकाशसन, मद्रास, 1936
- पंचदशी—आचार्य विद्यारण्य स्वामीकृत चौखम्बा संस्कृत साहितय प्रकाशन, वाराणसी, 1950
- अनुभूति प्रकाशन—विद्यारण्य स्वामी कृत, निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई, 1926
- माण्डूक्योपनिषद् कारिका भाष्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, वि. सं. 2062
- महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, उन्नीसवां पुनर्मुद्रण, सं. 2077
- सर्वदर्शन संग्रह—माधवाकृत, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1998 ई.
- भारतीय दर्शन का इतिहास—हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया
- संस्कृत साहित्य का इतिहास—कपिल देव द्विवेदी, रामनारायण लाल, वेनी प्रसाद प्रकाशन, प्रयागराज
- प्राचीन भारत का इतिहास—डॉ. एस.पी. चौबे सुलभ प्रकाश्न, वाराणसी, 2012
- अमरकोशः—पण्डितवरशश्रीमदमरसिंहविरचितः
- श्रीमद्भगवतद्रहस्य—स्वामी अखंडानंद सरस्वती, बंबई, 1963
- भारतीय संस्कृति—राजकिशोर सिंह, आगरा, 1982
- पातंजलमहाभाष्यम्—मोतीलाल बनारसी दास, पुनर्मुद्रण 2012
- वेदान्त परिभाषा- धर्मराजाध्वरीन्द्र, चौखम्बा प्रकाशन सीरीज, वाराणसी 1954

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 10th March 2026 Paper Accepted : 15th March 2026

1857 की क्रान्ति और अज़ीमुल्ला ख़ाँ

▫ डॉ. फ़ैज़ान अहमद*

शोध-सारांश

अज़ीमुल्ला ख़ाँ पेशवा नाना साहब के प्रमुख सलाहकार और कुशल कूटनीतिज्ञ थे। वे शिक्षित, दूरदर्शी और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत सक्षम व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेज़ी शासन की कुटिल नीतियों को निकट से समझा और उनके विरुद्ध व्यापक रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1857 ई. की क्रान्ति के दौरान अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाने, सैनिकों को प्रेरित करने और विभिन्न क्षेत्रों में क्रान्तिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार 1857 ई. की क्रान्ति में अज़ीमुल्ला ख़ाँ का योगदान राजनीतिक और रणनीतिक दोनों क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

मुख्य शब्द– 1857 की क्रान्ति, पेशवा नाना साहब, राष्ट्रवादी चेतना, क्रान्ति की रणनीति, कानपुर की क्रान्ति, प्रबल देश प्रेम की भावना।

प्रस्तावना

1857 ई. की क्रान्ति के नायकों में एक नाम अज़ीमुल्ला ख़ाँ का भी है। अज़ीमुल्ला ख़ाँ एक बहुत ही ग़रीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके सर से माँ–बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। उन्होंने अपने दम पर समाज में अपनी जगह बनायी। वे चाहते तो अपने ज्ञान और योग्यता के दम पर एक आलीशान ज़िन्दगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने देश के लिए लड़ने और मरने का रास्ता चुना। अज़ीमुल्ला ख़ाँ की 1857 ई. की क्रान्ति में भूमिका मात्र सैन्य और राजनीतिक मामलों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह उस क्रान्ति के एक महत्वपूर्ण विचारक भी थे।

अज़ीमुल्ला ख़ाँ का जन्म 1830 ई. में कानपुर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम नजीबुल्ला ख़ाँ था, जो एक राजगीर थे। उनकी माता का नाम करीमन था, जो एक गृहणी थीं। अज़ीमुल्ला ख़ाँ अंग्रेज़ सैनिकों द्वारा भारतीयों पर किये जाने वाले अत्याचार के गवाह भी थे और भुक्तभोगी भी। अज़ीमुल्ला ख़ाँ के पिता जिस अंग्रेज़ अधिकारी के यहाँ काम करते थे उसने उनको एक दिन घोड़े का अस्तबल साफ़ करने को कहा। उनके पिता ने यह काम करने से इनकार कर दिया। इसके कारण उस अंग्रेज़ अधिकारी को गुस्सा आ गया। वह

* प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य, जी.बी.पन्त (पी.जी.) कालेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.)
e-mail-gbpantdegreecollege@gmail.com, Mob.- 9412368300

नजीबुल्ला ख़ाँ के बाल पकड़ कर घसीटते हुए छत पर ले गया और उन्हें वहाँ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने नजीबुल्ला ख़ाँ को पत्थर से मारा जिसके कारण उनके सर पर गहरी चोट लग गई। परिणाम स्वरूप वह शय्याग्रस्त हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अज़ीमुल्ला ख़ाँ तब मात्र सात वर्ष के थे। इस घटना से अज़ीमुल्ला ख़ाँ के बाल मन में अंग्रज़ों के लिए नफ़रत भर गई।

संघर्षपूर्ण जीवन

पिता की मृत्यु के बाद अज़ीमुल्ला ख़ाँ के परिवार पर जो आर्थिक संकट आया उसको दूर करने के लिए उनकी माँ ने पुश्तैनी मकान बेच दिया, ताकि अज़ीमुल्ला ख़ाँ की पढ़ाई न रुके। लेकिन कुछ समय बाद जब पैसे ख़त्म हो गए तो उनकी माँ को दूसरों के घर में काम करना पड़ा जिसको देखकर अज़ीमुल्ला ख़ाँ का बाल हृदय खटकने लगा। एक दिन अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने अपनी दुविधा अपने पिता के एक मित्र को सुनाई और उनकी मदद से कानपुर में ही एक अंग्रेज़ अधिकारी चार्ल्स हिलेर्डसन के यहाँ नौकरी पर लग गए। हिलेर्डसन के यहाँ अज़ीमुल्ला ख़ाँ का मुख्य काम खाना बनाना तथा घर की साफ़–सफ़ाई करना था। हिलेर्डसन के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आता था। अज़ीमुल्ला ख़ाँ दूर से उस शिक्षक को पढ़ाते हुए सुनते थे। जब हिलेर्डसन को यह पता चला कि अज़ीमुल्ला ख़ाँ पढ़ने – लिखने के इच्छुक हैं तो उसने शिक्षक को उनको भी पढ़ाने का निर्देश दिया। अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने इस सुनहरे मौक़े का पूरा फ़ायदा उठाया और पूरे मन से पढ़ाई करने लगे। जल्द ही वह अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषा सीख गए और अंग्रेज़ों के रीति – रिवाजों से भी काफ़ी परिचित हुए। यह 19वीं सदी में किसी भारतीय के लिए कोई मामूली उपलब्धि न थी। कुछ समय बाद उनका दाख़िला 'कानपुर फ्री स्कूल' में हो गया। आगे चलकर उन्होंने मौलवी निसार अहमद से फ़ारसी और उर्दू तथा पंडित गजानन्द मिश्र से हिन्दी और संस्कृत भाषा भी सीखी।

अज़ीमुल्ला ख़ाँ दिन में स्कूल जाते और वापस आकर हिलेर्डसन के घर पर काम करते, फिर देर रात तक अपनी पढ़ाई करते। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अज़ीमुल्ला ख़ाँ इसी स्कूल में नौकरी करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अपने पिता के एक मित्र के माध्यम से अज़ीमुल्ला ख़ाँ की मुलाकात 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के एक सिपाही आनंदीदीन मिश्र से हुई। कुछ समय बाद आनंदीदीन मिश्र और उनके कुछ साथी सिपाहियों की बैठकें अज़ीमुल्ला ख़ाँ के घर पर होने लगीं। यहाँ पर राजनीतिक चर्चा के साथ – साथ अज़ीमुल्ला ख़ाँ उन सिपाहियों को अंग्रेज़ी भाषा भी सिखाते थे। अज़ीमुल्ला ख़ाँ को भारतीय सिपाहियों में 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के खिलाफ़ सुलग रहे विद्रोह की चिंगारी का पता इन्हीं बैठकों में चला। इसी बीच कानपुर के एक साहूकार ने अपने कोर्ट केस के सिलसिले में अज़ीमुल्ला ख़ाँ से मदद माँगी। उन्होंने उस साहूकार की मदद करने के लिए एक अंग्रेज़ वकील का इंतज़ाम किया। लेकिन वह वकील आख़िरी सुनवाई के दिन कोर्ट नहीं आया और वह साहूकार केस हार गया। ऐसे ही एक बार दो अंग्रेज़ अधिकारियों पर एक हिन्दुस्तानी की हत्या का केस चला। अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने बहुत मेहनत करके एक भारतीय वकील का इन्तज़ाम किया। इस केस में अंग्रेज़ न्यायाधीश ने भारतीय गवाहों की बात मानने से इनकार कर दिया और दोनों अंग्रेज़ अधिकारियों को छोड़ दिया। इन घटनाओं ने अज़ीमुल्ला ख़ाँ के अन्दर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी को जन्म दिया।

राष्ट्रवादी चेतना

अंग्रेज़ी भाषा का अच्छा ज्ञान होने की वजह से अज़ीमुल्ला ख़ाँ को भारतीय समस्याओं को समझने के लिए अंग्रेज़ों ने अपना सचिव बनाया। अपने कार्यों को अच्छे तरीक़े से पूर्ण करने के

कारण वे बहुत जल्द ही लोकप्रिय हो गए। उनकी योग्यता और ईमानदारी की कहानी शीघ्र ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के कानों तक पहुँची। उन्होंने अज़ीमुल्ला ख़ाँ को एक दिन अपने दरबार में आमंत्रित किया और उन्हें अपना सचिव और बाद में दीवान (प्रधानमन्त्री) नियुक्त किया। अज़ीमुल्ला ख़ाँ की राय लेकर ही नाना साहब भावी योजना तैयार करते थे। वे उनके अत्यधिक विश्वासपात्र व्यक्तियों में थे। उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 8. हज़ार पौण्ड की पेंशन प्रदान की जाती थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उनके दत्तक पुत्र नाना साहब की पेन्शन बन्द कर दी। अज़ीमुल्ला ख़ाँ के सुझाव पर नाना साहब ने अपनी पेन्शन और कुछ अन्य समस्याओं के बारे में महारानी विक्टोरिया के नाम एक पत्र लिखा, जिसको लेकर 1853 ई. में अज़ीमुल्ला ख़ाँ लन्दन गए। लन्दन में अज़ीमुल्ला ख़ाँ जिस मक़सद से गए थे वह पूरा नहीं हो सका। ब्रिटिश सरकार ने पेंशन चालू करने से मना कर दिया। लेकिन लन्दन में रहते हुए उनकी मुलाक़ात उस वक़्त के कुछ प्रमुख दार्शनिकों जैसे जॉन स्टुवर्ट मिल, चार्ल्स डिकेन्स, थॉमस कार्लाइल और विलियम मेकपीस थैकरे आदि से हुई। इन हस्तियों से अज़ीमुल्ला ख़ाँ की मुलाकात लन्दन की एक प्रभावशाली महिला लूसी डफ़ गॉर्डन के माध्यम से हुई, जिसके यहाँ अज़ीमुल्ला ख़ाँ ठहरे थे। लूसी के पति ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के चचेरे भाई थे।

लन्दन में ही अज़ीमुल्ला ख़ाँ की मुलाक़ात सतारा राज्य के प्रतिनिधि रंगो जी बापू से हुई। 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' ने सतारा राज्य के उत्तराधिकारियों को भी उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। अज़ीमुल्ला ख़ाँ की तरह रंगो जी बापू भी सतारा राज्य की पैरवी करने लन्दन आए थे। उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी थी। अज़ीमुल्ला ख़ाँ तथा रंगो जी बापू दोनों सदा इस चिन्तन में डूबे रहते थे कि जब लक्ष्य की प्राप्ति प्रार्थनाओं और अर्जियों से न हो, तो उसे कैसे प्राप्त किया जाए? उनका हृदय प्रतिशोध लेने के लिए तड़पने लगा। **पं. सुन्दरलाल** ने 'भारत में अंग्रेज़ी राज्य' नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि **"इसमें सन्देह नहीं कि रंगो जी बापू और अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने लन्दन में कमरों में बैठकर बहुत चिन्तन के बाद भावी क्रान्ति की योजना बनाई।"**[1] लन्दन में ही अज़ीमुल्ला ख़ाँ की मुलाक़ात मुग़ल परिवार से सम्बन्ध रखने वाले डॉ. वज़ीर ख़ाँ और इंजीनियर अली मुहम्मद ख़ाँ से हुई। अली मुहम्मद ख़ाँ आगे चलकर अज़ीमुल्ला ख़ाँ के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़े। 1858 ई. में अली मुहम्मद ख़ाँ को अंग्रेज़ों ने लखनऊ में गिरफ़्तार कर लिया और उनको फाँसी दे दी गई।

रंगो जी बापू और अज़ीमुल्ला ख़ाँ के बीच यह निश्चय हुआ कि रंगो जी बापू भारत जाकर देशी रियासतों के राजाओं से क्रान्ति के लिए सहायता जुटाने का प्रयास करें और अज़ीमुल्ला ख़ाँ इटली, फ़्रांस, रूस और तुर्की आदि देशों की यात्रा कर विदेशी सहायता जुटाने का प्रयास करेंगे। अज़ीमुल्ला ख़ाँ जब इस्तांबुल (तुर्की) में रुके तो उन्हें क्रीमिया में चल रहे युद्ध के बारे में पता चला। इस युद्ध में एक तरफ़ इंगलैण्ड, फ़्रांस और ऑटोमन साम्राज्य था और दूसरी तरफ़ रूस। इस युद्ध में रूस ने इन विरोधी राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था। इसको देखकर अज़ीमुल्ला ख़ाँ के मन में यह बात घर कर गई कि भारत में भी यदि सारी देशी रियासतें एक हो गईं तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने अपनी इस यूरोप यात्रा के दौरान तुर्की और रूसी जासूसों से भी सम्पर्क किया था। हालाँकि अज़ीमुल्ला ख़ाँ का यह मिशन विफल हो गया था, फिर भी वह एक अधिक ख़तरनाक विचार के साथ भारत वापस आए जिसने नाना साहब के दिमाग में 1857 ई. की क्रान्ति का बीज बोया। अज़ीमुल्ला ख़ाँ एक फ़्रांसीसी प्रिंटिंग प्रेस के साथ भारत लौट आए जिसका उपयोग भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विध्वंसक साहित्य

को मुद्रित करने और वितरित करने के लिए किया जाता था।

क्रान्ति की रणनीति

भारत आकर अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने जब अपनी योजना नाना साहब को सुनाई तो वह मान गए। 1857 ई. की क्रान्ति को व्यापक रूप देने में अज़ीमुल्ला ख़ाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर उत्तर भारत और उत्तर – पश्चिमी भारत के कई छोटे–बड़े राजाओं से तीर्थयात्रा के बहाने मुलाक़ात की और उनको क्रान्ति में शामिल होनें का न्यौता दिया। वास्तव में नाना साहब और अज़ीमुल्ला ख़ाँ की इस तीर्थ यात्रा का उद्‌देश्य धार्मिक न होकर राजनीतिक था। **लॉर्ड रसेल** ने 'माई डायरी इन इण्डिया' भाग एक, पृष्ठ 170 पर लिखा है कि **"अज़ीमुल्ला ख़ाँ और नाना साहब संयुक्त तीर्थ यात्रा के बहाने उत्तरी भारत की प्रमुख सैनिक छावनियों जैसे– मेरठ, अम्बाला तथा लखनऊ आदि का दौरा कर आए। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह व उनके वकील अली कुली ख़ाँ, बिहार के बाबू कुँवर सिंह, दिल्ली के मुग़ल सम्राट बहादुरशाह 'ज़फ़र', तात्या टोपे, हरियाणा के राव तुलाराम, बहादुरगढ़ के राजा नाहर सिंह, जम्मू के राजा गुलाब सिंह आदि से सम्पर्क कर क्रान्ति की रूप रेखा तैयार करने में अज़ीमुल्ला ख़ाँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।"**[2] अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने देशी रियासतों और सिपाहियों की लड़ाई को एक सूत्र में पिरोने में अहम भूमिका निभाई थी।

अज़ीमुल्ला ख़ाँ के प्रयत्न से ही पेशवा नाना साहब अपना समर्थन मुग़ल सम्राट बहादुरशाह 'ज़फ़र' को देने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। अज़ीमुल्ला ख़ाँ हिन्दू पेशवाई और मुग़ल बादशाह के बीच एक दृढ़ सेतु सिद्ध हुए। यह निश्चय किया गया कि 31 मई 1857 ई. को मुग़ल सम्राट बहादुरशाह 'ज़फ़र' के नेतृत्व में 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रान्ति की जाए। समस्त उत्तरी भारत में क्रान्ति की पूरी योजना बना ली गई। साधू व फ़क़ीर के भेष में क्रान्तिकारी गाँव–गाँव घूमकर क्रान्ति की अलख जगाने लगे। 1857 ई. की क्रान्ति में अज़ीमुल्ला ख़ाँ की भूमिका की प्रशंसा करते हुए **बी.डी. सावरकर** ने लिखा है कि **"अज़ीमुल्ला ख़ाँ पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति की रूपरेखा तैयार की।"**[3] इस तरह क्रान्ति के लिए उचित धरातल तैयार कर लिया गया।

कानपुर की क्रान्ति

4 जून 1857 ई. को कानपुर में क्रान्ति हो गई, जिसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। इस क्रान्ति में अज़ीमुल्ला ख़ाँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नाना साहब कानपुर और उसके आस–पास से अंग्रेज़ी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने लगे। इसमें सन्देह नहीं कि नाना साहब को पहले–पहल अधिक सफलता प्राप्त हुई, पर अंग्रेज़ों ने 16 जुलाई 1857 ई. को कानपुर पर पुनः आक्रमण कर दिया। नाना साहब तथा अंग्रेज़ी सेना में भीषण युद्ध हुआ। लेकिन अंग्रेज़ी तोपों की मार से क्रान्तिकारी पराजित हुए। 17 जुलाई 1857 ई. को कानपुर पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो गया। कानपुर की इस पराजय से क्रान्ति की बहुत ही क्षति हुई। नाना साहब कानपुर से बिठूर चले गए। यद्यपि तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों को पुनः कानपुर से निकालने में सफलता प्राप्त कर ली थी, पर वह सफलता भी थोड़े ही दिनों तक हाथ में रही। अंग्रेज़ी सेना ने तात्या टोपे के व्यूह को तोड़कर पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप नाना साहब को कानपुर को ही नहीं, बिठूर को भी छोड़ देना पड़ा। नाना साहब के साथ ही अज़ीमुल्ला ख़ाँ को भी कानपुर और बिठूर दोनों को छोड़ना पड़ा क्योंकि अंग्रेज़ी सेना उन्हें भी बन्दी बनाने का प्रयत्न प्राणपण से कर रही थी।

मृत्यु

1857 ई. की क्रान्ति की विफलता के बाद अज़ीमुल्ला ख़ाँ कहाँ गए, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कहा जाता है कि विद्रोहाग्नि शान्ति होने पर वह नेपाल चले गऐ थे। वे नेपाल में नाना साहब के साथ ही रहते थे और नेपाल में ही 1859 ई. में मात्र 29 वर्ष की अवस्था में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्रान्ति के असफल हो जाने पर वे फ़क़ीर के वेश में मक्का (सऊदी अरब) चले गए और मक्का में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि अज़ीमुल्ला ख़ाँ को तुर्की के सुल्तान ने बुलाकर अपना राजनीतिक सलाहकार बना लिया। जो भी हो, यह बात तो सत्य है ही कि 1857 ई. की क्रान्ति में अज़ीमुल्ला ख़ाँ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। **श्री व्यथितहृदय** ने लिखा है कि **''युद्ध के पश्चात् जाँच–पड़ताल के लिए अंग्रेज़ी सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया था। उन व्यक्तियों की सूची में अज़ीमुल्ला ख़ाँ का भी नाम था। ब्रिटिश सरकार भरसक प्रयत्न करने पर भी उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकी थी। यद्यपि वे फाँसी पर नहीं चढ़े, किन्तु इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे मृत्यु की गोद में सोकर भी अमर बन गए हैं।''**[4]

अज़ीमुल्ला ख़ाँ का देश प्रेम

अज़ीमुल्ला ख़ाँ के अन्दर देश प्रेम की भावना कूट–कूट कर भरी हुई थी। वे देश के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। क्रान्तिदूत अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने ही सर्वप्रथम 'मादरे वतन भारत की जय' का नारा बुलन्द किया था। अज़ीमुल्ला ख़ाँ अपनी यूरोप यात्रा से जो प्रिटिंग प्रेस भारत लाए थे, उससे उन्होंने एक अख़बार 'पयाम–ए–आज़ादी' निकाला। इस अख़बार से क्रान्ति और विद्रोह का प्रचार होता था। यह अख़बार हिन्दी, उर्दू और मराठी में निकलता था। इसी अख़बार में लिखा उनका एक गीत आगे चलकर 1857 ई. के क्रान्तिकारियों का 'झण्डा गीत' बन गया। वह गीत इस प्रकार है–

''हम हैं इसके मालिक, हिन्दुस्तान हमारा,
पाक वतन है क़ौम का, जन्नत से भी प्यारा।

x x x

हिन्दू, मुसलमाँ, सिख हमारा, भाई भाई प्यारा,
यह है आज़ादी का झण्डा, इसे सलाम हमारा।''[5]

यह गीत 1857 ई. की क्रान्ति के क्रान्तिकारी आदर्श और लक्ष्य को भलीभाँति प्रकट करता है। इस गीत को पढ़कर अगर अज़ीमुल्ला ख़ाँ को 'आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी' कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अज़ीमुल्ला ख़ाँ वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत, जो उस समय अलग–अलग रियासतों में बँटा हुआ था, को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा था। एक सफल क्रान्ति के उपरान्त उनका लक्ष्य सम्पूर्ण भारत को एकजुट कर 'धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र' का निर्माण करना था। अज़ीमुल्ला ख़ाँ द्वारा लिखे गए गीत की प्रशंसा करते हुए **भगवानदास माहौर** अपने शोध ग्रन्थ '1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव' में लिखते हैं कि **''1857 ई. के क्रान्तिकारी सिपाहियों का यह अभियान गीत राष्ट्रीय गीतों का मुकुट मणि है। यह सीधा, सरल, साफ़ और अमित शक्ति से भरा है। इसमें केवल देश का स्तुतिगान ही नहीं, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आह्वान भी है, ललकार भी है। इसमें घोषित किया गया है कि हिन्दुस्तानियों की एक क़ौम है, हिन्दुस्तान जिसका पाक वतन है तथा हिन्दू, मुस्लिम, सिख आदि भाई–भाई हैं। ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के लिए सिपाहियों ने जो झण्डा खड़ा किया है, वह क़ौम की आज़ादी का झण्डा है, किसी सामन्ती सम्राट का निजी झण्डा नहीं। गीत की भावना में जनवाद है,**

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

राष्ट्रवाद है, सामन्तवाद नहीं। इसमें आक्रोश लुटेरे फ़िरंगी के प्रति है, क़ौम नसारा (ईसाई) के प्रति नहीं।''[6]

अज़ीमुल्ला ख़ाँ अविवाहित थे। शादी करके वह किसी बन्धन में नहीं फँसना चाहते थे। देश सेवा ही उनके लिए सब कुछ था। भारतमाता को ही वह अपनी माता समझते थे। एक बार नाना साहब ने अज़ीमुल्ला ख़ाँ से कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? **अज़ीमुल्ला ख़ाँ** ने हँसते हुए कहा कि **''हुजूर शादी बिना बहुत दुःखी हूँ। लेकिन शादी करके बन्धन में नहीं फँसना चाहता। तब भारत माँ की और आपकी इतनी सेवा न कर सकूँगा।''**[7]

अज़ीमुल्ला ख़ाँ का व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक था। बात–चीत करने की कला में वे बड़े दक्ष थे। इंगलैण्ड दौरे के दौरान बहुत सी अंग्रेज़ महिलाओं से उनकी मित्रता हो गई थी। कई अंग्रेज़ महिलाएं तो उनसे प्रेम करने लगी थीं। उन्हीं में से एक महिला थीं रोज़ी। जब अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने इंगलैण्ड छोड़ने का मन बना लिया तो रोज़ी को इससे बड़ी निराशा हुई। एक दिन रोज़ी ने उन्हें रात्रि भोज पर आमन्त्रित किया। बात–चीत के दौरान रोज़ी ने कहा कि अब मैं तुम्हें हिन्दुस्तान वापस नहीं जाने दूँगी। तुम्हारे जाने से मेरा दिल टूट जाएगा। मेरे पास धन, दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। मेरी पहुँच राजघराने तक है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिला दूँगी। फिर हम लोगों का जीवन सुख से व्यतीत होगा। **अज़ीमुल्ला ख़ाँ** ने रोज़ी से कहा कि **''मैं तो अपने सम्पूर्ण देश और देशवासियों की सुख की बात सोचता हूँ। मेरा देश परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहे और मैं यहाँ आज़ाद रहकर रंगरेलियाँ मनाऊँ। मेरे देशवासी एक–एक दाने को मोहताज रहें और मैं यहाँ ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करूँ, यह सब मुझसे नहीं होगा।**[8]

उन्होंने रोज़ी से आगे कहा कि यदि तुम्हारी पहुँच राजघराने तक है तो तुम अपनी पहुँच और प्रभाव का इस्तेमाल करके नाना साहब को उनके छीने गए अधिकार क्यों नहीं वापस दिला देती हो? रोज़ी ने उत्तर दिया कि यह राष्ट्रीय नीति का मामला है। मैं व्यक्तिगत सम्बन्धों से राष्ट्रीय नीति को क्यों प्रभावित करूँ? **अज़ीमुल्ला ख़ाँ** ने प्रतिउत्तर में कहा कि **''जिस तरह से तुम व्यक्तिगत सम्बन्धों से राष्ट्रीय नीति को प्रभावित नहीं करना चाहती, उसी प्रकार मैं भी राष्ट्रीय सम्मान का त्याग करके व्यक्तिगत सम्बन्ध क़ायम करना नहीं चाहता हूँ।''**[9] ऐसा कह कर अज़ीमुल्ला ख़ाँ बिना भोजन किए रोज़ी का घर छोड़कर चले गए। ऐसा था अज़ीमुल्ला ख़ाँ का देश प्रेम। उन्होंने व्यक्तिगत सम्बन्धों को देश प्रेम के आगे तिलाँजलि दे दी। 1857 ई. की क्रान्ति में अज़ीमुल्ला ख़ाँ की भूमिका को रेखांकित करते हुए **डॉ. भरत मिश्र** ने लिखा है कि **''अज़ीमुल्ला ख़ाँ सचमुच 1857 की क्रान्ति के एक प्रमुख विचारक और मस्तिष्क थे, जिन्होंने भले ही मैदान में युद्ध न किया हो पर मेरी समझ में युद्ध करने वालों के लिए वे नीति नियामक तो थे ही।''**[10]

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि अज़ीमुल्ला ख़ाँ 1857 ई. की क्रान्ति के एक प्रमुख क्रान्तिकारी एवं विचारक थे। 1857 ई. की क्रान्ति के लिए सभी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को संगठित करने का कार्य उन्होंने ही किया था। अज़ीमुल्ला ख़ाँ की बनाई रणनीति में अंग्रेज़ सिपाही अक्सर फँस जाते थे और देश के वीर सपूत उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते थे। उनका नाम सुनकर ब्रिटिश हुकूमत के बड़े–बड़े कमाण्डर डर कर अपनी बैरकों में लौट जाया करते थे। अंग्रेज़ों ने अज़ीमुल्ला ख़ाँ को 1857 ई. की क्रान्ति का 'सबसे शातिर और क्रूर नेता' कहा है। अज़ीमुल्ला ख़ाँ भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिन्दू–मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। आज के साम्प्रदायिक माहौल में उनके द्वारा लिखा गया 'क़ौमी तराना' और भी प्रासंगिक हो जाता है।

अपनी बुद्धि चातुर्य एवं संगठन शक्ति के कारण वे इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। जब–जब भी 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की चर्चा की जाएगी, उनका नाम हमेशा बड़े आदर, श्रद्धा भाव और गौरव के साथ लिया जाएगा। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कानपुर में एक सड़क का नाम 'अज़ीमुल्ला एवेन्यू' रखा गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1– डॉ. धर्मेन्द्र नाथ– स्वतन्त्रता के ज्योतिपुंज, पृष्ठ 93, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली– संस्करण 2011 ई.
2. संपा. गंगा शरण त्यागी, मुकेश 'नादान' – 1857 के महान् क्रान्तिकारी, पृष्ठ 76, सनशाइन बुक्स, नई दिल्ली, संस्करण 2008 ई.
3. वही, पृष्ठ 75
4. श्री व्यथितहृदय, स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी सेनानी भाग एक, पृष्ठ 29, सामयिक प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, संस्करण 1993 ई.
5. hindi.newsclick.in, पृष्ठ 04, दिनांक– 27/08/2023 से उद्धृत
6. वही, पृष्ठ 05
7. uniinfos.com, पृष्ठ 06, दिनाँक– 27/08/2023 से उद्धृत
8. वही, पृष्ठ 08
9. वही, पृष्ठ 08
10. डॉ. भरत मिश्र– 1857 की क्रान्ति और उसके प्रमुख क्रान्तिकारी, पृष्ठ 158, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण 2008 ई.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
Paper Received : 10th March 2026 **Paper Accepted : 15th March 2026**

भारतीय समाजशास्त्र में डी.पी. मुकर्जी का द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण : परम्परा और आधुनिकीकरण

❑ सुनिता यादव*
❑ डॉ. प्रतिभा जायसवाल**

शोध-सारांश

डी.पी. मुकर्जी का द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद से प्रभावित था। भारतीय समाज को समझने के लिए समाज की गतिशील अंतः क्रिया का अध्ययन आवश्यक है। परपंराएँ परिवर्तन का विरोध नहीं करतीं, बल्कि उसे अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। आधुनिकीकरण पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और तर्कवाद का प्रसार है जो व्यक्तिवाद, लोकतंत्र और औद्योगिकीकरण का विकास है। धार्मिकता और तर्कवाद, सामूहिकता और व्यक्तिवाद, स्थायित्व और परिवर्तन, परंपरा और आधुनिकता में संघर्ष होता है, जो अंततः समन्वय की ओर जाता है। भारत

में आधुनिकीकरण ''टकराव'' से अधिक ''संवाद'' के रूप में सामने आता है। भारतीय समाज न पूरी तरह परंपरागत है और न पूरी तरह आधुनिक, बल्कि दोनों का समन्वय है। डी.पी. मुकर्जी का यह विचार वर्तमान समय में भारत के सामाजिक परिवर्तन और विकास को समझने में प्रासंगिक है।

भारतीय समाजशास्त्र को अमूल्य योगदान प्रदान करने वाले बंगाली समाजशास्त्री धूर्जटि प्रसाद मुकर्जी, जिन्हें प्यार से लोग डी.पी. मुकर्जी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1894 में बंगाल के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। वह रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरत् चन्द्र तथा बंकिमचन्द्र से प्रभावित होकर कुछ कहानियाँ तथा उपन्यास लिखे, किन्तु वह वास्तव में मार्क्सवादी थे और मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्सशास्त्री कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। उन्होंने भारतीय इतिहास का द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया द्वारा विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार व्यक्तिवाद, समूहवाद, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, परंपरा एवं आधुनिकीकरण में द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध है। वह मार्क्स के सिद्धांतों को भारतीय परंपरा के साथ जोड़कर, भारतीय परंपरा को जीवन के लिए आवश्यक बताया। परम्परा उनके अध्ययन का केन्द्र बिन्दु है। वे इसके प्रकारों, स्तरों, आपसी द्वन्द्व एवं परिवर्तन के गहरे अध्येता रहे और परम्परा

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र–विभाग), जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पी.जी. कालेज, बाराबंकी
** असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र–विभाग), जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पी.जी. कॉलेज, बाराबंकी

और आधुनिकता के बीच संघर्ष की द्वन्द्वात्मक व्याख्या करते हुए भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापकों में अग्रणी एवं भारतीय नवजागरण के क्रान्तिदूत बने।

डी.पी. मुकर्जी भारतीय सामाजिक परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे तथा अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। वे वर्ग एवं विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। उन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिकरण एवं समष्टिकरण के संतुलन पर बल दिया। वह ब्राह्मणवादी बुद्धिजीवी परम्परा, पश्चिम के उदारवादी मानवतावाद तथा वेदान्त और मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को समन्वित करने का लगातार प्रयास करते रहे।

उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—

1. व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान (Personality and Social Science), 1924
2. समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं (Basic Concepts of Sociology), 1932
3. आधुनिक भारतीय संस्कृति (Modern Indian Culture), 1942
4. भारतीय संस्कृति का समाजशास्त्र (Sociology of Indian Culture), 1942
5. भारतीय इतिहास पर (On Indian History), 1945
6. भारतीय संगीत का परिचय (Introduction to Indian Music), 1945
7. विचार और प्रति विचार (Views and Counter-Views), 1946
8. भारतीय युवकों की समस्याएं (Problems of Indian Youth), 1946
9. टैगोर : एक अध्ययन (Tagore : A Study) 1943
10. विविधताएं (Diversities), 1958
11. भारतीय परम्परा एवं सामाजिक परिवर्तन (Indian Tradition and Social Change), 1958

उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त अमरा ओ ताहारा (1931), मोहना (1934), चिनातासी (1934), अंथाशिला (1935), अबार्त (1937), कथा ओ सुर (1938) जैसे कई ग्रन्थों के भी रचनाकार थे, जिसमें कहानी, उपन्यास, संगीत, निबन्ध आदि आते हैं।

भारतीय परम्परा एवं आधुनिकता (Indian Tradition and Modernity)

डी.पी. मुकर्जी ने आधुनिकीकरण की विवेचना भारतीय परम्परा के सन्दर्भ में की। परम्परा अंग्रेजी शब्द Tradition का अनुवाद है इसकी उत्पत्ति रोमन भाषा के "Tradere" शब्द से हुई है जिसका अर्थ है हस्तान्तरण संस्कृत भाषा में परम्परा का अर्थ है उत्तराधिकार। वास्तव में परम्पराये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है तथा उत्तराधिकार के रूप में अगली पीढ़ी को मिलती है। डी.पी. मुकर्जी के अनुसार वर्तमान का अध्ययन हम अतीत के सन्दर्भ में ही कर सकते हैं अतः आधुनिकीकरण को परम्परा से पृथक नहीं किया जा सकता। परम्पराये एक लम्बे समय से चलती रहती हैं किन्तु इनमें परिवर्तन होता है तथा नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन करके ये समाज में महत्त्वपूर्ण बनी रहती हैं। परम्पराओं में परिवर्तन उस समय होता है जब ये समाज के लिये उपयोगी नहीं रह जातीं। मुकर्जी का कथन है—''हमारा प्रथम कर्त्तव्य उन सामाजिक परम्पराओं का अध्ययन करना है जिनमें हमने जन्म लिया है और जिसमें हमने अपना जीवन व्यतीत किया है।''[1]

डी.पी. मुकर्जी आधुनिकीकरण को परम्परा पर आधारित प्रक्रिया मानते हैं। उनका कथन है कि परम्परायें हमें अनेक विकल्पों में से उपयुक्त को चुनने का अवसर प्रदान करती हैं। वे एक ऐसे सांस्कृतिक प्रतिमान का विकास करने का अवसर देती हैं जिसमें प्राचीन और नवीन का समन्वय होता है। नवीन मूल्यों और संस्थाओं की उत्पत्ति पहले से तैयार भूमि ही हो सकती है। परम्परा और आधुनिकता के टकराव से वाद और प्रतिवाद होता है जिससे द्वन्द की स्थिति आती है। इस द्वन्द से जो संशोधित और समन्वित स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को आधुनिकीकरण कहते हैं। परम्परा तथा आधुनिकता का समन्वय व्यक्तिगत समूह के चेतन

प्रयास का परिणाम है। मुकर्जी का मत है कि भारत की प्रगति की योजनायें सांस्कृतिक परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुए बनायी जानी चाहिये।[2]

वह परम्पराओं में आन्तरिक एवं बाह्य दबावों के कारण होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन पर बल देते हैं। बाह्य शक्तियों में आर्थिक दबावों को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि– ''अतः हमारा प्रथम कर्त्तव्य उन सामाजिक परम्पराओं का अध्ययन करना है जिनमें हमने जन्म लिया है और जिनमें हमने जीवन व्यतीत किया है। इस कर्त्तव्य में आन्तरिक और बाह्य दबावों से परम्पराओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी सम्मिलित है। बाद के दबाव अधिकतर आर्थिक हैं। जब तक आर्थिक शक्ति असामान्य रूप से मजबूत नहीं होती और केवल उसी के द्वारा उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन होता है– तब तक परम्पराएं सामंजस्य करके जीवित रहती हैं।''[3] वह मानते थे कि परम्पराओं में कुछ सीखने एवं विरोध करने की महान शक्ति निहित होती है।

डी.पी. मुकर्जी कहते हैं कि प्रगति का मतलब संवर्धन नहीं है। मनुष्य क्या बनना चाहता है, उसके जीवन के क्या उद्देश्य हैं ? पक्की सड़कें, कल–कारखाने, स्कूल–विश्वविद्यालय आदि का बनना ये संवर्धन कहे जा सकते हैं प्रगति नहीं। प्रगति है मानव के अन्दर छिपे हुए मूल्य, उनमें जो गतिशीलता है, उसे बाहर लाना। उनका यह कथन है– प्रगति को एक समस्या की तरह समझना चाहिये। इसके अन्तर्गत मनुष्य द्वारा किये गये सभी प्रयत्न आ जाते हैं। समय इनको दिशा देता है। ये प्रयास प्रगति के कई विकल्प देते हैं। मूल रूप से इन प्रयासों का काम मूल्यों का सन्तुलन करना होता है। प्रगति की समस्या बहुत व्यापक होती है। इसमें सम्पूर्ण समाज आ जाता है। जब आदमी दूसरों के साथ सम्पर्क करता है, तब मूल्य पैदा होते हैं। व्यक्ति के विकास में मूल्यों की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में यह कहना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य रीति–रिवाज होते हैं, विश्वास होते हैं और सम्भव है, सामान्य स्वभाव होता है।[4]

प्रगति समानता प्राप्त करने का एक आन्दोलन है। हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि हम दूसरों के सम्पर्क से मुक्त हो जायें। हम अवकाश के समय का इस भाँति अनुकूलन करें कि अपने मूल्यों के साथ सामन्जस्य कर सकें। यह समझना भूल होगी कि व्यक्ति जितना व्यस्त रहता है, उतना ही प्रगतिशील है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये अधिक से अधिक समय निकालना चाहिये। यह इसी कारण है कि हिन्दू दर्शन व्यक्ति को अधिक से अधिक ध्यान प्रार्थना पर जोर देने की सलाह देता है। यह दर्शन व्यक्ति को उचित समय पर वैराग्य लेने की अनुमति देता है। आज की सभ्यता हड़बड़ी की सभ्यता है और इसलिये वैराग्य लेने की उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।[5] सही अर्थों में प्रगति ही आधुनिकता है। प्रगति में मूल्यों का संतुलन होता है और यह मूल्यों की बराबरी करना ही आधुनिकता है। जिसमें विवेकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो मूल्यों में संतुलन का कार्य करता है।

भारत में मार्क्स के द्वन्द्वात्मक उपागम से प्रभावित होने वाले डी.पी. मुकर्जी प्रमुख हैं। वे भारत में सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन के विश्लेषण में परम्पराओं के संघर्ष की चर्चा करते हैं।

मुकर्जी ने भारतीय परम्परा में अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया और इस आधार पर परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक अध्ययन का सुझाव दिया। मुकर्जी भारतीय परम्परा एवं पश्चिम की परम्परा के संघर्ष की, द्वन्द्व की चर्चा करते हैं। मुकर्जी कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों एवं वर्ग हितों में पारस्परिक संघर्ष एवं अन्तर्खेल (Inter-Play) होता है, फिर उनमें समन्वय पैदा होता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और समाज में परिवर्तन होता रहता है। मुकर्जी कहते हैं कि भारत में यह प्रक्रिया मुसलमानों के आगमन एवं उनके प्रभाव से ही प्रारम्भ हुई जो आज तक चली आ रही है। ब्रिटिश शासन के प्रभाव से भारत में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसकी जड़ें न तो परम्परा में थीं और न

आधुनिकता में ही वरन् यह दोनों का समन्वय था। भारतीय परम्परा एवं पश्चिम के संघर्ष के फलस्वरूप अनेक सांस्कृतिक विरोधाभास भी उत्पन्न हुए। सांस्कृतिक विरोधाभासों एवं नवीन वर्गों के उदय के कारण भारत में संघर्ष एवं समन्वय की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई। मुकर्जी कहते हैं कि इस संघर्ष एवं समन्वय को भारत में विद्यमान वर्ग संरचना के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए योजना का सहारा लिया जाना चाहिए।

डी.पी. का मत है कि धर्म से सम्बन्धित परम्पराएं आज भी भारत में अपनी निरन्तरता बनाए हुए हैं। धार्मिक परम्पराओं का संघर्ष नगरीय मध्यम वर्ग की परम्पराओं के साथ हो रहा है। भारतीय समाजशास्त्रियों का यह दायित्व है कि वे इन परम्पराओं के संघर्ष एवं विकास को द्वन्द्वात्मक उपागम के माध्यम से विश्लेषित करें। मुकर्जी कहते हैं कि जब भारतीय समाज में व्यक्तिवाद एवं स्वेच्छावाद नहीं पनपा था तब भारतीय परिवारों के मुखिया एवं किसानों की आकांक्षाओं का स्तर भी निम्न था। वे कहते हैं कि भारत की प्राचीन परम्पराओं में मनुष्य की अवधारणा पुरुष (man) है, व्यक्ति (Individual) नहीं। वे यह भी कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रियों को अपने अध्ययन की इकाई व्यक्ति नहीं वरन् समहू को चुनना चाहिए क्योंकि समूह के आचरण को परम्पराएं नियन्त्रित, निर्देशित एवं संचालित करती हैं। इसी सन्दर्भ में मुकर्जी ने लिखा है कि परम्परा वास्तव में आचरण या व्यवहार का नियम है।[6]

डी.पी. ने भारतीय समाज और संस्कृति में निहित परम्पराओं के आपसी द्वन्द्व का भी उल्लेख किया है। आपने भारतीय इतिहास को कालक्रम में विभाजित करते हुए परम्पराओं के द्वन्द्व को पांच युगों में वर्णित किया है। वे हैं—आर्यकाल, बुद्धकाल, गुप्तकाल, हर्ष एवं विक्रम काल तथा भक्ति काल। इन सभी युगों में प्रचलित परम्पराओं का उस समय के मूर्धन्य लोगों ने विरोध किया तथा इनमें सुधार के भी प्रयत्न किये। मार्क्स का मत है कि अंग्रेजों से पूर्व भारत का कोई इतिहास नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद और विशेष रूप से 19वीं सदी से ही भारतीय इतिहास का प्रारम्भ होता है क्योंकि इससे पूर्व भारत में कोई संघर्ष नहीं हुए थे, किन्तु डी0 पी0 इस बात से इन्कार करते हैं। वे कहते हैं कि आर्यों के समय से ही भारतीय परम्पराओं में संघर्ष विद्यमान रहा है। मुस्लिम काल एवं 19वीं सदी में अंग्रेजों के समय में तो यह संघर्ष और अधिक स्पष्ट हुआ है। इसलिए डी.पी. भारतीय परम्पराओं के आन्तरिक दबावों, टकरावों एवं संघर्ष के अध्ययन करने का सुझाव देते हैं।[7]

भारत में मुस्लिम शासन के आगमन से ही परम्परागत भारतीय संस्कृति में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गये थे। मुकर्जी का कहना है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऐसा मानना कि भारतीय संस्कृति अन्तर्मुखी और अपरिवर्तित है उचित नहीं है। भारत की मूल शक्तियों और बाहर से आने वाली शक्तियों के आपस में मिलकर भारतीय समाज को एक सावयवी इकाई के रूप में विकसित किया। मुकर्जी का कहना है कि इस्लाम का भारत में आगमन हिन्दू समाज को जड़ों तक हिला सकता था पर बौद्ध धर्म ने इसका बचाव किया। बौद्ध धर्म स्वयं भी हिन्दू समाज को तहस–नहस नहीं कर पाया बल्कि इसने इसे और लचीला बना दिया। इस काल में मुस्लिम शासकों एवं हिन्दू नरेशों के बीच विभिन्न सन्धियाँ एवं वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हुए। रहन–सहन, भाषा, वेशभूषा, कला एवं साहित्य ने दोनों संस्कृतियों को प्रभावित किये। हिन्दुओं का भक्ति सम्प्रदाय और मुसलमानों का सूफी सम्प्रदाय एक दूसरे से प्रभावित था। मुस्लिम साहित्यकारों ने हिन्दी भाषा में रचनायें की तथा हिन्दी के साहित्यकारों ने उर्दू के शब्दों को अपने साहित्य में शामिल किया। मुकर्जी के मतानुसार इसके बावजूद भी दोनों वर्गों का दृष्टिकोण व्यक्ति, राष्ट्र तथा पारलौकिकता के बारे में काफी भिन्न था। हिन्दी सामाजिक संरचना में स्तरीकरण ही व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण हुआ है जबकि मुस्लिम समाज में सामाजिक समानता को महत्वपूर्ण

माना जाता था। खान पान में दोनों समाजों में काफी अन्तर था। हिन्दुओं में जन्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास था मुसलमान पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। मुकर्जी ने लिखा है कि इन सभी भिन्नताओं के बावजूद भी भारत में हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों में परिवर्तन एवं समन्वय पर आधारित एक नवीन संस्कृति विकसित हुई। हिन्दुओं की भावना आदर्शवादी एवं इस्लाम व्यवहारिक धारणा रखता है।[8]

मुस्लिम शासन द्वारा प्रारम्भ परिवर्तन अंग्रेजी शासन के समय पाश्चात्य प्रभाव से तेज गति से बढ़ा। कुछ विचारकों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि पश्चिमी संस्कृति न आती तो भारत आदिकालीन ही रहता। भारत में शिक्षा का प्रसार, कानूनों का निर्माण एवं प्रभाव, जातीय भेदभाव पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव, महिलाओं के शोषण के खिलाफ कई सुधारवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुए। सामाजिक विद्वान, प्राकृतिक विद्वान, तकनीकी शिक्षा, महिला शिक्षा ने भारतीय समाज में परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की गति तीव्र की। देश भर में विभिन्न संगठन बने जिनका उद्देश्य अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर कर मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करना था।

प्रारम्भ में एक छोटे वर्ग ने पाश्चात्य तौर तरीके अपनाये जो कि अन्य वर्गों में भी कालान्तर में लोकप्रिय हुए। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इसने संस्कृति के विकास का आधार आर्थिक कारकों को बतलाया। अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था को बदलकर नई भूमि व्यवस्था प्रारम्भ की जो कृषि भूमि जिससे कि पहले सामुदायिक सम्पत्ति हुआ करती थी अब व्यक्तिगत सम्पत्ति हो गई। यातायात के साधनों के विकास के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जुड़ाव नगरीय अर्थव्यवस्था से हुआ। पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप एक नये मध्यवर्ग का उदय हुआ। मुकर्जी का मानना है कि इस मध्यमवर्ग ने देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं निभायी। यह मध्यम वर्ग अंग्रेजों की सहायता हेतु पनपाया गया था। यह एक ओर अंग्रेजी साम्राज्य को संगठित करने का कार्य करता था जो दूसरी ओर वह स्वतन्त्रता आन्दोलन को भी सहयोग करता था।[9]

पश्चिम के सम्पर्क से भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में विस्तार किया है। इसके फलस्वरूप भारत में भौतिकी एवं रसायनशास्त्र के क्षेत्र में प्रगति को पंख लगे। समाज विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय सामाजिक संस्थाओं का इनके प्रति विरोध रहा, नयी मशीनों एवं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने भी विज्ञान के प्रति लोगों में विरोध पैदा किया। यह अवश्य रहा कि पश्चिम के प्रभाव से पूर्व–पश्चिम में निकटतम सम्बन्ध बने और दोनों संस्कृतियों में आदान–प्रदान के साथ व्यापार आदि का विस्तार भी हुआ।

परम्परा का घोर समर्थक होकर भी वे देश को चर्वेती–चर्वेती अर्थात् आगे.बढ़ो, आगे बढ़ो की बात लगातार करते रहे। निष्कर्षतः हमें समन्वयवादी बनना होगा। जहाँ वेदान्त, पश्चिमी उदारवाद एवं मार्क्सवाद एक साथ दिखाई देते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. भावना : भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक, निखिल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स, पृ. 17
2. वही, पृ. 18
3. डी.पी. मुकर्जी : विविधताएं 1958, पृ. 232
4. एस.एल. दोषी : भारतीय सामाजिक विचारक, रावत पब्लिकेशन 2021, पृ. 126
5. वहीं, पृ. 127
6. प्रो. एम.एल. गुप्ता, डॉ. डी.डी. शर्मा : भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक (चिन्तक) साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2008, पृ. 34
7. वही, पृ. 36
8. डॉ. भावना : भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक, निखिल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, पृ. 15
9. वही, पृ. 16

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

Paper Received : 10th March 2026 **Paper Accepted : 15th March 2026**

बघेलखण्ड के व्रत-पूजा विधान में महिलाओं की ऐतिहासिक प्रस्थिति

❑ डॉ. जैनेन्द्र कुमार मिश्रा*

शोध-सारांश

मानव समाज की पहचान संस्कृति और मान्यताओं से होती है। जिसके रूप और व्रत पूजा विधान की अवधारणा क्षेत्रीयता के अनुसार बदलती रहती है पर सबके मूल में एक ही भाव और सोच रहती है। पृष्ठभूमि पर गौर करें तो व्रत, पूजा के अंतर्गत मानव–कल्याण, विश्व कल्याण तथा पर्यावरण के प्रति मानव की भावात्मक प्रस्थिति होती है। व्रत पूजा विधान विचलित और दुखी मानव को आधार स्तंभ प्रदान करती है। यह आधार स्तंभ भावात्मक के साथ संवेदनात्मक सूत्रों को आपस में पिरोकर समाज के समृद्धि के माला रोपित करता है। गौर करें तो ग्रीष्मकाल के भीषण ताप से छटपटाता असहज मानव आसमान में उठते घुंघराले बादलों और उसके साथ चलती मनोभावन बयार का पूर्वानुमान लगाकर गुनगुनाने लगता है। साथ ही वरुणदेव के अभ्यार्थना में विभिन्न प्रकार के गीतों के संवेदनात्मक शब्द मुखरित होने लगते हैं। यहीं से व्रत, उपवास, पूजा, आराधना, की श्रृंखला प्रस्फुटित होती है। बात अवध की करें या मिथिलांचल की, बात ब्रज की करें या राजपूताने की, बुंदेलखंड की करें या बघेलखंड की हर क्षेत्र में व्रत, पूजा, उपवास की अविराम श्रृंखला दिखती है जिसकी वाहक खास तौर पर मातृशक्ति होती है जिसके माध्यम से विभिन्न तिथियों और दिनों में रेखांकित अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है जिसे महिलाएं पूरे आस्था, विश्वास एवं श्रृद्धा के साथ यम, नियम, संयम से आयोजित करती है। उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अपने कुल परंपरा, क्षेत्रीय, संस्कृत के अनुसार व्रत, पूजा, उपासना जो स्वयं एवं परिजनों तथा जगत कल्याण के लिए आहुति की जाती है। बघेलखंड में प्रचुर संख्या में व्रत, पूजा, उपवास, आराधना की तिथियाँ तथा दिन होते हैं जिनमें प्रमुख नागपंचमी, रक्षाबंधन, हरतालिका, अष्टमी, संतान सप्तमी, हरछठ, नवरात्रि, भाई दूज, कजलियाँ आदि हैं।

मुख्य शब्द–व्रत–पूजा, विधान, अवधारणा, प्रस्थिति, संस्कृति, मान्यता, कुल परंपरा, अनुष्ठान, तिथियाँ, आराधना, भावात्मक।

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष इतिहास, श्रीयुत स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगेव, रीवा (म.प्र.)

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

प्रस्तावना

संसार के इतिहास में भारत की धार्मिकता अपना एक विशेष महत्व रखती है। मिश्र, यूनान, रोम, बैबीलोन और अन्य देशों की सभ्यताएँ नष्ट–भ्रष्ट हो गयी है और उनका नामों–निशान तक मिट गया है। किन्तु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति शताब्दियों तक क्रूर विपरीत कालचक्र का सामना करती हुई, अब तक जीवित है। इसका मुख्य कारण है भारतीय नारी की धार्मिकता, अध्यात्म और त्याग। जिसने सभ्यता संस्कृति के आध्यात्मिक संस्कार डालकर इसे पुर्नजीवित बनाये रखा। आर्य माताओं की दया से ही हम में थोड़ी बहुत ध ार्मिकता का अंश रह पाया हे। आर्य माताएँ ही हमारे समाज की शक्ति का प्रमाण है। भारत के महान् पुरुषों को जन्म देने वाली आर्य मातायें ही है, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक विशुद्ध जीवन के अमिट संस्कार उनके हृदय और जीवन पर अंकित किये हैं।

वस्तुतः नारी ही जगत जननी और प्रेम–भक्ति का आधार है। प्रेम से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से आध्यात्मिकता और धार्मिकता का समावेश होता है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि नारी का धार्मिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान था, तथा वे धार्मिक अधिकारों से भी लाभान्वित थी। धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ समान रूप से सम्मिलित होती थी, क्योकि पत्नी की अनुपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठानों का सम्पन्न होना असम्भव था।[1]

डॉ. अखिलेश ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक (राज्य इतिहास) में धार्मिक जीवन उपशीर्षक के अन्तर्गत लिखा है के ''बघेलखण्ड का समाज धर्म प्रधान होते हुये विभिन्न धर्मो की बीच सामंजस्य की भावना से युक्त रहा है। इस बात की पुष्टि कोनी, रतनपुर, मल्लार, खरोद तथा अजयगढ़ से प्राप्त शिलालेखों से होती है। इन शिलालेखों में उल्लेख है कि संसार में मानवीय जीवर क्षणभंगुर है। और यही भावना व्यक्ति को व्यक्तिगत मार्ग की ओर प्रेरित करती है। आगे उक्त लेखक ने बघेलखण्ड की धरती को साधारण नहीं माना उसका कथन है कि बघेलखण्ड विश्व भू–मण्डल का वह अद्भुत क्षेत्र है जिसे आदिकाल से अवतारी पुरुषों देवी–देवताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। विंध्याचल से कैलाश तक तथा मगध से गंधार का विस्तृत भू–भाग प्रारंभिक आर्यावर्त है।

बघेलखण्ड के साथ ही साथ लेखक ने भारत देश के बारे में भी लिखना समुचित मानकर बताया है कि संसार की अनेक सभ्यताओं का उदय एवं विकास इस धरती पर हुआ है। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती है। इसी पर्वत श्रृंखला को पार कर उत्तर की संस्कृति लंका तक और दक्षिण की संस्कृति ईरान तक पहुंची है। भारत देश के इतने बड़े विस्तार का लाभ और प्रभाव ये पड़ा कि या भू–भाग सामंजस्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ आर्य, द्रविड़, शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई मुस्लिम धर्म एवं मत समय–समय में फले–फूले हैं।[2] इस क्षेत्र का महत्व एवं महिमा को उक्त लेखक ने आगे इस प्रकार वर्णन किया है। ''इस अंचल में यह विश्वास हैकि भगवान राम अयोध्या से चित्रकूट होते हुए इसी क्षेत्र से होकर नासिक और लंका की यात्रा की थी, इनकी याद दिलाने वाली चिन्ह वर्तमान में थी, शैलचित्रों, मंदिरों, गुफाओं, ऋषि आश्रमों और मठों में यत्र–तत्र पाये जाते है।[3]

विशिष्ट विचारों भावनाओं तथा अनुष्ठानों की ओर वर्गगत समाज में ऐसे संस्थानों की भी प्रणाली है जो पेशेवर पादरी, पुरोहितों को एकक्यबद्ध करती है। धर्म के उपरोक्त तथ्य सीधे सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए है और उन संबंधों में परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होते है सामाजिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति ने धार्मिक चेतना में संकट को जन्म दिया है जिसके प्रभाव के अंतर्गत धर्म के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समकालीन अवस्था में सुस्पष्ट रूप से प्रकट होती है परन्तु धर्म का सार अपरिवर्तित रहता है।

धर्म के पारिभाषिक शब्दावली की हिन्दी साहित्य

कोश भाग–1 में धर्म के अंतर्गत लिखा है कि ''धर्म (बौद्ध मतानुसार पदार्थो का स्वरूप) बौद्धों के अनुसार सम्पूर्ण जगत क्षणिक पदार्थो संघात है। जिसे दूसरे शास्त्रकार पदार्थ या भाव शब्द से व्यवहारित करते है बौद्ध लोग उसे ही धर्म कहते है। धर्म शब्द से तात्पर्य उन सभी सूक्ष्म पृथक भूत तत्वों से है। जो भूत और चित्त में निहित होते है और जगत की उत्पत्ति हेतु है। एक क्षण में एक ही धर्म ठहर सकता है। इसलिये धर्मों को स्वलक्षण की संज्ञा प्राप्त है, धर्म परस्पर मिलकर किसी दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करते है, वे किसी कारणान्तर से उद्धृत होते है। और स्ययं निरोध के प्रति अभिमुख होते है सभी धर्म के कारण कार्य नियम की व्यवस्था से नियमित होते है।[4]

भारतीय दर्शन के लेखक ने लिखा है कि धर्म का अर्थ–धर्म शब्द का हिन्दी में जो अर्थ है उसका अंग्रेजी शब्द से अंतर है हिन्दी में धर्म शब्द का अर्थ है जो धारण किया जाए शाब्दिक अर्थ में धर्म का अर्थ हुआ। पुनः बांधना अर्थात् रिलीजन उसे सूत्र को कहा जा सकता है जो व्यक्ति को कुछ सिद्धांतों में बांधता अथवा जोड़ता है।[5] डॉ. शर्मा ने आगे लिखा है कि विभिन्न विद्वानों ने धर्म की अनेक प्रकार से व्याख्या की हो इसकों लेखक ने धर्म की व्याख्या हम इस प्रकार कह सकते है कि धर्म चेतना की एक ऐसी जटिल प्रक्रिया ह जिसमें परमशून्य मूल्य अथवा ईश्वर के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण और अनुभूतियों का समावेश होता है।[6]

धर्म सूत्रों एवं स्मृतियों में ''धर्म'' के स्रोतों की विस्तृत व्याख्या की गयी है। गौतम धर्मसूत्र में पहला सूत्र है– **''ऊँ वेदों धर्मकूलय्''**।[7] चारों वेद धर्म के मूल प्रमाण है। दूसरा मंत्र है– **''तद्विदां च स्मृतिशीले''** अर्थात्–वेदों के ज्ञाता मनु आदि की स्मृतियाँ तथा उनके धर्मानुकूल आचरण भी प्रमाण हैं।[8] आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार **''धर्मज्ञ समयः प्रमाणम् वेदाश्च''**। अर्थात् धर्म को जानने वाले, वेद का मर्म समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का प्रमाण है।[9] वेद, स्मृति (परम्परा से चला आया हुआ ज्ञान) वेदज्ञों के आचरण या साधुओं का आचार तथा आत्मा की तुष्टि को धर्म का मूल माना जाता हैं।[10] याज्ञवल्क्य की दृष्टि से धर्म के उपादान 5 है – (1) वेद, (2) स्मृति, (3) सदाचार (भद्र लोगों के आचार व्यवहार), (4) जो आचरण स्वयं को रुचिकर लगे तथा विवेक सम्मत हो, (5) उचित संकल्प से उत्पन्न अभिलाषा या इच्छा।[11]

धर्मशास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसका आधार वेद हैं। समय के साथ–साथ वैदिक कर्मों में भी परिवर्तन होने लगा। तथा धार्मिक परम्परा को बनाये रखने के लिए धर्म सूत्र गृह सूत्र एवं श्रौत सूत्रों की रचना हुई। आचार, विधि नियम एवं क्रिया संस्कारों के लिये श्रौत सूत्र रचे गये। गृहाग्नि में होने वाले यज्ञों का एवं यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों की विस्तृत चर्चा गृह सूत्रों में की गयी।[12]

स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, उन्हें परिवार से आपार श्रद्धा होती है। वे विभिन्न प्रकार के देवी–देवताओं एवं वृक्षों की पूजा करती है। देवतओं में मातृ देवी, शिव, विष्णु, कार्तिकेय, गणेश, की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। स्त्रियाँ दिवारों पर देवी–देवताओं के चित्रों का अंकन कर पूजा करती है। यज्ञ नाग एवं वृक्ष पूजा भी काफी प्रचलित थी। स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के व्रत भी धारण करती थी। धर्म शास्त्रकारों में व्रतों को लेकर मतभेद है। गौतम ने व्रत का अर्थ प्रायश्चित बताया है। पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिये प्रायश्चित को आवश्यक बताया है।

धर्मशास्त्रों में मुख्यतः आचार व्यवहार एंव प्रायश्चित प्रकरण पर ही विचार किया गया हैं स्त्रियों के आचरण की शुद्धता के लिये व्यवहारिक रूप में विभिन्न देवी–देवताओं के पूजन एवं व्रतों का विधान किया गया था। प्राचीन काल में मूर्ति पूजा होती थी या नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश की पूजा मुख्यतः की जाती

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

थी। स्त्रियाँ पूजा में सम्मिलित होती थी।

चैत्री पूजा

चैत्र की पूर्णिमा को चैत्री पूजा की जाती है। जिसमें स्त्रियाँ भी विष्णु की पूजा करती थी। गौतम के अनुसार चैत्र की पूर्णिमा को घर स्वच्छ एवं अलंकृत कर पति–पत्नी नये वस्त्र धारण कर अग्नि को आधार देवताओं को पका अन्न एवं आहुति दे, तथा विष्णु की पूजा कर सपिण्ड लोगों को संगति से बचा हुआ अन्न खायें। भाद्रपद की पूर्णमासी को इन्द्र यज्ञ नामक इन्द्र की पूजा की जाती है। इस दिन पताका फहरायी जाती है। विष्णु पूजा के समान शिव की पूजा भी प्राचीनतम पूजा के रूप में प्रचलित है। महाभारत एवं पुराणों में पूजा विधि का विस्तृत उल्लेख मिलता हैं शिवलिंग को गाय के दूध, दही, घृत, मधु, ईख के रस, पंच गव्य, कर्पूर एवं अगरन मिश्रित जल से अभिषेक कराना चाहिए।

हरतालिका व्रत

प्राचीनकाल से स्त्रियाँ हरतालिका व्रत में शिव की पूजा इसी विधि अर्थात् गाय का दूध, दही, घृत, मधु, ईख के रस, पंचगव्य, कर्पूर एंव अगरन मिश्रित जल से अभिषेक करती थी। वृद्धहारित के मत से स्त्रियों को बाल कृष्ण तथा विधवाओं को हरि की पूजा करनी चाहिए। नव ग्रहों की पूजा का विधान भी अति प्राचीन माना जाता है। याज्ञवल्क्य में नौ ग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुद्ध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु) की पूजा के लिये उनकी मूर्तियों एवं पूजा विधि का वर्णन है।

विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा भी प्रचलित थी। स्त्रियाँ पशु, पक्षी, वृक्ष एवं नदी आदि को प्रकृति के विभिन्न रूप मानकर पूजती थी। पशु पूजा में गाय को विशेष महत्व दिया जाता है। उसे इच्छित फलदात्री माना जाता है। गाय को गोधन का रूप माना जाता हैं उसका विशेष सम्मान किया जाता है। स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री एवं गाय की पूजा करती है। वृक्षों की पूजा भी प्रचलित है। विशेषकर पुष्पित वृक्ष एवं कल्प वृक्ष। वैदिक परम्परा में कल्पवृक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता था। कल्पवृक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता था। कल्पवृक्ष आदि काल से प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त था। स्त्रियाँ इस वृक्ष का पूजन अत्यन्त श्रद्धा सेकरती थी। पीपल का वृक्ष भी पत्रि माना जाता था। उसमें ब्रह्मा का निवास माना जाता था। बौधायन ने पलाश वृक्ष को भी परम पवित्र माना है। हेमाद्रि ने आम के वृक्ष की पत्तियां को सभी कृत्यों के लिए मंगलमय माना है। पूजा के अतिरिक्त स्त्रियाँ व्रत, उपवास, जप एवं तीर्थ यात्रा भी करती है।

परमान रोटी

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह से ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक सात पर रीवा से 17 कि. मी. पर पूर्व स्थित मतहा तालाब के मंदिर से नगाड़ा बजाना शुरू होता है। इस तरह की मुनादी कर पूरे गाँव में घूम कर सभी को सूचित किया जाता है कि आज से अगले नौ दिन तक यादि चैत्र नवरात्रि में ''फुलबिनियाँ'' घोषित हो गई है। गाँव की औरतें देवी गीत गाते हुए अपनी–अपनी भावना स्वरूप फूल चुनकर लाती है। और देवी को जल के साथ वहीं चुने हुए पुष्प चढ़ाये जाते हैं। रामनवमीं के दिन सुबह से ही नगाड़ा गाँव–गाँव घूम कर परामन रोटी का दिन सबको बताता है। पूरा का पूरा रायपुर गाँव जाति–धर्म के भेद को भूलकर दिन में मतहा तालाब के पूर्व स्थित बगीचें जिसका नाम टर्रा है, में इकट्ठा होता है और आटे से अंगाकर की रोटी पकाता है। इस अंगाकर की रोटी को परामन रोटी कहा जाता है। यह परम्परा कब और कैसे शुरु हुई इस बारे में ठीक–ठीक ज्ञात नहीं है। ऐसी अलौकिक परम्परा सिर्फ रायपुर कर्चुलियान में ही थी, पर यह लगभग खत्म सी हो गई है।

धजबा की खजुलईयाँ

बघेलखण्ड में कजलियाँ (खजुलईयाँ मुजरियाँ) त्यौहार को विशेष हर्षोल्लस के साथ मनाये जाने

की परम्परा है। गुप्ता और स्वर्णकार जाति की महिलायें अन्य जाति की महिलाओं के साथ गेहूँ का बीजारोपण करती है तथा सुनहरी फसल जिसे कजलियाँ कहते हैं, रक्षाबन्धन के अगले दिन भाद्र प्रतिपदा को सज–धज कर दैनिक कार्यो से फारिक होकर शाम को गीत गाते हुए अपने सर पर अपने द्वारा बोई और उगाई कजलियाँ लेकर धजबा मंदिर की तरफ एक रैली के रूप में भ्रमण करती हुई बढ़ती है। हिन्दुली, कजली और देवी गीत गाती महिलायें धजबा के निकट बनगा में कजलियाँ लेकर अर्पित कर अपने ईष्ट (मित्रों) बुजुर्गों और संबंधियों आदि को प्रस्तुत करती है।

हरियाली की पूजा

भारत वर्ष की सर्वाधिक जनसंख्या का मूल आधार खेती है। उसी प्रकार रायपुर कर्चुलियान के अधिकांश कलचुरि परिवार भी अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए खेती पर ही निर्भर है। ये परिवार श्रावण मास के प्रथम पड़ने वाले सोमवार या गुरुवार को पूरे गाँव वाले करमासिन देवी मंदिर के प्रांगण में देवी गीत गाते हुए एकत्रित होते है व देवी की पूजा अर्चना कर अच्छी खेती हो, ऐसी कामना के साथ याचना करते है। यह विन्ध्य क्षेत्र के कलचुरियों की आराध्य देवी हैं और इनकी निष्ठा पर यहाँ कई लोकगीत भी प्रचलित है। पूजा के उपरांत पहाड़ी के पूर्व की ओर स्थित आम्रबाग में एकत्रित होकर सबके साथ महाभोज का आयोजन कर अपने साथ लाये भोजन को आपस में मिलकर खाते है। यह परम्परा आज भी अनवरत रूप से जारी है।

गनगौर

हिन्दुओं में खास तौर से महिलाओ में गनगौर मनाने की एक परम्परा थी। गनगौर का सुहागिन स्त्रियाँ 16 दिन तक मनाती है। कुँवारी लड़कियाँ सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए भी इसे मनाती है। इसमें शिव पार्वती की पूजा होती है। और कुछ जगह स्त्रियाँ नदी के किनारे एकत्रित होती थी और नदी के किनारे पूजा अर्चना करती थी। ये लगभग नाव–नेवरिया जैसी परम्परा थी। इस रोज बिछिया पुल में महाराजा गुलाब सिंह बैठकर तैराकी की प्रतियोगिता देखा करते थे, तथा लोगों की शुभ कामनाएं देते थे। घरों के बाहर रंगोली बनाने की परम्परा थी तथा कोई भी कार्य ये बिना विचारे नहीं करती थी।

तिल चतुर्थी

तिल चतुर्थी व्रत माघ की कृष्ण पक्ष की चौथ को रखा जाता है उस दिन तिल का उपयोग होता है। तिल से नहाना तिल ही खाना सारा दिन निर्जला व्रत रखते है तिल का लड्डू बनाते है। कच्चे तिल का पहाड़ बनाते हैं, चन्द्रमा और गणेश जी की पूजा करते हैं फिर तिल खाकर व्रत तोड़ते है। यह व्रत पुत्र के लिए रखा जाता है।

वट सावित्री व्रत

वट सावित्री व्रत यह व्रत मई या जून अमावस्या को सुहागिन औरते रहती हैं। इसमें वट की पूजा की जाती है, आटा और शक्कर का बरगद बनाते हैं जोड़ा चढ़ाकर साम बार फेरी कच्चे सूत से लगाई जाती है वट के फल और चने की दाल 12–12 बराबर मात्रा में ली जाती है और फिर गुटक लिया जाता है चबाते नहीं हैं। फिर पूरा खाना खा लिया जाता है। यह व्रत औरते अपने पति के लिए रखती है।

हरछट

हरछट भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष को होता है। सबसे पहले सुबह उठकर महुआ की दातून करते हैं। महुआ को पानी में डालकर उस पानी से नहाते हैं, फिर आँगन में छठ गाढ़ते है महुआ चढ़ाते हैं। सात तरह का अनाज चुकड़ी में भर कर चढ़ाते हैं। चुकड़ी को जोड़े में 7–7 चढ़ाया जाता है। श्रृंगार चढ़ाते है सारा दिन व्रत रखते यह व्रत स्त्रियाँ रखती है। यह व्रत रड़कों की लम्बी आयु के लिये रखा जाता है।

नेउरी नवय

नेउरी नवय में नेवले की पूजा की जाती है। एक दिन पहले वेसन के आटे की पूड़ी साथ में मुगौड़ी बनती है। कहीं–कहीं पर चने की दाल की

पूड़ी और करौंदे का शीरा बनता है। औरते द्वार पर नेवले का चित्र बनाती है और स्वतः पूजा करती है, प्रसाद चढ़ाती है और प्रसाद लेती है।

आम्र विवाह

आम का विवाह शुभ मुहुर्त में पण्डितों द्वारा कराया जाता है। इसमें सर्वप्रथम आम का कर्णवेध संस्कार कराया जाता है। उसके बार विधिवत पूजा की जाती हे। उसकी बाद जनेऊ संस्कार होता है, सभी घर परिवार के लोग एवं आस–पास के लोग भीखी डालते हैं। आम का विवाह चमेली के पेड़ के साथ कराया जाता है। आम के विवाह के बाद आम का मालिक पण्डित को यथा शक्ति दान–दक्षिणा देते हैं। इस प्रकार आम का विवाह एक बहुत ही पुण्य का काय्र माना जाता है। आम का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तब तक आम का फल नहीं खा सकता जब तक वह आम का विवाह न कर दें। आम का विवाह एक धार्मिक परम्परा माना जाता है।

संताना सातें

भाद्र के शुक्ल पक्ष के सत्तमीं को होता है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता हैं इसमें शंकर–पार्वती की पूजा होती है एक चाँदी की चूड़ी बनती है, उसमें सात लकीर बनी होती है, 21 पूआ बनते हैं। सात भगवान को चढ़ाते है, सात खुद प्रसाद लेते है और सात में प्रसाद बाँटते है। ऋतु के अनुसार फल और श्रंगार चढ़ाये जाते हैं। दिन भर व्रत रखते हैं शाम को वही सात पूआ से व्रत तोड़ा जाता है। चूड़ी को पहले पूजा की जाती है। सात गाँठ लगी दूब की चूड़ी बनाके पहनते है फिर चाँदी की चूड़ी पहनने के बाद दूब की चूड़ीउतार देते हैं। चाँदी की चूड़ी साल भर पहने रहते है, फिर दूसरे साल जब फिर संतान सत्तमी आती है तो नई चूड़ी सता तोला की बनवाई जाती है। पुरानी चूड़ी का बना समान पैरो में नहीं पहनते हैं।

बीज बोनी मुहुर्त एवं हल पूजा

शुभ मुहुर्त में किसान कलश बनाकर बोने वाली बीज को लेकर घर से बाहर निकलता है। द्वार के सामने पाँच गोबर का कुठला बनाते हैं। पाँचों कुठला में बोने वाला अनाज भर देतें हैं, फिर पुरोहित आचार्य के बताये अनुसार खेत में जाकर कलश रख देते हैं। खेत पर हल बैल लिए मजदूर खड़ा रहता है। पाँचोंप्चार मंत्रों द्वारा पूजा कराकर एक निश्चित दिशा की ओ जोतना शुरू करता है। इसे प्राथमिक शुदिन बौनी कहते हैं, किसान खेत की मिट्टी लाकर के शंकर जी की मूर्ति बनाकर अपने आँगन में सुरक्षित रख देता है।

द्वितीय हल पट्टि पूजा

जब किसान की समस्त बौनी हो जाती है तब अच्छे दिन में किसान रोट बनाकर आँगन में हल को रखकर पूजा अर्चना करता है और बनाया हुआ रोट चढ़ाता है, साथ में कुल बोनी के बाद जो अन्न बचता है उस अन्न को हल में चलने वाले बैलों को खिला देता है। इस विधि को झोरिया सुधाना कहते है और इसके बाद बचा अन्न को मजदूर या किसान घर ले जाता है। शास्त्रों के अनुसार हल बलराम जी का अस्त्र है, जिससे यह मानकर की बलराम जी के अस्त्र पूजा करने से प्रसन्न होगें और बहुत सा अन्न उनकी कृपा से पैदा होगा।

ऋषि पंचमी

ऋषि पंचमी में सप्तर्षि की पूजा होती है। ऋषि परम्परा की यह मान्यता है कि औरतों में जो ढाई दिन का दोष होता है उस समय उन औरतों के द्वारा छुआ गया अन्न अशुद्ध हो जाता है, साथ ही अपने परिवार को उस अशुद्ध समय पर भोजन बनाकार जो खिलाती है, उससे जो पाप लगता है उस पाप को परिमार्जन के लिए ऋषि पंचमी व्रत का पूजन किया जाता है।

निष्कर्ष

मान्यताएँ एवं परम्पराएँ समाज में भाई–चारे और आत्मीय स्वभाव के प्रेरक हुआ करते हैं। जिनके माध्यम से सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक आस्था के नये–नये अंकुरण पल्लवित और पुष्पित होते हैं। बघेलखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के विविध सोपानों पर गौर करें तो स्पष्ट

होता है कि विभिन्न प्रकार के अवसरों, उत्सव, त्यौहारों में प्रचुर संख्या में व्रत एवं पूजा आराधना का आयोजन महिलााओं द्वारा किया जाता है। व्रत, पूजा विधान समाज को जोड़ने के लिए माध्यम तो होता ही है, पारिवारिक समृद्धि और व्यक्तिशः विकास के लिए भी व्रत और उत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्रत और उपासना मानव के मन में जगत कल्याण के भाव अंकुरित करते हैं। जिनके माध्यम से व्यक्ति का आत्मविश्वास और गरिमा बढ़ती है और उसे अपने द्वारा किए गए सद्कार्य के प्रति एक अलग भाव अंकित होता है। जिसके माध्यम से व्यवहारिक जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। व्रत, पूजा, आराधना व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करता है। यह कोई तकनीकी सिद्धान्त नहीं बल्कि सहज मानव विज्ञान है जिसके माध्यम से व्यक्ति के मन में कुछ अच्छा करने में और उससे कुछ अच्छा होने का भाव मन में प्रस्फुटित होता है। महिलाएं जिनके सामने एक बड़ा परिवार और समाज होता है और उन्हें लगता है उनके पास वह शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि वह कोई अच्छा कार्य कर पाये। ऐसे में व्रत, पूजाा के माध्यम से देव आराधना कर उनके कृपा की आकांक्षी होकर नव समाज के सृजन में आत्म बोध के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसर होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. एस. अखिलेश : रीवा दर्शन, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा (म.प्र.)
2. दर्शनशास्त्र, संपादक आई.टी. लोव फ्रोलोव प हिन्दी अनुवाद, परगति प्रकाशन, नई दिल्ली
3. हिन्दी साहित्य कोश भाग–1, संपादक मण्डल प्रकाशन ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी
4. डॉ. ओम दत्त शर्मा : भारतीय दर्शन कोश प्रकाशक, राजीव प्रकाशन, मेरठ
5. गौतम धर्म सूत्र, 2 चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
6. आपस्तम्व धर्मसूत्र, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
7. मनुस्मृति, गीता प्रेस, गोरखपुर
8. 'श्रुतिः स्मृतिः चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
9. सुधा सोनी : धर्मशास्त्रों में हिन्दू नारी

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 10th March 2026 Paper Accepted : 15th March 2026

Consumer resistance and the privacy paradox in digital commerce: Information overload, algorithmic personalization, and adaptive agency in digital consumer behaviour

❑ Dev Sharma*
❑ Dr. Praveen Tiwari**

ABSTRACT

This paper investigates consumer resistance, privacy attitudes, and adaptive agency in digital commerce environments, drawing on findings from an explanatory sequential mixed methods study comprising a stratified survey (N = 500), 25 semi-structured interviews, and 120 hours of systematic digital ethnography. While the companion paper examined platform ecosystems and positive influence mechanisms, this paper focuses on the tensions and contradictions within digital consumer behaviour particularly the privacy paradox, information overload, algorithmic personalization attitudes, and the rich repertoire of resistance strategies consumers have developed. Findings reveal that 81.0% of consumers express at least moderate data privacy concern, yet this concern coexists with high frequency digital engagement, constituting the 'resigned pragmatism' documented in privacy research. The personalization paradox is quantified: 76.0% appreciate personalized recommendations while 57.0% simultaneously find cross platform advertising tracking intrusive. Information overload affects 64.0% of respondents, with 46.0% reporting purchase abandonment as a result, yet 79.0% successfully employ filtering tools as coping mechanisms. Mobile commerce produces significantly higher impulse purchasing ($M = 3.2$ vs. 1.8 per month, $p < 0.001$) and cart abandonment (42% vs. 28%, $p < 0.001$) compared to desktop, with paradoxically lower satisfaction ($M = 3.8$ vs. 4.2, $p = 0.001$). Qualitative analysis identified five consumer resistance strategies and four trust signal categories, revealing sophisticated digital agency. Digital literacy scores decline significantly across age cohorts ($F = 15.67$, $p < 0.001$), with implications for digital equity. These findings contribute to theories of

* Research Scholar in Department of Journalism and Mass Communication, Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010

** Research Supervisor in Department of Journalism and Mass Communication, Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

surveillance capitalism, digital trust formation, consumer agency, and bounded rationality in digital environments.

Keywords–*Privacy paradox, consumer resistance, information overload, algorithmic personalization, digital literacy, mobile commerce, surveillance capitalism*

Introduction

Contemporary digital commerce environments are distinguished not only by their persuasive power but also by their capacity to generate consumer anxiety, cognitive overload, and principled resistance. Where much academic and industry attention has focused on digital media's positive influence mechanisms social proof, algorithmic recommendation, influencer endorsement comparatively less systematic attention has been paid to the darker complexities of digital consumer experience: the persistent privacy concerns that coexist with heavy platform engagement, the information overload that produces decision paralysis, and the sophisticated countermeasures consumers deploy to protect their autonomy in commercially designed digital environments (Andrejevic, 2007; Turow, 2011).

The 'privacy paradox' first documented by Barnes (2006) and subsequently theorized across multiple disciplinary traditions represents perhaps the most fundamental tension in contemporary digital life. Consumers who express strong privacy concerns continue to share personal data, engage with surveillance-dependent platforms, and participate in data economies they fundamentally distrust. This paradox has resisted simple explanation and continues to challenge theoretical accounts of rational consumer behaviour (Acquisti et al., 2016; Kokolakis, 2017). Understanding its mechanisms and the varied forms of partial resolution consumers develop has important implications for privacy policy, platform design, and consumer welfare.

Simultaneously, the abundance that defines digital commerce millions of products, thousands of reviews, competing influencer opinions, algorithmic recommendations that multiply rather than reduce options creates information processing challenges that classical models of rational choice-making cannot accommodate (Schwartz, 2004; Iyengar & Lepper, 2000). The 'paradox of choice' in digital environments produces characteristic response patterns satisficing, heuristic shortcuts, choice deferral, and abandonment that require updated theoretical frameworks drawing on behavioural economics, cognitive psychology, and digital sociology.

This paper investigates these tensions and contradictions through five interrelated inquiries: (1) the distribution and demographic correlates of data privacy concern; (2) the personalization paradox and its relationship to consumer engagement; (3) information overload prevalence, consequences, and coping strategies; (4) behavioural differences between mobile and desktop commerce environments; and (5) consumer resistance strategies and digital trust formation mechanisms. Drawing on a mixed-methods dataset of 500 survey respondents, 25 interview participants, and systematic platform observation, the study provides both quantitative documentation of these phenomena and qualitative elaboration of their experiential dimensions.

Theoretical Framework and Literature Review

The Privacy Paradox: Theoretical Accounts and Empirical Evidence

The privacy paradox refers to the observed gap between individuals' expressed privacy concerns and their actual privacy-related behaviours specifically, the continuation of data-sharing practices despite high stated concern (Barnes, 2006; Norberg et al., 2007). The paradox has been theorized through multiple competing frameworks. Behavioural economics accounts emphasize hyperbolic discounting the tendency to over-weight immediate convenience

benefits relative to future privacy costs (Acquisti & Grossklags, 2005) and optimism bias, whereby individuals believe privacy harms are more likely to befall others than themselves (Brandimarte et al., 2013). Sociological accounts stress structural constraint, noting that when platform participation is required for social and commercial life, privacy concerns become practically ineffective regardless of their intensity (van Dijck, 2013).

Zuboff's (2019) surveillance capitalism framework provides a critical complement, arguing that the privacy paradox is not a cognitive failure but a rational response to an asymmetric structural condition: consumers lack meaningful alternatives to participation in data extractive platforms, and their formal consent mechanisms provide inadequate protection against behavioural modification at scale. Smith et al. (2011) proposed the APCO framework (Antecedents Privacy Concerns Outcomes) as an integrative theoretical model, while Dienlin and Trepte (2015) distinguished between privacy attitudes and privacy behaviours, arguing that the relationship between them is moderated by platform familiarity, perceived control, and social norms.

Information Overload in Digital Commerce

The concept of information overload the condition in which the quantity of available information exceeds an individual's processing capacity, reducing rather than improving decision quality predates the digital era (Jacoby, 1984; Malhotra, 1982) but has found its most dramatic expression in contemporary e-commerce environments. Eppler and Mengis (2004) conducted a systematic review establishing overload as a theoretically and empirically robust phenomenon across multiple domains; more recent work has examined its specific manifestations in online product search (Iyengar & Lepper, 2000), review systems (Mudambi & Schuff, 2010), and social media commerce (Swar et al., 2017).

The consequences of information overload in digital commerce include increased cognitive load, reduced decision confidence, choice deferral, purchase abandonment, and post purchase regret (Schwartz, 2004; Bawden & Robinson, 2009). However, research has also documented adaptive responses, including the development of information management strategies (filtering, sorting, trusted source reliance), satisficing rather than optimizing approaches, and increasingly sophisticated heuristic evaluation (Simon, 1955; Payne et al., 1993). Understanding the balance between overload experience and coping effectiveness is crucial for designing digital commerce environments that serve rather than exploit cognitive constraints.

Mobile Commerce : Impulsivity, Abandonment, and the Convenience Paradox

The proliferation of smartphones has created a qualitatively distinct mode of commerce characterized by constant accessibility, fragmented attention, and integration with social and entertainment contexts (Watson et al., 2013; Groß, 2015). Mobile commerce research has documented elevated rates of impulse purchasing attributable to the frictionless interface design, contextual triggers, and social media integration that characterize mobile platforms (Stern, 1962; Rook, 1987; Dawson & Kim, 2009). Simultaneously, mobile environments exhibit elevated cart abandonment rates attributable to interface limitations, data entry friction, security concerns, and context interruptions creating a characteristic pattern of impulsive engagement followed by rational reconsideration (Kukar Kinney & Close, 2010; Close & Kukar Kinney, 2010).

The mobile satisfaction paradox higher usage accompanied by lower experience satisfaction has been theorized in terms of expectation performance gaps (Oliver, 1980), where consumers evaluate mobile experiences against desktop standards, and in terms of the cognitive taxation of small-screen navigation (Chae & Kim, 2004). Addressing this paradox is a significant challenge for e-commerce platform design, with implications for conversion optimization, loyalty development, and consumer welfare.

Consumer Agency and Digital Resistance

The dominant narrative of digital advertising and platform design positions consumers as objects of influence rather than active agents of resistance. However, a growing body of research documents the sophisticated countermeasures consumers deploy to protect their informational autonomy, including ad avoidance (Cho & Cheon, 2004), selective disclosure (Acquisti et al., 2016), and what de Certeau (1984) termed 'tactics' the everyday practices through which individuals navigate and subvert structures of power that they cannot openly confront. Turow et al. (2009) documented widespread public resignation to commercial data collection, coexisting with strong preferences for greater control a pattern consistent with the structural constraint accounts of the privacy paradox. More recently, Lutz and Newlands (2018) and Van der Nagel (2017) have documented digital identity management practices that enable compartmentalization and context collapse avoidance, while privacy-protective technology adoption research (Acquisti et al., 2016) has examined the drivers and barriers to tool-based resistance.

Research Methodology

Research Design

This study employs an explanatory sequential mixed-methods design (Creswell & Plano Clark, 2017), with quantitative survey data (N = 500) providing systematic documentation of privacy attitudes, overload experiences, and behavioural patterns, and qualitative interviews (n = 25) and digital ethnography (120 hours) providing experiential depth and contextual interpretation. The design is grounded in pragmatic and critical realist philosophical frameworks (Bhaskar, 1978; Johnson & Onwuegbuzie, 2004), enabling both empirical documentation and critical interrogation of the power structures that shape consumer agency in digital environments. This paper draws on the same dataset as its companion paper but focuses exclusively on the tensions, contradictions, and resistance dimensions of digital consumer behaviour rather than the positive influence mechanisms.

Sampling and Participants

The quantitative sample comprised 500 adults aged 18–65 from digitally advanced economies (North America and Western Europe), recruited through a stratified random sampling approach using an online panel provider. Stratification variables included age, gender, income level, and geographic density, with proportional allocation based on national census parameters. Post stratification weighting (raking) was applied with a maximum weight cap of 4.0 to ensure representativeness (design effect DEFF = 1.12). For qualitative sampling, 25 participants were purposively selected from the quantitative sample using maximum variation sampling (Patton, 2015), varying along dimensions of privacy concern level (high vs. low), digital literacy (high vs. moderate), age cohort (18–34 vs. 35+), and prior resistance strategy adoption.

The qualitative subsample was designed to capture both high concern, high-resistance consumers and lower-concern, lower resistance consumers, enabling comparative analysis of how privacy attitudes relate to behavioural outcomes. Institutional Review Board approval was obtained (Protocol #2023-045), and all participants provided informed consent. Pseudonyms are used throughout qualitative reporting to protect confidentiality.

Data Collection

The quantitative survey included sections specifically addressing data privacy concern (five level Likert type scale; á = 0.82), information overload experience (three item scale adapted from Eppler & Mengis, 2004; á = 0.78), algorithmic personalization attitudes (three-item scale; á = 0.71), and mobile versus desktop purchasing behaviour. The semi-structured interview protocol explored: (1) experiences of privacy concern and the strategies participants used to manage them; (2) experiences of information overload and coping approaches; (3) attitudes toward algorithmic personalization and specific instances of the 'creepy' experience; (4) trust formation processes and the signals used to evaluate digital content; and (5) the reasoning

behind specific resistance strategy adoption. Digital ethnography across Instagram, TikTok, Amazon, and a brand community Reddit forum documented consumer resistance behaviours in public spaces, including negative review patterns, disclosure flagging practices, and information management tool usage.

Analytical Approach

Quantitative analysis employed SPSS 28 for descriptive statistics, frequency distributions, independent samples t-tests (mobile vs. desktop comparisons), one way ANOVA (digital literacy across age groups), and chi-square tests (platform preference by age). Effect sizes were computed for all inferential tests (Cohen's d for t-tests, eta-squared for ANOVA, Cramer's V for chi-square). Qualitative data were analyzed using hybrid thematic analysis (Fereday & Muir Cochrane, 2006) in NVivo 12, combining deductive codes derived from the theoretical framework with inductive codes emerging from the data. Integration was achieved through joint display matrices (Creswell & Plano Clark, 2017) that explicitly juxtaposed quantitative frequencies with qualitative excerpts, enabling systematic comparison of statistical patterns and experiential accounts. Trustworthiness was established through member checking, peer debriefing, and maintenance of a reflexivity journal.

Results

Data Privacy Concern : Distribution and Resigned Pragmatism

Table 1 documents the distribution of data privacy concern in the sample, revealing overwhelming levels of concern that nonetheless coexist with the high frequency digital engagement documented in the companion paper. A combined 81.0% of respondents report at least 'Somewhat Concerned' status regarding data privacy, with 37.0% reporting 'Very Concerned' levels that, if translated into behaviour, would be expected to substantially constrain digital platform use. The concentration in the 'Somewhat Concerned' category (44.0%) is theoretically significant: this modal response reflects what privacy scholars have termed 'resigned pragmatism' (Turow et al., 2009) awareness of risk combined with perceived absence of viable alternatives.

Table 1 : Perceptions of Data Privacy Concerns (N = 500)

Level of Privacy Concern	Frequency	Percentage
Very Concerned	185	37.0%
Somewhat Concerned	220	44.0%
Neutral	65	13.0%
Somewhat Unconcerned	25	5.0%
Very Unconcerned	5	1.0%
Total	**500**	**100.0%**

Note: *Scale ranged from 'Very Concerned' to 'Very Unconcerned.' Reliability: alpha = 0.82 for the five item privacy concern scale.*

The small but notable 'unconcerned' segment (6.0% combined) represents an analytically important minority whose attitudes may reflect calculated risk acceptance, differential platform trust calibration, or reduced awareness of data collection practices. Qualitative data elaborated the resigned pragmatism theme extensively: participants articulated clear awareness of data collection practices ('They know everything anyway what difference does it make if I use incognito mode or not?' Participant 14, female, age 34), while simultaneously identifying specific circumstances under which concern became action-motivating. This conditionality privacy concern translating into behaviour only when perceived control is available or perceived risk is acute is consistent with the protection motivation theory account of privacy behaviour (Rogers, 1975; Youn, 2009).

Information Overload: Prevalence, Consequences, and Coping Strategies

Table 2 quantifies the information overload experience, revealing it as widespread but partially managed through technological coping strategies. The majority of respondents (64.0%) feel at least somewhat overwhelmed by product choices online (M = 3.68, SD = 1.12), and 46.0% report purchase abandonment as a direct consequence of overload (M = 3.23, SD = 1.18). These figures represent substantial costs to both consumer welfare and commercial conversion confirming that choice architecture in digital

commerce frequently exceeds optimal complexity (Iyengar & Lepper, 2000; Schwartz, 2004).

Table 2: Experience with Information Overload (5-point Likert Scale, N = 500)

Statement	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree	M	SD
I feel overwhelmed by product choices online	120 (24%)	200 (40%)	100 (20%)	60 (12%)	20 (4%)	3.68	1.12
I often abandon purchases due to too much information	85 (17%)	145 (29%)	140 (28%)	100 (20%)	30 (6%)	3.23	1.18
I use filters/sorting to manage information overload	210 (42%)	185 (37%)	65 (13%)	30 (6%)	10 (2%)	4.11	0.97

***Note :** 1 = Strongly Disagree, 5 = Strongly Agree. Scale reliability: alpha = 0.78 (information overload subscale adapted from Eppler & Mengis, 2004).*

The high endorsement of filtering and sorting tool usage (79.0%; M = 4.11, SD = 0.97) indicates successful adaptation by a substantial portion of the sample, suggesting that while overload is experienced, platform-provided tools enable partial mitigation. This finding complicates purely critical accounts of algorithmic commerce by showing that consumers actively use platform tools for their own organizational purposes though these tools simultaneously serve as platform engagement mechanisms that keep consumers within the commercial environment. The tension between tool utility and platform interest alignment was explicitly noted by interview participants, several of whom described using filter tools while remaining aware that algorithmic curation behind the filters reflected commercial rather than purely consumer interests.

Algorithmic Personalization and the Personalization Paradox

Table 3 quantifies the personalization paradox one of the defining structural tensions of digital commerce. The coexistence of widespread appreciation (76.0% appreciating personalized recommendations) and widespread discomfort (57.0% finding cross-platform ad tracking intrusive) within the same sample and in many cases, within the same individuals cannot be explained by simple attitude segmentation. Rather, the paradox reflects context dependent evaluation of personalization, where consumers distinguish between helpful recommendations within a trusted platform context and surveillance enabled cross-platform tracking that violates contextual integrity norms (Nissenbaum, 2010).

Table 3: Perception of Algorithmic Personalization (N = 500)

Statement	Agree/Strongly Agree	Neutral	Disagree/Strongly Disagree
I appreciate personalized recommendations	380 (76%)	80 (16%)	40 (8%)
I find it 'creepy' when ads follow me across platforms	285 (57%)	125 (25%)	90 (18%)
Personalization saves me time while shopping	325 (65%)	115 (23%)	60 (12%)

***Note :** Collapsed response format used for display; full five-point scale administered. Scale reliability: alpha = 0.71 for algorithm awareness subscale.*

The high agreement that personalization saves shopping time (65.0%) indicates that convenience benefits are genuinely valued and not merely post-hoc rationalizations of privacy surrender a finding that complicates purely critical accounts of surveillance capitalism (Zuboff, 2019) by showing that consumers receive and perceive real utility from data-enabled personalization,

even as they resist specific implementations of it. Qualitative data revealed nuanced consumer calibration: participants described appreciating personalization for familiar categories (clothing, books) while finding it 'creepy' for sensitive categories (health products, financial services), suggesting that the paradox may be better understood as a mismatch between broad-category personalization (valued) and sensitive inference personalization (resisted).

Mobile versus Desktop Commerce: Behavioural Asymmetries

Table 4 presents t-test comparisons between mobile and desktop purchasing behaviour, documenting significant asymmetries across all three measured dimensions. Mobile users report significantly more impulse purchases per month (M = 3.2 vs. 1.8, t = 5.67, p < 0.001, d = 0.62), consistent with theoretical accounts of mobile commerce's impulse enabling characteristics: constant accessibility, frictionless interface design, and integration with emotionally engaging social and entertainment content (Dawson & Kim, 2009; Groß, 2015).

Table 4: T-Test Comparison Mobile vs. Desktop Purchasing Behaviour (N = 500)

Variable	Mobile Users (n=350) Mean	Desktop Users (n=150) Mean	t-value	p-value
Impulse Purchases per Month	3.2	1.8	5.67	<0.001
Cart Abandonment Rate	42%	28%	4.32	<0.001
Satisfaction with Purchase Experience	3.8	4.2	-3.45	0.001

***Note :** Mobile user's n = 350; Desktop user's n = 150. Cohen's d effect sizes: impulse purchases d = 0.62; cart abandonment d = 0.48; satisfaction d = -0.41. All effects statistically significant at p < 0.05.*

The significantly higher cart abandonment rate for mobile users (42% vs. 28%, t = 4.32, p < 0.001) represents a commercial paradox: the environment most successful at generating purchase intent also produces the highest abandonment rates. This pattern likely reflects the interplay of mobile enabled impulse initiation (add to cart in a moment of enthusiasm) and subsequent rational reconsideration when convenience barriers small keyboard, payment entry friction, screen based product inspection limitations create friction during checkout. The mobile satisfaction deficit (M = 3.8 vs. 4.2, t = -3.45, p = 0.001, d = -0.41) suggests that mobile commerce succeeds despite user experience shortcomings, sustained by convenience and contextual accessibility rather than quality experience. These findings have direct implications for mobile UX design priorities and conversion optimization strategies.

Consumer Resistance Strategies : Qualitative Evidence

Table 5 documents the frequency and character of consumer resistance strategies identified in qualitative interviews, revealing a sophisticated repertoire of defensive practices adopted by the majority of participants. Cross platform verification (22/25; 88%) emerged as the most prevalent strategy, reflecting consumers' recognition that any single platform's review or recommendation system may be compromised by commercial interests, algorithmic bias, or fake content. The specificity and rationality of this strategy systematically checking multiple independent sources before trusting any single one represents qualitatively sophisticated information literacy that challenges depictions of digital consumers as passive recipients of algorithmic curation.

Table 5: Consumer Resistance Strategies Observed in Qualitative Interviews (n = 25)

Strategy	Frequency (n=25)	Representative Quote
Cross Platform Verification	22 (88%)	'I check reviews on multiple sites before trusting any single one.'
Using Incognito Mode	18 (72%)	'I browse in private mode to avoid being tracked and retargeted.'
Deliberate Purchase Delays	15 (60%)	'I add to cart and wait 24 hours kills the impulse every time.'

Ad Blocker Usage	12 (48%)	'I use blockers to reduce the noise and focus on what I actually searched for.'
Creating Alternate Accounts	8 (32%)	'I have a shopping email for promotions keeps my main inbox clean and separate.'

Note: *Frequencies represent number of participants mentioning each strategy unprompted during semi structured interviews. Percentages indicate proportion of interview sample.*

The deliberate purchase delay strategy (15/25; 60%) is theoretically notable as a consumer-developed implementation of the 'cooling off period' that consumer protection regulation seeks to provide. Participants who described this strategy articulated clear meta awareness of their own impulse purchasing vulnerabilities and had developed systematic temporal interventions typically 24 hours to allow desire to dissipate. This self regulatory practice represents an internalization of behavioural economics insights about time-discounting and impulse control that consumers have developed independently rather than through formal education. The relative rarity of alternate account creation (8/25; 32%) compared to more accessible strategies suggests that resistance sophistication scales with perceived stakes identity compartmentalization being employed primarily by highly privacy concerned, technically capable consumers.

Trust Signal Architecture in Digital Commerce

Table 6 presents thematic analysis findings on the trust signals consumers use to evaluate digital commerce content, revealing a trust architecture characterized by preference for authentic, peer generated evidence over professional brand communication. Visual social proof through customer photographs (23/25; 92%) emerged as the dominant trust signal, with participants explicitly contrasting 'real' customer images imperfect, contextually specific, showing actual conditions of use against professionally produced brand imagery that they regarded with inherent skepticism.

Table 6: Thematic Analysis Trust Signals in Digital Commerce (Interview Data, n = 25)

Theme	Frequency	Representative Quote
Visual Social Proof (Customer Photos)	23/25 (92%)	'If I see real photos from customers messy kitchens, actual skin not just brand photos, I trust it more.'
Creator Transparency/ Disclosure	21/25 (84%)	'If an influencer says thank you to a brand for sending this, I weigh it differently but I don't necessarily distrust it.'
Presence of Detailed Negative Reviews	19/25 (76%)	'I actually look for critical reviews if they are specific and rational, they seem more honest than five-star ones.'
Platform Authenticity Cues (e.g., Amazon Choice)	17/25 (68%)	'The Amazon Choice badge influences me more than I would like to admit it feels like someone checked it.'

Note : *Frequencies represent number of participants who discussed each theme substantively. Multiple trust signals could be identified for each participant.*

The strong endorsement of detailed negative reviews as a trust signal (19/25; 76%) is particularly theoretically significant. Rather than seeking to minimize exposure to negative information, participants actively sought critical reviews as authenticity indicators reasoning that their presence and specificity signalled an unmanipulated review ecosystem. This sophisticated heuristic inverts the naive assumption that positive reviews build trust; instead, the presence of credible negativity signals trustworthiness of the overall review system. Creator transparency disclosures (21/25; 84%) are evaluated in nuanced ways neither dismissing disclosed paid content as inherently untrustworthy nor accepting it uncritically, but rather recalibrating interpretation based on disclosure specificity and perceived alignment

between creator values and brand characteristics.

Platform Preference Stratification by Age

Table 7 presents chi-square tests confirming statistically significant age based differences in platform preference across all four major platforms. TikTok shows the strongest age stratification (÷² = 32.10, p < 0.001), with overwhelming youth concentration (95 of 125 18–24 year olds) declining sharply with age (15 of 80 in the 45+ cohort). This pattern suggests TikTok functions not merely as a platform preference but as a generational digital identity marker, with adoption patterns that may represent a cohort effect persistent platform affiliation rather than simply a lifecycle effect that will normalize as the platform ages.

Table 7: Chi-Square Test Platform Preference by Age Group (N = 500)

Platform	18–24	25–34	35–44	45+	chi2	p
TikTok	95	110	45	15	32.10	< .001
Instagram	105	150	95	35	18.76	< .001
Facebook	40	85	65	30	12.45	.006
YouTube	90	125	85	40	8.92	.030

Note : *Cell frequencies represent number of respondents in each age group using the platform for product discovery. Chi-square statistics based on observed vs. expected frequency distributions.*

Digital Literacy Across Age Cohorts

Table 8 presents ANOVA results documenting significant digital literacy variation across age cohorts (F = 15.67, p < 0.001, ç² = 0.09), with self-assessed digital literacy scores declining systematically from 18–24 (M = 8.2, SD = 1.1) through 25–34 (M = 7.8, SD = 1.3), 35–44 (M = 6.5, SD = 1.5), to 45+ (M = 5.2, SD = 1.8). The widening standard deviations across older cohorts suggest increasing heterogeneity in digital literacy skills with age not simply uniform decline but a growing divergence between digitally proficient and digitally limited older adults.

Table 8: One-Way ANOVA Digital Literacy Scores Across Age Groups (N = 500)

Age Group	Digital Literacy Score (M, SD)	F-value	p-value
18–24 (n=125)	8.2 (1.1)	15.67	< 0.001
25–34 (n=175)	7.8 (1.3)		
35–44 (n=120)	6.5 (1.5)		
45+ (n=80)	5.2 (1.8)		

Note : *Digital literacy assessed via 10-item self-assessment scale. Tukey post-hoc tests confirmed significant pairwise differences between all adjacent age groups (all p < 0.05). Effect size eta-squared = 0.09 (medium effect).*

These literacy differences have direct implications for the equity dimensions of digital resistance strategies: the sophisticated resistance practices documented in Table 5 require digital literacy as a precondition. Consumers with lower digital literacy may be less equipped to deploy cross-platform verification, incognito browsing, or advanced filtering strategies, rendering them disproportionately exposed to the manipulative design practices that higher literacy consumers successfully navigate. This literacy resistance nexus represents a digital equity concern that warrants attention from educators, platform designers, and policymakers.

Discussion: Agency, Structure, and the Ethics of Digital Commerce

The convergence of quantitative documentation and qualitative elaboration across the dimensions investigated in this paper reveals a digital commerce landscape characterized by structural tensions that individual agency can partially but not fully resolve. Four overarching

conclusions warrant extended discussion.

First, the privacy paradox is better understood as a structural condition than an individual cognitive failure. The 81.0% privacy concern rate documented in Table 1, coexisting with the high digital engagement rates documented in the companion paper, does not reflect irrationality but rather the structural absence of viable alternatives to participation in surveillance dependent platforms. Consumers have developed partial adaptations the resistance strategies documented in Table 5, the cross-platform verification practices in Table 6 but these are individual level workarounds to what Zuboff (2019) identifies as a systemic architectural problem. Regulatory frameworks that treat privacy as an individual rights issue requiring individual consent management are inadequate to the structural conditions consumers actually face.

Second, the information overload findings reveal a fundamental contradiction in the architecture of digital commerce: systems designed to maximize engagement through information abundance simultaneously produce the decision paralysis, purchase abandonment, and consumer dissatisfaction that undermine the commercial relationships they are designed to foster. The 46.0% abandonment due to overload rate represents substantial commercial value destruction that could be addressed through information architecture interventions. However, the current incentive structure in which platforms profit from extended engagement regardless of decision quality works against the simplification interventions that would benefit consumers.

Third, the mobile commerce findings raise important questions about the ethics of impulsive design. The significantly elevated impulse purchasing on mobile (M = 3.2 vs. 1.8) reflects interface design choices that maximize conversion by minimizing the deliberative friction that enables considered decision making. Whether this constitutes beneficial convenience or exploitative design depends on whether consumers' retrospective evaluations as captured in the lower mobile satisfaction scores (M = 3.8 vs. 4.2) are treated as evidence of preference frustration or merely decision regret. The consumer protection implications of impulse enabling design in mobile environments deserve closer regulatory scrutiny.

Fourth, the documentation of sophisticated consumer resistance strategies challenges the passive consumer model implicit in much digital advertising theory. Consumers who deploy cross-platform verification, deliberate purchase delays, and identity compartmentalization are engaged in active epistemic work that partially reclaims the informational autonomy that platform design seeks to constrain. The sophistication of these practices and their literacy dependence suggests that digital literacy education should be reconceptualised as consumer protection infrastructure rather than merely a vocational skill, with particular attention to the older adult populations who show the greatest literacy deficits and may be most vulnerable to digital influence techniques.

Conclusion

This paper has provided systematic empirical documentation of the tensions, contradictions, and resistance dimensions of digital consumer behaviour the 'shadow' of the positive influence dynamics investigated in the companion paper. The privacy paradox, personalization ambivalence, information overload, mobile commerce asymmetries, and consumer resistance strategies collectively constitute a portrait of digital commerce as a site of ongoing negotiation between commercial architectures designed to maximize engagement and conversion, and consumer agents who increasingly recognize, resist, and partially subvert these architectures.

The theoretical contributions of this work include: a quantitative operationalization of resigned pragmatism in privacy behaviour; a contextual integrity account of the personalization paradox; a behavioural economics interpretation of deliberate purchase delay as self regulatory technology; a literacy-resistance nexus model connecting digital skill levels to capacity for commercial autonomy; and an agency-structure framework that locates individual resistance within the broader structural conditions of

surveillance capitalism. These contributions provide foundations for future research on digital consumer welfare, platform ethics, and the regulatory frameworks needed to ensure that digital commerce serves human flourishing rather than merely commercial optimization.

For practitioners, the findings suggest that authenticity, transparency, and cognitive load reduction are not merely ethical preferences but commercially rational strategies that build the trust required for sustained consumer relationships. For policymakers, the structural rather than individual character of the privacy paradox calls for architectural regulation requirements for privacy by design, data minimization, and meaningful algorithmic transparency that go beyond current consent based frameworks. For researchers, the documented interplay between structural conditions and individual agency in digital environments invites theoretical synthesis across the disciplines of consumer behaviour, digital sociology, behavioural economics, and science and technology studies.

References

- Acquisti, A., & Grossklags, J. (2005). Privacy and rationality in individual decision making. IEEE Security & Privacy, 3(1), 26–33. https://doi.org/10.1109/MSP.2005.22
- Acquisti, A., Brandimarte, L., & Loewenstein, G. (2016). Privacy and human behavior in the age of information. Science, 347(6221), 509–514. https://doi.org/10.1126/science.aaa1465
- Andrejevic, M. (2007). iSpy: Surveillance and power in the interactive era. University Press of Kansas.
- Barnes, S. B. (2006). A privacy paradox: Social networking in the United States. First Monday, 11(9). https://doi.org/10.5210/fm.v11i9.1394
- Bawden, D., & Robinson, L. (2009). The dark side of information: Overload, anxiety and other paradoxes and pathologies. Journal of Information Science, 35(2), 180–191. https://doi.org/10.1177/0165551508095781
- Bhaskar, R. (1978). A realist theory of science. Harvester Press.
- Brandimarte, L., Acquisti, A., & Loewenstein, G. (2013). Misplaced confidences: Privacy and the control paradox. Social Psychological and Personality Science, 4(3), 340–347. https://doi.org/10.1177/1948550612455931
- Chae, M., & Kim, J. (2004). Do size and structure matter to mobile users? An empirical study of the effects of screen size, information structure, and task complexity on user activities with standard web phones. Behaviour & Information Technology, 23(3), 165–181. https://doi.org/10.1080/01449290410001669923
- Cho, C.-H., & Cheon, H. J. (2004). Why do people avoid advertising on the internet? Journal of Advertising, 33(4), 89–97. https://doi.org/10.1080/00913367.2004.10639175
- Close, A. G., & Kukar-Kinney, M. (2010). Beyond buying: Motivations behind consumers' online shopping cart use. Journal of Business Research, 63(9–10), 986–992. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.01.022
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE.
- Dawson, S., & Kim, M. (2009). External and internal trigger cues of impulse buying online. Direct Marketing: An International Journal, 3(1), 20–34. https://doi.org/10.1108/17505930910945714
- de Certeau, M. (1984). The practice of everyday life. University of California Press.
- Dienlin, T., & Trepte, S. (2015). Is the privacy paradox a relic of the past? An in-depth analysis of privacy attitudes and privacy behaviors. European Journal of Social Psychology, 45(3), 285–297. https://doi.org/10.1002/ejsp.2049
- Eppler, M. J., & Mengis, J. (2004). The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines. The Information Society, 20(5), 325–344. https://doi.org/10.1080/01972240490507974
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 80–92.
- Groß, M. (2015). Exploring the acceptance of technology for mobile shopping: An empirical investigation among Smartphone users. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 25(3), 215–235. https://doi.org/10.1080/09593969.2014.988280
- Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000). When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing? Journal of Personality and

Social Psychology, 79(6), 995–1006. https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.6.995

- Jacoby, J. (1984). Perspectives on information overload. Journal of Consumer Research, 10(4), 432–435. https://doi.org/10.1086/208981
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14–26.
- Kokolakis, S. (2017). Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon. Computers & Security, 64, 122–134. https://doi.org/10.1016/j.cose.2015.07.002
- Kukar-Kinney, M., & Close, A. G. (2010). The determinants of consumers' online shopping cart abandonment. Journal of the Academy of Marketing Science, 38(2), 240–250. https://doi.org/10.1007/s11747-009-0141-5
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE.
- Lutz, C., & Newlands, G. (2018). Consumer segmentation within the sharing economy: The case of Airbnb. Journal of Business Research, 88, 187–196. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.019
- Malhotra, N. K. (1982). Information load and consumer decision making. Journal of Consumer Research, 8(4), 419–430. https://doi.org/10.1086/208882
- Mudambi, S. M., & Schuff, D. (2010). What makes a helpful online review? A study of customer reviews on Amazon.com. MIS Quarterly, 34(1), 185–200. https://doi.org/10.2307/20721420
- Nissenbaum, H. (2010). Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life. Stanford Law Books.
- Norberg, P. A., Horne, D. R., & Horne, D. A. (2007). The privacy paradox. Journal of Consumer Affairs, 41(1), 100–126. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2006.00070.x
- Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. Journal of Marketing Research, 17(4), 460–469. https://doi.org/10.1177/002224378001700405
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods (4th ed.). SAGE.
- Payne, J. W., Bettman, J. R., & Johnson, E. J. (1993). The adaptive decision maker. Cambridge University Press.
- Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. Journal of Psychology, 91(1), 93–114. https://doi.org/10.1080/00223980.1975.9915803
- Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer Research, 14(2), 189–199. https://doi.org/10.1086/209105
- Schwartz, B. (2004). The paradox of choice: Why more is less. Ecco Press.
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99–118. https://doi.org/10.2307/1884852
- Smith, H. J., Dinev, T., & Xu, H. (2011). Information privacy research: An interdisciplinary review. MIS Quarterly, 35(4), 989–1016. https://doi.org/10.2307/41409970
- Stern, H. (1962). The significance of impulse buying today. Journal of Marketing, 26(2), 59–62. https://doi.org/10.1177/002224296202600212
- Swar, B., Hameed, T., & Reychav, I. (2017). Information overload, psychological ill-being, and behavioral intention to continue online healthcare information search. Computers in Human Behavior, 70, 416–425. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.068
- Turow, J. (2011). The daily you: How the new advertising industry is defining your identity and your worth. Yale University Press.
- Turow, J., King, J., Hoofnagle, C. J., Bleakley, A., & Hennessy, M. (2009). Americans reject tailored advertising and three activities that enable it. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.1478214
- Van der Nagel, E. (2017). Networks that work too well: Intervening in algorithmic connections. Media International Australia, 168(1), 81–92. https://doi.org/10.1177/1329878X17727735
- van Dijck, J. (2013). The culture of connectivity: A critical history of social media. Oxford University Press.
- Watson, C., McCarthy, J., & Rowley, J. (2013). Consumer attitudes towards mobile marketing in the smart phone era. International Journal of Information Management, 33(5), 840–849. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.06.004
- Youn, S. (2009). Determinants of online privacy concern and its influence on privacy protection behaviors among young adolescents. Journal of Consumer Affairs, 43(3), 389–418. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2009.01146.x
- Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 10th March 2026 **Paper Accepted : 15th March 2026**

राम-राज्य के आदर्श : एक विमर्श

□ डॉ. सन्दीप कुमार तिवारी*

शोध-सारांश

रामराज्य भारतीय समाज की सर्वोच्च शासन व्यवस्था और आदर्श जीवन–मूल्यों प्रतीक है। अयोध्यापति राम का शासन केवल राजनीतिक शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म, न्याय, सामाजिक समरसता और करुणा पर आधारित शासन का आदर्श रूप था। राम–राज्य नैतिक मानवीय उत्कर्ष पर आधारित आदर्श–राज्य पर्याय बन गया जहाँ वैर–विग्रह नहीं, समन्वय और सामंजस्य का साम्राज्य था। ऋतु चक्र विपर्यय नहीं था। रामराज्य में न समय से पहले मृत्यु होती थी, न कोई रोग, न ही किसी को भय या दुःख था। समृद्धि व धर्म का पालन सहज रूप से होता था। राजा और प्रजा के बीच प्रेम, विश्वास और उत्तरदायित्व की भावना थी।

रामराज्य में दण्ड संहिता अप्रासांगिक हो गई थी और दण्ड केवल दण्डी सन्यासियों के हाथ विरजता था।

राजद्वार, चौराहे, गलियां और बाजार पूर्णतः स्वच्छ, प्रकाशित, आकर्षित तथा दीप्तिमान रहते थे। राम–राज्य का यह आदर्श आज भी शासन और समाज के लिए प्रेरणा–स्रोत है। यह दर्शाता है कि जब शासक धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण, न्यायप्रिय, जनकल्याण के प्रति समर्पित, शक्ति –सम्पन्न और सहृदय हो तभी 'सुखी–राज्य' की स्थापना की होती है।

मुख्य शब्द– रामराज्य, प्रजा की समृद्धि, कृषि तथा ऋतु संतुलन, जल–व्यवस्था, हाट व्यवस्था पर्यावरण चेतना, समरसता की दृष्टि से रामराज्य, राष्ट्र कल्याण की भावना, अशोक, आध्यात्मिक मूल्य।

भारत भूमि में अनेक राज्य प्रतिष्ठापित हुए अनेक धर्मनिष्ठ राजाओं का राज्य रहा किन्तु सतयुग से लेकर कलयुग तक सुराज्य के विषय पर यदि किसी राज्य को याद किया जाता है या आदर्श राज्य की उपाधि से विभूषित किया जाता है तो वो है ''राम का राज्य'' अथवा राज्य रामराज्य। रामराज्य और श्रेष्ठ सुराज्य एक दूसरे के पर्यायवाची हो गये। कितने कवि, लेखक, विचारक, आलोचक हुए पर रामराज्य व श्रेष्ठ आदर्श सुराज्य में अन्तर नहीं कर पाये।

संस्कृत कवि एवं नाटककार भवभूतिजी भी राम–राज्य में राजा राम का संकल्प, राम का

* सहायक प्राध्यापक, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

चिन्तन, राम का महान् व्रत प्रजानुरंजन ही है ऐसा मानते हैं। उत्तररामचरितम् में श्रीरामचन्द्रजी दिव्यादिव्य धीरोदात्त नायक हैं। राम आदर्श राजा हैं। वे लोकरंजन के लिए स्नेह, दया, सौख्य और यहाँ तक की जो उनके गृह की लक्ष्मी, नयनों की अमृत शलाका थी उस प्राणप्रिया जानकी को भी वन में निर्वासित कर स्वयं को एक तपस्वी राजा बना, प्रजाकल्याण का व्रत लेकर अहर्निशम् पालन करना आदर्श राज्य का एक उदाहरण है।

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा1

राम सचेत शासक तो थे ही पर उन्होंने स्वयं अपने चरित्र के माध्यम से परिवार व समाज से पहले 'राष्ट्र प्रथम' की प्रेरणा और भाव अपनी प्रजा में जागृत किया।

रामराज्य अथवा आदर्श राज्य के रूप प्रजा की समृद्धि– श्रीरामचरितमानस में गोस्वामि तुलसीदासजी लिखते है।

राम राज बैठे त्रैलोका।
हरषित भए गए सब शोका।।[2]
बयस न कर काहू सन कोई।
राम प्रताप विषमता खोई।।[3]
दैहिक दैविक भौतिक तापा।
रामराज नहिं काहुहि ब्यापा।।[4]
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना।
नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।[5]
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी।
सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी।।[6]
राम राज नभगेस सुनु,
सचराचर जग माहिं।
काल कर्म सुभाव गुन,
कृत दुःख काहुहि नाहिं।।[7]

वाल्मीकि रामायण में भरतजी रामराज्य का वर्णन करते हुए कहते है कि जबसे श्रीराम राजा हुए सभी निरोगी और हृष्ट–पुष्ट हैं। मेघ वर्षा अमृत के समान व समय पर होती है, शीतल, सुखद, समीर बहती, नगर तथा जनपद के लोग कहते चिरकाल तक हमारे नरेश्वर श्रीराम।

हर्षश्चाम्यधिको राजञ्जनस्य पुरवासिनः।
काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः।।[8]
वाताश्चापि प्रवान्त्येते स्वर्शयुक्ताः सुखाः शिवाः।
ईदृशो नश्चिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः।।[9]

कृषि तथा ऋतु संतुलन

रामराज्य में पृथ्वी शस्य स्यामला रहती थी। पर्वत अनेक प्रकार की मणियों को प्रदान करते थे। मेघ समयानुसार व आवश्यकतानुसार वृष्टि करते थे। सूर्य–शशि भी आवश्यकतानुसार ताप व शीतलता प्रदान करते थे।

राघवे भाासति भुवं लोकनाथे रमापतौ।
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः।।[10]

ब्रह्माण्डपुराण का यह श्लोक जिसमें महादेवजी पार्वती से कहते है लोकनाथ रमापति के राज्य में धरती धनधान्य से समृद्ध और वृक्षादि फलों से पूर्ण है। ऋतुचक्र में विपर्यय नहीं था।

मांगे वारिद देहिं जल, रामचन्द्र के राज।[11]

वाल्मीकि जी भी लिखते है–

नित्यमूला नित्यफलास्तरवस्तत्र पुष्पिताः।
कामवर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः।।12

अर्थात् राम–राज्य में वृक्ष सदा पुष्पों से भरे रहते वे सदा फलते। उनकी डालियां विस्तृत हुआ करती थी। यथासमय वृष्टि होती और सुखस्पृशी वायु चला करती थी।

पक्वसस्या वसुमती सर्वौषधिसमन्विता।।[13]

जल व्यवस्था

राम–राज्य में जल निर्मल, स्वच्छ तथा शुद्ध रहता था, नदी, सरोवरों तथा कूपों में घाट, सुन्दर सीढ़िया बनी हुई थी, उत्तम व्यवस्था थी। पशुओं हेतु नगर से दूर प्रथक घाट, नागरिकों के पीने हेतु प्रथक घाट थे, जहाँ कोई स्नान नहीं करता था।

उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जब गंभीर।
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर।।[14]
दूरि फराक रुचिर सो घाटा।
जहँ जल पिअहिं बाजि गज ठाटा।।[15]
पनिघट परम मनोहर नाना।

तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना।।[16]

अयोध्यापुरी की बावड़ियों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी लिखते हैं–

माणिक्यकृतसोपानाः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः।
फुल्लपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः ।।[17]

बावडियों में माणिक्य की सीढ़िया बनी थी। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर पुष्पित कमल व कुमुदों के समूह शोभा पाते थे, चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ाते थे।

हाट व्यवस्था

बाजार व्यवस्था उच्च कोटि की थी। व्यापारी कुबेरवत सम्पन्न व सत्यवादी थे। वस्तुओं पर न अधिक लाभ लेते थे न मोलभाव होता था। बाजार व्यवस्था आकर्षक थी।

बाजार रुचिर न बनइ बरनत।
वस्तु बिनु गथ पाइए।।[18]

पर्यावरण चेतना

रामराज्य में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन का भी वर्णन मिलता है।

सुमन वाटिका सबहिं लगाई।
बिबिध भाँति करि जतन बनाई।।[19]
लता ललित बहु जाति सुहाई।
फूलहिं सदा बसन्त कि नाई।।20
बहु रंग कंज अनेक खग,
कूजहिं मधुप गुंजारहीं।[21]
अयोध्यावासी ''वायुः प्राणः सुखं
वायु.ः, वायुः सर्वमिदं जगत्''।

इस उक्ति का पालन कर पर्यावरण के प्रति सचेत थे इसलिए तुलसी कहते हैं–

गुंजत मधुकर मुखर मनोहर।
मारुत त्रिबिध सदा बह सुन्दर।।[22]

पक्षी प्रेम

रामराज्य में मानव, पशु, खग, तरु, गिरि व सरिताओं में भी ब्रह्म का स्थान मानकर पक्षी भी स्वतंत्र और निर्भय थे। निर्भय होने के कारण वे मनुष्य समुदाय से दूर भी नहीं थे, उन्हे सुसंस्कारित किये जाने का उदाहरण श्रीरामचरित मानस में मिलता है।

सुक सारिका पढ़ावहि बालक।
कहहु राम रघुपति जनपालक।।[23]

राजा–प्रजा संबंध

श्रीराम जनसभाओं या ज्ञानसभाओं में जब नीतिपूर्ण ज्ञानमय शिक्षा देते हैं तो करबद्ध हो देते हैं जैसे राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र हो। वैसे तो प्रजातंत्र में भी सत्ता को रोकना तो दूर टोकना भी कठिन है। पर रामराज्य में जनता को पूर्ण अधिकार था कि वो बिना भय अपनी बात कह सकें। रामजी कहते हैं–

जौं अनीति कछु भाशौं भाई।
तौ मोहि बरजू भय बिसराई।।[24]

समरसता की दृष्टि से रामराज्य

रामराज्य में पारस्परिक द्वेषभाव का अभाव केवल मानव जाति नहीं वरन् हाथी–शेर जैसे वनचर से लेकर पक्षियों के झुण्ड भी निर्भय हैं उन्हे शिकारियों का भय नहीं था।

खग मृग सहज बयरु बिसराई।
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई।।[25]
कूजहिं खग मृग नाना वृंदा।
अभय चरहि बन करहि अनंदा।।[26]

आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारही
सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत्।
राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम्।।[27]

प्रेम और सौहार्द

राजा बनने के बाद भी राम की उदारता के उदाहरण यत्र–तत्र सर्वत्र दिखाई है। वनवासकाल के मित्र विभीषण, सुग्रीव, अंगदादि को समीप बैठाकर कहते है।

अनुज राज संपति वैदेहि, देह गेह परिवार सनेहि।
सब मम प्रिय नहि तुम्हहि समाना।
मृषा न कहउँ मोर यह बाना।।[28]

यहाँ उस राज्य संपत्ति को नल, नील, सुग्रीव जाम्बवान, विभीषणादि के सम्मुख नगण्य माना जिसकी या कामना देवता भी करते हैं।

व्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित–राज्य–लक्ष्मीम्।
धर्मिष्ठ आर्य वचसा यादगाद्–अरण्यम्।।[29]

राष्ट्र कल्याण की भावना

राम–राज्य में राजा–प्रजा सभी कर्तव्यनिष्ठ–धर्मनिष्ठ है। केवल स्वइच्छा या किसी अन्य द्वारा प्रेरित किए जाने से नहीं अपितु राष्ट्र कल्याण की भावना से स्वकर्तव्यों का निर्वहन करते थे। उस समय 'करहुँ जाई जा कहूँ जो भाव' नहीं था बल्कि धर्म, अध्ययन, कर्तव्य, राजा और राज्य के प्रति स्वदायित्व बोध के अनुसार प्रजा कर्मरत थी। अवध ापुरवासियों की सुख संपदा व गुणों का वर्णन करने में तुलसीदासजी स्वयं को असमर्थ बताते हुए कहते है कि सहस्त्र शेष भी अयोध्यापुरवासियों की प्रसन्नता व सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते।

बांग्ला भाषा में रचित कृत्तिवास रामायण जो श्रीरामचरितमानस से एकशती पूर्व की रचना हैं में प्रजा का स्वभाव कुछ ऐसा लिखा–

राम–राज्ये केह कारे नाहि करे हिंसा।[30]

अर्थात् राम–राज्य में कोई किसी से ईर्ष्या, या हिंसा नहीं करता। इसी प्रकार का उदाहरण दोहावली में है–

राम राज राजत सकल, धरम निरत नर नारि।
राग न रोश न दोष दुःख, सुलभ पदारथ चारि।।[31]
कोपें सोच न पोचकर करीअ निहोर न काज।
तुलसी परमिति प्रीति की रीति राम के राज।।[32]

यह दोहा श्रीरामराज्य में प्रेम की पराकाष्ठा राज्य के प्रति समर्पण प्रकट करता हैं कि यदि कोई क्रोधित भी हो जाता था तब भी उसकी चिन्ता या अपकार नहीं करता था कि अब उसका काम उसके द्वारा नहीं किया जायेगा क्योंकि राज्य में एक दूसरे का कार्य या सहायता प्रेम व बिना प्रदर्शन के करते थे।

इसीलिए वाल्मीकिजी लिखते है –

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राः लोभविवर्जिताः।[33]

वाल्मीकि के समान तुलसी भी राम–राज्य का वर्णन करते हुए लिखते है।

बरनाश्रम निज–निजधरम निरत बेद पथ लोग।
चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय सोक न रोग।।[34]

महाभारत के हरिवंश पुराण में रामराज्य–

नाश्रूयन्ताशुमा वाचो नाकुलं मारुतो ववौ।
न वित्तहरणं त्वासीद् रामे राज्यं प्रशासति।।[35]

महाभारत के इस श्लोक में कही अशुभ समाचार का न सुना जाना, कोई किसी का धन अपहरण नहीं करता ये तो प्रजा के नैतिक मूल्यों या आचरण के बिना किसी भी राज्य में सम्भव नहीं, वायु का प्रचण्ड वेग से न चलने का श्रेय भी राजा और प्रजा दोनों की राष्ट्र कल्याण की भावना जिसमें पर्यावरण का दोहन न कर सम्पोषण किया गया जिससे प्रकृति कठोर शिक्षा न दे

अभय वरदान देती हैं।

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन।36

अशोक– राम राज्य शोक रहित राज्य है।

ज्येष्ठ सत्वे कनिष्ठेर नाहिक मरण।[37]
राम–राज्ये शोक नाहि जाने कोन जना।
'राम–राज्य' बलि लोके हइल घोषणा।।[38]

पं. कृत्तिवास लिखते हैं राम–राज्य में ज्येष्ठ के रहते कनिष्ठ की कभी मृत्यु नहीं हुई। जब से राम–राज्य की घोषणा हुई किसी को भी शोक का अनुभव नहीं हुआ।

हरषित रहहिं नगर के लोगा।
करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा।।[39]
पर्यदेवन्न विधवा नानर्थश्चावंस्तदा।
सर्वमासीज्जगद् दान्तं रामे राज्यं प्रशासति।।[40]
न–प्राणिनां भयं चापि जलानलनिधातजम्।
न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते।।[41]

श्रीराम के शासन में कभी विधवाओं का करुण क्रन्दन नहीं सुना गया। कही भी अनर्थपूर्ण घटनाएं घटित नहीं हुई सम्पूर्ण राज्य की प्रजा विनीत व अनुशासित थी।

कुछ यही भाव लेकर वाल्मीकि जी राम–राज्य शोक रहित था लिखते है –

न पर्यदेवन विधवा न च व्यालकृतं भयम्।
न व्याधिजं भयं चासीद् रामे राज्यं प्रशासति।।[42]
निर्दुस्युरभवल्लोको नानर्थ कश्चिदस्पृर्शत्।

न स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते।।[43]
न बालो म्रियते तत्र न युवा न च मध्यमः।।[44]

ब्रह्माण्ड पुराण में महादेवजी पार्वतीजी को–रामकथा सुनाते हुए कहते है कि रामराज्य में किसी को भी पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था अर्थात् पूर्णायु पर ही मृत्यु आती थी।

नापश्यत्पुत्रमरणं कश्चिद्राजनि राघवे।।[45]

श्रीवाल्मीकि रामायण में भरतजी राम–राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं।

जीर्णानामपि सत्वानां मृत्युर्नायाति राघव।
अरोगप्रसवा नार्यो वपुष्मन्तो हि मानवाः।।[46]

आध्यात्मिक मूल्य

सबके गृह–गृह होहिं पुराना।।

रामराज्य केवल आदर्श शासन का प्रतीक नहीं अपितु धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक राज्यव्यवस्था का भी प्रतिरूप था। श्रीराम के शासन में धर्म ही शासन का आधार था। राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक अपने कर्त्तव्य का पालन प्रसन्नता पूर्वक सत्य, न्याय तथा करुणा को सर्वोच्च स्थान भगवद्–भक्ति देकर भगवद्–स्मरण, करते हुए करता था श्रीरामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं–

चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति।[47]

श्रीमदध्यात्मरामायण में भी–

जनाः धर्मपराः सर्वे पतिभक्तिपराः स्त्रियः।[48]

अर्थात् सभी जन धर्मपरायण और स्त्रियां पतिसेवा में तत्पर थी।

धर्मेण शासितं सर्वं न च बाधा विधीयते।[49]

सम्पूर्ण राज्य में धर्म का ही शासन हैं कहीं कोई बाधा नहीं।

किसी राज्य में केवल राजा नीति निपुण या धर्मज्ञ, वीर, कर्तव्यनिष्ट होना मात्र आदर्श राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक प्रजा भी वैसी न हो। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम–राज्य अपराध शून्य हैं इसलिए दण्ड शब्द का प्रयोग केवल सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाले दण्ड (डण्डे) के लिए होता है। भेद शब्द का प्रयोग संगीत की ताल या सुर भेद के लिए। शत्रु पर विजय प्राप्ति हेतु साम, दाम दण्ड, भेद जैसे उपाय की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि शत्रु भाव था ही नहीं इसलिए जीत का अर्थ मन को जीतने (आत्म–नियंत्रण) के संदर्भ में होता था।

दण्ड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज।
जीतहु मनाही सुनीअ अस रामचन्द्र के राज।।[50]

राम–राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। दान व भोज का कार्य व उपदेश सर्वदा सर्वत्र श्रवणागोचर होते थे।

ऋक्सामयजुषां घोषो ज्याघोषश्च महात्मनः।
अत्युच्छिन्नोऽभवद्राज्ये दीयतां भुज्यतामिति।।[51]

निष्कर्ष

विभिन्न हिन्दू ग्रन्थों में वर्णित रामराज्य केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक शासन नहीं, बल्कि आदर्श समाज और शासन शाश्वत कल्पना की है। राजा राम द्वारा स्थापित आदर्श न्यायपूर्ण और समृद्ध शासन प्रणाली है। दर्शाता है कि जब शासन, धर्म, और करुणा के सिद्धांतों आधारित होता है, तब प्रजा सुखी और राज्य समृद्ध होता है। भौतिक सुख–सुविधाओं के साथ पर्यावरण एवं विचारों की भी शुद्धि है।

रामराज्य में शासन व्यवस्था और नैतिक मूल्य एक–दूसरे के पूरक थे। राजा धर्म का पालन करता था और प्रजा अनुकरण।

राम का नैतिक चरित्र व राजनीतिक ज्ञान कितना अनुपम था इसका प्रमाण कृत्तिवास रामायण (बांग्ला रामायण) में राम के राजा बनने के पूर्व उनके सबसे बड़े शत्रु रावण द्वारा प्रशंसा से ''कौन नीति संसारेते राम अगोचर'' से समझा जा सकता है।

राम–राज्य का आदर्श केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं अपितु सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक दृष्टि से भी अनुकरणीय है। यदि आधुनिक समाज और शासन रामराज्य के आदर्श सिद्धांतों, का अनुसरण करें तो निःसंदेह न्याय, शांति और सद्भाव से परिपूर्ण समाज की स्थापना अवश्यंभावी होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उत्तररामचरितम् / 1 / 12
2. श्रीरामचरितमानस / 7 / 20
3. श्रीरामचरितमानस / उ.का.
4. श्रीरामचरितमानस / 7 / 20 / 1
5. श्रीरामचरितमानस / 7 / 20 / 5
6. श्रीरामचरितमानस / 7 / 20 / 8
7. श्रीरामचरितमानस / 7 / 21
8. श्रीमद् वाल्मीकि रामायण / 20 / 7 / 41 / 20
9. श्रीमद् वाल्मीकि रामायण / 20 / 7 / 41 / 21
10. अध्यात्मरामायण / उत्तरकाण्ड 4 / 21
11. श्रीरामचरित मानस / 7 / 23
12. श्रीमद्वाल्मीकि रामायण / 6 / 128 / 103
13. श्रीमद्वाल्मीकि रामायण / 6 / 128 / 104
14. श्रीरामचरित मानस / 7 / 28
15. श्रीरामचरित मानस / 7 / 28 / 1–2
16. श्रीरामचरित मानस / 7 / 28 / 1–2
17. श्रीमद्वाल्मीकि रामायण / 7 / 42 / 11
18. श्रीरामचरितमानस / 7 / 27 / छ
19. श्रीरामचरितमानस / 7 / 27 / 1
20. श्रीरामचरितमानस / 7 / 27 / 2
21. श्रीरामचरितमानस / छ / 728 / छ
22. श्रीरामचरितमानस / 7 / 28 / 7
23. श्रीरामचरितमानस / 7 / 42 / 6
24. श्रीरामचरितमानस / 7 / 231 / 3
25. श्रीरामचरितमानस / 7 / 22 / 3
26. श्रीरामचरितमानस
27. श्रीमद्वाल्मीकि रामायण / 6 / 128 / 100
28. श्रीरामचरितमानस
29. श्रीमद्भागवत / 11 / 5 / 34
30. कृत्तिवास रामायण (बांग्ला) / लंकाकाण्ड – 34
31. दोहावली / 182
32. दोहावली / 186
33. श्रीवाल्मीकि रामायण / 6 / 128 / 104
34. श्रीरामचरितमानस / 7 / 20
35. श्रीमहाभारते खिलभागे / 41 / 142
36. श्रीरामचरितमानस / 7 / 22 / 1
37. कृत्तिवास रामायण (बांग्ला) / लंकाकाण्ड – 34
38. कृत्तिवास रामायण (बांग्ला) / लंकाकाण्ड – 34
39. श्रीरामचरितमानस / 7 / 24 / 4
40. श्रीमहाभारते खिलभागे / 41 / 143
41. श्री महाभारते खिलभागे / 41 / 144
42. श्रीमद्वाल्मीकि रामायण / 6 / 128 / 98
43. श्रीमद्वाल्मीकि रामायण / 6 / 128 / 99
44. श्रीमद्वाल्मीकि रामायण / 6 / 128 / 98
45. ब्रह्माण्ड पुराण (अध्यात्म रामायण) / 7 / 4 / 22
46. श्रीवाल्मीकि रामायण / 7 / 41 / 19
47. श्रीरामचरित मानस / 7 / 20 / 2
48. श्रीमद्ध्यात्म रामायण / 7 / 4 / 22
49. श्री वाल्मीकि रामायण / 7 / 22
50. श्रीरामचरितमानस / 7 / 22
51. महाभारते हरिवंश पर्व / 41 / 152

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 10th March 2026   Paper Accepted : 15th March 2026

वेदों में वर्णित स्थापत्य कला

□ डॉ. सूर्यनारायण गौतम*
□ लालबहादुर राहगडाले**

शोध-सारांश

ज्ञानार्थक विद् धातु के चार अर्थ हैं– विद् ज्ञाने, विद् विचारणे, विद्लृ लाभे, विद् सत्तायाम्। इसका आशय है ज्ञान प्राप्त करना, प्राप्त ज्ञान पर विचार करना, चिन्तन के उपरान्त लाभ प्राप्त करना तथा स्थायित्व प्राप्त करना, अर्थात् स्थिर होना है। वेद का स्वरूप चार संहितात्मक है, जो कर्म, ज्ञान, उपासना और विज्ञान नामक काण्डों के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी वैदिक संहिताओं में मानव जीवन से संबद्ध समस्त आयामों पर विचार मंथन उपलब्ध है। वेदों का महत्व इसलिए नहीं है कि, वे बहुत प्राचीन हैं बल्कि उनका महत्व इसलिए है कि, मानव जीवन के लिए जिन्हें आदिमकाल में उपयोगी माना गया था वे आज भी उसी तरह उपयोगी हैं। प्रस्तुत शोध आलेख वेदों में वर्णित स्थापत्य कला को उद्घाटित करता है।

मुख्य शब्द– वेद, स्थापत्यकला।

चारों वैदिक संहिताओं में मानव जीवनोपयोगी रीतियों, नीतियों, अध्यात्म्य के साथ समस्त संसाधान विषयक ज्ञान के सूत्र उपलब्ध हैं। जिनके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि, वेद मानव की आदिम सभ्यता के महान ग्रन्थ हैं। वेदों में वास्तुकला का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि, वेदकाल में मानव जीवन अति उन्नत था। उस काल की स्थापत्यकला में विशाल भवन, लोह निर्मित नगर, पाषाण निर्मित नगर, वातानुकूलित भवन, शाला निर्माण आदि का वर्णन उपलब्ध होता है। प्रस्तूयमान शोध में वास्तु संबंधित विषयों का अध्ययन मिम्न प्रकार है–

विशाल भवन

ऋग्वेद का वास्तुकला विषयक अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि राजा मित्र और वरुण के राजद्वार में हजार खंभे थे। जैसे– राजानौ.......... ध्रुवे सदस्युत्तमे। सहस्रस्थूण आसाते।[1] राजद्वार या सभागृह के लिए मंत्र में सदस् शब्द उपलब्ध है। एक अन्य मंत्र में भी 'सहस्रस्थूणम्'[2] 'हजार खम्भे वाला घर' का उल्लेख है। ऋग्वेद के एक मंत्र में घर तथा दूसरे मन्त्र में राजा वरुण के हजार द्वार वाले बड़े महल का उल्लेख है–

बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते।[3]

* प्रोफेसर (संस्कृत–विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश
** शोधार्थी (संस्कृत–विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

मंत्र में 'बृहन्तं मानम्' के द्वारा विशाल परिमाण वाले भवन को सूचित किया गया है। ऋग्वेद में त्रिधातु अर्थात् तिमंजिले (त्रिभूमिक) भवन का उल्लेख है। ऐसे भवन की विशेषता यह बताई गई है कि ऐसा भवन भद्र (सुखद) और अनातुरम् (किसी प्रकार के रोगाणु से रहित) हो। इसमें सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो–

यद्भद्रं यदनातुरम्।
त्रिधातुं यद्वरूथ्यम्।[4]

ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में त्रिधातु (तिमंजिले) भवन की विशेषताएँ बताते हुए कहा गया है कि वह भवन त्रिवरूथ हो, उसमें तीन प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, अर्थात् गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों ऋतुओं में उसमें सुरक्षित होकर रह सकें। स्वस्तिमत् का अभिप्राय है कल्याणकारी, ऐसा कि वह सभी सुविधाओं से युक्त हो। साथ ही उसकी छत (छर्दि) ऊँची हो–

इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्।
छर्दिर्यच्छ मघवद्भ्यः।।[5]

पाषाण निर्मित नगर

वेदकाल में पत्थर से निर्मित भवनों का वर्णन भी उपलब्ध होता है। एक वृतान्त है कि, इन्द्र ने भक्त दिवोदास को सौ संख्या से युक्त पत्थरों के नगर दिए थे –शतमस्मान्नम्येनं पुरमिन्द्रो व्यासस्यत्।[6]

वातानुकूलित भवन

अथर्ववेद और यजुर्वेद में वातानुकूलित भवन का वर्णन किया गया है। जिसकी विधि कथन करते हुए कहा गया है कि भवन के चारों ओर बर्फ की पतली परत लगाई जाए। बड़े तालाब के बीच में ऐसा भवन बनाया जाए जिसके बाहर सुन्दर घास का मैदान हो और तालाबमें कमल खिले हों। घर के द्वार समानदिशा में हों, जिससे वायु का अबाध प्रवेश हो। ऐसे भवन में ठंड से बचने के लिए अग्नि की भी व्यवस्था हो।

अयने ते परायणे दूर्वा रोहतु पुष्पिणीः।
मध्ये ह्रदयस्य नो गृहः पराचीन मुख कृधि।
हिमस्य त्वा जरायुना शैले परि व्ययामसि।
शीतह्रदा हि नो भुवोऽग्निष्कृणोतु भेषजम्।।[7]

यजुर्वेद में भी इसी प्रकार के वातानुकूलित भवन और उसमें तालाब बनाने का उल्लेख है।[8] ऋग्वेद में भी इसी प्रकार सुन्दर भवन में बड़े जलाशय और सुन्दर दूब वाले मैदान के होने का उल्लेख है। साथ ही समुद्र के किनारे भवन बनाने का भी वर्णन है।

अयने ते परायणे, दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः।
ह्रदयश्च पुण्डरीकानि, समुद्रस्य गृह इमे।।[9]

शालानिर्माण

अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त गृह–निर्माण विषयक है। इसमें मकान के बनाने, कमरों की व्यवस्था, आँगन आदि का उल्लेख है। दो कमरे से लेकर दस कमरे वाले भवन के निर्माण का उल्लेख है। किस–किस कार्य के लिए कौन से कमरे हों, इसका भी संकेत है। द्वार, खिड़कियाँ, छत आदि कैसी हों, इसका भी वर्णन है।

अथर्ववेद ने इस बात पर बल दिया है कि मकान नक्शे के अनुसार बनाया जाय। विशेषज्ञों के द्वारा नक्शा बनवाया जाय और नक्शे में निर्दिष्ट लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई आदि का पूरा ध्यान रखा जाय। अथर्ववेद में उपमित भवन (नक्शे के अनुसार) हो। यह प्रतिमित हो अर्थात् इसका नापतोल सर्वथा ठीक हो जैसे कि, भवन का वनज, उसकी उंचाई, चौडाई आदि। यह परिमित हो अर्थात् इसके खंभे, द्वार, खिड़कियाँ आदि यथास्थान लगाये गए हों। इसके जोड़ सुदृढ़ हों। यह विश्ववार हो अर्थात् सर्वसुविधायुक्त हो।

उपमितां प्रतिमितामतो परिमितामुत।
शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि वृतामस्ति।।[10]

भवन का नक्शा किसी ब्रह्मा (विद्वान् या इंजोनियर) से बनवाया जाय और कुशल कारीगर द्वारा ठीक नाप से भवन का निर्माण कराया जाय। मंत्र में मित और निर्मित शब्द ठीक नाप से भवन–निर्माण के द्योतक हैं–**ब्राह्मण शालां निर्मितां कविभिर्निर्मितां मितम्।**[11] मकान में कितने कमरे हों? इस विषय में उल्लेख है कि

आवश्यकतानुसार 2 कमरे से लेकर 10 कमरे वाला मकान बनवाया जाय–

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा ....
अष्टपक्षां दशपक्षां शालां मनस्य पत्नीम्।[12]

घर में दो, चार, छह, आठ या दस कमरे हों। मंत्र में मानपति शब्द नक्शा बनाने वाले इंजीनियर के लिए है। इंजीनियर को 'सूत्रधार' भी कहते हैं, क्योंकि वह सूत्र (धागा या फीता) के द्वारा सब नाप करता है। मानपति द्वारा बनाई होने के कारण शाला को 'मानपत्नी' कहा गया है।

मकान की ऊँचाई के संबन्ध में मंत्र में कहा गया है कि वह ऊँचाई पर हो और ऊँचा हो। मकान के खंभों की आधारशिलाऊँची होनी चाहिए, जिससे बाहर काजल आदि अन्दर न जावे। इसी प्रकार छत, दरवाजे आदि ऊँचे होने चाहिएँ। जिससे शुद्ध वायु का अबाध प्रवेश हो सके। मंत्र का कथन है कि ऊँचाई वाला मकान शरीर और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।

शिवा मनस्य पत्नी न उद्धिता तन्वे भव।[13]

उद्भिता शब्द ऊँचाई के लिए है और ऐसे मकान को शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए शिव अर्थात् शुभ तथा हितकर बताया गया है।एक मंत्र में दरवाजे और खिड़कियों के लिए कहा गया है कि वे बड़े और अनेक हों। इनका लिंटर समान रेखा पर हो। साथ ही मकान को बाहर से सजाया गया हो–अक्षुमोपशं वितं सहस्त्राक्षं विशूवति।14ओपश शब्द सजावट और श्रृंगार के लिए है। विषूवत् शब्द समरेखा के लिए है। कमरों के विषय में कहा गया है कि मकान में एक कमरा राशन का सामान रखने के लिए चाहिए (हविर्धान)। एक कमरा रसोई के लिए और एक यज्ञशाला के लिए हो। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए अलग–अलग कमरे होने चाहिएँ। एक बैठक या ड्राइंग रूम चाहिए तथा एक अतिथि कक्ष भी होना चाहिए–

हविर्धानम् अग्निशालां पत्नीनां गृहं सदाः।
साधो देवानामसि देवी शैले।[15]

हविर्धान (राशन का कमरा), अग्निशाला (यज्ञशाला और रसोई), पत्नी–सदन (पत्नीकक्ष), सदस् (ड्राइंग रूम), देवसदन (अतिथि कक्ष)।एक मंत्र में कहा गया है कि घर के बाहर खुला मैदान होना चाहिए, जिसमें धूप आती हो। इसी मंत्र में यह भी कहा गया है कि मकान में एक सुदृढ़ कोषगृह भी हो, जहाँ आभूषण आदि सुरक्षित रखे जा सकें–

अंतरा द्यां च पृथिवीं च यद् विचः
तत् कृण्वेऽहमुदारं शेवधिभ्यः।[16]

वेदकाल में एक मंजिले ही नही बल्कि कई मंजिले मकानों के बनाने का उल्लेख है और इनके खंभों के लिए कहा गया है कि वे हाथी के पैर की तरह मजबूत हों, जिससे ऊपर की मंजिल का पूरा भार संभाल सकें–'कुलयेऽधि कुलायं, कोशे कोशः संयुक्तः'[17] मकान में अग्नि और जल की सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन पर ही घर की व्यवस्था निर्भर है।[18] साथ ही यह भी कहा गया है कि जल रोगाणु रहित, शुद्ध होना चाहिए अन्यथा दूषित जल से अनेक रोग उत्पन्न होंगे।19पशुओं की सुरक्षा के लिएगोशाला की भी व्यवस्था होनी चाहिएं।[20]

चल घर

अथर्ववेद में छोटे व हल्के मकानों के होने की बात की गई है, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जा सके। ये छोटे मकान आधुनिक टेंट या शेड जैसे हों, जिन्हें आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। मंत्र में यह बात कही गई है कि हम भवन के बन्धनों को न तोड़ें। उसका भार हलका हो जाय और वधू के तुल्य उसे इच्छानुसार दूसरे स्थान पर ले जा सकें।

मा नः पाशं प्रति मुचो, गुरुर्भारो लघुर्भव।
वधूमिव त्वा शाले, यत्रकामं भरामसि।।[21]

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि, स्थापत्य कला का उद्भव वेदकाल से ही आरंभ हुआ तथा उसी काल में विकसित व उन्नत रहा। आर्यावर्त में अनेक सभ्यताओं के आगमन स्परूप आवश्यकताओं

की वृद्धि हुई। भारतीय स्थापत्य कला विदेश तक गई तथा उस वातावरण में समाहित होती हुई किंचित रूप परिवर्तन कर व्याप्त हुई। यही कारण है कि, जितने अधिक प्राचीन दुर्ग, किले, कूप, सरोवर कुछ खण्डहर के रूप में तो कुछ अभी तक सुरक्षित व सुदृढ़ स्थिति में भारत में अवस्थित हैं उतना संसार के किसी भी देश में पुरातात्विक प्राचीनतम भवन अन्यत्र दुर्लभ हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद 2.41.5.
2. ऋग्वेद 5.6.2.6
3. ऋग्वेद 7.88.5
4. ऋग्वेद 8.47.5
5. ऋग्वेद 6.46.9
6. ऋग्वेद 4.30.20
7. अथर्ववेद 6.106.3, 1—3
8. शुक्ल यजुर्वेद 17.5 व 17.7
9. ऋग्वेद 10.142.8
10. अथर्ववेद म.3.
11. अथर्ववेद 9.3.1
12. अथर्ववेद.3.21
13. अथर्ववेद 9.3.6
14. अथर्ववेद 9.3.8
15. अथर्ववेद 9.3.7
16. अथर्ववेद 9.3.15
17. अथर्ववेद 9.3.20
18. अथर्ववेद 9.3.22
19. अथर्ववेद 93.23
20. अथर्ववेद 9.3.13
21. अथर्ववेद 9.3.24

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

Paper Received : 10th March 2026 **Paper Accepted : 15th March 2026**

रीवां संभाग में पर्यटन उद्योग के विविध आयाम एवं चुनौतियाँ

▫ डॉ. भावना साहू*
▫ सिद्धमुनि साकेत**

शोध-सारांश

पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन देश का वृहद सेवा उद्योग है। यह एक महत्वपूर्ण सेवा उन्मुखी क्षेत्रक है जो सकल राजस्व और विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से त्वरित विकास करता है। यह सेवा प्रदाताओं का सम्मिश्रण है। सरकारी और निजी दोनों की इसमें संयुक्त सेवा है जिसमें यात्रा एजेंट और संचालक, हवाई भूभाग और समुद्री परिवहन, गाइड होटलों के मालिक, अतिथि गृह, रेस्तरां, और दुकाने शामिल हैं। पर्यटन किसी देश में रहने वाले लोगों के जीवन–स्तर तथा रहन–सहन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाये जाने के साथ ही रोजगार–सृजन का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। पर्यटन से स्थानीय कर प्राप्तियों के रूप में अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।

विकास की गति के साथ यात्रा स्वरूप, अर्थ और उद्देश्य बदलता रहा है। सामान्य अर्थ में यात्रा से आशय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। तीर्थ, ज्ञान, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन आदि उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की परंपरा आदिकाल से चलती आई है। इसी परंपरा ने देशाटन की सोच को विकसित किया। जैसे–जैसे मानवीय सोच का विस्तार होता गया, यात्रा–वृत्ति को विकसित एवं परिवर्तित करते हुए 'पर्यटन' का नया रूप दिया जाने लगा।

भारतीय संदर्भ में बात करें तो इस बात से भला कोई कैसे इन्कार कर सकता है कि देशाटन सदैव से ही हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। देशाटन ने शनैः–शनैः पर्यटन का जो रूप ग्रहण किया, उसने यात्रा की हमारी पुरानी परंपरा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। आज पर्यटन का अर्थ सैर–सपाटे तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि, संस्कृति से जुड़ी ऐसी क्रिया है जिससे

* शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शा.ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, एम.ए., एम.फिल (अर्थशास्त्र), शा.ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.) मो.: 9589133798

स्वस्थ मनोरंजन तथा पारस्परिक एकता व सद्‌भाव को बढावा मिलता है। पर्यटन से न केवल मनुष्य की जानकारियों का दायरा विस्तृत होता है बल्कि अब यह उसके सर्वांगीण विकास का माध्यम बन चुका है। ऐसा नहीं है कि पर्यटन आधुनिक युग की उपज है। पाषाण काल से ही मनुष्य भोजन, आवास, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहा है। परन्तु आधुनिक काल मे पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। हालाँकि भारत में पर्यटन का उद्योग के रूप में विकास स्वतंत्रता के बाद ही आरंभ हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विन्ध्य की पहचान अपने प्राकृतिक सौन्दर्य, सभ्यता के अवशेषों, लोक–संस्कृति के विभिन्न रूपों, वास्तुशिल्प और धार्मिक स्थलों के कारण रही है। प्रकृति प्रदत्त सौदर्य को देखते हुए देश के मध्य उदय की भांति स्थित विंध्य प्रदेश को एक आदर्श और विकसित पर्यटन स्थल होना चाहिए था परन्तु किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका है।

मुख्य शब्द– पर्यटन, चलना, रूप, आयाम, चुनौतियाँ, विकास, समाज, रोजगार, अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में पर्यटन आदि काल से विद्यमान रहा है जिसकी प्रामाणिकता सांस्कृतिक धरोहरों साहित्यिक ग्रंथों एवं दर्शन आदि में देखी जा सकती है। किंतु इसका स्वरूप आज के पर्यटन से भिन्न था। हमारे प्राचीन ऋषियों एवं विद्वानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पर्यटन का ही पर्याय था। प्राचीन काल से ही भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। अतः भारतीय समाज मे तीर्थ का विशेष महत्व होना स्वाभाविक था। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे समाज में तीर्थ यात्रा का प्रचलन रहा है जिसे आधुनिक संदर्भ में धार्मिक पर्यटन की संज्ञा दी जाती है। हालाँकि उस दौर में परिवहन साधनों एवं सुविधाओं का अभाव था फिर भी तीर्थ–यात्रा होती थी।

आधुनिक समय में पर्यटन एक विस्तृत विचार है। देशाटन से प्रारंभ हुए पर्यटन के मायने अब बदल चुके हैं। अब यह ज्ञान, नई चीजों के बारे में पता लगाने, मनोरंजन, व्यापार आदि का रूप ले चुका है। मनुष्य की सदा से ही जिज्ञासा रही है कि वह उस स्थान विशेष के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे जिसके बारे में उसने सुना या पढ़ा है। उसकी इसी जिज्ञासा ने उसे अपने स्थान से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं कि सन् 1292 में पहले–पहल 'टूअर' शब्द का प्रयोग हुआ, जो लैटिन शब्द 'टोरनस' से बना है, जिसका अर्थ प्रारंभ में 'वृत्तात्मक' उपकरण या स्थिति से लगाया जाता था। इसी शब्द से धीरे–धीरे 'टूरिस्ट' एवं 'टूरिज्म' शब्द की उत्पत्ति हुई। संस्कृति साहित्य में पर्यटन के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये तीन शब्द हैं–पर्यटन, देशाटन और तीर्थयात्रा। इन तीन शब्दों के अर्थ में ही पर्यटन की अवधारणा अंर्तनिहित है। प्रथम शब्द है–पर्यटन अर्थात् आराम एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा करना। दूसरा शब्द है–देशाटन अर्थात् विदेशों में, मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए यात्रा करना और तीसरा प्रमुख शब्द है–तीर्थाटन अर्थात् धार्मिक लाभ के लिए यात्रा करना। भारत आस्था का देश है। धार्मिक आस्था यहाँ पर्यटन की संवाहक रही है। वर्षों पहले जब आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था। लोग धार्मिक आस्थावश दुर्गम तीर्थ–स्थलों पर जाया करते थे। इसी बहाने निवास–स्थल से दूर के स्थानों की यात्रा तो हो ही जाती थी, साथ ही रास्ते में पड़ने वाले इलाकों की सभ्यता व संस्कृति

से साक्षात्कार भी हो जाता था। तीर्थ–स्थलों का अलग–अलग दिशाओं में होना इस बात को भी पुष्ट करता है कि इनकी स्थापना के पीछे मनुष्य को अपने निवास–स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थानों से अवगत कराने के साथ घर से बाहर की दुनिया को देखने का अवसर दिलाना रहा है। दरअसल पर्यटन एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति निहित है। साथ ही व्यक्ति का विकास भी जुड़ा हुआ है।

पर्यटन के अंतर्गत आज नये–नये क्षेत्रों का विकास हुआ है और घूमने–फिरने की अवधारणा ने अब एक व्यापक स्वरूप धारण कर लिया है। आज देश, राज्य और स्थानीय विकास की अवधारणा में इसे सम्मिलित कर लिया गया है। समग्र रूप से कहा जाए तो पर्यटन एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधि है, जो आज के समय की आवश्यकता है। यह बिना चिमनी और धुएँ का ऐसा उद्योग है जो लोगों को स्थान विशेष की तरफ आकर्षित करने, उन्हें वहाँ तक पहुँचाने, आवासित करने, खाने–पीने की सामग्री प्रदान करने, उनका मनोरंजन करने तथा वापसी में उन्हें उनके घर पहुँचाने से संबंधित है।

अब इसके क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ है। आज से दो–तीन दशक पहले तक पर्यटन कुछ समृद्ध, धनी एवं साहसिक व्यक्तियों तक ही सीमित था परंतु परिवहन एवं संचार के साधनों के तीव्रतम विकास से अब यह हर आम और खास के लिए समान पहुँच का क्षेत्र हो गया है। पर्यटन की सोच का विस्तार इस कदर हुआ है कि मध्यम एवं कुछ हद तक निम्न आय के लोग भी अब अपने निवास–स्थान से बाहर भ्रमण एवं अवकाश व्यतीत करने जाने लगे हैं। वित्तीय संस्थाओं और बड़ी–बड़ी यात्रा एजेंसियों द्वारा पर्यटन पैकेज भी तैयार किए जाने लगे हैं। इनसे सभी प्रकार का पर्यटन सुगम ही नहीं हुआ है बल्कि आम आदमी की इस तक पहुँच भी हो गई है। पर्यटन अब अनेक रूप ले चुका है। सांस्कृतिक, चिकित्सा, धार्मिक, पारिस्थितिकी, साहसिक, क्रीड़ा, ग्रामीण आदि अनेक रूपों में पर्यटन ने आज वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत किए गए शोध पत्र में अध्ययन का उद्देश्य रीवा संभाग के पर्यटन उद्योग के विविध आयामों का अध्ययन कर भविष्य में पर्यटन उद्योग की समस्या सम्भावनाएं को ज्ञात करना है। पर्यटन के नये क्षेत्रों का विकास तथा रोजगार, के बेहतर अवसर प्राप्त करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक सुझावों को शामिल करना।

1. रीवा संभाग के पर्यटन के विविध आयामों को जानना।

2. रीवा संभाग में पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध की प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के बुलेटिन शोध सर्वे एवं रीवा पर्यटन विभाग से द्वितीयक संदर्भ आँकड़े प्राप्त किये गये हैं। अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए सरलतम एवं व्यावहारिक, अवलोकन, विधियों का उपयोग किया गया है।

रीवा संभाग का परिचय

रीवा संभाग पारंम्परिक रूप से विंध्याचल पर्वत के आसपास के पठारी भाग को कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद सन् 1948 में वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश की रचना की गई जिसकी राजधानी रीवा थी। 01 नवम्वर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विंध्य प्रदेश का विलय नवीन बने राज्य मध्यप्रदेश के कर दिया गया। विंध्यप्रदेश पूर्व में सोनभद्र, पश्चिम ये दतिया, उत्तर में प्रयागराज तथा दक्षिण में बिलासपुर तक फैला है। रीवा संभाग का क्षेत्र मैदानों, पर्वतों, घाटियों, पठारों एवं छोटी–बड़ी नदियों से सम्पन्न प्रदेश है। एक ओर जहाँ समतल कृषि योग्य मैदान

पाये जाते हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्गम ऊबड़–खाबड़ घाटियाँ भी स्थित हैं। इतिहास में विन्ध्य की पर्वत माला प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में आती है। नदियाँ, सुन्दर झरनों, नदियों आदि को देखने के लिए आकर्षित होते हैं। रीवा संभाग की अपूर्व भौगोलिक रचना के कारण अनेक ऋषि–मुनियों की यह ज्ञान स्थली रही है। कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट सोन नदी के सगम्य तट पर अपने ज्ञान का विकास कर कादम्बरी की रचना की जो हमारी ऐतिहासिक ध रोहर है। माड़ा की गुफाएं, रीवा संभाग की प्राचीनता को दर्शाती है।

रीवा संभाग में पर्यटन के विविध आयाम

पर्यटन के विविध आयामों के अंतर्गत हम आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक आदि आयामों का अध्ययन करते हैं।

1. आर्थिक आयाम– पर्यटन दुनिया के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में से एक है यह अर्थव्यवस्था को कई तरह से लाभ पहुचाता है। पर्यटन से आर्थिक विकास होता है तथा राजस्व कर और व्यक्तिगत आय वढ़ती है पर्यटन से रोजगार के अवसर भी बनते है। यह बहुस से लोगो को आजीविका देता है। इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिलती है। पर्यटन से बुनियादी ढ़ाचे विकसित होते है विशेष रूप से मुकंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से हर साल अत्यधिक आर्थिक लाभ होता है तथा 100 लोगो से ज्यादा को रोजगार की व्यवस्था पर्यटन से की गई है।

2. सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम– पर्यटन के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं। पर्यटन से अलग–अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच बातचीत होती है जिससे सांस्कृतिक आदान–प्रदान होता है तथा पर्यटक और स्थानीय लोग एक–दूसरे की संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं। मैहर माता मंदिर में दूर–दूर से श्रद्धालू आते हैं जिनमें अलग–अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होते हैं।

3. पर्यावरणीय आयाम– पर्यटन से पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है जैसे की वन्य जीवों का विनाश, वनों की कटाई और प्रदूषण होता है। पर्यटन के पर्यावरणीय आयामों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शामिल है, पर्यटन से जुड़े कई तरह के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। हवाई यात्रा से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, लोकप्रिय जगहों पर कूड़ा–कचरा, संरक्षित क्षेत्रों में अत्यधिक प्रवेश, समुद्र तट के किनारे होटलों की रोशनी से समुद्री कछुओं का प्रजनन बाधित होना, जनसंख्या दबाव से स्थानीय बुनियादी ढ़ांचे और पर्यावरण पर दबाव।

4. मनोवैज्ञानिक आयाम– पर्यटन से पर्यटकों का मनोभाव प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक आयामों में भावनाएँ नवीनता सार्थकता और सामाजिक संपर्क शामिल है। पर्यटकों को भावनात्मक अनुभव और संतुष्टि उनके व्यावहारिक इरादों से जुड़े होते हैं। पर्यटक की प्रेरणा, उसकी भूमिका और उसके निर्णय लेने के साथ ही पर्यटन स्थल का चयन आदि सभी कारक मनोवैज्ञानिक आयाम के अंतर्गत आते हैं।

रीवा संभाग के पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियां

पर्यटन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं कराधान यात्रा विपणन बुनियादी ढाँचे से जुड़े मुद्दे तथा सुरक्षा और पर्यटन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग नहीं है। जैसे सिरमौर क्षेत्र में स्थित पियावन घिनौची धाम अत्यंत खूबसूरत पर्यटन है लेकिन वहाँ तक पर्यटक के पहुँचने के लिए सुरक्षित सड़क मार्ग नहीं है एवं आवास की सुविधा न उपलब्ध होने के कारण पर्यटक नहीं पहुँच पाते हैं तथा बहुत से पर्यटन स्थल आगंतुकों के लिए तैयार नहीं हैं। पर्यटक या यात्री कई बार यात्रा विपणन को अतिरंजित मान सकते हैं। पर्यटन उद्योग के सामने एक और बड़ी चुनौती है। उतार–चढ़ाव वाली दरें

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

और लागत मुद्रास्फीति। ऐसा लगता है कि नई चुनौतियाँ तेज़ी से उभर रही हैं और पूरे उद्योग को प्रभावित कर रही हैं पर्यटन उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूंजी निवेश पर ज्यादा रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में वैश्विक स्तर पर पर्यटन क्षेत्र की व्यापकता और इसमें निहित उद्योग की अपार संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया गया। इसे एक ऐसे उद्योग के रूप में देखा जाने लगा जो आय के साथ–साथ ही जीवन–स्तर में तीव्र वृद्धि करने में भी सक्षम है। पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन उद्योग देश का वृह्द सेवा उद्योग है। यह एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदाताओं का सम्मिश्रण है। सरकारी और निजी दोनों की इसमें संयुक्त सेवा है। आज के समय में जहाँ हर देश की पहली जरूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है वहीं आज पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द–गिर्द घूमती है। जहाँ पर पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। पर्यटन उद्योग सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पल को वापस लाने में ही मदद नहीं करता है बल्कि यह किसी भी देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

निःसंदेह पर्यटन तीव्र गति से उभरता हुआ सेवा क्षेत्र का उद्योग है जिसका देश की अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कुछ दशकों से राष्ट्रीय आय और रोजगार सृजन में पर्यटन क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है। बहुत से क्षेत्र में पहुँच मार्ग नहीं है तथा आस–पास का क्षेत्र प्रदूषण और गंदगी की चपेट में है।

देश के पर्यटन को सच–मुच बढ़ाना हो तो हमें इसके लिए ठोस उपास करने होंगे। पर्यटन स्थलों को साफ–सुथरा रखना, पर्यटन स्थलों तक पहुँच को सुगम एवं आकर्षक बनाना, लोगों के निवास भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करना, पर्यटन स्थलों को मनोरंजन से भरपूर बनाना, सड़क एवं संचार व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त रखना, लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रचार करना आदि–जिन्हें करके देश के पर्यटन उद्योग को विकसित किया जा सकता है तथा रोजगार एवं आय का अत्यधिक मात्रा में सृजन किया जा सकता है।

रीवा संभाग के भी पर्यटन उद्योगों का इस तरह से सुधार किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास हो एवं रोजगार का सृजन किया जा सके प्रस्तुत अध्ययन उस कार्य को पूर्ण करने मे समर्थ होगा।

रीवा संभाग प्रारंभ से ही कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है परन्तु वर्तमान बढ़ती हुई परिस्थितियों और कृषि पर जनसंख्या का दबाव व आर्थिक निर्भरता को कम करने हेतु यह आवश्यक है कि यहाँ पर औद्योगिक विकास हो। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं के कारण पर्यटन उद्योग को प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र के विकास के निरंतरता बनाये रखने के लिए सकारात्मक रणनीति बनाना आवश्यक है। ताकि आने वाले दिनों में विंध्य क्षेत्र का पर्यटन उद्योग क्षेत्र और देश के समग्र विकास में अधिकाधिक योगदान दे सके। स्वच्छता, सुरक्षा, परिवहन और परिस्थितिकीय संतुलन जैसे कुछ ऐसे कारक हैं जो पर्यटन क्षेत्र के मूल कहे जा सकते हैं जिन्हें अनुकूल बनाये रखना जरूरी है। पर्यटन क्षेत्र को और भी ज्यादा विकसित और मजबूती प्रदान करने के लिए नवीन तकनीकों का सकारात्मक प्रयोग अच्छा कदम हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, अशोक–देशबन्धु रायल बुलेटिन, एक अखबार सारा संसार
2. अखिलेश, डॉ. एस.–रीवा दर्शन, गायत्री पब्लिकेशन रीवा (म.प्र.) संस्करण 2012

3. राजेश, गोयल–भारतीय पर्यटन उद्योग, वंदना, पब्लिकेशन्स संस्करण, 2011
4. सिंह, जीतन–रीवा राज्य का दर्पण
5. शास्त्री, रामसागर–विंध्य दर्शन
6. श्रीवास्तव, भगवानदास–विंध्य भूमि
7. सिंह, लाल बलवंत–लक्ष्मण बाग का चित्रण
8. सिंह, सूर्यभान–रीवा का भौगोलिक विकास
9. मध्य भारत–मध्यप्रदेश तथा विंध्यप्रदेश प्रदेशिका पर्यटन विभाग
10. त्रिपाठी, रंजन (2008)–भारत में पर्यटन उद्योग का विकास आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान का अध्ययन
11. बघेल, अर्जुन सिंह (2018)–भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
12. शुक्ला, अरुणेष (2022)–मध्यप्रदेश पर्यटन का आर्थिक विकास पर प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
13. एच. भीष्मपाल (2012)–पर्यटकों का आकर्षण, आकृति प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 10th March 2026

Paper Accepted : 15th March 2026

Policing in India: A Historical Perspective

❑ Dr. Harbilas Singh*

ABSTRACT

Police is a sub system of Political System. It is a front-line agency of the enforcement and plays a significant role in connecting the people with the state and establishing its Legitimacy. Police and Policing in India is generally viewed sceptically and to reform it, there is need to understand it. Present Police and Policing in India is the result of a Historical evolution, which includes both the British colonial era and the pre colonial phases of Indian society also. Both positive and negative legacies reflect in today's Indian policing. Study of these legacies can help in understanding the nature and problems of policing in India. This can further help in reforming the police system to make it people friendly.

Keywords–*Police, Policing, Village policing, Community policing, Law and Order, Internal Security.*

Policing in India : A Historical Perspective

Though the Police is well known as an enforcement agency to maintain Law and Order but being a front body of the state, 'Police' plays a significant role in connecting people with the state and ensuring its legitimacy.In India, in the present times, police are viewed suspiciously mostly as a suppressive agency supporting the political, social and even economic vested interests. Many studies are being conducted on the structuraland functionalaspects of the Police in India butdespite the latest Police reforms it is still a subject of concern for the civil society.

To understand the nature of policing one cannot ignore the historical trajectory through which the police in India evolved. Though the modern Police was introduced by the British in 1843 when Sindh Constabulary was formed by Sir Charles Napier and Police Act of 1861 was enacted to introduced Police as an institution. But the approach or traditions regarding policing in Indian society, like in any other civilization existed even before that. Indian Society was already acquainted to some sort of the norms, social regulations or policing before its colonialisation. Customs and norms and social and political conditions in ancient and medievalIndia shaped India's traditions pertaining to the policing. To comprehend the actual nature of Indian policing one has to understand these traditions which have a strong and implicit impact on the police even today.

The present article is an effort to analyse and identify these traditions of policing which influenced today's policing.On the basis of these traditions and orientations one can understand

* Assistant Professor, Dept. of Political Science, Khalsa College Amritsar

not only the nature of today's police system but alsoit can help in understanding and addressing the problems of today's policing.

As far as the concept is concerned, 'Police' is a "collectively authorised force of state possessing legitimate Coercive force aimed at maintaining the social order" (See: Bayley; 1990; p.7). Along with the concept of police, the concept of policing is equally important to be understood. Policing is a phenomenon which involves not only the institute of police but other social institutions like, family, kindship and religion and even state institutionsother than the Police like Para military forces, Intelligence agencies and even the army. Whichever body or group, formal or informal, place active role in regulating the human behaviour in the society is the part of the phenomenon of policing. (See: Robinson and Scalgion; 1987; p. 109)

The concept of deviance or crime and regulations to check it were very much there in ancient India.The 'Sematic' traditions of policing were introduced in the medieval period,which also witnessed the rise of feudal policing. The British introduced modern concept of police and policing in India.

Policing in Ancient India

Religion or 'Dharma' was the first and foremost feature of early Indian policing. The directives and values of Dharma were followed to regulate the community life. Dharma was the basis of criminal justice system. Rigveda defined the crime and has also explained the term "Jivagrib" as a person whose duty was to control the crime. In his 'Manu Samriti',Manu discussed eighteen different categories of crimes and specified that "main duty of the king is to refrain from the violence and punish the evil doers" (Muller, Max; 1886; Chapter-VIII). The problems related to the policing in ancient Indian village communities were mainly confined to the murder, theft and adultery. Balmiki's Ramayana has provided insights into the system with police personnel on patrol security, watchmen and spies. The 'ApasthambaDharamasatra' prescribed that king should appoint only those persons as officers and subordinates in towns and villages, who were pure and truthful, for the protection of the subjects against thieves. It also mentioned a code of conduct to control the crime. (Singh, Deepa; 2002; p. 59).

Anupam Sharma termed the Mauryan Empire as "truly a police state" bifurcated into 'Prantas' (provinces), 'Pradeshas' (equivalent to commissioner-region) and 'Vishaya' (districts). The Police head of district was known as "Vishayapati' under whom there were 'sthanic' in 'Sathaniya', or a locality, who further was assisted by 'Gop' and 'Gramini' in maintaining law and order in their respective areas. (Sharma, Anupam; 2004; pp. 101-103). The whole of the police structure was divided into two categories; the 'general police', maintaining' law and order and the 'special police' which included "ChaurRajjuka' and 'Vivitadhyaksha' considered to be expert in spying and apprehending thieves (Ibid.)

Kautilya laid down certain directives on police task, worth mentioning among these are, the reporting of the "arrival or departure of strangers" in the nagar or town and apprehending the persons of doubtful or suspicious behavior. He also described nine types of spies, exercising watch on different sections of people like, citizens, government official, thieves, adulterators, forgers, etcetera. He also mentioned surveillance towers known as 'Gulam' or 'Gumaties' and 'Chatushakhas' or 'Chaukies'. (Jain, Jatinder Kumar; 2005; p.3). Fa Hien has also mentioned peaceful law and order situations during Gupta Empire. In this period Dandin in his work "Daskumaschaita' highlights the police department even in urban areas. Mostly the police control was conducted through spies or 'Gudhapursas' (Sharma; 2004; p.107).

In South India the peculiarity of policing needs special mention is that of Vijayanagar Empire. "Kavalghars" or the local police

personnel were generally drawn from the criminal tribes to prevent thefts from their own "caste men" (Ibid. p. 108). This is very similar to some of the practices followed in the evolution of police in England. Policing in ancient India was "more community oriented" and "was more decentralized in their function" (Ibid., 108). It can be better phrased in Bayley's words as "Village Policing" (Bayley; 1969; p.36).

Policing in Medieval Period

Medieval Period is generally viewed as the age of Pathan and Mughal regimes. In this period, the concept of 'Faujdar' or 'Kotwal' was introduced by Afghan rulers. Kotwal was incharge of the administration of law and order and he also had to maintain the register of inhabitants of his area. In case of any breach of order, he had to report directly to 'Mohasib'. Duties like patrolling, guarding and keeping record of arrivals and departure of all the strangers were also included in his duties. But there was no independent police organization during this time. (Deepa Singh; p.60). Later on, Mughal rulers also continued this office. In his book 'Aine-E-Akbari' Abul Fazal has mentioned about 'Kotwal' under Mughal Empire. A western scholar Edward mentioned 'Kotwal' as a local police officer who was responsible for regulatory functions like: i) detection of crime; ii) clamping curfew in the city; iii) fixing prices and rates of goods; iv) examining weights and measures; v) maintaining social decency; and vi) preserving public security and order. (cited in ibid). 'Faujdar' was under 'Subedar' of the province and 'Chawkidar' at village level and was subordinate to Faujdar. There was no clear demarcation between army and the police, in other words specialization and professionalization of police was not complete as per the parameters of David Bayley. During Afghan and Mughal periods, the sematic traditions and conventions and Quran was introduced in the criminal justice system of India (Ibid.). After empire era the policing in India was controlled by feudal lords. As there was constant infighting among various smaller kingdoms and feudal lords, a new system of Policing, through fragile and temporary, emerged. The police were much in form of 'militia' of these feudal lords.

David Bayley observed that in India, during all periods, "one can discern two distinct police systems, a rural,village based system and a system emanating from the dominant locus of imperial power at the moment". (Bayley; 1969; p.36). He viewed Indian police history largely as "attempts to create an imperial system linking the indigenous fragmented system to the imperium and making it both efficient and responsive to the orders from the imperial capital" (Ibid; 37). Being a country of villages or predominantly a village society, the basic unit of traditional policing remained the village in which the 'Headman' or the dominant land owner assisted by village Chaukidar renders the police services. This continued throughout different phases of history both in explicit and implicit way. Such was the responsibility of headman that there are stances when "headman was required to make up out of his own pocket. The value of property stolen and not returned' (Report of West Bengal, Police Commission, as cited in Ibid). "Village Policing was essentially of self-regulatory mechanisms tied closely to the, internal power structure of village society" (Ibid; p. 39).On the decline of imperial power, non-state police institution based on small voluntary communities...re-asserted themselves. (Bayley; 1990; p.32). During the pre-British history, whenever the imperial power declined,the regulatory powers returned to unspecialized policing (Ibid; p. 45). Every imperial regime had introduced its own police structures from top to middle level but no regime interfered or tempered with the village policing norms. These regimes-maintained contact with village headman to avail his assistance for policing the locals. But British empire in India, viewed Bayley, departed from this practice.

Colonial Period : Introduction of Modern

Police and its Legacy

The transition of Indian society and policing cannot be viewed from the perspective of the western model of evolution. In the west, particularly in England the modern state and modern police emerged from within the community. Though the difference between ruling elites and masses or the social stratification was there but it was not as sharp as in India. This was because in India, the modern state and policing was introduced by the colonial masters and not by the indigenous rulers or from within the community.The British regime was not only oppressive but alien too. Hence, the distance between the ruler and local community become more prominent.

The British period in India can be divided into two phases, before and after 1857, that is, the year of first war of independence. Due to the gradual decline of Mughal Empire the incidence of crime and unrest increased and village policing seemed incompetent to stand. This prompted the East India Company under Lord Cornwallis to take over the police administration out of the hands of the Zamindars or feudal lords and set up a distinct police force. District under Kotwal were divided into parts, headed by "Darogha". "The darogha was to raise and direct a force of (armed) men" (Ibid; p. 41). He was made answerable to the district judge. "The Police of the East India Trading Company in the eighteenth century were private from the point of view of Englishmen living in England, but public from the point of view of Indians and Englishmen living in India" (Ibid; 1990; p. 27).

This 'Darogha system' of East India Company policing failed to deliver because it was de-linked from the village or local community. It was an alien authority which "could not command the assistance of local castes and traditional leaders…" (Ibid). So, in 1843 this system of policing discontinued and effort was made to return towards the "traditional method of village policing". On the other hand the previous system was replaced by 'Collector-System' in policing. Collector, the district revenue officer, was given responsibility to supervise the village police through Darogha. In other words, Darogha, the local police authority, was put under the supervision of the collector or revenue officer. This system was revamped further as it failed to produce results. After the conquest of Sindh by Sir Charles Napieradopted model of Royal Irish Constabulary for introducing police system in Sindh. Napier, regarded as father of Indian Police system, initiated "total integration of police within the colonial state" (Ibid). He created a separate police force directed by its own officers and Inspector-General at the top. District police, was headed by Superintendent who was made accountable to both the IG and the Collector. Law and Order responsibility was assumed by the government through the collector. In Punjab too, after its annexation, a similar police establishment was introduced in 1849 which was separate from village system. This Punjab police system was divided into military police and a civil detective force. Similar to this, the Madras Police Act was also implemented in 1859.

But the working of this police system too was far from satisfactory for the colonial masters. The outbreak of 1857 'mutiny' jolted the company administration and exposed its police system. In1859 the government of India was transferred to the 'Queen in Parliament'. Revamping of criminal justice system was the first step taken by the new government. Code of Civil Procedure (1859), Indian Penal Code (1860) and Criminal Procedure Code (1861) were formulated.Under the shock of 'Mutiny' India further experienced the systematic professionalization of police as new polity needed system of 'forceful regulation' (Ibid; p.50).

The Police Commission was formed to reform the system.It observed that the police was "all but useless for the prevention and sadly inefficient for the detection of crime" (cited in Ibid; p. 57). The Police Act of 1861 was

promulgated on the recommendations of Police Commission. Under Dyarchy system the Police was directly under the Governor of the province. (Danewalia, B.S.; 1997; p. 54). Indian Police Commission of 1902, helped in further standardization of the police administration in India. Although police in British India was designed to be province based but it was centralised as the role of central government in deciding its working remained prominent. In 1920's with the increase in professionalism, its subordination to the civil administration was lessened moderately. The police typically was assigned the political role of suppressing the deviance.The political significance of the police increased in the face of rising Nationalism, mass agitations and emerging threat of communism. The 1919 Government of India Act laid down the provisions to protect the civil servants and make them independent of the control of minister (Ibid; p.56). The importance of village police or community was also underlined with the enactment of village chowkidars Act 1870. (Bayley; 1990; pp.45-47). The police system was formed, keeping in view the importance of village police and the role of Darogha, now sub-inspector, was more crucial in this, regard.One important aspect of British police system was that it covered only two-fifth of land mass of the India. Rest of the area was under princely states. These states, though had their indigenous police systems but took cue and assistance from the Britishers to build their own police systems.

As British were alien in Indian society, to maintain imperial control over India and for more and more extraction, they needed both, means of suppression and surveillance, particularly, political surveillance.Hence Central Intelligence Department (CID) was established in 1904 andit laid down the foundation of the Intelligence Bureau (IB). By 1930 its special branches were expanded in the states as Indian National movement was catching up. By mid-thirties "police coercion became a vital instrument of state policy". This raised the police to a position of "unprecedented importance within the colonial system" (Subramanian; 2007; p. 62). "As Nationalist movement increasingly acquired a centralized character from the 1920s to 1940's, centralization of intelligence agencies and the paramilitary forces grew apace" (Ibid; p. 17).

Though Indianisation of police was gradually catching up but because of increased coercion and surveillance the distance between the police and the people also increased. Subordinate to Superintendent, rank of DSP was created especially for Indian officers. But only about twenty percent of top police personnel like superintendents of police were Indians whereas in civil administration this strength was increased upto fifty percent. (Bayley; 1969; p.49). This difference of strength of Indians between civil and police administration itself explained the nature of British Indian Police as an agency meant for oppression and control. Control was the main objective and creating people-oriented force was not the priority. The law-and-order problem can be judged by a cursory glance on the statistics during Quit India movement, in which, "Military had to be called at 60 places', police opened fire about 538 times and bombs were dropped from the aeroplanes six times, 318 railway stations were burnt and destroyed and telecommunication wires were tempered with at 12000 places. In all 945 post offices were raided and total member of derailments was 59" (Ghosh; 1972; p. 2).

After India got independence and democratic government replaced the British imperial government, radical changes were expected in the Indian Police system. But this did not happen. David Arnold explained this in context of the outlook of Congress party which was a Vanguard of National Movement and was at the helms of government after 1947. To him, firstly, Congress had failed to develop an alternative administrative and police structure (like Subhash Chandra Bose's INA) which could

have overtaken the control, so the Congress government continued with the same colonial police. Secondly, the long engagement between colonial police and Congress during national movement made both to "develop an increasingly all India-outlook" and both had "national interest in the protection of property and prevention of violent and revolutionary change". This, argued Arnold, possiblised the "untroubled transition from colonial police to congress police". (Arnold as cited in Baylay,1969; p. 63) Thirdly,Congress succeeded in gaining "ascendancy over the police department by institutional rather than revolutionary means". Therefore, Congress not only adopted and endorsed the existing police system but also avoided the introductionof reform in it (Ibid.).

Finally, due to the experiences of partition, challenges of political integration immediately after 15th August 1947 and "escalation of industrial insurrection" it was administrative compulsion of the government to continue with same police system to check industrial unrest, movements, like Telangana as police was already experienced to face such mass movements "The Union Home Minister urged the expansion of armed police force and central intelligence agents… in counter insurgency operations". Within ten years of independence, "the police in congress-ruled states opened fire for over a thousand times to contain industrial and political unrest, killing over 800 and sustaining limited causalities". Subramanian is of the view that "congress in office was chary as the British had been, in allowing police accountability to the public" (Subermanian, 2007; pp. 63-64). Perhaps that's why Arnold has chosen to call it "Congress Police".

The British legacy, observed Bayley, inherited by the police in independent India includes, first, the centralized structure; second, "Perception attitudes, and predispositions toward the police on the part of both public and policy makers which remain vital even today; thirdly, "a concept of the role police should play in Indian society". (Bayley; 1969; pp. 49-50).

Conclusion

Having gone through this brief overview of all the phases of the history of policing in India one can conclude that the significant impacts of this evolution on Policing in India are difficult to ignore for a better policing in the future. The major legacies which are responsible for shaping the policing are;

(i) In Indian traditions, policing at village level through Panchayat and Chawkidar is accepted by all regimes in all ages. This is a sort of indigenous structure of the community policing but it has not been properly taken into view in the independent India.

(ii) Beyond village any type of imperial policing is viewed as suppressive by the public. This belief system persist even today as at grassroot level the people are sceptical towards the police.

iii) Policing, by feudal lords or dominant class with the help of their militia or imperial police was also there and British policing recognized it despite of the introduction of modern police. This influence of dominant class remained in the Indian Policeeven today and even private militia like 'Selva Judam' got de facto recognition of the state.

(iv) The police system bequeathed by the independent India was structured on the basis of "control" tasking rather than "service". It was master oriented and not people oriented. Both structure and attitude remained the same.

(v) Centralised policing despite fedral structure in police under British period continued after 1947 too as worries of government at the centre were almost the same; concerning national unity, suppressing dissent, political movements and containing riots.Though the 'Law and

Order' is a subject of the state government but on the pretext of 'Internal Security', a subject of Union, the Union government can interfere in the policing at state level too and it happened many a times after 1947.

(vi) Like in British era, the Police remained under dual authority, that is, both under police leadership and civil administration. This duality in authority manifested in other forms too. There is duality of authority regarding Indian Police Services (IPS) which is both under central government and the state government. The duality is also visible regarding political bosses and administrative bosses, as in the name of Democratic accountability the political control or interference is justify.

The constabulary of British police was from amongst the people and was to follow the command to regulate or coerce their own people. While the higher officials were mostly Britishers. This put the police in rather paradoxical situation. After 1947 too the police from within the public is to follow the orders of the higher ranks of police,most of whom come from the dominant middle class. So, in this situation as well as in case of dual authority, the police often face the problem of "split loyalty". The class division with in the rank and file of the police also needs to be addressed. (See: Robinson and Scalgion; 1987; p. 149)

(vii) The restriction of police unionization introduced by the British was continued after 1947. This, as observed Subramanian "prevented the police from organizing to press for improvement in pay scales and conditions of service. The depressed and despised conditions of the subordinate police" become the cause of police strikes and lethargic work culture among the police. (Subramanian; 2007; p. 64).

(viii) Criminal justice System and the legal framework more or less remained the same which continued to decide the nature of policing in India.

(ix) Significance of intelligence and surveillance was felt by the Britishers in order to check political resistance. In post-colonial era too, the political masters followed same strategy to check the deviance and political opponents in electoral political process.Acts and measures of Preventive Detention under Britishers were adopted to check political movements, insurgency and industrial unrest in independent India too.

(x) Colonial mindset of being the'master' and not the 'servant' of the people continued among the police in democratic India too.

These inferences based on historical legacies help in understanding the police, policing and the general orientation about it in Independent India. Some of these legacies are positive, like village level policing, which can help in making a police people friendly and there are negative impacts too which should be focused while deliberating on the police reforms and framing the recruitment and training programmes for the police.

REFERENCES

- David Bayley, 'The Police and the Political Development in India', Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1969.
- Bayley; David H.; "Pattern of Policing A Comparative International Analysis, Rutgers University Press";New Jersey; 1990.
- Danewalia, B.S.; Police and Politics in Twentieth Century Punjab, Ajanta Publication, Delhi**;** 1997.
- Ghosh, S.K.;*Law and Order: From the Police Point of View*; Eastern Law House, Calcutta; 1972.
- Jain, Jatinder Kumar, Who Cares?;Dinesh Sales Corporation, Jalandhar, 2005.

- Muller, Max (ed), The Laws of Manu : Sacred Books of the East; Oxford University Press, 1886, Chapter-VIII)
- Robinson, Cyril D. and Scalgion, Richard, The Origin and Evolution of the Police Function in Society: Notes Toward a Theory; *Law and Society Review*; Vol.21, No. 1; 1987.
- Sharma, Anupam; "Police in Ancient India" in The Indian Journal of Political Science; Vol. 65, No.1; Jan-March, 2004.
- Singh, Deepa, Human Rights and Police Predicament; The Bright Law House , Delhi, 2002.
- Subramanian, K.S., *Political Violence and Police in India,* Sage Publication New Delhi 2007.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 1 (Jan. to March, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

Paper Received : 15th March 2026   Paper Accepted : 25th March 2026

GENDER AND INSTITUTIONAL VARIATION IN EMOTIONAL INTELLIGENCE OF TEACHER TRAINEES

❑ Dr. Manjul Gupta*
❑ Dr. Shashi Malik**

ABSTRACT

The study was carried out with a sample of 150 teacher trainees from four B.Ed. institutions affiliated to C.C. S university Meerut. Emotional Intelligence Inventory by Shubhra Mangal was used for determining the level of Emotional Intelligence of teacher trainees. The findings of the research were that teacher trainees exhibit below average emotional Intelligence; teacher trainees of govt. aided colleges have higher level of emotional Intelligence in comparison to self financed and gender does not affect emotional Intelligence of teacher trainees. The results of present study show that teacher trainees are below average in emotional Intelligence to enhance the emotional Intelligence in teacher trainees some training program should be developed.

Keywords– *Emotional Intelligence, Gender, Institution and teacher trainees.*

INTRODUCTION

Education is a dynamic process that seeks to provide young generation with age appropriate organized learning along with other activities that provide them the knowledge and skills necessary to live a successful life. Practical skills and the ability to handle people that include a part of the art of managing emotion contribute a lot towards any success. Dr Daniel Goleman (1995) called it 'emotional intelligence'.

Emotional intelligence as a factor in regulation of cognitive problems and in designing emotional consistency and social programs for children, adolescents and young people was paid a lot of attention by many psychologists, counselors, scholars of education, mental health professionals and others who somehow deal with students. Many experts have stressed that there is a close relationship between variables of emotional intelligence and educational achievement. (Saloy et al, 2001). Goleman (1995) have stated that emotional intelligence, even more than analytical intelligence, predicts success in school and the workplace.

NEED AND EMERGENCE OF THE STUDY

Emotional Intelligence plays a key role in

* Assistant Professor, Department of Education, Allahabad Degree College, Prayagraj
** Professor, Faculty of Teacher Education, V.M.L.G. College, Ghaziabad

behavior of human beings to lead a well balanced life in the society. Several studies have shown that, it has direct impact on the teacher's behavior working in an educational institutions and it is important for the success of teaching profession also. In our educational system teachers are the main pillars. They transfer the knowledge to the students who represent the foundation of the society. Teachers can provide the effective knowledge only when they are possessed with the essential skills, knowledge and talents.

According to Lazarus (1991), understanding and being able to apply emotional intelligence, is essential to success in teaching. Indeed in his opinion understanding and managing (not suppressing) one's own and others emotion is a central part of all teachers work. An emotionally competent teacher learns and applies emotional intelligence skills to improve: stress management, self-esteem and confidence, positive personal change, decision making, leadership, assertion, comfort and commitment which would be led to raise quality of teacher and consequently quality of education

(Nelson, 2005) Teachers who understand and improve their emotional intelligence skills are able to simultaneously develop professional and personal strength, as well as improve areas of weakness. Different professions require different emotional competence levels and to be successful in teaching profession one needs to have a high intelligence level (EQ) in the range of 250-274 (Singh, 2003, cited in Bansibihari, 2004)

Manju, (2014) stated that in the recent years, the concept of the emotional intelligence among teachers has been taken attention in the educational institutions due to its great importance. She argued that emotional intelligence is a type of social intelligence that includes to control his/her own and others emotions; make a choice between them and the life. Therefore this skill is really required to make the teachers performance very effective. Emotionally Intelligent teachers are able to deal with their students as well as with their colleagues effectively.

Surana & Rawat (2014) stated that different professions require different levels of emotional intelligence. But the teaching profession in which interacting with people is a must, require a high level of emotional intelligence". A teacher who is able to carry out reasoning with regard to emotion and uses emotion to enhance reasoning will succeed in developing the emotional intelligence of pupil. So that Emotional Intelligence is very important factor of teacher trainees. (Mahesh & Jyotsana, 2012)

The teacher counts much in the success of any teaching and learning process. It is quite necessary for the student teachers get training so that their Emotional Intelligence may help them in building a mutual bond of intimacy and trustworthy relationship with their students. They can compel to excel in performance irrespective of their potential. Teacher plays an important role in development of Emotional Intelligence. They should be good role models. By observing, students gradually learn how to analyze and cope with life. (Latha, 2012).

The importance of emotional intelligence among the prospective teachers has become the major point of attraction in front of the researcher. Therefore, the present study is based on the idea to know the emotional intelligence of teacher trainees in relation to gender and institution.

OBJECTIVES OF THE STUDY

The following objectives were posed and investigated in the study.

1. To explore the emotional intelligence of teacher-trainees.

2. To compare emotional intelligence of female and male teacher-trainees.

3. To compare emotional intelligence of teacher-trainees of govt. aided and self-financed institution.

RESEARCH HYPOTHESES

1. There is no significant difference in emotional intelligence of female and male teacher trainees.

2. There is no significant difference in emotional intelligence of teacher-trainees studying in govt. aided and self-financed institution.

METHODOLOGY

Descriptive Survey Method was used.

POPULATION AND SAMPLE

The present study constituted of all B.Ed institutions affiliated to C.C.S University, Meerut.

Sample of the study consisted of 150 teacher trainees from two govt. aided and two self-finance institutions.

TOOL

Emotional Intelligence Inventory by Shubhra Mangal was used for determining the level of emotional intelligence of teacher trainees.

STATISTICAL TECHNIQUES USED

Descriptive and inferential statistics were used for analysis of the data.

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA

The data was analyzed and interpreted according to the objectives and their corresponding hypotheses as discussed below:

1. EMOTIONAL INTELLIGENCE OF TEACHER-TRAINEE

To determine level of emotional intelligence of teacher trainees, the researcher has used the Emotional Intelligence Inventory. To explore the Emotional Intelligence in terms of EQ of teacher trainees, the researcher studied all four components of it: Awareness of self and others (EIA), Professional Orientation (EIP), Intrapersonal Management (EIIP) and Interpersonal Management (ElIM). Total score of Emotional Intelligence in terms of EQ is also calculated. In order to study the emotional intelligence and its constituents, descriptive measures are calculated as shown in tabular form:

Table 1: Descriptive Measures of Emotional Intelligence and its constituents for Teacher trainees

SN	CONSTITUENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE	RANGE RANGE	MIN MIN	MAX MAX	M M	SD SD	VAR. VAR.
1.	EIA	162	203	365	294.67	44.75	2002.67
2.	EIP	137	77	214	149.33	34.17	1168.06
3.	EIIP	141	61	202	105.58	35.01	1225.99
4.	EIIM	134	147	281	233.66	32.73	1071.45
	TOTAL	405	536	941	784.07	103.05	10620.78

Table 1 clarifies the fact that teacher trainees are below average in emotional intelligence. Obtained Mean value (784.07) is under the range of 721-840 in which below average individuals are grouped in test manual. Moreover, it can be said on the basis of mean values of EIA (awareness of self and others), EIP (Emotional Intelligence Professional), Professional Orientation (EIP) and Interpersonal Management (EIIM), pupil teachers have below average level of awareness of self and others and interpersonal management. While mean value of professional orientation (149.33) is only touching the level of below average i.e., they are not professionally oriented teachers.. Mean value of Intrapersonal Management (EIIP) indicates high in self regulation. They possess the skill of self management.

Moreover, it can be said emotional intelligence highly varies in pupil teachers because standard deviation and variance are too high or it can be said on the basis of difference

between minimum and maximum scores.

2. EFFECT OF GENDER ON EMOTIONAL INTELLIGENCE OF TEACHER-TRAINEES

Testing the hypothesis 1.0: There is no significant difference in Emotional intelligence of female and male teacher trainees.

To study sex difference, t-test was applied for comparison of the mean value of emotional intelligence. The results are depicted in the table 2 :

Table 2: M, SD and t-value of Emotional Intelligence scores of teacher trainees

SN	GROUPS	N	M	SD	t-value	P
1.	MALE	50	771.28	110.186	1.076	NS at 0.05 level
2.	FEMALE	100	790.47	99.256		

Table 2 reveals that the t-value is 1.076 which is non significant at both levels of significance. Thus, the null hypothesis is accepted. Therefore, it can be inferred from the table that both the group male teacher trainees and female teacher trainees do not differ significantly rather they have shown differences on mean values. Both male and female teacher trainees have below average emotional intelligence.

3. EFFECT OF INSTITUTION ON EMOTIONAL INTELLIGENCE OF TEACHER-TRAINEES

Testing the hypothesis 2.0: There is no significant difference in Emotional intelligence of teacher trainees studying in government aided and self-financed institutions.

To study difference in emotional intelligence of government aided and self-financed, t-test was applied. The results are depicted in the table 3.

Table 3: M, SD and t-value of Emotional Intelligence scores of Teacher trainees(Institute wise)

SN	GROUPS	N	M	SD	t-value	P
1.	Govt. aided	62	830.37	61.07	4.97	Sig at 0.01 level
2.	Self-financed	88	751.45	113.88		

Table 3.0 shows that computed t- value is 4.97 that is found significant at 0.01 level. Thus, the null hypothesis 2.0 is rejected. Hence, it can be said that government aided teacher trainees and self-financed teacher trainees show heterogeneity in emotional intelligence. Test Manual indicates that mean value of 830.37 comes in the range of high emotional intelligence while mean value of 751.45 shows poor performance on emotional intelligence test. Moreover, it can be interpreted that pupil teachers of govt. aided institutions have higher level of emotional intelligence in comparison to self-financed.

FINDINGS AND CONCLUSIONS

The main findings of the research in accordance with the objectives and concerning hypothesis can be summarized as under:

1. The unit of the present population obtained emotional intelligence score 784.07(Mean value) that is under the range of 721-840 in which below average individuals are grouped in test manual. They have below average level of awareness of self and others and interpersonal management. While mean value of professional orientation (149.33) is only touching the level of below average i.e., they are not

professionally oriented teachers. Mean value on Intrapersonal Management 105.58 indicates high in self regulation. They possess the skill of self management.

2. There was no significant difference in emotional intelligence of male and female teacher trainees (t=1.076). Thus, the null hypothesis 1.0 is accepted. Therefore, it was inferred male teacher trainees and female teacher trainees exhibited more or less similar emotional quotient. Also research findings of Kakkar (2014), Gangal and Jayotsna (2012), Latha (2012) and Indu (2009) indicate that male and female teacher trainees do not differ significantly in reference to their emotional intelligence.

3. Table 3 shows that computed t-value is 4.97 that is found significant at 0.01 level. Thus, the null hypothesis 2.0 is rejected. Hence, it can be said that government aided college teacher trainees and self-financed college teacher trainees show heterogeneity in emotional intelligence. Test Manual indicates that mean value of 830.37 comes in the range of high emotional intelligence while mean value of 751.45 shows poor performance on emotional intelligence test. Moreover, it can be interpreted that pupil teachers of govt. aided institutions have higher level of emotional intelligence in comparison to self-financed.

DISCUSSION

Educational research is a systematic attempt to gain a better understanding of educational process, generally with a view to improve its efficiency. The results of the present study show that Teacher trainees are below average in emotional intelligence .The findings may be utilized for teachers because it is important for the teachers to focus their attention on their own emotional intelligence. Below average emotional intelligence of teacher trainees show that their soft skills are not developed in institutions. Teacher trainees of self-financed are poor in emotional intelligence and hence, their emotional intelligence should be increase by implementation of soft skills training or other personality development training.

More researches are needed in the field of emotional intelligence. Components of emotional intelligence and its relationship with personality, efficiency and effectiveness of teacher trainees should be studied. Training program for enhancement of emotional intelligence should be developed for teacher trainees.

References

1. Bansibari, Pandit; pathan, Unus G. (2004), Emotional Intelligence of Secondary school teachers, EDUTRACKS-DECEMBER.
2. Goleman Daniel (1995), Emotinal Intelligence Publisher- bantam Books, the University of Michigan, ISBN- 055309503X, 978055095036
3. Lazarus, R. S, Kanner, A.D. & Folkman, S. (1991), Emotional: A Cognitive Analysis
4. Nelson, Darwin B., Low, Gary R., Nelson, Kaye (2005), The Emotionally Intelligence Teacher: A Transformative Learning Model, Academic Press, New York.
5. Borse, C. (2012). Study of relationship between Emotional Intelligence and Self Concept of B.Ed Teacher trainee. Electronic International Interdisciplinary Research Journal (EIIRJ), 1, 49–54
6. Gangal, M.K. & Jayotsna (2012). A Study of Emotional Intelligence of Teacher Trainees of Meerut City. International Journal of Behavioral Social and Movement Science, 1, 99–106.
7. Ghanta & Kumar (2014). Emotional Intelligence as Related to Gender, Stream and Social Intelligence. MIER Journal of Educational Studies, Trends & Practices, 4(1), 76–87.
8. Indu, D. (2009). Emotional intelligence of secondary teacher trainees. Edutracks, Neelkamal Publication Pvt. Ltd., Hyderabad, 8(9), 34–36.
9. Kakkar, N. (2014). Teaching Competency of Teacher-Trainees in Relation to their Emotional Intelligence. Education, 4(8), 122–124.
10. Latha, M. (2012). Emotional Intelligence among prospective teachers. International

Multidisciplinary e-Journal, 1(5), 66–69.

11. Manju, N.D. (2014). Emotional Intelligence of B.Ed Student Teachers. International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR), 3(4), 40–45.
12. Muthusami, M. & Jayaraman, K. (2013). Relationship Between Emotional Intelligence and Achievement of Teacher Trainees. International Journal of Innovative Research & Development, 2(10), 21–24.
13. Salami, O.S. (2010). Emotional Intelligence, Self-Efficacy, Psychological Well-Being and Students' Attitudes: Implications for Quality Education. European Journal of Educational Studies, 2(3).
14. Sharma, R.R. (2003). Role of Emotional Intelligence in Academic Performance. In D. Singh (Ed.), Emotional Intelligence at Work, pp. 220–21. New Delhi: Response.
15. Subramaniam, S.R. & Cheong, L.S. (2008). Emotional Intelligence of Science and Mathematics Teachers: A Malaysian Experience. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 31(2), 132–163.
16. Surana, A. & Rawat, A. (2014). A study of the Emotional Intelligence (EI) of B.Ed. teacher trainees. Journal of Teacher Education and Research, 9, 1, 77–85.
17. Zarafshan, M. & Ardeshiri, M. (2012). The Relationship Between Emotional Intelligence, Language Learning Strategies and English Proficiency Among Iranian EFL University Students. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2(3), 105–115.